

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

2017-18



सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)

मिनी रत्न कंपनी (कैट-II)

गोन्दवाना प्लेस, काँके रोड

राँची - 834 031

सीआईएन : यू14292 जेएच1975 जीओआई 001223

वेबसाइट : www.cmpdi.co.in

विज्ञान

बढ़ते भू-संसाधन के क्षेत्र तथा संबंधित (व्यवसायिक) क्रिया-कलापों में
वैशिवक बाजार का नेतृत्व करना

मिशन

भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रमुख परामर्शदाता
के रूप में भारत तथा अंतराष्ट्रीय परिदृश्य भी कोयला गवेषण, खनन, अभियंत्रण तथा
सम्बद्ध क्षेत्रों में संपूर्ण परामर्शी सेवा प्रदान करना

सीएमपीडीआईएल की प्रबंधन नीति

कोयला एवं अन्य खनिज संसाधन के गवेषण तथा खान आयोजन, डिजाइन, सम्बद्ध अभियंत्रण तथा प्रबंधन प्रणाली में परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीएमपीडीआई विस्तृत भू-संसाधन क्षेत्र तथा अन्य व्यावसायिक क्रिया-कलापों में बाजार में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। हम निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- पर्यावरण, सूचना सुरक्षा तथा ऊर्जा उपलब्धि पर पर्याप्त ध्यान रखते हुए हमारे परामर्श तथा अन्य सहायता सेवा की गुणवत्ता में सतत् सुधार लाना।
- कचरे की उत्पत्ति को सतत् कम कर, उसका पुनः उपयोग कर तथा उसके हिस्से को पुनर्चक्रिन के (रिसाइकिल) द्वारा हमारे द्वारा हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम कर पर्यावरण की रक्षा करना।
- गुणवत्ता, पर्यावरण, ऊर्जा तथा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना।
- व्यापार निरंतरता को बनाए रखने तथा सूचना सुरक्षा कार्य में लगातार सुधार लाने के लिए।
- खतरा तथा व्यवधान से सूचना परिसंपत्ति को बचाना वैधानिक एवं अन्य प्रयोज्य (लागू) आवश्यकता को पूरा करना।

कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डरों के लिए सामान्य नोट

सीएमपीडीआई की वार्षिक लेखा विवरण जाँच के लिए मुख्यालय में रखा रहेगा कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी शेयर होल्डर के माँगने पर जानकारी देने के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

विषय -सूची

क्रम सं	विषय	पृष्ठ
1.	2017-2018 के दौरान प्रबन्धन	1
2.	13.07.2018 के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्य	2
3.	बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय	3
4.	43 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	4
5.	अध्यक्ष का कथन	7
6.	उपलब्धि एक नजर में	16
7.	वित्तीय पर्यवेक्षण एवं सांख्यिकी	17
8.	निदेशक-मंडल की रिपोर्ट	19
9.	निदेशक-मंडल की रिपोर्ट की अनुसूची	118
10.	सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण पत्र	131
11.	निगमित शासकीय प्रमाण-पत्र	138
12.	सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर तथा सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर	139
13.	धारा 143 (6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	156
14.	लेखे का अंकेक्षित विवरण	162
15.	नकद प्रवाह (कैशफ्लॉ) विवरण के साथ लेखे पर टिप्पणी	167
16.	महत्वपूर्ण लेखा नीति तथा खण्डवार विवरण सहित लेखे पर टिप्पणी	203

31.03.2018 के अनुसार निदेशक मंडल

कार्यकारी निदेशक



श्री शेखर सरन



श्री बी.एन. शुक्ला



श्री ए.के. चक्रवर्ती

अंशकालिक सरकारी निदेशक



श्री बिनय दयाल



डा. अनिंद्य सिन्हा

स्वतंत्र निदेशक



डा. देबाशीष गुप्ता



श्री राजेन्द्र प्रसाद

स्थाई आमंत्रित सदस्य



श्री पीयूष कुमार

कम्पनी सचिव



श्री अभिषेक मुंधड़ा

वर्ष 2017-2018 के दौरान प्रबंधन

श्री शेखर सरन : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.01.2016 से)

कार्यकारी निदेशक

श्री ए.के. चक्रवर्ती : निदेशक (तकनीकी) (03.08.2016 से)
श्री बी.एन. शुक्ला : निदेशक (तकनीकी) (17.08.2017 से)
श्री विनय दयाल : निदेशक (तकनीकी) (11.10.2017 तक)
श्री वी.के. सिन्हा : निदेशक (तकनीकी) (31.07.2017 तक)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

डा. अनिंद्य सिन्हा : परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय (05.02.2018 से)
श्री विनय दयाल : निदेशक (तकनीकी) (09.11.2017 से)
श्री डी.एन. प्रसाद : सलाहकार (परियोजना), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली,
(31.05.2017 तक)
श्री चन्दन कुमार डे : निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड (09.11.2017 तक)
श्री पीयूष कुमार : निदेशक (तकनीकी), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (09.06.2017
से 05.02.2018 तक)

स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

श्री राजेन्द्र प्रसाद : निदेशक (17.11.2015 से)
डा. देबाशीष गुप्ता : निदेशक (17.11.2015 से)

स्थायी आमंत्रित सदस्य

श्री पीयूष कुमार : निदेशक (तकनीकी), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
(06.05.2015 से 8.6.2017 तक)

कम्पनी सचिव

श्री अभिषेक मुंधङा : (18.02.2016 से)

13.07.2018 के अनुसार बोर्ड के सदस्य

कार्यकारी निदेशक

श्री शेखर सरन	:	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक
श्री बी.एन. शुक्ला	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री ए.के. चक्रवर्ती	:	निदेशक (तकनीकी)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री विनय दयाल	:	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लि., कोलकाता
डा. अनिदय सिंहा	:	परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली

स्वतंत्र निदेशक

श्री राजेन्द्र प्रसाद	:	स्वतंत्र निदेशक
डा. देबाशीष गुप्ता	:	स्वतंत्र निदेशक

स्थायी आमंत्रित सदस्य

श्री पीयूष कुमार	:	निदेशक (तकनीकी), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
------------------	---	--

कम्पनी सचिव

श्री अभिषेक मुंधड़ा	:	कम्पनी सचिव
---------------------	---	-------------

बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय

बैंकर्स

स्टेट बैंक आफ इंडिया

केनरा बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

आईडीबीआई बैंक

एक्सेस बैंक

अंकेक्षक

मेसर्स के.सी. टॉक एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

1, न्यू अनन्तपुर, राँची-834002

निबंधित कार्यालय

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0,

गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची- 834 031, झारखण्ड, भारत

CIN : U14292 JH1975 GOI 001223

वेबसाइट : www.cmpdi.co.in



43 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के शेयरधारकों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारोबार के संचालन के लिए कंपनी की 43वीं वार्षिक आम बैठक कंपनी के निबंधित कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, कॉके रोड, राँची834031 में शुक्रवार दिनांक 13 जुलाई, 2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित की जाएगी।

क. सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ—साथ भारत के सांविधिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विचार करना तथा अंगीकार करना।
2. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए मार्च, 18 में कंपनी के 1,90,400 इक्विटी शेयर पर प्रतिशेयर 1024.26 रु. प्रतिशेयर के दर 1950 करोड़ रु. का दो अंतरिम लाभांश (डिविडेंट) का भुगतान करना तथा 3,80,000 इक्विटी शेयर पर 124.80 रु. प्रति शेयर की दर से प्रस्तावित 4,75 करोड़ के फाइनल लाभांश (डिविडेंट) का भुगतान इस प्रकार डिविडेंट के रूप में कुल 24.25 करोड़ के भुगतान को अनुमोदित करना।
3. श्री एस. सरन, (DIN 06607551) पूर्णकालिक निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के चक्रानुक्रम की शर्तों के अनुसार सेवा—निवृत्त हुए हैं, जो पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं तथा अपने आपको इसके लिए प्रस्तावित करते हैं, के बदले एक निदेशक नियुक्त करना।
4. श्री बी.एन. शुक्ला (DIN 05131449) पूर्णकालिक निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के चक्रानुक्रम की शर्तों के अनुसार सेवा—निवृत्त हुए हैं, जो पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं तथा अपने आपको इसके लिए प्रस्तावित करते हैं, के बदले एक निदेशक नियुक्त करना।

ख. विशेष कार्य :

1. यदि विचार किया गया तथा उपयुक्त पाया गया तो निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधन सहित या संशोधन के बिना पारित करना : संकल्प किया गया कि दिनांक 12.05.2018 को आयोजित बोर्ड की 213वीं बैठक में बोर्ड द्वारा कास्ट आडिटर्स मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट्स, कोलकाता को अंकेक्षण एवं ऊपरी जेब खर्च हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अनुमोदित परिलक्षि 1,47,650 रु. प्रति वर्ष एवं लागू कर तथा ऊपरी खर्च के लिए कास्ट आडिट शुल्क के 50 प्रतिशत तक सीमा तक होना, को एतद द्वारा संशोधित किया गया है। उपर्युक्त विशेष व्यवसाय के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न किया जाता है। ऊपर दिए गए विशेष कार्य के बारे में कंपनी अधिनियम की धारा 102 (1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

वास्ते— सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

(अभिषेक मुंधडा)
कंपनी सचिव

ध्यातव्य :

1. वैसा सदस्य जो बैठक में भाग लेने तथा मत डालने का हकदार है, अपने बदले बैठक में भाग लेने तथा मत डालने के लिए किसी एवजी नियुक्त कर सकता है तथा उक्त एवजी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। इसे लागू करवाने के लिए विधिवत् भरा हुआ एवजी (प्रॉक्सी) फार्म वार्षिक आम बैठक होने की निर्धारित तिथि से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के निबंधित कार्यालय में जमा करा दिया जाना चाहिए।
2. सदस्यों से अनुरोध है कि कंपनी अधिनियम की धारा 101(1) के प्रावधान के अनुसार अल्पकालीन सूचना पर बैठक आयोजित करवाने की अपनी सहमति दी जाए।

प्रति :

सभी शेयर धारक,
 कम्पनी के सभी निदेशकगण ,
 अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष,
 मनोनीत एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष,
 कंपनी के सांविधिक अंकेक्षक तथा
 कम्पनी के सचिवीय अंकेक्षक
 कंपनी के कॉस्ट आडिटर
 महाप्रबंधक (वित्त) / सीएफओ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक वक्तव्य

1. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कॉस्ट आडिटर के पारिश्रमिक में संशोधन

कंपनी (कॉस्ट आडिट रिपोर्ट) नियम 2011, 3 जून, 2011 को अधिसूचित किया गया। ये कंपनी अधिनियम द्वारा जारी शक्तियों का कार्य रूप में लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स (एमसीए) द्वारा जारी किए गए थे। एमसीए ने वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 और इसके आगे से कॉस्ट आडिट रिपोर्ट के लिए अनुपालन रिपोर्ट (कमप्लीएन्स रिपोर्ट) भरना अनिवार्य कर दिया है।

सीएमपीडीआईएल की इस कॉस्ट एकाउन्टिंग पॉलिसी कोल इंडिया लिमिटेड की समग्र कॉस्ट एकाउन्टिंग पॉलिसी का भाग है।

सीएमपीडीआई के बोर्ड के अनुमोदन के साथ दिनांक 02.09.2016 को आयोजित इसकी 197वीं बैठक में ऑडिट कमिटी की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए कॉस्ट आडिट शुरू करने के लिए मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट कोलकाता की नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है।

वित्त वर्ष 2017-18 के मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट वित्तीय वर्ष 2017 के लिए मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट ने कास्ट ऑडिट का कार्य किया। उनका कार्य निष्पादन संतोषप्रद पाया गया। निदेशक-मंडल ने मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट्स की पृष्ठभूमि, अनुभव एवं कार्य निष्पादन को ध्यान में रखकर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट के पृष्ठ भूमि, अनुभव और उसके कार्यनिष्पादन के आलोक में निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कास्ट आडिटर के रूप में नियुक्ति अनुमोदित की है बशर्ते कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कास्ट आडिट की पारिश्रमिक 1,47,650 रु. प्रति वर्ष + लागू कर ओर ऊपरी जेब खर्च जो कास्ट आडिट शुल्क का 50 प्रतिशत तक की सीमा के अंदर हो।





वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

(अंकेक्षण एवं आडिटर्स नियम 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अनुसार कास्ट आडिटर्स के रूप में मेसर्स डीजीएम एंड असोसियट्स, कोलकाता की उपयुक्त नियुक्ति दिनांक 12.05.2018 को आयोजित बोर्ड की 213वीं बैठक में अनुमोदित की गई तथा कंपनी द्वारा इसकी संपुष्टि आम बैठक में की जानी है।

इस संकल्प में न तो कोई निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिस्तेदार की न तो कोई रुचि है और न ही इससे संबंधित है।

बोर्ड ने सदस्यों के अनुमोदन के लिए संकल्प की अनशंसा की।

निदेशक मंडल के आदेश से

वार्ते, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीचूट लिमिटेड



9/1/18
(अभिषेक मुंधड़ा)

कंपनी सचिव



अध्यक्ष का कथन

श्री शेखर सरन
अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारक,

सीएमपीडीआई की 43वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि की निदेशक मंडल की रिपोर्ट, अंकेक्षित (ऑडिट) लेखे की रिपोर्ट के साथ—साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा समीक्षा पहले ही कंपनी के शेयरधारकों को दी जा चुकी है।

1. विकास की रूप-रेखा :

संपूर्ण भारतीय खनन उद्योग को एक ही छत के नीचे विस्तृत प्लानिंग सेटअप के रूप में सीएमपीडीआई की स्थापना का विचार एवं प्रस्ताव मूलतः 1972 में पोलैंड के विशेषज्ञों वाले संयुक्त अध्ययन दल द्वारा आया। इसके बाद सीएमपीडीआई की स्थापना 1 नवम्बर, 1975 को की गई।

आपकी कंपनी कोयले के गवेषण, खान आयोजन एवं अभिकल्पन, पर्यावरण अभियांत्रिकी, कोयले का परिष्करण एवं उपयोग, संबंधित अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) सेवाएँ, क्षेत्र सेवाएँ इत्यादि के क्षेत्रों में सीआईएल तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों को घरेलू परामर्शी सेवा प्रदान करती रही है। सीआईएल से बाहर के ग्राहकों के अलावे धात्विक खनन (मेटल माइनिंग) क्षेत्रों के ग्राहकों को भी इस तरह की सेवाएँ प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई गैर—सीआईएल ब्लॉक, कोयला आधारित गैर—पारंपरिक ऊर्जा संसाधन यानि सीबीएम, यूसीजी, शेल गैस से संबंधित इसी प्रकार की सेवाएँ कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भी दे रहा है।

सीएमपीडीआईएल के गठन के बाद के वर्षों के दौरान बड़ी खुली खान तथा भूमिगत खान परियोजना के लिए संयुक्त प्लानिंग कार्य करने हेतु पूर्ववर्ती यूएसएसआर के जिप्रोशाखा, पोलैंड के कोपेक्स तथा ब्रिटेन के ब्रिटिश माइनिंग कन्सल्टेंट जैसे उन्नत (अग्रणी) कोयला खनन वाले देश के संस्थानों के साथ द्विपक्षीय समझौते के जरिए अपने योजनाकारों एवं अभियंताओं की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाया गया। सीएमपीडीआई के कार्मिकों की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाने के लिए कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला सुविधा की स्थापना के द्वारा महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा का निर्माण किया गया। इन सब उपायों ने सीएमपीडीआई को एक ही छत के नीचे खनिज एवं खनन के क्षेत्र में





वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

संपूर्ण समाधान करने वाला अद्वितीय कंपनी बना दिया है। फिर भी, विश्वव्यापी व्यावसायिक वातावरण में आए बदलाव के कारण 1990 के दशक में इस तरह के द्विपक्षीय समझौते महत्वहीन हो गए हैं एवं अपनी गति खो चुके हैं। कर्मियों की सेवा—निवृत्ति, कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों में स्थानान्तरण तथा युवा अभियंताओं की बहाली नहीं होने के कारण 90 के दशक में कार्यकुशल श्रमशक्ति के मामले में कंपनी की शक्ति में कमी आने लगी जो काफी समय तक चली।

कुल मिलाकर मुख्यतः सन् 2000 के बाद के बदलते व्यापार परिवेश तथा उसके फलस्वरूप देश तथा विदेश के खनन क्षेत्र में अवसर में बदलाव आने के कारण इसकी क्षमता में और कमी आने लगी जो अगले 5–6 वर्ष तक जारी रही हालांकि, कंपनी उत्कृष्टता के साथ अपनी सेवाओं और सुविधाओं के समग्र उन्नयन के लिए अत्यधिक प्रतिबद्ध है ताकि भारत और विश्व के बदलते व्यापारिक परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रख सके। यह सुदृढ़ दावा इस मजबूत तथ्य से समर्पित है कि कंपनी सक्रिय रूप से कुछ संभव सीमा तक कम्प्यूटराइजेशन के साथ—साथ खनन उद्योग से संबंधित नवीनतम साप्टवेयर के प्रयोग, पर्यावरण सुविधा से संबंधित कुछ उपकरणों के समावेश कोयले के गुण निर्धारण के साथ आईएसओ मानक के समावेशन में शामिल है। कंपनी अपनी सेवाओं एवं सुविधाओं को उन्नयन कर उत्कृष्टता के स्तर तक पहुँचाने के प्रति समर्पित है।

सीएमपीडीआईएल के प्रमुख क्रिया—कलापों में से एक ड्रिलिंग की क्षमता, जिससे भावी कोयला उत्पादन की आवश्यकता के लिए कोल ब्लॉक के अनुमान करने में मदद मिलती है, ने लगभग 2 लाख मीटर प्रतिवर्ष (04–05 में 2.02 लाख मीटर से 07–08 में 2.09 लाख मीटर) के आस—पास थी तथा बिक्री लगभग 150 से 200 करोड़ रुपये (2004–05 में 151 करोड़ रुपए तथा 2007–08 में 196 करोड़ रुपए) थी। ड्रिलिंग में योगदान सिर्फ विभागीय तौर पर ही थी। 11वीं योजना के प्रारंभ में यह विचार आया कि संसाधनों को तेजी से प्रमाणित करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर, खासकर गवेषण के क्षेत्र में सीएमपीडीआई की भूमिका में काफी वृद्धि करने की जरूरत होगी। तदनुसार, विभागीय क्षमता को बढ़ाने के अलावा एमईसीएल सहित अन्य एजेंसियों की ड्रिलिंग क्षमता का उपयोग कर इसकी क्षमता में वृद्धि करने पर बल दिया गया तथा निजी एजेंसियों को ड्रिलिंग कार्य का कुछ भाग आउटसोर्स कर ड्रिलिंग शुरू किया गया। इसी के साथ—साथ सीएमपीडीआई की कोयला कोर जाँच की क्षमता भी बढ़ाई गई। कुल मिलाकर स्वदेशी तथा आयातित उपकरण के जरिए अन्य प्रयोगशालाओं जैसे पर्यावरण, खनन प्रौद्योगिकी आदि की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। सीएमपीडीआई मुख्यालय, राँची में एक कोल बेड मिथेन प्रयोगशाला की भी स्थापना की गई है। इसके बाद प्रशासकीय मंत्रालय यानी कोयलामंत्रालय भी सीएमपीडीआई की गवेषण क्षमता बढ़ाने के लिए एक योजना लेकर आया है जहाँ 2015–16 तक विभागीय ड्रिलिंग क्षमता 4 लाख मीटर सहित कुल ड्रिलिंग क्षमता 15 लाख मीटर तक बढ़ाई जानी थी। सीएमपीडीआई ने वर्ष 2015–16 में 4.08 लाख मीटर ड्रिल कर अपना लक्ष्य तो पूरा कर लिया परंतु संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। वन क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में बोरहोल घनत्व की ड्रिलिंग की अनुमति के अभाव में तथा विपरित कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के कारण अथक प्रयास के बावजूद वर्ष 2015–16 के दौरान सीएमपीडीआई आउट सोर्स ब्लॉक में 5.14 लाख मीटर ड्रिल नहीं कर सका। वर्ष 2017–18 के लिए एमओयू का लक्ष्य 12.50 लाख मीटर रखा गया जो वर्ष 2016–17 के दौरान लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 11.26 लाख मीटर ड्रिलिंग के मुकाबले ले गया।

आपकी कंपनी इन चुनौतियों पर खरी उत्तरी तथा आधुनिकतम मड टेक्नोलॉजी, अधिक क्षमता वाले नए ड्रिल एवं अधिक कार्य निष्पादन वाले बीट तथा नए श्रमशक्ति की भर्ती जैसे कई कदम उठाकर इसने वर्ष 2017–18 के दौरान 4.51 लाख मीटर तक विभागीय ड्रिलिंग क्षमता बढ़ाई है। वर्ष 2017–18 के दौरान कुल 13.66 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई, जो वर्ष 2006–07 (10वीं योजना के अंत तक) 2.06 लाख मीटर की उपलब्धि सहित ड्रिलिंग कम्युलेटिव अनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट 18.8 प्रतिशत से अधिक थी। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2017–18 में यह बढ़कर 1154.75 करोड़ रु. की निबल बिक्री दर्ज की। फलस्वरूप पिछले वर्ष के मुकाबले निबल बिक्री में 24.10 प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित हुई। सीआईएल के अलावे ओसीपीएल, नालको, एनटीपीसी, सेल, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एमओआईएल, टीएचडीसी, एनएमडीसी, जेएसएमडीसी, ओएमसी, महाजेनको, हिंडल्को, जीएसईसीएल, एमपीपीजीसीएल आदि कम्पनियों को खनन के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएँ दी गईं।



सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

तथापि, विगत के वर्ष में किए गए कंपनी के प्रयास उपर तथा नीचे स्तर पर बहुत हद तक प्रदर्शित नहीं हुए, इसलिए सीएमपीडीआई की व्यापार गतिशीलता पर पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। इसमें भी सीएमपीडीआई के लिए कोयला क्षेत्र में भावी बाजार परिदृश्य का समुचित अध्ययन तथा महत्वपूर्ण तरीके से अन्य क्षेत्रों में प्रवेश (फोरे) अनिवार्य है। इस विचार से कंपनी के मूल्य निर्धारण प्रक्रिया का पुनर्वालोकन किया जा रहा है। कोयला क्षेत्र से इतर अन्य खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण क्षेत्र, कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास आदि के क्षेत्र में विविध अकरण के जरिए बिक्री में वृद्धि सहित वैल्यू टर्म में बाहरी कार्य (गैर-सीआईएल) की मात्रा में वृद्धि हेतु संभावित रणनीति का अध्ययन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस विविधिकरण के माध्यम से निकट भविष्य में समग्र रूप से कोयला क्षेत्र के हितों के लिए कंपनी की विशिष्टता को सुरक्षित रखा जाएगा।

2. वित्तीय उपलब्धि :

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आपकी कंपनी ने 156.51 करोड़ रु. कर पूर्व लाभ (35.69 करोड़ रु. अन्य विस्तृत आय पर विचार करने के बाद) के साथ–साथ 1154.75 करोड़ रु. का अधिकतम टर्न ओवर हासिल किया है। आपकी कंपनी का निबिल मूल्य (नेटवर्थ) 31.03.2017 के अनुसार 254.43 करोड़ रु. से बढ़कर 31.03.2018 के अनुसार 334.53 करोड़ रु. हो गया। इस वित्तीय वर्ष में प्रति शेयर उपार्जन पिछले वर्ष 2081.93 रु. (1,90,400 शेयर पर परिकलित) से बढ़कर 2122.64 रु. (3,80,800 शेयर पर परिकलित) हो गया।

3. ड्रिलिंग उपलब्धि :

जैसा कि ऊपर दिया गया है, आपकी कंपनी ने वर्ष 2016–17 के दौरान की गई 11.26 लाख मी. ड्रिलिंग की तुलना में वर्ष 2017–18 में विभागीय संसाधन तथा आउटसोर्सिंग के जरिए गत वर्ष की ड्रिलिंग में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 13.66 लाख मी. ड्रिलिंग की है। वर्ष 2018–19 में ड्रिलिंग का लक्ष्य 13.00 लाख मीटर निर्धारित किया गया है जो वर्ष 2017–18 में प्राप्त 13.66 लाख मीटर की तुलना में कम है। इसका कारण गैर-सीआईएल ब्लॉक में खनन के लिए फंड अनिश्चितता, वन विलयरेंस हेतु विगत तीन वर्षों के दौरान 85 कोयला ब्लॉकों के लिए आवेदन लंबित रहने से विस्तृत ड्रिलिंग की अनुमति न मिलना तथा कुछ कोल ब्लॉकों में कानून और व्यवस्था की स्थिति विपरित होना है।

सीएमपीडीआई ने विभिन्न कोयला ब्लॉकों में प्रतिवर्ष एक लाख मीटर तक गवेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए 6 जनवरी, 2009 को एमईसीएल के साथ दीर्घकालीन समझौता किया है। ड्रिलिंग की वार्षिक सीमा 4.00 लाख मीटर तक पुनः बढ़ा दी गई है। वर्ष 2007–08 से अब तक 9 दौर की राष्ट्रीय/वैश्विक निविदा तथा 11 दौर की ई-टेंडरिंग की जा चुकी है और 86 ब्लॉकों में 35.52 लाख के लिए कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

4. परियोजना रिपोर्ट :

सीआईएल के 1 वीटी दस्तावेज में पीआर तैयार करने के लिए चिह्नित 80 परियोजनाओं में से मार्च 2018 तक 73 परियोजना रिपोर्ट सौंप दी गई हैं। 6 परियोजनाओं के लिए वन विलयरेंस तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति विपरित रहने के कारण जीआर की तैयारी में देर हो गई। इन 6 परियोजनाओं से अलग 2.90 मि.ट. उत्पादन की क्षतिपूर्ति करने के लिए वैकल्पिक परियोजनाओं की पहचान की गई है। मदनपुर ओसी (ईसीएल) के लिए पीआर, नारायणकरी ओसी (ईसीएल) के लिए पीआर भू खनन बाधाओं तथा मदनपुर ओसी की अव्यवहार्यता ध्यान में रखकर सौंप दी गई।

विवेच्य वर्ष के दौरान 30 परियोजना रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है जिसमें 100 एमटीवाई क्षमता में वृद्धि हुई है।

5. प्रयोगशालाओं का उन्नयन :

सीएमपीडीआई की सभी प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ा दी गई है। रासायनिक एवं पेट्रोग्राफी प्रयोगशालाओं को आयातित परिष्कृत उपकरण से सुसज्जित कर उन्नत कर दिया गया है और इसकी क्षमता बढ़ा दी गई है।



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

कोयला कोर विश्लेषण एवं परीक्षण के लिए भू-रासायनिक प्रयोगशाला को नेशनल अक्रिडिशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेट्री (एनएबीएल) द्वारा मान्यता दी जा चुकी है। भू-रासायनिक प्रयोगशाला के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान एनएबीएल द्वारा सर्विलांस मूल्यांकन किया गया। पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला के सभी सदस्यों को अन्तरराष्ट्रीय कोयला एवं कार्बनिक पेट्रोग्राफी (आईसीसीपी) द्वारा मान्यता प्रदान किया जा चुका है। वर्तमान पर्यावरण प्रयोगशाला को आधुनिकतम (स्टेट आफ आर्ट) प्रौद्योगिकी से सशक्त कर दिया गया है। सीएमपीडीआई, मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थान-4, क्षेत्रीय संस्थान-5 तथा क्षेत्रीय संस्थान-7 के पर्यावरण प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल से मान्यता दिलाने का प्रयास जारी है। वर्ष 2016-17 के दौरान सीएमपीडीआई, मुख्यालय के पर्यावरण प्रयोगशाला की सीपीसीबी मान्यता प्राप्त कर ली गई है, जो पाँच वर्षों तक के लिए वैध है। शैल एवं कोयले नमूने के भौतिक यांत्रिक गुण निर्धारण के लिए खनन प्रयोगशाला को पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड सर्वों कन्ट्रोल्ड यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन (यूटीएम) लगा कर अपग्रेड कर दिया गया है। सीबीएम शैल गैस से संबंधित अध्ययन, रिजर्वायर का गुण निर्धारण के लिए खनन प्रयोगशाला को पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड सर्वों कन्ट्रोल्ड यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन (यूटीएम) लगा कर अपग्रेड कर दिया गया है। सीबीएम एवं शैल गैस संसाधन के मूल्यांकन करने से संबंधित सभी पारामिट्रिक डाटा के सृजन को सरल बनाने के लिए सीएमपीडीआई में एक आधुनिकतम स्टेट आफ आर्ट सीबीएम प्रयोगशाला कार्यरत है। सीएमपीडीआई की क्षमता एवं दक्षता को बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआई तथा सीएसआईआरओ आस्ट्रेलिया द्वारा एसएंडटी वित्त पोषक परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

6. श्रमशक्ति की भर्ती :

गवेषण, आयोजना एवं अभिकल्पन (प्लानिंग एंड डिजाइन) के साथ-साथ सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं की आवश्यकताका मूल्यांकन किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान, बहाली एवं स्थानान्तरण के जरिए सीएमपीडीआई में 87 अधिकारियों का पदस्थापन किया गया है। इसी प्रकार बहाली/अनुकंपा के आधार पर नियोजन/अन्य कंपनियों से स्थानान्तरण द्वारा 43 कर्मचारियों (गैर-अधिकारी) को पदस्थापित किया गया है तथा श्रमशक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है।

7. भूमि पुनरुद्धार मानिटरिंग तथा भू-उपयोग/ वनस्पति आच्छादन :

वर्ष 2008 से प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर (कोयला + ओबी) से अधिक उत्पादन करने वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खुली खानों में भूमि पुनरुद्धार मानिटरिंग के लिए प्रति वर्ष उपग्रह-निगरानी की जा रही है। इसके बाद 2011 से तीन वर्ष के अंतराल पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष 5 मिलिटन घन मीटर (कोयला + ओबी) से कम उत्पादन वाली कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खानों का भी भूमि पुनरुद्धार मानिटरिंग का कार्य शुरू किया गया है।

तदनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान हाई रिजोल्यूशन सेटेलाइट डाटा पर आधारित कोल इंडिया लिमिटेड की 92 खुली खान परियोजनाओं की भूमि पुनरुद्धार मानिटरिंग की जा चुकी है। वर्ष 2017-18 के दौरान 7 (सात) कोयला क्षेत्रों यानि पेंच कान्हान घाटी, मांद रायगढ़ घाटी, रानीगंज, राजमहल, उमरेर, ईब घाटी तथा सोहागपुर में वनस्पति आच्छादन मैपिंग की गई।

8. कोल वाशरी की स्थापना में सहायता :

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को कोयला वाशरी की स्थापना में तकनीकी सहायता दी गई। रिकार्ड समय में ई-रिजर्व निलामी प्रक्रिया के आधार पर बनाओं-चालू करो-रख-रखाव (बीओएम) तथा बनाओ-मालिक बनो-चलाओं (बीओओ) अवधारणा पर निविदा दस्तावेज को कस्टमाइज किया। सीआईएल के तहत चलाए जा रहे कोकिंग कोल वाशरी के आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई गई। विस्तृत डिजाइन ड्राईंग की समीक्षा कर तथा अनुमोदित कर नई वाशरियों के निर्माण में सहायता दी जा रही है। सीएमपीडीआई बीसीसीएल में दहीबारी वाशरी (1.6 एमटीवार्ड) तथा पाथरडीह -1 वाशरी (5 एमटीवार्ड) की स्थापना में सक्रिय रूप से लगा रहा।

इन वाशरियों का उद्घाटन सचिव (कोयला द्वारा क्रमशः जनवरी एवं मार्च, 2018 में किया गया। रोम कोल नमूनों तथा बोर कोल नमूनों का धोवन क्षमता का अध्ययन भी किया गया। कोयला मंत्रालय के लिए “13 प्रतिशत राख की मात्रा तक कोयले की धुलाई संभाव्यता के मूल्यांकन” पर रिपोर्ट तैयार की गई। कुल मिलाकर सीएमपीडीआई एमओसी के उपयोग/निपटान पर नीति को अंतिम रूप देने के लिए सहायता दे रहा है।

9. पर्यावरणिक सेवा :

वर्ष 2017–18 के दौरान आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुंडा, हसदेव, जयंत, भुवनेश्वर तथा रांची स्थित अपने 9 पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं के जरिए सीएमपीडीआई द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की 435 परियोजनाओं/संस्थापनों की पर्यावरणिक मानिटरिंग (वायु, जल एवं ध्वनि) की गई तथा 20 फार्म–1 सहित 43 ईएमपी (पर्यावरण प्रबंधन योजना) भी तैयार किए गए। विवेच्य वर्ष के दौरान 36 माइन क्लोजर स्टेटस रिपोर्ट भी तैयार की गई। तथापि भावी पर्यावरणिक सेवाओं की आवश्यकता के कारण हमारे द्वारा दी जा रही पर्यावरणिक सेवाएँ को सतत आधार पर जारी रहेंगी। सीएमपीडीआई को खुली खनन/भूमिगत खनन, थर्मल तथा कोल वाशरी क्षेत्र सहित खनिजों की खनन के लिए क्वालिटी कॉर्जिंसिल आफ इंडिया (क्यूसीआई) (ए एम ओ ई एफ सीसीज डिजिनेटेड एजेंसी), नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन परामर्शी संगठन के रूप में मान्यता दी गई है।

10. कोयला आधारित ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत :

सीएमपीडीआईएल ने कोयला आधारित गैर–पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के आधार पर कोयले के व्यावसायिक विकास को सरल बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी रखा और यह राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ व्यावसायिक तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजना का अनुसरण कर रहा है। सीएमपीडीआई ओएनजीसी सीआईएल के कंसोर्टियम को आवंटित दो कोयला ब्लॉकों झारिया तथा रानीगंज नार्थ सीबीएम ब्लॉक में कोल बेड मिथेन के विकास के लिए सीआईएल की ओर से कार्य कर रहा है तथा वैचारिक, परिचालनात्मक आदि जैसे प्रशासनिक एवं अन्य मुद्दों को आरंभ करने में सहयोग कर रहा है। कोयला मंत्रालय ने भारत में सीएमएम के विकास के लिए सीएमपीडीआईएल को नोडल एजेंसी बनाया है।

सीएमपीडीआई कोयला मंत्रालय ने 29 जुलाई, 2015 के अपने ज्ञापन के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड को आवंटित कोयला खनन पट्टे के तहत अपने क्षेत्र में सीबीएम का पता लगाने तथा दोहन का अधिकार कोल इंडिया लिमिटेड को दे दिया है। सीआईएल के अधिकार वाले क्षेत्र में सीएमएम के विकास क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआई द्वारा “सीआईएल के अधिकार वाले क्षेत्र में सीएमएम का मूल्यांकन” हेतु अध्ययन किया गया तथा ईसीएल के अधिकार वाले क्षेत्र में रानीगंज सीएमएम/सीबीएम ब्लॉक तथा बीसीसीएल के अधिकार वाले क्षेत्र में झारिया सीबीएम/सीएमएम ब्लॉक में कार्य शुरू करने के लिए रूपरेखा निर्धारित कर ली गई है। रानीगंज कोयला क्षेत्र (ईसीएल एरिया) तथा झारिया कोयला क्षेत्र (बीसीसीएल एरिया) में सीएमएम ब्लॉकों के लिए खनन ग्लोबल बिडिंग के जरिए चयनित अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शी संगठन द्वारा “कोल माइन मिथेन/कोल बेड मिथेन के व्यावसायिक विकास के उद्देश्य से रिजर्वर मॉडलनिंग एवं तकनीकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययन” किया जा चुका है।

मार्च, 2017 में राँची में जीओआई–एमओसी के तत्वावधान में सीआईएल–सीएमपीडीआई, जीएमआई–यूएसईपीए द्वारा “बेस्ट प्रैक्टिसेज इन मिथेन ड्रेनेज एंड यूज इन कोल माइन्स” पर संयुक्त रूप से राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

सीएमपीडीआईएल क्षेत्रीय रूप से गवेषित क्षेत्रों में ड्रिल किए जा रहे बोर होलों में “असेसमेंट आफ कोल बेड मिथेन गैस इन–प्लेस रिसोर्स ऑफ इंडियन कोलफील्ड्स/लिग्नाइट” से संबंधित अध्ययन कर रहा है।

सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलिया के साथ सीआईएल (आरएंडडी) तथा भारत सरकार से नेशनल क्लीन एनर्जी फंड (एनसीईएफ) के तहत मुनिडीह (झारिया कोलफील्ड्स) शुरू किया जाने वाला वेन्टिलेशन एयर मिथेन के प्रमोशन/





वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

उपयोग पर एक परियोजना प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें सीएमपीडीआई प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी तथा बीसीसीएल उप कार्यान्वयक एजेंसी है। इस परियोजना को सीआईएल बोर्ड द्वारा सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया गया तथा इसे सरकार के अनुमोदन के बाद शुरू किया जाएगा।

कोयला मंत्रालय ने सीबीएम के विकास के लिए वर्तमान नीति के अनुरूप यूसीजी के लिए क्षेत्रों की पहचान के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। इसका उद्देश्य पेशकश किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करने विडिंग करने या नामांकन के आधार पर पीएसयू को दिए जाने वाले ब्लॉकों के बारे में निर्णय लेने, बोली की प्रक्रिया तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के लिए क्रियाविधि को प्रस्तावित करना है। इस उद्देश्य के लिए कोयला मंत्रालय ने सीएमपीडीआई को नोडल एजेंसी बनाया है। आईएमसी द्वारा आगे विचार-विमर्श करने के लिए यूसीजी के विकास हेतु मॉडेल बिड दस्तावेज तथा मॉडेल संविदा दस्तावेज तैयार कर कोयला मंत्रालय को सौंप दिया गया।

11. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

आपकी कंपनी कोयला मंत्रालय के एसएंडटी अनुदान तथा सीआईएल के आरएंडडी बोर्ड द्वारा निधिकृत अनुसंधान क्रिया-कलापों के समन्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। अनेक शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास कार्यों के समन्वयन के अलावा सीएमपीडीआई अपने पूर्णतः संस्थापित प्रयोगशाला की सहायता से खनन, कोयला गवेषण, साफ कोयला प्रौद्योगिकी यानि कोल बेड मिथेन (सीबीएम), कोल माइन मिथेन (सीएमएम), शेल गैस मूल्यांकन, कोयला परिष्करण एवं उपयोग तथा खान पर्यावरणसे संबंधित मुद्दे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुसंधान कार्य भी करता है।

अनेक वर्षों से इनमें से कई अनुसंधान परियोजनाओं से काफी लाभ मिला है, जिसके फलस्वरूप परिचालनात्मक सुधार, अपेक्षाकृत सुरक्षित कार्य स्थिति, बेहतर संसाधन प्राप्ति तथा पर्यावरण का संरक्षण हुआ। यद्वपि कुछ अनुसंधान परियोजनाओं के कारण उद्योग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, तथापि कुछ अन्य परियोजना ऐसी भी जिनमें हैं जिनसे चालू खानों तथा भावी खनन योजनाओं दोनों के लिए अपेक्षित खान आयोजन, डिजाइन एवं तकनीकी सेवाएँ सशक्त हुई हैं। भारतीय भू-खनन स्थितियों जैसे भूमिगत कोल पिलर डिजाइन रूफ कैवेब्लिटी का विश्लेषण, ओपेनकास्ट स्लोप स्टेब्लिटी, सतह धूंसान का पूर्वानुमान, विभिन्न शैल स्थितियों के लिए अनुकूल विस्फोटन डिजाइन ओपेनकास्ट स्लोप स्टेबिलिटी, ऑन लाइन कोल वाशेब्लिटी अनालाइजर, पुनरुद्धार किए गए खुली कोयला खदानों पर स्थायी जीवनयापन कार्यों आदि जैसी समस्याओं वाले भारतीय भू-खनन स्थितियों के लिए विभिन्न डिजाइन/मेथेडोलॉजी/प्रक्रिया विकसित की गई हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान 2 एसएंडटी परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। पूरी की गई परियोजना “ऑन लाइन कोल वाशेब्लिटी अनालाइजर” तथा पुनरुद्धार की गई खुली कोयला खदानों पर स्थायी जीवन-यापन : भारतीय कोयला क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधारित समेकित दृष्टिकोण” से संबंधित थी। पहली परियोजना के तहत वाशेब्लिटी अनालाइजर के साथ पारंपरिक फ्लोट सिंक परीक्षण से तैयार दक्षता डाटा की तुलना कर एक्स-रे आधारित ऑन लाइन कोल वाशेब्लिटी अनालाइजर विकसित किया गया है। दूसरी परियोजना में ऑवर बर्डेन डप/वैकडफील्ड माइन्ड लैंड पर पर्यावरण के अनुकूल खान पुनरुद्धार तथा पुनरुद्धार की गई भूमि पर स्थायी रूप से हरित आच्छादन विकसित किया गया है जो बाद में परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में तथा इसके आस-पास सशक्तिकरण के लिए स्थानीय निवासियों के बीच उद्यमिता तथा व्यावसायिक कौशल विकसित करेगा। इससे आय सृजन कार्य द्वारा स्थानीय आर्थिक विकास भी होगा।

सीएमपीडीआईएल द्वारा कोयला/लिग्नाइट उद्योगों के लिए लाभप्रद आवश्यकता आधारित अनुसंधान कार्य के लिए कोयला/लिग्नाइट उत्पादक कंपनियों, अधिक-से-अधिक अनुसंधान एवं संस्थानों को शामिल करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। वर्तमान में 38 परियोजनाएँ कार्यान्वयना के अधीन हैं। ये परियोजनाएँ कोयला खान कार्यस्थल (वर्किंग्स) में विभिन्न प्रकार की खनन पद्धतियों के लिए पिलर/अरेज आफ पिलर का स्थायित्व एवं डिजाइन, एसिड माइन ड्रेनेज, एसिड माइन ड्रेनेज के उसी समय समान तथा खास तरह के धात्विक सल्फायड की प्राप्ति के लिए

हाइब्रिडप्रीसरिक्स प्रक्रिया, समेकित जैविक अप्रोच का प्रयोग कर स्थानीय पेड़—पौधों को लगाकर पुनः पौधारोपण द्वारा मृदा में सुधार कर नार्थ इस्टर्न कोलफील्ड्स, असम की कोयला खनित भूमि का पुनरुद्धार, 'भारतीय कोकिंग एवं नन—कोकिंग कोल की धोवन दक्षता में सुधार लाने के लिए कास्ट इफेक्टिव प्रोसेस फ्लोशीट का डिजाइन', 'भारत की खुली कोयला खानों में ओवर बर्डन डंप की ऊँचाई को बढ़ाने के लिए दिशा—निर्देश का विकास', 'हाई एश कोल गैसीफिकेशन तथा असोसीएटेड अपस्ट्रीम एंड ड्राउनस्ट्रीम प्रक्रियाओं (कोयला से रसायन, सीटीसी)', 'सर्फेस माइनिंग स्लोप के सुरक्षा क्षेत्र में भू—आधारित इन्फार्मेट्री सिंथेटिक अपर्चर रडार (जीबीएलएनसार) की उपयोगिता एवं कार्यनिष्ठादन का मूल्यांकन', 'पीट बाटम तथा भूमिगत खान रोड वेज एवं वर्किंग फेस का फाइवर आधारित सोलर इल्यूमिनेशन', कोयला खानों में सुरक्षा एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्चुअल रिअलिटी माइन सिमुलेटर (वीआरएमएस) का विकास, राख की अधिक मात्रा वाले भारतीय थर्मल कोल का शुष्क परिष्करण आदि से संबंधित है तथा अन्य संगठनों के साथ मिलकर इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

12. निगमित सामाजिक दायित्व तथा स्टेनेब्लिटी :

आपकी कंपनी ने लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सुनियोजित सीएसआर हस्तक्षेप के माध्यम से अपने आस—पास के समुदायों के साथ—साथ व्यापक सामाजिक समुदायों के साथ भी मजबूत संबंध बनाया है। सीएसआर कार्य के तहत सीएमपीडीआई द्वारा अपने ड्रिलिंग स्थल के आस—पास के समुदाय के सतत विकास के लिए सीएसआर का कार्य किया गया है।

वर्ष 2017—18 के दौरान किए गए प्रमुख कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं : विद्यालय तथा गाँवों में आधारभूत सुविधाओं/संरचनाओं का विकास, गरीब एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहायता, कुष्ट रोग के मरीजों के इलाज एवं देख—बाल के लिए आर्थिक सहायता, ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय, रांची के नेत्रहीन लड़कियों का कौशल विकास, रांची में अनाथ बच्चों के लिए टॉल का निर्माण, गाँवों में ड्रिलिंग तथा बोरबेल लगाकर पेयजल उपलब्ध कराना, दाधु पंचायत, चतरा, झारखंड में सोलर लाइट लगाना और ओडिसा में ग्रामीण विकास कार्य।

13. प्रबंधन प्रणाली मानक में परामर्शी सेवा :

कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में प्रबंधन प्रणाली मानक के कार्यान्वयन में सीएमपीडीआईएल नोडल एजेंसी है, जो आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 5001, आईएसओ 27001, ओएचएसएएस 18001 आदि जैसे विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानक के कार्यान्वयन तथा प्रमाणन के लिए अपनी परामर्शी सेवा देता है। हम संस्थापन, प्रलेखन, जागरूकता प्रशिक्षण, आंतरिक अंकेक्षकों को प्रशिक्षण, अंकेक्षण सहायता, तथा इन मानकों के लिए कार्यान्वयन, प्रमाणन सहायता के साथ—साथ प्रमाणोत्तर सहायता दे रहे हैं।

सीएमपीडीआईएल के साथ—साथ इसके सभी क्षेत्रीय संस्थानों को नए संशोधित आईएसओ 9001 :2015 मानक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस दिया गया है।

सभी प्रलेखन कार्य पूरा करने के बाद, हम अब अपने प्रबंधन प्रणाली में दो नई प्रणालियों आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) एवं आईएसओ 50001 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) की अपेक्षाओं को मिलाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसके लिए दिसम्बर, 2018 तक प्रमाणीकरण हो जाने की संभावना है। आईएसओ 17025 : 2005 के सफल कार्यान्वयन के लिए एनएबीएल द्वारा हमारी 5 प्रयोगशालाएँ मान्यता प्राप्त हैं। (परीक्षण एवं कैलिब्रेशन की सक्षमता के लिए सामान्य अपेक्षाएँ)

हमारे मार्गदर्शन एवं सहायता से सीआईएल, मुख्यालय, कोलकाता ने भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएसओ 9001 : 2015, आईएसओ 14001 : 2015 तथा आईएसओ 50001 : 2011 को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है तथा इसके लिए प्रमाण पत्र पाया है।



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

कोल इंडिया लिमिटेड की तीन सहायक कंपनियाँ ईसीएल, एमसीएल तथा एनसीएल कंपनीव्यापी (कंपनीवाइड) समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा ओएचएसएस 18001) सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अब प्रमाणित हैं। समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 एवं ओएचएसएस 18001) के लिए सीसीएल को कंपनीवाइड सर्टिफिकेशन जून, 2018 तक मिल जाने की संभावना है।

हम बीसीसीएल, एसईसीएल तथा डब्ल्यूसीएल को कंपनीवाइड समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा ओएचएसएस 18001/आईएसओ 45001) के लिए सहायता एवं मार्गदर्शन दे रहे हैं जो अगले वित्तीय वर्ष इसे लागू करने तथा प्रमाण-पत्र पाने की कतार में हैं।

14. कोल इंडिया से बाहर की कम्पनियों को सहायता :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 31 संगठनों के 41 बाहरी परामर्श कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख ग्राहक/संगठन एनटीपीसी, एमओआईएल, महा जेनको, टीएचडीसी, एनएमडीसी, जेएसएमडीसी, ओएमसी, पीएफसीसीएल हिन्डाल्को, तालचर फर्टिलाइजर्स आदि जैसे 16 संगठनों के 29 बाह्य परामर्शी कार्य (सीआईएल से बाहर के) किए जा रहे हैं।

वर्ष 2017–18 के दौरान 27 संगठनों से 66.77 करोड़ रुपए का कार्य प्राप्त किया गया, जिसमें कोयला मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी संगठन एवं प्राइवेट कंपनी शामिल हैं।

15. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाएँ :

सीएमपीडीआईएल ने संपूर्ण कोल इंडिया लिमिटेड के लिए ई-आफिस कार्यान्वित करने का कार्य पूरा कर लिया है। रेलटेल डाटा सेंटर, सिकन्दराबाद में केंद्रीकृत आधारभूत सुविधा तथा मुख्यालय लोकेशन की सभी अनुषंगी, सीआईएल, नई दिल्ली, सीआईएल मुख्यालय, कोलकाता, आईआईसीएम और एनईसी में एमपीएलएस कनेक्टीविटी स्थापित कर दी गई है। सभी जगहों पर ई-आफिस कार्य कर रहा है। सीएमपीडीआई ने सीआईएल मुख्यालय, सीआईएल, नई दिल्ली, मुख्यालय लोकेशन की सभी अनुषंगी, आईआईसीएम तथा एनईसी में 5000 यूजर्स के साथ ई-आफिस कार्यान्वित कर दिया गया है।

कोल ब्लॉक डाटा के संबंध में सूचना देने के लिए ऑन लाइन कोल ब्लॉक इन्फर्मेशन सिस्टम अप्लीकेशन (ओसीबीआईएस) विकसित किया गया है। सीआईएल के अधिकारियों के लिए कोल ब्लॉक डाटा, सुरक्षा स्वीकृति (एससी) तथा विभागीय स्वीकृति (डीसी) विकसित कर कार्यान्वित कर दिया गया है।

16. मान्यता एवं पुरस्कार :

भारत सरकार ने सीएमपीडीआईएलके योगदान तथा इसकी प्रासंगिता को पहचाना तथा मई 2009 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्ट्राइजेज (डीपीई) के प्रावधान के अनुसार इसे मिनी रत्न कंपनी (फैट-11) से नवाजा है। डीपीई के दिशा-निर्देश में उपक्रमों को और अधिक दक्ष एवं स्पर्धात्मक बनाने के नीतिगत उद्देश्य से लाभ कमाने वाली पब्लिक सेक्टर इन्ट्राइजेज (पीएसई) को और अधिक स्वायत्ता एवं अधिकार देने का प्रावधान है।

वर्ष 2007–08 से लगातार (2010–11 को छोड़कर) डीपीई द्वारा उत्कृष्ट एमओयू (कोल इंडिया लिमिटेड तथा सीएमपीडीआईएल के बीच) प्राप्त करने से सीएमपीडीआई की आकर्षक उपलब्धि प्रतिबिम्बित होती है। सीएमपीडीआईएल ने 1 नवम्बर, 2017 को कोलकाता में आयोजित 43वां कोल इंडिया स्थापना दिवस के अवसर पर 94.91: स्कोर के साथ 'वर्ष 2016–17 के लिए उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग' हेतु पुरस्कार प्राप्त किया है।

सीएमपीडीआईएल ने स्कोप, कन्वेन्शन सेन्टर, नई दिल्ली में 7–8 दिसम्बर, 2017 को आयोजित स्कोप कारपोरेट कॉम्यूनिकेशन एक्सेलेन्स अवार्ड 2017 में 'सर्वोत्तम निगमित फिल्म : कमेन्डेशन' तथा सर्वोत्तम गृह पत्रिका (हिन्दी) : तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है।

17. निगमित शासन :

भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के लिए निगमित शासन पर सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार सीएमपीडीआई द्वारा निगमित शासन की शर्तों को पूरा किया गया है। निर्देशक मंडल की रिपोर्ट में निगमित शासन पर एक अलग खंड (सेक्षन) जोड़ा गया है तथा निर्देशक मंडल की रिपोर्ट में कंपनी से सांविधिक अंकेक्षकों से निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन पर निर्देशक मंडल की रिपोर्ट में एक परिशिष्ट लगाया गया है।

आधारोक्ति :

ये सभी उपलब्धियाँ आपकी कंपनी के सामुहिक प्रयास, श्रमिक संगठनों (जेसीसी) तथा ऑफिसर्स असोसिएशन के सदस्यों द्वारा अनवरत सहयोग के साथ-साथ कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए सहयोग से प्राप्त हो सकी हैं। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की संलिप्तता, समर्पण तथा कंपनी में उपलब्ध विशेषज्ञता भावी कार्य के प्रति समर्पण दिलासा का बड़ा स्रोत होगा। मुझे विश्वास है कि हम भविष्य में और ऊँचाई प्राप्त करने का प्रयास जारी रखेंगे तथा पहले की तरह हर स्तर पर इसके समर्पित प्रतिबद्धता तथा उपलब्धियों के साथ शेयर होल्डर की चुनौतियों एवं आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।

मैं सभी शेयर होल्डर, कोयला मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों, ग्राहकों एवं विक्रेताओं (वेन्डरों) को उनकी हार्दिक सहायता तथा अनवरत सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।



(शेखर सरन)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक)

स्थान : राँची

दिनांक : 13.07.2018





वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

उपलब्धि एक नजर में

क्रम सं.	विवरण	इकाई	2017-18	2016.17 (इन्ड एएस के अनुसार पुनर्कथित)	2015.16 (इन्ड एएस के अनुसार पुनर्कथित)
1	सेवाओं की बिक्री (निबल बिक्री)	₹ करोड़ में	1154.75	930.52	759.27
2	कर के पहले लाभ	₹ करोड़ में	120.82	64.58	38.03
3	कर के बाद लाभ	₹ करोड़ में	80.83	39.64	23.97
4	निबल ब्लॉक	₹ करोड़ में	147.23	133.92	100.26
5	नेट वर्थ	₹ करोड़ में	334.53	254.43	215.25
6	चालू परिसम्पत्तियाँ	₹ करोड़ में	1165.69	820.03	799.38
7	चालू देयताएँ	₹ करोड़ में	857.55	602.09	612.45
8	कार्यशील पूँजी	₹ करोड़ में	308.14	217.94	186.93
9	नियोजित पूँजी	₹ करोड़ में	455.37	351.86	287.19
10	ओसीआई को छोड़कर नियोजित पूँजी की वापसी	₹ करोड़ में	26.53	18.35	17.88
11	प्रति शेयर उपार्जन	₹ करोड़ में	2122.64	1040.97	1496.00


नियोजित पूँजी = निबल ब्लॉक + कार्यशील पूँजी

नेट वर्थ = प्रदत्त पूँजी + आरक्षित एवं अधिशेष-संचित हानि


नियोजित पूँजी = चालू परिसंपत्तियाँ-चालू देयताएँ

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन


व्यय विवरण 2017-18



2017-18 के व्यय का सारांश



वर्ष 2017-2018 के व्यय का सारांश



वित्तीय पर्यवलोकन

सेवाओं का बिक्रय (निबल बिक्रय) ₹ करोड़ों में



कर पूर्व लाभ ₹ करोड़ों में



निदेशक-मंडल का प्रतिवेदन

सेवा में,
अंशधारक,
सज्जनों,

मुझे निदेशक-मंडल की ओर से 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिसाब-किताब तथा उस पर सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित आपकी कम्पनी के क्रिया-कलापों पर आधारित 43वाँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

भाग : क

1.0 निगमित पर्यवलोकन

आपकी मिनी रत्न (कैट-II) कंपनी ने गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची स्थित अपने मुख्यालय तथा आसनसोल, धनबाद, राँची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली तथा भुवनेश्वर स्थित सातों क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कार्य जारी रखी। सातों क्षेत्रीय संस्थानों को क्षेत्रीय संस्थान-1 से क्षेत्रीय संस्थान-7 तक का नाम दिया गया जो कोल इंडिया लिमिटेड की 7 संगत अनुषंगी कोयला उत्पादक कंपनियों जैसे ईसीएल (क्षे.सं.-1), बीसीसीएल (क्षे.सं.-2), सीसीएल (क्षे.सं.-3), डब्ल्यूसीएल (क्षे.सं.-4), एसईसीएल (क्षे.सं.-5), एनसीएल (क्षे.सं.-6) तथा एमसीएल (क्षे.सं.-7) को अपनी समर्पित सेवाएँ देती रही हैं।

हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय, मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, दामोदर वैली कारपोरेशन, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, महान कोल लिमिटेड तथा कर्नाटका पावर कारपोरेशन लिमिटेड आदि जैसे गैर सीआईएल ग्राहकों एवं कोल इंडिया, (मुख्या,) एनईसी को मुख्यतः सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय के जरिए परामर्शी सेवाएँ दी जा रही हैं। इन परामर्शी सेवाओं के अलावे, सीएमपीडीआईएल कोयला मंत्रालय द्वारा दिए गए विशेषीकृत कार्यों को भी करता है।

वर्तमान में ओसीपीएल, एनएमडीसी, नालको, एनटीपीसी लिमिटेड, महाजेनको, सेल, उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन

(ओएमसी), पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल), गुजरात स्टेट इलेक्ट्रीसिटी कारपोरेशन लिमिटेड (जीएसईसीएल) आदि जैसे 19 संगठनों के लिए 25 आऊटसाइड कंसलटेंसी जॉब हाथ में हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 29 संगठनों से 141.38 करोड़ रुपये की लागत वाली 43 बाहरी परामर्शी कार्य प्राप्त किए गए। यह सीएमपीडीआई द्वारा एक वर्ष में प्राप्त सर्वाधिक मूल्य वाला कार्य है।

1.1 प्रदत्त प्रमुख सेवाएँ

• भू-वैज्ञानिक गवेषण एवं ड्रिलिंग

कोल बेड मीथेन संसाधनों का जल भू-वैज्ञानिक अन्वेषण एवं पहचान, हाई रिजोल्यूशन शैलो सिस्मिक सर्वेक्षण, मल्टी-प्रोब जियोफिजिकल लॉगिंग के जरिए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनन परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए स्वरूपण कोयले के भंडार का मूल्यांकन करने तथा जियो इंजीनियरिंग एवं विश्वसनीय भू-वैज्ञानिक डाटा बनाने के आलोक में क्षेत्रीय रूप से गवेषित खनिखंडों का विस्तृत भू-वैज्ञानिक गवेषण।

• परियोजना आयोजन एवं डिजाइन

भूमिगत और खुली खदान खानों, कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान, कोल और मिनरल बेनीफिशिएशन तथा यूटिलाइजेशन प्लांट, कोयला निपटान संयंत्र, वर्कशॉप और अन्य सहायक इकाईयाँ तथा निवेश निर्णय के लिए परियोजना रिपोर्ट एवं विभिन्न योजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन सहित आधारभूत सुविधाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं विस्तृत अभियांत्रिकी ड्राइंग की तैयारी।

• अभियंत्रण सेवाएँ

खानों, परिष्करण तथा यूटिलाइजेशन प्लांट्स, कोल हैंडलिंग प्लांट्स, विद्युत आपूर्ति प्रणाली, वर्कशॉप एवं अन्य इकाईयाँ, वास्तुशिल्पीय प्लानिंग एवं डिजाइन के लिए सिस्टम और सब-सिस्टम का विस्तृत डिजाइन।



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

• अनुसंधान एवं विकास

कोल इंडिया की आरएंडडी द्वारा निधित आरएंडडी योजना और कोयला मंत्रालय द्वारा निधित सभी एसएंडटी योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सेवा दे रहा है। सीएमपीडीआई, स्वयं के बल पर परिष्करण, खनन, यूटिलाइजेशन, पर्यावरण गवेषण आदि के क्षेत्र में एप्लायड रिसर्च और विकास का कार्य भी शुरू किया गया है।

• प्रयोगशाला सेवाएँ

सुसज्जित स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशालाएँ, संस्तर का भौतिक-यांत्रिक बल, पेट्रोग्राफिक, कोयले की वायु, जल, धोवन क्षमता गुण-निर्धारण, गैर-विध्वंसक परीक्षण (एनडीटी), कोल कोर सैम्पल, खान गैसों का गुणवत्ता विश्लेषण उपलब्ध करा रहा है।

• पर्यावरणिक सेवाएँ

पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी, इसका कार्यान्वयन तथा क्षेत्रीय संस्थानों एवं मुख्यालयों के जरिए मॉनीटरिंग और घरेलू सीपीसीबी अनुमोदित प्रयोगशालाओं में वायु, जल, धवनि नमूनों का विश्लेषण, संपूर्ण कोल इंडिया के खानों के लिए लैंड यूज मॉनीटरिंग हेतु रिमोट सेंसिंग सेटलाइट का उपयोग भी शुरू कर दिया गया है।

• सूचना प्रौद्योगिकी

• मानव संसाधन विकास

• विशेषीकृत सेवाएँ

- ❖ रिमोट सेंसिंग सहित जियोमेटिक्स
- ❖ खानों में संवातन (वेंटिलेशन) एवं गैस सर्वेक्षण
- ❖ नियंत्रित विस्फोटन
- ❖ नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
- ❖ खनन इलेक्ट्रानिक्स
- ❖ खान की क्षमता का मूल्यांकन
- ❖ खान थम्हाल का डिजाइन; रॉक मास रेटिंग (आरएमआर)
- ❖ अनाशक परीक्षण (एनडीटी)
- ❖ प्रबंधन प्रणाली परामर्श
- ❖ कोयला एवं ओबीआर की माप

1.2 वित्तीय कार्यकारी परिणाम

ससमीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 80.83 करोड़ रुपए कर पश्चात् लाभ अर्जित किया है। कंपनी का कार्यकारी परिणाम नीचे दिया गया है :

विवरण	31.3.18 को समाप्त वर्ष	31.3.17 को समाप्त वर्ष	परिणाम 31.3.16 को समाप्त वर्ष (आईएंडडीएम के अनुसार पुनर्कथित)
निबल बिक्री	1154.75	930.52	759.27
कुल व्यय	1033.93	880.46	749
कर के पूर्व लाभ	120.82	65.53	15.35
कर व्यय	39.99	6.21	6.21
कर (क) के बाद लाभ	80.83	40.59	9.14
अन्य कम्प्रैहेसिव इनकम (ओसीआई)	35.69	(2.70)	22.68
आयकर	12.35	(0.93)	7.85
कुल अन्य कम्प्रैहेसिव आय (ख)	23.34	(1.77)	14.83
कुल कम्प्रैहेसिव आय (क) + (ख)	104.17	38.82	23.97

1.3 प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण रिपोर्ट

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीट्यूट के प्रबंधन ने कार्यनिष्ठादान और आऊटलुक सहित महत्व के विभिन्न मामलों को शामिल करते हुए अपने विचार-विमर्श तथा विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

1.3.1 सीएमपीडीआई का विज्ञन :

अर्थ रिसोर्स सेक्टर तथा संबंधित प्रोफेशनल गतिविधि में वैश्विक बाजार का लीडर होना।

1.3.2 सीएमपीडीआई का विज्ञन

भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी अग्रणी परामर्शदाता के रूप में कोयला एवं खनिज गवेषण, खनन, अभियंत्रण तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में संपूर्ण परामर्शी सेवा देना।

1.3.3 उपर्युक्त को प्राप्त करने के लिए निगमित उद्देश्य की ओर अग्रसर होना (स्थापित करना)

सीएमपीडीआई के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है :

1. भूवैज्ञानिक, भूमौतिकीय, जल-भूवैज्ञानिक तथा पर्यावरणिक आंकड़ा प्रतिपादन सहित कोयले तथा खनिज गवेषण में परामर्शी सेवा सहायता प्रदान करना।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

2. अनुकूलतम खान प्लानिंग के लिए भूवैज्ञानिक मूल्यांकन पर भरोसा के स्तर को ऊँचा कर गवेषण तथा संभाव्यता रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार करना।
3. निवेश आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाह्य संसाधन को पर्याप्त रूप से मोबलाइज करने तथा वेस्टेज को रोकने, संसाधनों की उत्पादकता में सुधार लाकर आंतरिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रतिपादन।
4. कोयला खानों, कोयला परिष्करण तथा यूटिलाइजेशन संयंत्र आदि के लिए परियोजना की प्लानिंग एवं डिजाइनिंग।
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत कोयला क्षेत्र में अनुसंधान क्रिया-कलाप को प्रोत्साहित करना, समन्वय करना तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।
6. कोयला खनन और संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावरणिक प्रबंधन योजना, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और माइन क्लोजर प्लान के फार्मूलेशन को शुरू करना।
7. भूमि पुनरुद्धार मानिटरिंग, पर्यावरणिक आंकड़ा सृजन, वनाच्छादन मानचित्रण, कोयला खान अग्नि मापन, कोयला क्षेत्रों का वृहद पैमाने पर टोपोग्राफिकल मानचित्रण, टीपीएस के चयन सहित आधारभूत संरचना का आयोजन तथा वाशरी स्थल आदि के लिए सुदूर संवेदन सेवाओं में वृद्धि।
8. कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों को क्षेत्र एवं प्रयोगशाला सेवा मुहैया कराना।
9. कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के अतिरिक्त इससे इतर के संगठनों को परामर्शी सेवा मुहैया कराना।

1.3.4 सीएमपीडीआई के क्रिया-कलापों का संक्षिप्त विवरण

सीएमपीडीआई के सभी कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

- क) भू-वैज्ञानिक गवेषण एवं सहायता सेवा—यह सीएमपीडीआई का कोर फंक्शन है और

शुरूआत से ही है, जो खनिज डिपोजिट (खनिज भंडार) के लिए निम्नलिखित सेवाओं का प्रस्ताव करता है :

- गवेषण की प्लानिंग तथा कार्यान्वयन
- निवेश तथा दोहन निर्णय के लिए संसाधन मूल्यांकन तथा प्रलेखन और
- सम्बद्ध क्षेत्र परीक्षण तथा प्रयोगशाला सहायता

ख) प्लानिंग, डिजाइन तथा सहायता सेवाएँ—सीएमपीडीआई के शुरूआत से ही अन्य कोर फंक्शन होने के कारण, खनन के निर्माण एवं संचालन, परिष्करण, यूटिलाइजेशन और अन्य आधारभूत तथा अभियांत्रिकी परियोजनाएँ के लिए निम्नलिखित सेवाओं का प्रस्ताव करता है :

- वैचारिक / पूर्व-संभाव्यता / संभाव्यता अध्ययन / परियोजना रिपोर्ट और मूल एवं विस्तृत अभियांत्रि की डिजाइन का सूत्रीकरण और / अथवा मूल्यांकन
- अभियंत्रण एवं अन्य संबंधित परामर्श तथा सहायता और
- संबंधित क्षेत्र परीक्षण एवं प्रयोगशाला सहायता।

ग) पर्यावरणिक प्रबंधन सेवाएँ—माइन क्लोजर प्लानिंग, लेबोरेटरी तथा टेस्ट सपोर्ट सहित उनके प्लानिंग और आपरेशन के दौरान पर्यावरणिक प्रबंधन के लिए खनन एवं खनिज उद्योग को सभी प्रकार का सपोर्ट 1992 से ही दे रहा है। वार्षिक आधार पर सेटेलाइट सर्वेलांस द्वारा प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर (कोल+ओबी) से अधिक उत्पादन वाली खुली खानों की भूमि पुनरुद्धार मॉनीटरिंग की जा रही है। जबकि प्रतिवर्ष 5 मि.घ.मी. (कोयला+ओबी) से कम उत्पादन वाली खुलीखानों की भूमि पुनरुद्धार मानिटरिंग तीन वर्षों के अंतराल पर की जा रही है।

घ) प्रबंधन प्रणाली सेवाएँ : 1997 से यह क्रिएशन, डॉक्यूमेंटेशन, कार्यान्वयन तथा



विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों का प्रशिक्षण अर्थात् आईएसओ 9001 (पर्यावरणिक प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001 (पर्यावरणिक प्रबंधन प्रणाली), ओएचएसएस 18001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन), एसए 8000 (सोशल एकांउटेबिलिटी प्रबंधन), आईएसओ 50001 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) तथा आईएसओ 27001 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) पर सेवाएँ देता आ रहा है। सीएमपीडीआई को अपने सभी क्षेत्रीय संस्थानों के साथ संशोधित नए आईएसओ 9001 : 2015 मानक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस दिया गया है।

- ड.) मानव संसाधन विकास : 1976 से इन सेवाओं में निम्नलिखित शामिल है : बाजार के ग्राहकों विशेषकर खनिज एवं खनन सेक्टर को प्रशिक्षण से संबंधित तकनीकी प्रबंधकीय प्रबंधन प्रणाली।
- च) विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएँ : सुदूर संवेदन, खानों में संवातन (वेंटिलेशन) एवं गैस सर्वेक्षण, नियंत्रित विस्फोटन, नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन, खनन इलेक्ट्रानिक्स, खान क्षमता मूल्यांकन, खान थम्हाल डिजाइन, रॉक मास रेटिंग (आरएमआर), अनाषक परीक्षण, प्रबंधन प्रणाली परामर्श, ओबीआर चेक आदि की माँप सहित जियोमेट्रिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञ परामर्शी सेवाएँ भी दी जा रही हैं।

1.3.5 उद्योग की संरचना तथा विकास

आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 के अनुसार वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के फ्लैगशिप वार्षिक दस्तावेज में यह वर्ष प्रमुख सुधारों के रूप में दर्ज है। परिवर्तनकारी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जुलाई, 2017 में प्रारंभ किया गया तथा नए भारतीय दिवालियापन संहिता के अंतर्गत समाधान के लिए दीर्घकालीन दोहरे तुलन–पत्र की समस्या जो कंपनियों को दबाव में ला रही है, को निर्णयात्मक तौर पर संबोधित किया गया और

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक पुनर्जीवन पैकेज को लागू किया गया। इन उपायों के परिणामस्वरूप पहले के नीतिगत कार्यों के नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए और वैश्विक स्थिति में सुधार के कारण वर्ष की द्वितीय छमाही में अर्थव्यवस्था में पुनः तेजी आने लगी। यह इस संपूर्ण वर्ष में जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर को $6\frac{3}{4}\%$ प्रतिशत पहुंचाने में सहायक होगा, जो 2018–19 में बढ़कर $7.7\frac{1}{2}\%$ प्रतिशत हो जाएगी। इस प्रकार भारत विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख अर्थव्यवस्था होगा। उभरती हुई मैक्रोइकोनोमिक चिंताओं के विरुद्ध आने वाले वर्षों में नीतीगत सतर्कता आवश्यक होगी।

भारत में खनन एक प्रमुख आर्थिक क्रिया-कलाप (गतिविधि) है जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। कोयला खनन और कोल फायर्ड थर्मल पावर जेनरेशन सेक्टर दो कोर इंडस्ट्री हैं और दोनों मिलकर औद्योगिक उत्पादन के भारतीय इंडेक्स में लगभग 12 प्रतिशत का योगदान देते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके महत्व को दर्शाता है। इससे आगे भारत के लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, स्पंज आयरन इंडस्ट्री, अल्यूमिनियम इंडस्ट्री अन्य बहुत से इंडस्ट्री आज की तारीख में भारत के घरेलू कोयला उद्योग पर ही निर्भर है। भारत में कोयले की माँग में पिछले पाँच वर्षों में मोटा-मोटी एक तिहाई की वृद्धि हुई है और विद्युत क्षेत्र तथा गौर विनियमित क्षेत्र दोनों में माँग बढ़ी हुई है। घोर निराशावादी परिदृश्य में भी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में भारत में कोयले की माँग 2013 और शायद उससे आगे तक बढ़ती रहेगी। समग्र रूप से कोयले की माँग का आकलन 2020 तक 900 से 1000 मी.ट. तथा 2030 तक 1300 से 1900 मिलियन टन किया गया है। यह आकलन केपीएमजी द्वारा तैयार कोल विजन 2030 दस्तावेज के मसौदे के अनुसार है। कोल इंडिया आपूर्ति शृंखला में ऑकड़े को संतुलित करने का निरंतर प्रयास कर रहा है।

भारत में लगभग 19200 वर्ग किलोमीटर के पूर्वानुमानित कोयले वाले क्षेत्र में से 15920 वर्ग

किलोमीटर से अधिक को क्षेत्रीय गवेषण के माध्यम से तथा लगभग 7940 वर्ग किलो मीटर विस्तृत गवेषण के जरिए शामिल किया गया है। सरकार ने देश में क्षेत्रीय और विस्तृत गवेषण करने के लिए सीएमपीडीआई को निदेश दिया है ताकि निकट भविष्य में कोयल के दोहन के लिए बेहतर प्राप्टीज की पहचान की जा सके।

सीएमपीडीआई के लिए वर्ष 2018–19 हेतु विस्तृत वेधन का लक्ष्य 13.00 लाख मीटर रखा गया है। वन विभाग की अनुमति के लए 84 कोयला ब्लॉकों के आवेदन के संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान विस्तृत वेधन के लिए अनुमति न मिलना, कुछ कोल ब्लॉक क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की प्रतिकूल परिस्थिति, गैर कोल इंडिया ब्लॉकों में गवेषण के लिए कोष की अनिश्चितता आदि के कारण वर्ष 2017–18 के दौरान उपलब्ध (13.66 लाख मीटर) की अपेक्षा वर्ष (2018–19) के लिए लेजर टारगेट है। भविष्य में उत्पादन को बढ़ाने तथा उसके स्तर को बनाए रखने के लिए निरंतर आधार पर कोल इंडिया द्वारा गवेषण और प्लानिंग सपोर्ट की जरूरत होगी। यह सीएचपी, वाशरी आदि सहित आधारभूत संरचनाओं की सुविधाओं के लिए भी सत्य होगा (लागू होगा)। इसके अतिरिक्त पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्रों में अन्य कोयला उत्पादकों द्वारा सीएमपीडीआई की विशेषज्ञ सेवाओं की मांग बनी रही। सीएमपीडीआई कोल इंडिया के कंपनियों के अलावा ओसीपीएल, नालको, एनटीपीसी, सेल, एनएलसी इण्डिया, टीएचडीसी, एनएमडीसी, जेएमडीसी, ओएमसी, हिन्डलको, तालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड आदि जैसे कंपनियों को परामर्शी सेवाएँ देता रहा है। कोयला कंपनियों विशेषकर कोल इंडिया लिमिटेड की प्रगति स्वदेशी आपूर्ति से कोयले की मांग को पूरा करने के लिए सीएमपीडीआईएल की सेवाओं को तेजी से लेना होगा।

और आगे कोल बेड मीथेन/कोल माइन मीथेन, भूमिगत कोयला गैसीकरण(यूसीजी), शेल गैस आदि जैसे नन-रीन्यूएवल एनर्जी जेनरेशन आधारित कोयला के वैकल्पिक स्रोत को अपनाने को लेकर कोल इंडिया और अन्य कंपनियों के लिए सीएमपीडीआई का परामर्शी कार्य मुख्य स्रोत बना

रहेगा। इसके अतिरिक्त, कोयला क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उभरता क्षेत्र सीएमपीडीआई के लिए अतिरिक्त अवसर भी प्रदान करेगा, जो आने वाले वर्षों में बढ़ेगी। सीएमपीडीआई कोयले के ई-ऑक्सनिंग के लिए अपनी सेवाएँ देने पर विचार कर रहा है।

हालाँकि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया सभी प्रयास टॉप और बॉटम लाइन में नहीं दिखती है, जो प्रशंसनीय हो तथा इस प्रकार सीएमपीडीआईएल के व्यवसाय क्रिया-कलाप को फिर से देखने की आवश्यकता है।

इससे बड़े कोयला क्षेत्र में भावी बाजार परिदृश्य तथा अन्य क्षेत्रों के दूसरे क्रिया-कलापों में संभावित अवसरों का पर्याप्त व्यापक अध्ययन शामिल है। कुल मिलाकर यद्दपि देश में कोयला इंधन की प्रमुखता बनी रहने तथा कम-से-कम आगामी 10–12 वर्षों तक स्थानीय लोगों के लिए सस्ता एवं प्रचुर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाला वास्तविक विकल्प बने रहने की संभावना है, तथापि लंबे समय—सीमा तक भारत की थर्मल कोल तथा कोयले की माँग में कमी पर शंका होने लगी है। तथापि बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के दोहन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता कोयला क्षेत्र के भावी विस्तार कार्यक्रम पर प्रभाव डल सकती है। वातावरण से कार्बन डायक्सायड को हटाने के लिए विद्युत उत्पादन तथा वृक्षाच्छादन एवं वनाच्छादन सहित कार्बन सिंक मिलाकर स्वच्छ ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाने के अलावा 2005 की तुलना में 2030 तक 33–35 प्रतिशत उत्सर्जन घनत्व कम करने के लिए भारत के 2020 के बाद ‘जलवायु कार्य योजना’ में यह वादा किया गया है।

कोयले की माँग में कमी कोयले के गवेषण की आवश्यकता को कम करेगा। सीएमपीडीआईएल के टर्नओवर में प्रमुख कंट्रीब्यूटर होने के नाते गवेषण को जारी रखने के लिए मेटल सेक्टर में डायवरसिफाइड करना होगा।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर तथा सीएमपीडीआई के बिजनेस डोमेन में गतिशीलता लाने के लिए उत्पादन में और वृद्धि तथा खासकर 2डी सिसमिक एवं अन्य भू-भौतिक प्रणाली के



जरिए गवेषण क्षमता में वृद्धि, जहाँ जरूरी हो वहाँ वर्तमान सुविधाओं तथा आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, श्रमशक्ति उपयोग का वैज्ञानिक पुनर्गठन एवं अधिकारियों की बहाली, कोयला के अलावा अन्य क्षेत्रों में खनिज, खनन तथा सम्बद्ध इंजीनियरिंग के सेक्टर में नए क्षेत्रों में प्रवेश, मूल्य के रूप में बाहरी कार्य (गैर सीआईएल) में मात्रात्मक वृद्धि, कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग के जरिए डिलिंग एवं इच्चेन्टरी सिस्टम सहित कोर क्षेत्र में प्रभावकारी मॉनिटरिंग स्थापित करना, कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी स्थापित करना ई—ऑक्सनिंग ऑफ कोल आदि जैसे क्षेत्रों को सुनिश्चित करेगा।

1.3.6 उपर्युक्त उद्देश्य एवं विज्ञ प्राप्त करने के लिए अपनाई गई रणनीति :

सीएमपीडीआई के बाजार में स्थान तथा गहरी जानकारी के साथ सीएमपीडीआई ने खनिज, खनन और संबंद्ध सेक्टर में उपर्युक्त के अनुसार अपने निगमित उद्देश्य और विज्ञ को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नीतियाँ और बिजनेस प्लान अपना रहा है :

- i. दक्ष श्रमशक्ति, उपकरण, संयंत्र और मशीनरी आदि के अतिरिक्त गवेषण क्षमता में वृद्धि करना।
- ii. कोयले के अतिरिक्त, खनिज, खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं के नए क्षेत्रों में विविधिकरण।
- iii. बाहरी ग्राहकों के लिए मार्केट शेयर बढ़ाना।
- iv. देश के बाहर तथा भीतर रणनीतिक साझेदारों के साथ टाई-अप।
- v. वर्तमान सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।
- vi. बढ़ी हुई संचालन क्षमता तथा कार्य की गुणवत्ता।
- vii. निगमित कार्य संस्कृति तथा आंतरिक पद्धति में सुधार।
- viii. कोयला उद्योग को सतत प्लानिंग एवं विशेषज्ञ सेवाओं को सुनिश्चित करने के

लिए श्रमशक्ति का युक्तिसंगत उपयोग तथा अधिकारी श्रमशक्ति को बढ़ाना।

- ix. बेहतर लागत नियंत्रण उपाय एवं मानिटरिंग तथा,
- x. कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तथा शेल गैस का विकास।

1.3.7 सामर्थ्य एवं कमजोरी :

सामर्थ्य

- सीएमपीडीआई वास्तव में अपने प्रकार का एक बहु-अनुशासनिक संगठन होने के कारण एक ही छत के नीचे खनन से पूर्व, खनन परिचालन के दौरान, और खनन परिचालन के बाद सभी सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
- भारत में विस्तृत कोयला गवेषण में एकाधिकार सरकारी परसंद के अलावे भारतीय ग्राहकों के बीच सीएमपीडीआई के कंसलटेंट को वरीयता देने के लिए जाना जाता है।
- नीतिगत रूप से स्थापित क्षेत्रीय संस्थानों के साथ मिलकर कोयला मंत्रालय के साथ—साथ कोल इंडिया लि. की सभी अनुषंगी कंपनियों को डोर-स्टेप सेवा प्रदान करने में यह सक्षम है।
- कोयला क्षेत्र में उपलब्ध वृहद स्रोतों के ज्ञान को देने के लिए कोयला ब्लॉकों, कोयला भंडारों, कोयले की गुणवत्ता आदि से संबंधित विश्वसनीय ऑकड़ा आधारित, ज्ञान सीएमपीडीआई को व्यापक है।
- इसके पास 1400 से अधिक बहुअनुशासनिक (मल्टीडिसिलिनरी) कौशलयुक्त श्रमशक्ति का मजबूत आधार है।
- बड़ी संख्या में आधारभूत सुविधाओं, 70 मि. ट.प्र.व.खुली खदान खान तथा 3.5 मी.ट. प्र.व. भूमिगत खान तक के निजी परियोजना क्षमता सहित 1000 खनन परियोजना रिपोर्टों से अधिक की 1300 समेकित कोल गवेषण परियोजना, प्लानिंग को क्रियान्वित करने का व्यापक अनुभव है।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

- 8 राज्यों में फैले जियोग्राफिकल रूप से फैले प्रयोगशाला सुविधाओं, बेस लाइन डाटा जेनरेशन क्षमता आदि से युक्त कोयला गवेषण (विस्तृत गवेषण के लिए देश में वेधन के लार्जस्ट फलीट) के लिए इसके पास व्यापक आधारभूत संरचना है।

कमजोरियाँ (कमियाँ)

- राजस्व प्राप्त करने के लिए कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों पर निर्भरता।
- क्षेत्रीय गवेषण ऑकड़ा जो विस्तृत कोयला गवेषण के लिए आवश्यकत है, हेतु जीएसआई/एमईसीएल पर निर्भरता।
- उच्च संचालन लागत और निर्धारित लागत अर्थात् उद्योग में पियर्स (Peers) की तुलना में कर्मचारी मुआवजा।
- दक्ष और अनुभवी अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवा—निवृत्ति तथा प्रशिक्षण लेने के बाद नव—नियुक्त द्वारा कंपनी को छोड़ने की उच्च दर।
- गैर—विविधिकरण अर्थात् केवल कोयला उद्योग के लिए प्रतिबंधिता
- अधिकारी और गैर—अधिकारी संवर्ग में दक्ष और योग्य कर्मियों की कमी।

1.3.8 अवसर एवं आशंकाएँ

अवसर

- कोयले की मांग कम से कम 10 से 12 वर्षों तक जारी रहने की संभावना है, जिससे सीएमपीडीआई की सेवाओं की संभावना है, जिससे सीएमपीडीआई की सेवाओं की संभावना बनी रहेगी।
- सरकार द्वारा पब्लिक एवं प्राइवेट कंपनियों दोनों के लिए—कैपिटिव उपयोगकर्त्ताओं के लिए कोयला ब्लॉकों का ऑक्सन/आवंटर से कोल इंडिया के बाहर सीएमपीडीआई के लिए और अधिक बाजारु अवसर का सृजन होगा।
- संपूर्ण गवेषण और खनन समाधान उपलब्ध कराने के लिए सर्विस प्लेटफर्म के रूप में

कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में विकास

- कोयला क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता।
- गैर कोयला क्षेत्र में अपनी सेवाओं का विविधिकरण।
- सीबीएम/सीएमएम/यूसीजी/शेल गैस, अन्य और पारमपारिक ऊर्जा आदि से संबंधित विशेषज्ञ सेवा देने में दक्षता।

आशंकाएँ

- भारतीय कोयला सेक्टर धीरे—धीरे उदारीकरण की ओर बढ़ रहा है। पूर्व में खानें मूलतः राज्य सरकार के अधीन होने के कारण इनकी स्थिति सरकारी सुधारों से धीरे—धीरे अनुकूल होती जाती थी। अब कोयला सेक्टर को खेल देने (मुक्त करने से) अन्य घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय परामर्श सेवा प्रदाताओं के बीच बाजारु प्रतिस्पर्द्धा बढ़ी है।
- क्षेत्रीय गवेषण में आनुपातिक वृद्धि के अभाव में वर्तमान विस्तृत वेधन क्षमता को बनाए रखना निकट भविष्य में कठिन प्रतीत होता है।
- कोयले को सोलर, विंड आदि जैसे रीन्यूएवल ऊर्जा स्रोतों के द्वारा रिस्लेस किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में इन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में वृद्ध होगी और सर्ते भी होंगे। इससे प्रमुख कोयला खनन की प्रवृत्ति कम होती जाएगी और सीएमपीडीआई के परामर्शी कार्यों (असाइनमेंट) में कमी होती जाएगी।
- वन क्षेत्र में वेधन के लिए अनुमति प्राप्त करना और कानून एवं व्यवस्था की समस्या वेधन के रास्ते में बड़ी रुकावट है।
- प्रमुख रूप से मानव संसाधन संचालित कंपनी होने के कारण वर्तमान अधिक उम्र प्रोफाइल निकट भविष्य में नुकसानदायक होगी। विशेषज्ञ श्रमशक्ति तेजी से घटती जा रही है, क्योंकि इसके अधिकांश अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञ सेवा—निवृत्त होते जा रहे हैं।



- वर्तमान में छोटे-छोटे परामर्शी फर्म और निजी परामर्शक उभरते जा रहे हैं। सेवा-निवृत्त निपुण/दक्ष और योग्य व्यक्ति जिनके पास गहरे तकनीकी ज्ञान और प्रवीणता है वे इन निजी गवेषण/खनन परामर्शकों के साथ ज्वाइन कर काम कर रहे हैं।

1.3.9 मूल्य निर्धारण :

गवेषण, खान योजना/परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक योजना तथा अन्य अभियंत्रण सेवाओं का मूल्य निर्धारण ग्राहकों की श्रेणी के आधार पर किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए विभागीय ड्रिलिंग सेवाओं के लिए 7.5 प्रतिशत तथा पीएंडडी सेवाओं के लिए 10 प्रतिशत सेवा शुल्क + लागत को जोड़कर दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। हालाँकि कंपनी के टॉप तथा बॉटम लाइन तथा अन्य बिजनेस डायनेमिक्स को बढ़ाने के लिए मूल्य नीति की समीक्षा की जा रही है। दिनांक : 30.01.2017 को हुई सीएमपीडीआई बोर्ड की 201वीं बैठक में पर्यावरणिक मॉनीटरिंग के रिवीजन के लिए अपने अनुमोदन को पहले ही दे चुका है इंटरनल कंसलटेसी कार्य से संबंधित रोक कर रखे गए सेवा शुल्क को दिनांक : 10.03.2017 की इसकी 202वीं बैठक में दे दी गई और 1 अप्रैल, 2017 से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

1.3.10 बाजार नीति :

सीएमपीडीआई प्राथमिकता के आधार पर कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा सभी संभावित क्षेत्र में जब और जहाँ आवश्यक हो परामर्श सेवाएँ मुहैया कराने के प्रति वचनबद्ध है। सीएमपीडीआई महत्वपूर्ण और नीतिगत मूल्यों पर विचार करते हुए कोल इंडिया से बाहर के ग्राहकों से कार्य जहाँ ऐसे बाहरी परामर्शी कार्य शुरू किए जा सकते हैं को लेने/करने के प्रति भी वचनबद्ध है।

1.3.11 दृष्टि एवं तैयारी :

11वीं और 12वीं योजना अवधि के दौरान सीएमपीडीआई के गवेषण क्रिया-कलाप बहुत उत्साहवर्द्धक रहा जिसे 17-18 योजना अवधि

के दौरान बनाए रखा गया विभागीय वेधन और आऊटसोर्सिंग के जरिए सीएमपीडीआई 11वीं योजना अवधि (2007-12) के दौरान लगभग 19.41 लाख मीटर वेधन की तुलना में 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान 42.08 लाख मीटर ड्रिल किया और 10वीं योजना अवधि (2002-07) के दौरान कुल वेधन 10 लाख मीटर किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान 21 प्रतिशत वृद्धि की उपलब्धि के साथ वर्ष 2017-18 में कुल वेधन 13.66 लाख मीटर किया गया और 2006-07 (10वीं योजना अवधि की समाप्ति) पर 2.06 लाख मीटर की उपलब्धि पर 18.8 प्रतिशत के वेधन में सीएजीआर के साथ प्राप्त किया गया।

विभागीय वेधन को आधुनिकीकरण, न्यू हाइयर केपेसिटि मेकेनिकल का इंडक्शन तथा हाइड्रोस्टेटिक वेधन, हाई परफार्मेंस बिट्स जिसके परिणाम स्वरूप उच्च उत्पादकता, आधुनिक मड टेक्नोलॉजी को अपनाना, ड्रिलिंग संबंधी उपकरणों का पुख्ता प्रबंधन और श्रम शक्ति आदि सीएमपीडीआई के ड्रिलिंग क्षमता को बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है।

भारत सरकार ने कोयला गवेषण को फारस्ट ट्रैक पर रखा है। 5 वर्षों में विस्तृत गवेषण और जीएसआई, सीएमपीडीआई आदि द्वारा तीन वर्षों में देश के क्षेत्रीय गवेषण बढ़ाया है। यह केवल आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर संभव हो सका है, जो क्वांटम ऑफ ड्रिलिंग में कमी लाएगा और भूवैज्ञानिक मॉडल को अधिक विश्वसनीय बनाएगा। सिस्मिक सर्वे का प्रयोग वृहद रूप से ऑयल सेक्टर में होता है जिसे कोयला सेक्टर के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि यह फलदायक हो। इसके अलावे कोल बेल्ट के एक्सटेंशन एरिया में कनसील्ड कोल वियरिंग सेडिमेंटरी बेसिन की पहचान करने में एरियल जियोफिजिकल सर्वेक्षण अगुवाई करेगा। सीएमपीडीआई गवेषण और उन्हें मिक्स करने में ऐसे प्रौद्योगिकी पर भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की तैयारी करने में इसे अंगीकार करने पर विचार करेगा। यह भू वैज्ञानिक रिपोर्ट तेजी से तैयार करने में मदद करेगा तथा ब्लॉकों के भूवैज्ञानिक मॉडल के लिए बेहतर आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा। अन्य शब्दों में, भूमौतिकी संबंधी कार्य कोयला गवेषण की

प्रक्रिया में इसका उपयोग गहनता से किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लक्ष्य को 13.00 लाख मीटर रखा गया, जो वर्ष 2017–18 के दौरान 13.66 लाख मीटर की उपलब्धि से कम है। इस कमी का कारण गैर–सीआईएल ब्लॉकों में गवेषण के लिए कोष की अनिश्चितता कुछ कोयला ब्लॉक क्षेत्रों में विपरीत कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, नव विभाग की अनुमति के लिए 84 कोयला ब्लॉकों के आवेदन लंबित रहने से विस्तृत गवेषण की अनुमति प्राप्त न होना आदि है। सीएमपीडीआई एमईसीएल के साथ विभिन्न कोयला ब्लॉकों में प्रति वर्ष गवेषणात्मक वेधन एक लाख मीटर के प्रस्ताव के लिए 6 जनवरी, 2009 को एक दीर्घकालीन एमओयू किया है जिसे बढ़ाकर प्रतिवर्ष 4.0 लाख मीटर कर दिया गया है वर्ष 2007–08 (2017–18 तक) से नौ दौरी के राष्ट्रीय/वैश्विक निविदा एवं 11वें दौर के ई–टेंडरिंग किया गया और 35.52 लाख मीटर वाले 86 ब्लॉकों के लिए कार्यादेश दिए जा चुके हैं। हालाँकि विपरीत कानून एवं व्यवस्था तथा वन क्षेत्र में ड्रिलिंग के लिए स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ड्रिलिंग में अवरोध आया। इसके लिए सीएमपीडीआई, सीआईएल और एमओसी द्वारा, एमओईएफसीसी और संबंधित राज्य से गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया जा रहा है।

कोल इंडिया लिमिटेड के 1वीटी डाक्यूमेंट में पीआर की तैयारी के लिए चिन्हित 80 परियोजनाओं में से मार्च, 2018 तक 73 परियोजना रिपोर्ट सोंप दी गई है। शेष बची परियोजनाओं से संबंधित उन परियोजनाओं से प्रोडक्शन इयर मार्कड कम्पनसेट करने के लिए वैकल्पिक परियोजनाएँ चिन्हित की गई हैं।

सीएमपीडीआई की सभी प्रयोगशालाओं की क्षमताओं को अपग्रेड किया गया है। सोफिस्टिकेटेड आयातित उपकरण के साथ रासायनिक और पेट्रोग्राफिक प्रयोगशालाओं को अपग्रेड कर उनकी क्षमता बढ़ाई गई है। कोल कोर विश्लेषण और परीक्षण के लिए जियो–केमिकल लेबोरेटरी को टेस्टिंग और केलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) हेतु नेशनल एक्रीडीटैशन बोर्ड द्वारा मान्यता दी गई है। कोल और आर्गनिक पेट्रोग्राफिक (आईसीसीपी) के अन्तराष्ट्रीय समिति

द्वारा पेट्रोग्राफि प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई है। सीएमपीडीआई, मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थान–1,2 और क्षेत्रीय संस्थान–6 के पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल की मान्यता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीएमपीडीआई, मुख्यालय के पर्यावरण प्रयोगशाला के सीपीसीबी से मान्यता वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त कर लिया गया जो पांच वर्षों के लिए वैद्य है। रॉक/कोल सेम्प्लस के भौतिक–यांत्रिक गुण निर्धारण के परीक्षण के लिए पूर्णतः एक कम्प्यूटरीकृत सर्वों कंट्रोल्ड यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन (यूटीएम) के साथ खनन प्रयोगशाला को अपग्रेड किया गया है। शेल गैस संसाधनों तथा सीबीएम के मूल्यांकन एवं रिजर्वर का गुण निर्धारण, अध्ययन से संबंधित सीबीएम/शेल गैस से संबंधित सभी पारामीट्रिक डाटा के निर्माण सुविधाओं के लिए सीएमपीडीआई में एक स्टेट–ऑफ–द आर्ट सीबीएम प्रयोगशाला कार्य कर रहा है।

2008 से अब तक 5 घन मिलियन मीटर (कोल+ओबी) से अधिक उत्पादन वाले सीआईएल के सभी खुली खदान कोयला खान के भूमि पुनरुद्धार मॉनीटरिंग के लिए सेटेलाइट सर्वेलॉस वार्षिक रूप से शुरू कर दिया गया था। इसके आगे, 5 मिलियन घन मीटर³ (कोल+ओबी) से कम उत्पादन वाले सीआईएल के खुली खदान कोयला खानों का भूमि पुनरुद्धार मॉनीटरिंग वर्ष 2011 से भी तीन वर्ष के अंतराल पर शुरू किया गया था।

कंटोर, आर्थोफोटोज का निर्माण तथा स्टॉक पाइल वोल्यूम्स का कम्प्यूटेशन जैसे विभिन्न तकनीकी एप्लीकेशंस में ड्रोन और इसकी क्षमताओं के बैंचमार्किंग के लिए कोल इंडिया में पहली बार उपयोग में लाया गया। यह परियोजना सीसीएल के दो खानें अर्थात् राजरप्पा एवं तोपा तथा एनसीएल के 4 खानों अर्थात् अमलोहरी, निगाही, जयंत एवं दुधीचुआ में आजटसोस्प्रिंग मोड में किया जा रहा था। कोल इंडिया में नियमित परिचालन के लिए ड्रोन के नियोजन (लागू) पर सीएमपीडीआई में कार्य किया जा रहा है।

वाशरियों की स्थापना में कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनियों को तकनीकी सहायता मुहैया कराई गई। रिकार्ड टाम में ई–रिंर्वेस आक्सनिंग प्रोसेस पर



बिल्ड आपरेट—मेनटेन और बिल्ड—आन—आपरेट कंसेप्ट पर निविदा दस्तावेज को कस्टोमाइन्ड किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड के तहत संचालित कोकिंग कोल वाशरियों के आधुनिकीकरण में तकनीकी सहायता भी उपलब्ध किया गया है।

डिटेल डिजाइन ड्राईंग की संवीक्षा और अनुमोदन द्वारा नए वाशरी (1.6 मी.ट.प्र.व.) और पाथरडीह—1 वाशरी (5मी.ट.प्र.व.) की स्थापना में सक्रिय रूप से शामिल था। इसका उद्घाटन क्रमशः जनवरी और मार्च, 2018 में सिवच (कोयला) द्वारा किया गया।

सीएमपीडीआईएल कोयला आधारित गैर—परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के व्यावसायिक विकास की सुविधा देने तथा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ व्यावसायिक और अनुसंधान एवं विकास के लिए अपना प्रयास जारी रखा है। सीएमपीडीआई, ओएनजीसी, कोल इंडिया के कंसोरटियम को आवंटित दो ब्लॉक मुख्यतः झारिया और रानीगंज नार्थ में कोल बेड मीथेन के लए कोल इंडिया की ओर से सीएमपीडीआई विचार कर रहा है। और प्रशासनिक तथा अन्य मुददों अर्थात् संविदात्मक, परिचालन आदि को शुरू करने में कोल इंडिया को सहयोग दे रहा है। कोयला मंत्रलाय ने भार में सीएमएम के विकास के लिए सीएमपीडीआई को नोडल एजेंसी बनाया है।

सीएमपीडीआईएल ने क्षेत्रीय रूप से गवेषित क्षेत्रों में ड्रिल किए जा रहे चयनित बोरहोल में “भारतीय कोयला क्षेत्र/लिग्नाइट क्षेत्र के कोल बेड मीथेन गैस—इन—प्लेस रिसोर्स के मूल्यांकन” से संबंधित अध्ययन किया है। सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलिया के साथ भारत सरकार के कोल इंडिया (आरएंडडी) के तहत मूनीडीह (झारिया कोयलाक्षेत्र) में वेंटीलेशन एयर मीथेन (वीएएम) के मिटिगेशन/यूटिलाइजेशन पर एक परियोजना प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। परियोजना सीआईएल (आरएंडडी) बोर्ड द्वारा सिद्धांततः अनुमोदित किया जा चुका है और इस पर सरकार से सक्षम अटिकारी का अनुमोदन लिया जाएगा। एमओसी ने बिडिंग प्रोसेस और अन्य संबंधि तमामले के लिए मेकेनिज्म का प्रस्ताव नामांकन आधार पर पीएसयू

को कार्य प्रदान करने या बिडिंग के लिए ब्लॉकों का निर्णय, प्रस्तावित किए जाने वाले चिह्नित क्षेत्रों के क्रम में सीबीएम विकास की वर्तमान नीति के समान ही यूसीजी के लि क्षेत्रों की पहचान हेतु इन्टर मिनिस्ट्रीयल कमिटि का गठन किया है। एमओसी ने इस उद्देश्य के लिए सीएमपीडीआई को नोडल एजेंसी बनाया है।

सीएमपीडीआईएल कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया की आरएंडडी बोर्ड के एसएंडटी अनुदान के तहत अनुसंधान क्रिया—कलापों में समन्वय के लिए भी सीएमपीडीआईएल को नोडल एजेंसी बनाया है। वर्षों से इन अनुसंधान परियोजनाओं से परिचालन में सुधार, सुरक्षित वर्किंग स्थिति, बेहतर रिसोर्स रिकवरी और पर्यावरण संरक्षण पर महत्वपूर्ण लाभ हुआ है जबकि कुछ अनुसंधान परियोजनाओं से उद्योगों पर टैन्जीवल प्रभाव पड़ा है, हीं अन्य से भावी खनन योजनाओं और आपरेटिंग खान दोनों द्वारा अपेक्षित तकनीकी सेवाओं एवं माइन प्लानिंग, डिजाइन को मजबूती मिली है। पुनरुद्धारित खुली खदान कोयला खानों में सस्टेनेवल लाइवलीहुड क्रिया—कलाप, आन—लाइन कोयला धोवन क्षमता विश्लेषक, ओपेनकास्ट स्लोप र्टेबिलिटि, विभिन्न रॉक परिस्थितियों के लिए आप्टीमम ब्लास्ट डिजाइन, सतह धृंसान का पूर्वानुमान, रूफ केवेबिलिटी का विश्लेषण, अंडरग्राउन्ड कोल पिलर डिजाइन/मेथेडोलॉजी/प्रोसीड्यूर को विकसित किया गया है।

कोल/लिग्नाइट उद्योग के लिए लाभदायक आवश्यकता आधारित अनुसंधान कार्य के लिए अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों, कोल/लिग्नाइट उत्पादक कंपनियों को अधिक—से—अधिक शामिल करने के लिए सीएमपीडीआई द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

सीएमपीडीआईएल आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 50001 तथा आईएसओ 270001, ओएचएसएएस 18001 आदि जैसे विभिन्न मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड के कार्यान्वयन के लिए परामशी सेवाएँ प्रदान करता है। सीएमपीडीआई और इसके सभी क्षेत्रीय संस्थानों

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

को संशोधित नए आईएसओ 9001:2015 मानक की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस दिया गया है। सीएमपीडीआई प्रबंधन की वर्तमान प्रणाली में दो नए मानक आईएसओ 14001 तथा आईएसओ की जरूरतों को पूरा करने की प्रक्रिया जिसका प्रमाणन दिसम्बर, 2018 तक मिलने का अनुमान है।

सीएमपीडीआईएल द्वारा ई-ऑफिस के फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का पूर्णतः डिजीटल मोड 19 जून, 17 को लांच (शुरूआत) किया गया और इस प्रकार सीएमपीडीआई भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट के उद्देश्यों को पूरा करने वाला झारखंड में पहला पीएसयू बना गया। कोयला मंत्रालय के लिए कोल इंडिया की तरफ से एक मोबाइल एप विकसित किया गया है। विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित स्वदेशी विकसित सेवा (सरल ईंधन वितरण उपकरण) एप दिनांक –22 मई, 2017 को माननीय कोयला मंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया। कोल ब्लॉक डाटा से संबंधित सूचना देने के लिए आनलाइन कोल ब्लॉक इंफार्मेशन सिस्टम अप्लीकेशन (ओसीबीआईएस) विकसित किया जा चुका है।

1.3.12 सीएमपीडीआई और कोल इंडिया के बीच एमओयू :

सीएमपीडीआईएल फिजिकल और वित्तीय कार्यनिष्ठादान हेतु विभिन्न पारामीटर सेट करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कोल इंडिया के साथ एमओयू करता है। उपलब्धियों को 1–5 स्केल पर ग्रेडित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तक उत्कृष्ट 1.0 से 1.5 तथा निकृष्ट 4.51 से 5.0 रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सीएमपीडीआईएल को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज द्वारा उत्कृष्ट (1.002) रेटिंग दी गई जो सभी सीपीएसई के बीच तीसरा सर्वोत्तम है। वित्तीय वर्ष 2015–16 और आगे से ग्रेडिंग सिस्टम को 5 प्वाईंट स्केल से प्रतिशत प्रणाली में बदल दिया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सीएमपीडीआईएल को “उत्कृष्ट” रेटिंग दिया

गया जबकि वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान इसे “उत्कृष्ट” रेटिंग मिलने की संभावना है।

1.3.13 जोखिम और चिन्ताएँ

- बोर होल में सधनता में वृद्धि के साथ वन क्षेत्र में वेधन के लिए अनुमति प्राप्त करना और कानून एवं व्यवस्था की समस्या वेधन के रास्ते में बड़ी रुकावट है।
- क्षेत्रीय गवेषण में आनुपातिक वृद्धि के अभाव में विस्तृत गवेषण क्षमता की पुष्टि में बाधा प्रतीत होता है। वन क्षेत्र में गवेषण के प्रतिबंधित होने से बिस्तार कार्यक्रम में समस्या आ सकती है।
- कोयला क्षेत्र को खुले बाजार में लाने से अन्य स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शी सेवा प्रदाताओं के साथ बाजारु प्रतिस्पर्द्धा हो सकती है।
- कंपनी अधिनियम के तहत प्रावधानों के अनुपालन तथा जोखिम प्रबंधन से संबंधित कोल इंडिया के दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड स्तर के सदस्य तथा इसके प्रमुख सहित जोखिम प्रबंधन समिति का गठन सीएमपीडीआई में किया गया है।

1.3.14 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

- सीएमपीडीआई के पास व्यवसाय को सहज एवं प्रभावकारी ढंग से तथा प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार चलाने के लिए आंतरिक नियंत्रण पद्धति तथा प्रक्रिया काफी सशक्त है।
- सहज रूप से निर्णय लेने के लिए व्यापक अधिकार रहता है।
- समरूप अनुपालन के लिए लेखा-जोखा तैयार करने हेतु दिशा-निर्देशों का लगातार अनुसरण किया जाता है।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर निगरानी करने के लिए एक अंकेक्षण समिति गठित की गई है।
- आंतरिक अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउंटेंट्स / कोर्स्ट एकाउटेन्ट फर्म द्वारा किया जाता है।



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

- आंतरिक अंकेक्षण द्वारा डिजाइन की कंट्रोल की परिचालन दक्षता के पर्यवेक्षण तथा मुख्य नियंत्रण को पहचानकर आंतरिक नियंत्रण को पहचानकर आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।
- विसिल ब्लोअर नीति अपनाई गई है तथा इसका अनुसरण किया जा रहा है।

1.3.15 मानव संसाधन में भौतिक विकास :

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण सीएमपीडीआई भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन, मजदूरी तथा लाभ को अपने कर्मचारियों को देता है और कोयला कामगारों के लिए 5 वर्ष में एक बार तथा अधिकारियों के लिए 10 वर्ष में एक बार निर्धारित किया जाता है। सीएमपीडीआई अपने कर्मचारियों, मध्यम और वरीय प्रबंधन अधिकारियों, अन्य स्तर के अधिकारियों तथा प्रबंधन प्रशिक्षु के लिए सतत प्रशिक्षण और विकास के अवसर उपलब्ध करता है। इसके अतिरिक्त कंपनी बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा भारत से बाहर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था करता है। इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट को संबंधित भाग में शामिल किया गया है।

1.3.16 परिचालन कार्य निष्पादन से संबंधित वित्तीय उपलब्धि पर विचार-विमर्श :

कंपनी की कुल आय में कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों को दी गई परामर्शी सेवा से प्राप्त आय एवं अर्जित ब्याज भी शामिल है। गत वर्ष की 945.99 करोड़ रु. की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल आय 1169.84 करोड़ रु. है, इस प्रकार 23.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। कुल व्यय 1013.33 करोड़ रु. है। (ओसीआई का कुल)

संशोधनानुसार, आईटी अधिनियम से संबंधित प्रावधान के अनुसरण में गणना किए गए चालू कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय अथवा क्रेडिट शामिल है। आईटी एकट के अनुसरण में भत्ता और छूट के लिए आकलित कर देयता पर आधारित चालू कर के लिए प्रावधान को माना

गया है। आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयताओं को टाइमिंग डिफरेंसेस के लिए फ्यूचर टैक्स कांसीक्यूएनसेस एंट्रीव्यूटेबल हेतु माना गया है। तुलन पत्र की तिथि तक टैक्स रेट और टैक्स रेगुलेशन एनेक्टेट का उपयोग कर मापा जाता है। रेट में परिवर्तन के वित्तीय वर्ष के संबंध में वित्तीय विवरण में टैक्स रेट में परिवर्तन के कारण प्रभाव को माना गया है। कैरी फॉरवार्ड लॉस के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस सीमा तक ऐसे आस्थगित कर परिसंपत्ति के विरुद्ध उपलब्ध पर्याप्त भावी कर योग्य आय की वर्चुअल सर्टनिट तक माना गया है।

गत वर्ष में 64.58 करोड़ रु. (आईएनडीएस के अनुसार पुनर्कथित) की तुलना में 120.82 करोड़ रु. कर से पूर्व लाभ हुआ जो बढ़कर 56.24 करोड़ रु. हुआ। गत वर्ष के लिए 39.64 करोड़ रु. की तुलना में कर पश्चात लाभ 80.83 करोड़ रु. है।

1.4.0 सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यावलोकन :

वर्ष के दौरान कंपनी को 80.83 करोड़ रु. कर पश्चात लाभ हुआ। विगत तीन वर्षों का कार्यकारी परिणाम इस प्रकार है :

योग्यता मानदण्ड	सीएमपीडीआई की स्थिति		
	वित्तीय वर्ष 2015-16 (आईएनडीएस के अनुसार पुनर्कथित)	वित्तीय वर्ष 2016-17 (आईएनडीएस के अनुसार पुनर्कथित)	वित्तीय वर्ष 2017-18
1. कर पूर्व लाभ (करोड़ रु. में) (ओसीआई को छोड़कर)	15.35	64.58	120.82
2. कर बाद लाभ (करोड़ रु. में) (ओसीआई को छोड़कर)	9.14	39.64	80.83
3. टर्न ओवर (करोड़ रु. में)	759.27	930.52	1154.75
4. टर्न ओवर के लिए कर पूर्व लाभ (प्रतिशत)	2.02	6.94	10.46
5. प्रतिशयर अर्जन (रुपये में)	480.04	1040.97	2122.64

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

1.4.1 सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा सचिवीय अंकेक्षक रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी

सांविधिक अंकेक्षक द्वारा किए गए प्रत्येक विपरीत रिमार्क (टिप्पणी) अथवा आरक्षण, योग्यता पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी तथा सांविधिक अंकेक्षक की रिपोर्ट को परिशिष्ट-5 के रूप में संलग्न किया गया है।

सचिवीय अंकेक्षकों द्वारा किए गए रिमार्क (टिप्पणी) पर प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण और सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट को रिपोर्ट के परिशिष्ट-6 में दिया गया है।

1.4.2 कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्षण 186 के तहत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 186 के अनुसार कंपनी को दिए गए ऋण, किए गए निवेश अथवा की गई गारंटी अथवा उपलब्ध कराए गए सिक्युरिटी तथा ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी में रेसिपिएंट द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी के उद्देश्य के पूरे विवरण को वित्तीय विवरण में सदस्यों के लिए प्रकट करना चाहिए।

किसी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी को कोई ऋण नहीं दिया गया, निवेश नहीं किया गया या गारंटी नहीं दी गई अथवा सिक्युरिटी मुहैया नहीं कराई गई। इसका ब्यौरा वित्तीय विवरण में दिया गया है।

1.4.3 कंपनी मामले की स्थिति

कंपनी की अधिकृत पूँजी 50.00 करोड़ रु. की तुलना में प्रदत्त शेयर पूँजी 38.08 करोड़ रु. है। पूँजीगत भंडार 19.20 करोड़ रु., सामान्य रिजर्व 4.04 करोड़ रु. तथा पी/एल एकाउन्ट में सरप्लस 236.81 करोड़ रु. एवं शेयर होल्डर को कुल कंस्टीच्यूएटिंग 296.45 करोड़ रु. की निधि है। गैर चालू देयताएँ 305.62 करोड़ रु. तथा चालू देयताएँ 857.55 करोड़ रु. हैं।

कंपनी की अपना स्वयं का अचल परिसंपत्ति 147.23 करोड़, आस्थगित कर परिसंपत्ति

128.93 करोड़ दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम शून्य करोड़, अन्य गैर चालू परिसंपत्ति 8.84 करोड़ और चालू परिसंपत्ति 1165.69 करोड़ रु. है।

परिचालन से कुल राजस्व और अन्य व्यय 1154.75 करोड़ रु. तथा सभी व्यय एवं कर को पूरा करने के बाद निबल लाभ 80.83 करोड़ रु. है। 36.49 करोड़ रु. ओसीआई को छोड़कर प्रति शेयर अर्जन 2122.64 (1000 प्रति शेयर के अंकित मूल्य) है।

1.4.4 31 मार्च, 2018 तक का पूँजीगत व्यय :

योग्यता मानदण्ड	(करोड़ रु. में) (2016–17)	(करोड़ रु. में) (2017–18)
1. भूमि	0.00	0.09
2. भवन	10.22	6.04
3. प्लांट एवं मशीन	24.82	30.55
4. कार्यालय उपकरण	0.41	0.76
5. फर्नीचर	0.62	0.74
6. टेलीकाम	0.05	0.10
7. वाहन	1.37	0.95
8. साफ्टवेयर	1.31	2.43
कुल	38.8	41.66

1.4.5 पहली अंतरिम लाभांश की घोषणा :

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में पहला अंतरिम लाभांश की घोषणा की जिसका आधार दिसम्बर, 2017 तक की अवधि के लिए कार्यकारी परिणाम तथा 1.4.2017 पर लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष था, इस प्रकार 18 करोड़ रु. पहला अंतरिम डिविडेंड तथा 3.66 करोड़ रु. उस पर लाभांश वितरण कर को कंपनी द्वारा शेयर धारकों को डिविडेंट के रूप में दिया गया।

1.4.6 द्वितीय अंतरिम लाभांश की घोषणा :

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 31.12.2017 के अनुसार कंपनी के लाभ एवं हानि लेखा में कर और अधिशेष के पश्चात्



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

वर्तमान वर्ष के लाभ में से प्रत्येक 1000/-रु. (शेयर का अंकित मूल्य) के मूल्य वाले 1,90,400 इकिवटी शेयर पर प्रति शेयर प्रति शेयर (प्रति शेयर लाभांश) 78.7815 अर्थात् 1.5 करोड़ रु. की राशि द्वितीय अंतरिम लाभांश (डिविडंड) होगा और इसकी अनुशंसा की जाती है।

1.4.7 तीसरी एवं अंतिम लाभांश की घोषणा :

तीसरा एवं अंतिम लाभांश (डिविडेंट) की घोषणा बोर्ड ने 25 मई, 2018 को आयोजित निदेशक मंडल की 214वीं बैठक में सीएमपीडीआई की 43वीं एजीएम की बैठक में संपुष्ट होने पर तृतीय एवं अंतिम लाभांश (डिविडेंट) 4.75 करोड़ तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कुल 24.25 करोड़ रु. का प्रस्ताव किया है।

1.4.8 बोनस शेयर को जारी करना :

दिनांक : 17 मार्च, 2018 को आयोजित सीएमपीडीआईएल की 10वीं एक्सट्रा आर्डिनरी जेनरल मीटिंग में कंपनी के सदस्यों ने 1:1 के अनुपात में अर्थात् शेयर होल्डर द्वारा धारित प्रत्येक पूर्णतः प्रदत्त इकिवटि शेयर के लिए एक बोनस शेयर को जारी करने के लिए अनुमोदित कर दिया है।

तदनुसार मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त सहमति के संदर्भ सहित दिनांक 10 मार्च, 2018 को आयोजित इसकी 360वीं बोर्ड की बैठक में और 21 मार्च, 2018 को आयोजित प्रत्येक 1000/-रु. के 1,90,400 इकिवटि शेयर के आवंटन की अनुशंसा की गई है।

1.4.9 31.03.2018 के बाद मेट्रेसियल परिवर्तन

मेट्रेसियल में कोई परिवर्तन नहीं जिससे कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कुछ नहीं पता लगा है, जो रिपोर्ट की तिथि तथा वित्तीय विवरण से सम्बद्ध हो।

1.5.0 निगमित शासन

निगमित शासन कंपनी के प्रबंधन, इसके बोर्ड, इसके शेयर होल्डर तथा अन्य स्टेक होल्डरों के बीच संबंधों का एक सेट है। यह कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन तथा कार्यनिष्ठादान की मॉनिटरिंग की पद्धति का एक सेट है।

अंकेश्वक द्वारा किए गए रिमार्क पर प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण तथा कारपोरेट गवर्नेंस स्ट्रिफिकेट के रिपोर्ट को रिपोर्ट के परिशिष्ट-4 में संलग्न किया गया है।

1.5.1 कम्पनी का दर्शन

निगमित शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन, पारदर्शिता, इंटीग्रिटि, विश्वसरीयता, कंफीडेंसियलिटि, नियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व, डिस्कलोजर और रिपोर्टिंग जो नियम, अधिनियम विनियमन और दिशा-निर्देश का पालनकरता हो, को सुनिश्चित करना है।

- निदेशकों तथा वरीय प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहित (कोड आफ कंडक्ट)
- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आंतरिक ट्रेडिंग के संरक्षण के लिए आचार संहिता
- विसिल ब्लौअर पालिसी
- जोखिम प्रंधन योजना

1.5.2 निदेशक मंडल

कंपनी का कार्य व्यापार निदेशक मंडल द्वारा चलाया जाता है। कंपनी के निदेशकों की संख्या को समय-समय पर कोयला मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है। निदेशकों के लिए क्वालिफिकेशन शेयर को रखने की जरूरत नहीं होती है। राष्ट्रपति द्वारा चेयरमैन, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक और गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति आदेश के अनुबंध एवं शर्तों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

प्रावधान के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते, बैठक, शुल्क आदि दिए जाते हैं।

क). निदेशक मंडल का आकार

कंपनी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के संदर्भ में हमारे निदेशक मंडल में कम-से-कम तीन (3) निदेशक और पन्द्रह (15) निदेशक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक कार्यकारी निदेशक/कार्यकारी अथवा सरकारी अंशकालीक निदेशक या गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक हो सकते हैं।

ख). निदेशक-मंडल का कोटिवार गठन

31 मार्च, 2018 के अनुसार सीएमपीडीआई के निदेशक मंडल में 7 निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित चार (3) पूर्णकालिक निदेशक दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा 2 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक हैं। कार्यकारी अध्यक्ष श्री शेखर सरन इस बोर्ड के अध्यक्ष है। कंपनी के बोर्ड में केवल दो स्वतंत्र निदेशक हैं। पूर्व में नियुक्त किए गए स्वतंत्र निदेशकों के पद से मुक्त होने के बाद कोयला मंत्रालय, भारत सराकर द्वारा शेष 3

स्वतंत्र निदेशकों की अभी नियुक्त की जानी है। बोर्ड के गठन के संबंध में निगमित शासन के दिशा-निर्देश के अनुसार ही स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जा सकेगी।

31 मार्च, 2018 के अनुसार निदेशक मंडल का गठन निम्नानुसार है :

i. पूर्णकालिक निदेशक

क). अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

1. श्री शेखर सरन

ख). कार्यकारी निदेशक

1. श्री वी.एन. शुक्ला

2. श्री ए.के. चक्रवर्ती

ii. सरकारी अंशकालिक निदेशक

1. श्री विनय दयाल

2. श्री डा० अनिंदय सिंहा

iii. गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद

2. डा० देवाशीष गुप्ता

iv. स्थायी आमंत्रित सदस्य

1. श्री पीयूष कुमार

ग). बोर्ड की बैठक की संख्या तथा तिथि

कंपनी का सर्वोच्च निकाय (बाडी) निदेशक मंडल होता है, जो कंपनी के संपूर्ण कार्यों की देख-रेख करता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान नौ (9) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थीं, जो इस प्रकार हैं :

क्र सं	बैठक की संख्या	तिथि	दिन	स्थान
1.	203वीं	05.05.2017	शुक्रवार	नई दिल्ली
2.	204वीं	24.05.2017	बुधवार	नई दिल्ली
3.	205वीं	12.07.2017	बुधवार	कोलकाता
4.	206वीं	28.07.2017	शुक्रवार	कोलकाता
5.	207वीं	18.09.2017	सोमवार	कोलकाता
6.	208वीं	30.10.2017	सोमवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
7.	209वीं	01.12.2017	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
8.	210वीं	01.02.2018	गुरुवार	नई दिल्ली
9.	211वीं	09.03.2018	शुक्रवार	कोलकाता
10.	212वीं	21.03.2018	बुधवार	नई दिल्ली



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

घ). 1. निदेशक-मंडल की बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति :

प्रत्येक निदेशक द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थिति की संख्या का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक	उनके कार्यावधि में हुई बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड की बैठक में उपस्थिति की संख्या	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
कार्यकारी निदेशक				
1.	श्री शेखर सरन	10	10	हाँ
2.	श्री वी.के. सिन्हा	4	4	हाँ
3.	श्री विनय दयाल	5	5	—
4.	श्री ए.के. चक्रवर्ती	10	10	—
5.	श्री बी.एन. शुक्ला	6	6	—
अंशकालीन सरकारी निदेशक				
6.	डा. ए. सिन्हा	2	2	—
7.	श्री डी.एन. प्रसाद	2	2	—
8.	श्री सी.के.डे	6	6	—
9.	श्री विनय दयाल	4	3	—
10.	श्री पीयूष कुमार	6	5	—
अंशकालीक गैर-सरकारी निदेशक				
11.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	10	10	हाँ
12.	श्री देबाशीष गुप्ता	10	10	हाँ

क्रम सं. 6, कोयला मंत्रालय द्वारा 05.02.2018 से सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है।

क्रम सं. 7, कोयला मंत्रालय द्वारा 28.01.2011 से 31.05.2017 तक नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया था।

क्रम सं. 8, कोयला मंत्रालय द्वारा 10.01.2017 से 09.11.2017 तक नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया था।

क्रम सं. 9 कोयला मंत्रालय द्वारा 01.12.2017 से नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है।

घ). 2. रुचि का प्रकटीकरण

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	जिस कंपनी के लिए वे इच्छुक हैं	रुचि की प्रकृति यानि अध्यक्ष, निदेशक प्रबंधक एवं सचिव
कार्यकारी निदेशक			
1.	श्री शेखर सरन	शून्य	
2.	श्री ए.के. चक्रवर्ती	शून्य	
3.	श्री बी.एन. शुक्ला	कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटेड	निदेशक
अंशकालीन गैर सरकारी			
4.	श्री विनय दयाल	1. कोल इंडिया लि. 2. कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटेड 3. तालचर फटिलाइजर लिमिटेड 4. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	1. निदेशक 2. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक 3. निदेशक 4. निदेशक
5.	डा. अनिदय सिन्हा	शून्य	
अंशकालीन गैर सरकारी			
6.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	शून्य	—
7.	डा. देबाशीष गुप्ता	शून्य	—

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

- उ). बोर्ड की मीटिंग के समक्ष रखी गई सूचना**
- कंपनी बोर्ड के भीतर की किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। बोर्ड के समक्ष दी जाने वाली सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :
- ◆ पूँजीगत एवं राजस्व बजट
 - ◆ कंपनी का त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम
 - ◆ कंपनी के कार्यनिष्ठादन की आवधिक संवीक्षा
 - ◆ भारी मशीनों की उपलब्धता एवं उपयोग की सार्वाधिक समीक्षा
 - ◆ प्रयोज्य नियमों के अनुपालन पर आवधिक समीक्षा
 - ◆ वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट इत्यादि
 - ◆ अंकेक्षक समिति, सीएसआर समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के बैठक का कार्यवृत्त
 - ◆ बड़े कंट्रैक्ट / एग्रीमेंट को देना
 - ◆ अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित स्थिति और डायरेक्टरशिप के बारे में निदेशकों की रूचि का प्रकटीकरण
 - ◆ स्वतंत्र निदेशक द्वारा स्वतंत्र की घोषणा
 - ◆ श्रमशक्ति बजट
 - ◆ कोई अन्य मैटेरियली महत्वपूर्ण सूचना

च). निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल :



श्री शेखर सरन (डीआईएन 06607551) सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड जो पूरे देश में कोयला और खनिज गवेषण तथा परामर्शी कंपनियों में से एक बड़ी कंपनी है, के

अध्यक्ष-सह-प्रबंधन निदेशक हैं। उन्हें 31.10.2016 से 09.11.2017 तक तत्काल प्रभाव से कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभाव भी मिला था तथा सीआईएल और बीसीसीएल के बोर्ड सदस्य भी हैं। श्री सरन उत्पादन और उत्पादकता में नए मानकों की स्थापना में खानों के परिदृश्य को यंत्रीकृत खान डेवलपर और स्वरूप बदलने वाले के रूप में

उद्योग को अपने अपूर्व सहयोग और नए रास्ते तलाशने वाले के रूप में जाने जाते हैं।

उन्होंने जून, 2013 में निदेशक (तकनीकी) के रूप में सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण किया और कोल सिसोर्स डेवलपमेंट के कार्यों की देख-रेख की। उसके बाद दिसम्बर, 2015 तक प्लानिंग एंड डिजाइन का कार्य संभाले। 1 जनवरी, 2016 को उन्होंने सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंधन निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

1981 बैच के श्री सरन ने डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीरियरिंग, इंस्टीचूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) वर्तमान में आईआईटी (बीएचयू) से स्नातक है। अपने बैच के टॉपर होने के कारण उन्हें बीएचयू के गोल्ड मेडल के साथ-साथ एमजीएमआई से राबर्टन मेडल से नवाजा गया। तदनन्तर वर्ष 2013-15 के दौरान, उन्होंने आईआईएम, राँची से अधिकारियों (पीजीईएक्सपी) के लिए प्रबंधन में पोस्ट-ग्रेजुएट प्रोग्राम की डिग्री भी ली।

सीएमपीडीआईएल में पदभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने ईस्टर्न जेट से सब ऐरिया मैनेजर के रूप में एसईसीएल के सोहागपुर, हसदेव और विश्रामपुर क्षेत्र, एजेंट और सीजीएम के रूप में ईसीएल के कुनुस्तोरिया, सतग्राम और सोदेपुर क्षेत्र तथा अंत में सीजीएम (पीएंडपी) के रूप में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्यालय में कार्य किया। उन्हें विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में बड़ी खुली खदान और भूमिगत खदान के प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। जबवे एसईसीएल में कार्यरत थे तब उन्होंने रूफ बोल्टिंग / स्टील सपोर्ट का प्रयोग कर मैनुअल भूमिगत खान को यंत्रीकृत खान में बदला। उन्होंने विभिन्न सेमिनारों / कार्यशालाओं में बहुत सारे तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए। वे 26 वर्षों से अधिक समय तक रेस्क्यू प्रशिक्षित सदस्य भी रहे तथा भूमिगत खानों में रेस्क्यू और रिकवरी आपरेशन में भी भाग लिया। उन्होंने यू.के., जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, यूएस, कनाडा एवं स्वीटजर लैंड आदि जैसे देशों का अनेकों बार भ्रमण किया है। वे एक एनसीसी प्रमाण पत्र धारक और अच्छे खिलाड़ी भी हैं। उन्हें कोल माइनिंग प्रोडक्शन में इनोवेटिव टेक्नीक और अनोखे विचार वाला जाना जाता है। उन्हें कारपोरेट लाइफ और मानव संसाधन के



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

विकास में इसकी सर्वोत्तमता में विश्वास है। उनकी पसंद में कोल इंडिया इस तरह समाहित है कि कोल इंडिया में निदेशक मंडल की बैठक में हमेशा उनकी उपस्थिति रहती है।

वे 01.01.2016 से अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक हैं।



श्री बिनय दयाल

(डीआईएन 07367625)

कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक तकनीकी है। श्री दयाल 1983 में भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएम), धनबाद से खनन इंजीनियरिंग में स्नातक है। उन्होंने डीजीएमएस, धनबाद से प्रथम श्रेणी में माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी भी प्राप्त किया है।

उन्होंने कोल इंडिया में कनीय अधिकारी (प्रशिक्षु) के रूप में ज्वाइन किया और उन्हें 1983 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सेंट्रल सौदा कोलियरी, बरकाकाना क्षेत्र में पदस्थापित किया गया। सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) में तकनीकी सेवाओं तथा जनसंपर्क प्रमुख, क्षेत्रीय निदेशक, सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान-5, बिलासपुर, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग सर्विसेस) जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया। 01.12.2015 को उन्होंने निदेशक तकनीकी (इंजीनियरिंग सर्विसेज), सीएमपीडीआई का प्रभार ग्रहण किया। वे दिनांक : 01.12.2015 से 11.10.2017 तक सीएमपीडीआईएल के निदेशक (तकनीकी), (आयोजन एवं अभिकल्पन) रहे।

संश्री दयाल को कारपोरेट प्लानिंग तथा पब्लिक रिलेशन्स एकिटविटि में व्यापक अनुभव है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मेंगा प्रोजेक्ट के प्लानिंग, अनुमोदन तथा कार्यान्वयन एवं कोरबा एवं मांद रायगढ़ कोयला क्षेत्र में विस्तृत गवेषण के लिए हाई-टेक डिलों को लगाकर उत्पादकता में वृद्धि का श्रेय उन्हें ही जाता है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग सर्विसेज) के रूप में उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए जाने वाले 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के कार्य का रोड मैप भी तैयार किया है।।

उन्हें माँद रायगढ़, कोरबा कोयला क्षेत्र से कोयले के निकास (डुलाई) के लिए रेल कॉरिडोर हेतु साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (एसईसीएल, इरकान तथा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सहित) जैसे संयुक्त उद्यम वाली कंपनी के बोर्ड में एसईसीएल का प्रतिनिधित्व भी किया।

श्री दयाल ने वर्ष 2007 के दौरान आस्ट्रेलिया में आयोजित “इंडिया-आस्ट्रेलिया ज्वाइट वर्किंग ग्रुप ऑन एनर्जी एंड मिनरल” की 5वीं बैठक में भारतीय सदस्य के रूप में भाग लिया। उन्होंने सितम्बर, 2010 में एडवांस्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रतिभागी के रूप में चाइनीज कोल इंडस्ट्रीज का दौरा किया। वर्ष 2011 एवं 2012 में एबानडेंड कोलसीम के खान से ऊर्जा में बदलनेतथा ग्रीन हाऊस जैसे रिकवरी पर ईयू रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सीएमपीडीआई की ओर प्रशासनिक प्रमुख भी थे। उन्होंने इस्तांबुल, तुर्की में 2011 में आयोजित 22वीं वर्ल्ड माइनिंग कॉन्फ्रेस एंड एक्सपो 2011 में भाग लिया तथा तकनीकी आलेख भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कोयला उद्योग से संबंधित अनेकों तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए। वे एमजीएमआई तथा कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीएसआई) के आजीवन सदस्य हैं।

वे 09.11.2017 से सीएमपीडीआई के सरकारी अंशकालीन निदेशक नियुक्त किए गए।



डा० अनिंद्या सिंहा

(डीआईएन 08069992)

सखनन अभियांत्रिकी में स्नातक और कोयला खानों को मैनेज करने के लिए फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी

धारक हैं और इन्होंने पोलैंड से डाक्टरेट की उपाधि हासिल की है तथा इन्हें भारत और विदेश में कोयला क्षेत्र में 33 (तैनीस) वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। उनके अनुभव में कोल इंडिया लिमिटेड के बीसीसीएल एवं एमसीएल के भुमिगत एवं खुली खदान खानों दोनों के संचालन तथा प्रबंधन का 10 वर्षों का अनुभव, अकादमिक अनुसंधान एवं विकास का तीन वर्षों का अनुभव, सीएमपीडीआईएल में माइन प्लानिंग एंड डिजाइन

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

का 20 वर्षों का अनुभव, और कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के एनर्जी पर्यावरण कोल एंड लिग्नाइट के लिए डेवलपमेंट पालिसी प्लानिंग में 4 महीनों का अनुभव शामिल है।

डा० सिन्हा वर्तमान में कोयला मंत्रालय भारत सरकार में परियोजना सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तरीय पद) के रूप में प्रतिनियुक्त हैं। उनके अनुग्रह में कोयला खनन परियोजनाओं का विकास, निवेश निर्णय के लिए कोयला खनन परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन, कोयला और लिग्नाइट के लिए पूंजीगत बजटिंग, गवेषण पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन का मूल्यनिर्धारण, मौस बदलाव से संबंधित मुद्दे, कोयला एवं लिग्नाइट के लिए परिप्रेक्ष्य योजना का विकास, कोयला धुलाई, कोयला गैसीकरण, यूसीजी, सीटीएल सहित स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का विकास, कोयला इवाक्यूएशन के लिए आधारभूत संरचना का विकास आदि शामिल है।

डा० सिन्हा 1984 में खनन अभियंत्रण में स्नातक हैं और भारतीय खनिविद्यापीठ से 1986 में स्नातकोत्तर पूरा किए हैं। अपने बैच के टॉपपर होने तथा आईएसएम में पुरस्कार/स्कोलरशिप प्राप्त करने के अलावे उन्हें एमजीएमआई के पिकरिंग मेडल तथा आईएसएम के गोल्ड मेडल से नवाजा गया। उसके बाद वर्ष 1993-96 के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस एंड टेक्नोलॉजी (एजीएच), क्रेकाव, पोलैंड में पोलिश सरकार के फेलोशिप (यूपीएससी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के जरिए चयनित) के तहत अपनी डॉक्टरल की पढ़ाई पूरी की। उनका रिसर्च भूमिगत कोयला खानों के खान संवातन और वायु की स्थिति पर था, इसी दौरान उन्होंने पोलैंड के कुछ सर्वोत्तम लौंगवाल खानों के बारे में पढ़ाई कर उन खानों का दौरा किया। उस अवधि के दौरान अनेक अनुसंधान पेपर के प्रकाशन के अलावे वे पोलिश एकेडमी ऑफ साईंस (पीएएन), पोलैंड के तत्वावधान के तहत माइन वेंटीलेशन साप्टवेयर पैकेज के को-डेवलपर भी रहे। तदनन्तर वर्ष 2008 में उन्होंने एशियन इंस्टीचयूट ऑफ मैनेजमेंट (एआईएम), मनीला, फिलिपिन्स

में प्रोजेक्ट प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट (पीपीडीएम) कोर्स में भाग लिया।

डा० सिन्हा, ईआईए/ईएमपी की तैयारी के लिए क्यूसीआई-एनएबीईटी एक्रीडिटेड ईआईए को-आर्डिनेटर तथा खनन योजना/ खान बंदी योजना की तैयारी के लिए कोयला मंत्रालय के एक मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति (आरक्यूपी) हैं। खनन क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंस्टीचयूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) ने वर्ष 2017 में खनन के क्षेत्र में 'एमीनेन्ट इंजीनियर अवार्ड' प्रदान किया।

डा० सिन्हा ने कोयले के विकास से संबंधित विभिन्न समितियों/वर्किंग ग्रुप का कोल इंडिया लिमिटेड एवं कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। और व्यावसायिक कार्य से संबंधित कार्यों के लिए पोलंड, रूम्यानिया सहित विभिन्न देशों का दौरा किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में कोयला क्षेत्र से संबंधित नीति और मुद्दों पर अनेकों तकनीकी पेपर प्रस्तुत किया है। वे इंस्टीचयूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), माइनिंग, जियोलॉजिकल एंड मेटलर्जिकल इंस्टीचयूट ऑफ इंडिया (एमजीएमआई) आदि के आजीवन सदस्य हैं।

डा० सिन्हा 05.02.2018 से सीएमपीडीआई के सरकारी अंशकालीन निदेशक हैं।



श्री भोला नाथ शुक्ला
(डीआईएन 0513449)
आईटी बीएचयू से 1982
के स्नातक हैं और 1989
में उन्होंने भारतीय खनि
विद्यापीठ, धनबाद से
ओपेनकास्ट माइनिंग में एम.टेक. किया है। उन्हें
बी.टेक और एम.टेक स्तर पर रजत पदक मिल
तथा वे लोकप्रिय छात्रनेता रहे।

उन्होंने 1982 में एसईसीएल में पदभार ग्रहण किया जाहं वे 1983 में डिपिलरिंग के लिए एसडीएल और चेन कन्वेयर लगाने में सहायक रहे। उन्होंने जमूनिया खुली खदान खान में कास्ट ब्लास्टिंग कर प्रयोग किया और उसे उत्पादन हेतु खुली खदान खानों में भी प्रयोग किए जिसे ओबी बैंचों के साथ वर्टिकल फेसों के मिलने



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

के कारण विगत छह महीनों से डीजीएमएल द्वारा रोक दिया गया था। उन्होंने 1999 में चर्चा ईस्ट भूमिगत खान में पदभार ग्रहण किया। जहाँ उन्होंने हाई रुफ मैनेजमेंट और निर्मित स्ट्राटा बंकर के लिए हाइड्रोफ्रेक्चरिंग पर प्रयोग किया जिससे बेल्ट कन्वेयर के ब्रेकडाउन में कमी और विद्युत में बचत हुआ।

उन्होंने एलएचडी सहित रूपान्तरित कंटीन्यूअस माइनर वाले बेहराबंद भूमिगत खान के सब एरिया मैनेजर के रूप में पदभार ग्रहण किए तथा उत्पादन में 36 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इस खान को एसईसीएल के 'E' ग्रुप में सर्वोत्तम खान माना गया। उन्हें आरएंडआर समस्या और खराब जियोमेट्री को ठीक करने के लिए परियोजना अधिकारी, बलराम ओसीपी के रूप में पदस्थापित किया गया। इस खान को लगातार दो वर्षों तक समग्र वार्षिक सुरक्षा सप्ताह में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने 2007 में महाप्रबंधक, भरतपुर क्षेत्र के रूप में पदभार ग्रहण किया जहाँ उन्होंने आरएंडआर समस्या को सुलझाने के साथ-साथ पर्याप्त भूमि अधिग्रहण के साथ इच्छित आकार में इस खान को लाने में सफल हो सके। उसके बाद उन्हें सीएमएल के हिंगुला जैसे कठिन क्षेत्र में पदस्थापित किया गया जहाँ प्रतिदिन 21000 टीपीडी उत्पादन था, जब उन्होंने इस क्षेत्र को छोड़ा तब वहाँ का उत्पादन 62000 डीपीडी प्रतिदिन था।

उनके मिशन, ज्ञान, रणनीति पर विचार करते हुए उन्हें एमसीएल मुख्यालय के कारपोरेट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक के रूप में पदस्थापित किया गया जहाँ वे पिट हेड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2×800 एमडब्ल्यू) में एमसीएल के विविधिकरण करने में इंस्ट्रमेटल रहे और जिसके लिए एमबीपीएल कंपनी बनाई गई थी और उन्हें दिनांक 9.4.2012 से सितम्बर, 2015 तक निदेशक नियुक्त किया गया था। उनके विविधिकरण के कार्यों में सोलर, पोर्ट और पावर ट्रांसमिशन बिजनेस जैसे कार्य भी थे।

वे झारसुगुड़ा बारापली रेल लिंक को जून, 2016 तक कागज से जमीन पर उतारने के भरपूर प्रयास करने वाले मुख्य व्यक्ति थे। एमसीएल की वृद्धि के लिए यह लाइफ लाइन (जीवन-रेखा) है। उन्होंने 122 एमटी के स्तर से 322 एमटी (पीक) की कुल

क्षमता वाली परियोजनाओं को अनुमोदित करवाया। उन्होंने रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, सीएचपी सिलो जैसे विभिन्न आधारभूत क्रिया-कलापों की योजना और मॉनीटरिंग और बन आरएंडआर तथा कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा का हल ढूँढ़ने के लिए कोयला मंत्रालय, राज्य सरकार के साथ बैठकों में सक्रिय रूप से शामिल रहे।

वे दिनांक : 01.10.2015 से 16.08.2016 तक सीएमपीडीआईएल के निदेशक(तकनीकी) / कोल रिसोर्स डेवलपमेंट) रहे। उनकी कार्यावधि के दौरान विभागीय वेधन में लग-ग 52000 मी. की उच्च वृद्धि भी हुई। वे खनिज के लिए एमएमडीआर 1957 के सेक्षण 4(1) के तहत सीएमपीडीआई को अधिसूचित करवाने के प्रति इंस्ट्रूमेंटल (प्रयोगधर्मी) रहे, जो सीएमपीडीआईएल के इतिहास में एक लैंडमार्क है।

उन्होंने चीन का दौरा किया और सेमिनारों में अनेकों तकनीकी आलेख प्रस्तुत किए। वे 2016 में रियो-डी-जनेरियो के वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस में भाग लिए। वे एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे और आईटी बोटिंग क्लब बीएचयू के कप्तान भी थे। उन्होंने 1981 में बीएचयू से काठमांडू नेपाल की यात्रा साइकिल से पूरी की।

वर्ष 17.08.16 से 16.8.17 तक एक वर्ष के लिए उन्हें निदेशक(तकनीकी), ईसीएल के रूप में स्थानांतरित किया गया। कार्यावधि के दौरान गत वर्ष की तुलना में भूमिगत उत्पादन में 10.89 प्रतिशत एवं प्रेषण (डिस्पैच) 11.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमान में उन्होंने सीएमपीडीआई में 17.8.2017 से पदभार ग्रहण किया है।



श्री असीम कुमार चक्रवर्ती
(डीआईएन 07601841)
ने दिनांक 3 अगस्त 2016
को निदेशक(तकनीकी) का
प्रभार लिया। श्री चक्रवर्ती
इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स
(आईएसएम) धनबाद से खनन इंजीनियरिंग (1982
में) स्नातक किया। उन्होंने बीआईटी, मेसरा, राँची
से एमबीए डिग्री (1992 में) प्राप्त किया।

उन्होंने 1982 में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नार्थ सियर सोल कोलियरी, कुनुस्तुरिया एरिया से कोयला उद्योग में पदार्पण किया। सीएमपीडीआई

में निदेशक(तकनीकी) के रूप में प्रभार लेने से पूर्व वे क्षेत्रीय निदेशक और महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट अप्रेजल डिवीजन) के रूप में अपनी सेवाएँ दी।

श्री चक्रवर्ती को प्रोजेक्ट प्लानिंग एकिटिविटि में व्यापक अनुभव है। उन्हें एमसीएल के सियरमल ओसीपी जैसे बड़े क्षमता वाले खान (40 मि.ट.प्र.व. क्षमता) के प्लानिंग का श्रेय जाता है। महाप्रबंध टाक (प्रोजेक्ट एप्रेजल डिवीजन) के रूप में उन्होंने सीआईएल द्वारा 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के लिए सीआईएल से संबंधित रोडमैप बनाने में अपना सहयोग दिया। सीआईएल ब्लॉकों पर यूएनएफसी पर कार्य में भी सहयोग किया। वे सीआईएल से बाहर के ग्राहकों के साथ-साथ कोल इंडिया के खानों के लिए परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन / पर्यावरणिक प्रबंधन योजना खनन योजना, माइन क्लोजर प्लान, आपरेशनल प्लान और अन्य विशेषीकृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं।

वे 03.08.2016 से सीएमपीडीआई के निदेशक (तकनीकी), इंजीनियरिंग सेवाएँ प्रशार में हैं।



श्री राजेन्द्र प्रसाद (डीआईएन 073555787) वर्ष 1971 में सोनीपत के हिन्दु कॉलेज से स्नातक है। 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी करने के बाद से अगस्त,

1975 में वकालत शुरू की। उन्होंने सिविल, क्रिमिनल, मैक्ट, रेवेन्यू और लेबर लॉ की ऐक्विट्स की एवं बीएसटी गनौर रंग उद्योग जैसे जिला और राज्य स्तर के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के ट्रेड तथा लेबर यूनियन के लिए अपनी सेवाएँ दी। उन्होंने प्रशासन के समक्ष गरीब, वंचित समाज के नीचे तबके के लोगों के अधिकारों और हक के लिए जोरदार आवाज उठाई तथा समुचित लीगल फोरम के समक्ष कानूनी सहायता भी दिया।

वर्ष 1981 में उनका चयन हरियाणा जुडिशियल सेवा के लिए हो गया और उन्होंने सब जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में ज्वाइन किया। फरवरी, 1988 में हरियाणा हाइयर जुडिशियल सर्विस में उनकी प्रोन्ति हुई तथा 06.03.2009 तक आडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज के रूप में पदस्थापित हुए। जुडिशियल सेवा से

सेवानिवृत्ति के बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम, कुरुक्षेत्र के प्रेसीडेंट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इस पद पर वे 05.03.2014 तक रहे। कुछ समय के लिए उन्होंने प्रेसीडेंट डिस्ट्रीक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम, करनाल में भी अपनी सेवाएँ दी।

उन्होंने ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान करते हुए 35 वर्षों से अधिक की सेवा जुडिशियल डिपार्टमेंट में दी। अपने जुडिशियल कैरियर के दौरान पूरे हरिणा में विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएँ दी। आपने सेवा अवधि के दौरान उन्हें माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से अनेकों प्रशंसा-पत्र मिला है। नेशनल इंस्टीचूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी और फारेसिंक साईंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (2003 तथा 2006) में क्रिमिनोलॉजी तथा फोरेंसिक साईंस (1994), मानव अधिकार में कोर्स पूरा कर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।

डिस्ट्रीक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम के प्रेसीडेंट के रूप में उन्हें स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, हरियाणा, पंचकुला द्वारा वर्ष 2011 में विशिष्ट सेवा प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। पंचकुला में दिनांक— 09.01.2013 को आयोजित इनफोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर एक्ट, 1986 के सिल्वर जुबिली सेलिब्रेशन के अवसर पर उन्हें विशिष्ट सेवा प्रमाण-पत्र पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिश ए.के.सिकरी द्वारा दिया गया। 2015 में, उन्हें स्टूडेंट इलेक्शन 2015 का न्यायिक जाँच के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड) द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्हें दिनांक 17.11.2015 को सीएमपीडीआई के बोर्ड में गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया गया।



डा. देबाशीष गुप्ता (डीआईएन 03572010) कलकता विश्वविद्यालय से केमेस्ट्री में पीएचडी पूरा करने के बाद 1978 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए। उन्हें बिहार कैडर मिला।



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

उन्होंने तत्कालीन बिहार और झारखण्ड में विभिन्न पदों पर रहकर कार्य किया तथा टेक्स्टाइल मंत्रालय में भारत सरकार के साथ कार्य किए। उन्हें नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरर कारपोरेशन लिमिटेड तथा जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में अ.स.प्र. निदेशक (सीएमडी) के रूप में कारपोरेट का अनुभव है। उन्हें बिहार सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में सीएमडी तथा प्रशासक का भी कार्यानुभव है। वे डेवलपमेंट कमीशनर, झारखण्ड सरकार के पद से सेवा-निवृत्त हुए। सेवा-निवृत्ति के बाद वे वर्ष 2013–15 तक अध्यक्ष झारखण्ड पब्लिक सर्विस कमीशन रहे।



श्री पीयुष कुमार (डीआईडीएन 07201444) कने 1993 में इंडियन स्कूल ऑफ माइन, धनबाद से रजत पदक के साथ खनन अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त किया है। इन्होंने डीजीएमएस से प्रथम श्रेणी खान प्रबंधन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है और आईटी, बीएचयू से खान में रॉक मैकेनिक्स एवं पर्यावरण प्रबंधन में शॉट-टर्म पाठ्यक्रम भी किया है। अभी ये आईएसएम, धनबाद से पार्ट टाइम अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

इन्होंने विभिन्न क्षमताओं में सीसीएल के विविध खुली खदान तथा भूमिगत कोयला खान में कार्य किया है। वे सीबीएम, सीएमएम, वीएम तकनीक अध्ययन हेतु यूएसए के लिए सीआईएल प्रतिनिधि-मण्डल के हिस्सा थे। ये जापान में वाशरी टेक्नोलॉजी एवं लॉग-वाल माइनिंग और जेनेवा, स्वीटजरलैंड में कोयला संसाधन के यूएनएफसी वर्गीकरण पर प्रशिक्षण भी लिया है। ये जापान, ईयू, रूस, बेलारूस, यूएस के साथ विविध कार्य समूह बैठकों और ऑस्ट्रेलिया में जी-20 बैठक में भारतीय दल के हिस्सा थे।

अभी ये कोयला मंत्रालय में निदेशक तकनीकी के पद पर हैं, जो कोल माइनिंग के सभी तकनीकी मामलों और संबंधित नितियों के लिए जिम्मेवाह हैं तथा खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य भी हैं।

ये 06.05.2016 से 18.6.2017 तक सीएमपीडीआई के बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। उन्हें 5.8.2016 से 08.06.2017 तक बीसीसीएल के बोर्ड में अंशकालीक सरकारी निदेशक भी नियुक्त किए गए थे। कोयला मंत्रालय द्वारा 9.6.2017 से 05.02.2018 तक सीएमपीडीआई के बोर्ड में अंशकालीन सरकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अभी वे स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में सीएमपीडीआई बोर्ड में हैं।

छ). सेक्षण 149 के उप-धारा (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए घोषणा पर विवरण

श्री राजेन्द्र प्रसाद और डा. देबाशीष गुप्ता कंपनी के स्वतंत्र निदेशक हैं। दोनों स्वतंत्र निदेशक अपनी डॉयले करते हैं और घोषणा करते हैं कि वे वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अनुसार वे स्वतंत्र निदेशक के मापदंड को पूरा करते हैं।

१.५.३ क). अंकेक्षण समिति :

अंकेक्षण समिति का मुख्य कार्य वित्तीय रिपोर्ट, वित्त से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की कंपनी की प्रणाली, लेखा तथा कंपनी का अंकेक्षक लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस का पुनरीक्षण करते हुए इसकी ओवर साइट उत्तरदायित्व पूरा करने में निदेशक मण्डल को सहायता प्रदान करना है।

अंकेक्षण समिति अतिरिक्त अंकेक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, सांविधिक अंकेक्षकों से मिलती है तथा उनकी उपलब्धियों, सुझावों और अन्य संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करती है एवं कंपनी द्वारा अपनाई गई मुख्य लेखा नीतियों की समीक्षा करती है।

ख). विचारार्थ विषय :

अंकेक्षण समिति की विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार है तथा भारी उद्योग मंत्रालय तथा पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग द्वारा जारी किये गए सीपीएसईएस के कारपोरेट-गवर्नेंस पर आधारित दिशा-निर्देश के अनुसार है।

अंकेक्षण समिति का विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ—साथ संगठन के सभी व्यावसायिक पहलूओं को कवर करेगा।

- i. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।
- ii. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का नियतकालिक पुनरीक्षण।
- iii. शासकीय अंकेक्षण तथा सांविधिक अंकेक्षण की रिपोर्ट का पुनरीक्षण।
- iv. मानक पारामीटरों के साथ—साथ संचालनीय कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण।
- v. परियोजनाओं तथा अन्य पूँजीगत योजनाओं का पुनरीक्षण।
- vi. आंतरिक अंकेक्षण उपलब्धि/अवलोकन का पुनरीक्षण।
- vii. आनुपातिक तथा प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण कार्य का विकास।
- viii. बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए मुद्दों सहित किसी भी विषय का विशेष अध्ययन/जाँच।

ग). अंकेक्षक समिति का कार्य क्षेत्र :

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र/भूमिका इस प्रकार है :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना तथा वित्तीय संरचनाओं का प्रकटीकरण, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है।
 2. ऑडिट फीस को निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अनुशंसा करना।
 3. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गए अन्य सेवाओं के लिए अंकेक्षक, सांविधिक अंकेक्षकों के भुगतान का अनुमोदन करना है।
 4. विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना।
- क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) और 134(5) के संदर्भ में

शामिल किए जाने वाला डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट में शामिल होने वाले अपेक्षित मामले।

- ख) लेखा नीतियों तथा प्रैक्टिसेस में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसका कारण।
- ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय पर आधारित आकलन से जुड़े मुख्य लेखा प्रविष्टि (इन्ट्री)।
- घ) अंकेक्षण निष्कर्ष से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
- ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं (प्रयोज्य नियम, अधिनियम तथा कंपनी नीतियाँ) का अनुपालन।
- च) किसी भी संबंधित पार्टी मामलों का प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) तथा
- छ) मसौदा अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यता।
5. अनुमोदन हेतु बोर्ड में प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
6. आंतरिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
7. आंतरिक अंकेक्षण विभाग, ऑफिशियल होल्डिंग डिपार्टमेंट का स्टाफिंग तथा वरीयता रिपोर्टिंग संरचना कवरेज एवं आंतरिक अंकेक्षण की आवृत्ति सहित, यदि कोई हो तो आंतरिक अंकेक्षण कार्य की उपयुक्तता की समीक्षा करना।
8. कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा उससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई हो तो आंतरिक अंकेक्षण तथा/अथवा अंकेक्षक के साथ विचार विमर्श करना।
9. ऐसे मामले जहाँ संदिग्ध, धोखाघड़ी अथवा अनियमितता अथवा आर्थिक प्रकृति के (मेट्रियल नेचर) के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता है तथा बोर्ड को रिपोर्टिंग करने के मामले में आंतरिक अंकेक्षकों/अंकेक्षकों एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच की उपलब्धियों की समीक्षा करना।



10. अंकेक्षण की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के बारे में तथा इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोर्ट ऑडिट विचार—विमर्श, ऑडिट कामनसेंस के पहले सांविधिक अंकेक्षण के साथ विचार—विमर्श करना।
 11. द्विसिल ब्लोअर मैकेनिज्म की क्रियाशीलता की समीक्षा करना।
 12. सीएंडएजी ऑडिट के अंकेक्षण अवलोकन पर अनुवर्ती कार्यवाई की समीक्षा करना।
 13. स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के बीच सम्पर्क हेतु खुला मंच उपलब्ध कराना।
 14. कंपनी के सभी संबंधित पार्टी मामलों की समीक्षा करना तथा अनुमोदित करना। इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण समिति एक सदस्य को नामित कर सकता है, जो इन्स्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंड आफ इंडिया द्वारा जारी एकाउटिंग स्टैंडर्ड 18 में वर्णित पार्टी ट्रांजेक्शन से संबंधित पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।
 15. कवरेज, अनावश्यक प्रयास में कमी तथा सभी आडिट संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल की संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु ऑडिट प्रयासों के स्वतंत्र ऑडिटर समन्वयन के साथ पुनरीक्षण करना।
 16. कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं संबंधित उपलब्धियों तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों की अनुशंसाएँ तथा प्रबंधन प्रत्युत्तर के साथ अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए अथवा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण के दौरान सामना की गई कठिनाइयों, महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं आंतरिक अंकेक्षक सहित इसका दायित्व प्रबंधन पर भी है।
 17. अपेक्षित सूचना की अधिकता या क्रिया—कलापों की संभावना पर किसी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण कार्य के दौरान पायी गई किसी कठिनाइयों तथा पूर्व के अंकेक्षण की अनुशंसाओं की स्थिति सहित विवेच्य वर्ष के दौरान महत्वपूर्व निष्कोर्षों के लिए प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षण तथा स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ विचार—विमर्श करना।
 18. डिपोजिटर्स, डिवेंचर धारकों, शेयर होल्डरों (घोषित लाभांश के नन पेमेंट के मामले में) को भुगतान में पर्याप्त त्रुटि के कारणों का पता लगाना।
 19. पब्लिक अंडरटेकिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट (कोपू) पर गठित कमेटी की अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाई का अनुसरण कर समीक्षा करना।
 20. अंकेक्षण कमेटी के विचाराधीन विषयों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को सम्पादित करना।
- घ). अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ :
- अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ निम्नलिखित के अनुरूप होगी :
- i. विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधियों की जाँच करना।
 - ii. किसी भी कर्मी से सूचना माँगना।
 - iii. बाह्य कानूनी तथा व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
 - iv. यदि विचार करना आवश्यक हो तो संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
 - v. द्विसिल ब्लोअर्स की रक्षा करना।
 - vi. अंकेक्षकों की स्वतन्त्रता पर बल देते हुए हितों के टकराव को रोकना।
 - vii. आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।
- इ). अंकेक्षण समिति द्वारा सूचना की समीक्षा :
- अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करेगी:
- i. वित्तीय स्थिति तथा कार्य के परिणामों पर प्रबंधन के साथ मिलकर विचार—विमर्श तथा विश्लेषण।
 - ii. प्रबंधन द्वारा सुपुर्द पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण।
 - iii. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा जारी कमियों पर आंतरिक नियंत्रण का पत्र / प्रबंधन का पत्र।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

- iv. इंटरनल कंट्रोल विकनेसेज से संबंधित आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट।
- v. मुख्य आंतरिक अंकेक्षणों की नियुक्ति तथा पदच्युति को अंकेक्षण समिति के समक्ष रखना तथा,
- vi. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाणन/घोषणा।

च).

गठन :

अंकेक्षण समिति में 31 मार्च, 2018 के अनुसार निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है।

क्र.सं.	निदेशक के नाम	स्थिति	
1.	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष—(01.11.2016 से)	स्वतन्त्र निदेशक
2	श्री आर. प्रसाद	सदस्य—(30.12.2015 से)	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्री बी.एन.शुक्ला	सदस्य—30.10.2017 से)	कार्यकारी निदेशक
4.	श्री बिनय दयाल	सदस्य— (01.12.2017 से)	सरकारी अंशकालिक निदेशक
5.	डा. अनिंद्या सिन्हा	सदस्य—(05.02.2018 से)	सरकारी नामित निदेशक
6.	श्री डी.एन. प्रसाद	सदस्य—(28.01.2011 से 31.05.2017 तक)	सरकारी नामित निदेशक
7.	श्रीसी.के.डे.	सदस्य—(10.01.2017 से 09.11.2017तक)	सरकारी अंशकालिक निदेशक
8.	श्री पीयूष कुमार	सदस्य—(09.06.2017 से 05.02.2018 तक)	सरकारी नामित निदेशक
9.	श्री ए.के.चक्रवर्ती	सदस्य—(18.09.2018 से 30.10.2017 तक)	कार्यकारी निदेशक
10.	श्री बी.के. सिन्हा	सदस्य—(29.10.2015 से 31.07.2017 तक)	कार्यकारी निदेशक

महाप्रबंधक (वित्त), मुख्य प्रबंधक (आंतरिकअंकेक्षण) तथा सांविधिक अंकेक्षक को आडिट कमिटि की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव होते हैं। समिति को आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए, जब और जहाँ जरूरत हो, वरीय कार्यकारी अधिकारी को भी बुलाया जाता है। अंकेक्षण विभाग आडिट कमिटि की बैठक को आयोजित और संपन्न करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध करता है।

छ).

बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 10 (दस) बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें क्रमशः दिनांक : 05.05.2017, 24.05.2017, 06.07.2017, 28.07.2017, 18.09.2017, 30.10.2017, 20.11.2017, 01.02.2018, 09.03.2018 तथा 21.03.2018 को आयोजित की गई थीं। सदस्यों द्वारा भाग लिए गए अंकेक्षण समिति की बैठक का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.सं.	निदेशक के नाम	उनके कार्यावधि के दौरान आयोजित अंकेक्षण समिति की बैठकों की संख्या	अंकेक्षक समिति की बैठक में उपस्थिति की संख्या
कार्यकारी निदेशक			
1.	श्री वी.के.सिन्हा	4	4
2.	श्री ए.के.चक्रवर्ती	1	1
3.	श्री बी.एन.शुक्ला	5	5
4.	श्री बिनय दयाल	3	2
अंशकालिक सरकारी निदेशक			
5.	डा. अनिंद्या सिन्हा	2	2
6.	श्री डी.एन.प्रसाद	2	2
7.	श्री सी.के.डे	6	4
8.	श्री पीयूष कुमार	6	4
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक			
9.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	10	10
10.	श्री देबाशीष गुप्ता	10	10



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

1.5.4 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निगमित शासन के सर्वोत्तम कार्य करने तथा कारपोरेट गवर्नेंस के गाइड लाइन को पूरा करने एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोल इंडिया लिमिटेड करार की लिस्टिंग करवाने के लिए दिनांक: 30.12.2015 को आयोजित बोर्ड की 191वीं बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक कमिटि का गठन किया गया।

क) गठन

नोमिनेशन एंड रिमुनेरेशन कमिटि में 31 मार्च, 2018 के अनुसार निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	अध्यक्ष (30.12.2015 से) स्वतन्त्र निदेशक
2.	डा. देबाशीष गुप्ता	सदस्य— (30.12.2015 से) स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्री ए.के.चक्रवर्ती	स्थायी आमंत्रित—(28.10.2016 से) कार्यकारी निदेशक
4.	श्री पीयूष कुमार	सदस्य— (09.06.2017 से 05.02.2018 तक) सरकारी अंशकालिक निदेशक

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा महाप्रबंधक (पीएंडए) कमिटि को सभी सेवाएँ प्रदान करने के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

(ख) बैठक एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

1.5.5 सीएसआर कमिटी

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सर्टेनेबिलिटि कंपनी की अपने स्टेक होल्डरों के लिए वचनबद्धता है, जिसमें कंपनी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणिक रूप से सर्टेनेबल तरीके से व्यापार सम्पन्न करने से संबंधित है, जो पारदर्शी तथा नीतिपरक हो। स्टेक होल्डरों में कर्मचारी, निदेशक, शेयर होल्डर, ग्राहक, बिजनेस पार्टनर, सिविल सोसायटी ग्रुप, सरकार तथा गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण एवं बड़े पैमाने पर समाज शामिल है।

प्रत्येक सीपीएसईएस में बोर्ड स्तर की एक समिति होती है, जिसकी अध्यक्षता या तो अध्यक्ष तथा/अथवा प्रबंध निदेशक अथवा एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं और ये 1.4.2013 के तत्काल प्रभाव से डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार इच्छित दिशा में कंपनी-बोर्ड के इस एजेंडा को लागू करने और नीति तथा रणनीति बनाने के लिए निदेशक मंडल को सहयोग एवं कंपनी के सीएसआर तथा सर्टेनेबल नीति को कार्यान्वित करते हैं। दिशा-निर्देशों में, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सर्टेनेबिलिटि, एमओयू में गैर-वित्तीय परामीटरों के तहत एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल किया जा चुका है।

इसी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बोर्ड ने दिनांक 10.5.2013 को आयोजित अपनी 172वीं बैठक में सीएसआर कमिटि का गठन किया है।

गठन :

सीएसआर कमिटि में 31 मार्च, 2018 के अनुसार निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता एक गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) करते हैं।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	अध्यक्ष (01.11.2016 से)	स्वतन्त्र निदेशक
2.	डा. देवाशीष गुप्ता	सदस्य (30.10.2017 तक)	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्री ए.के.चक्रवर्ती	सदस्य— (28.10.2016 से)	कार्यकारी निदेशक
4.	श्री बी.एन.शुक्ला	सदस्य— (30.10.2017 से)	कार्यकारी निदेशक
5.	श्री विनय दयाल	सदस्य— (30.12.2015 से 30.10.2017 तक)	सरकारी अंशकालिक निदेशक

महाप्रबंधक (एचआरडी) कमिटि के नोडल अधिकारी हैं, जो सीएसआर कमिटि को सारी सेवाएँ उपलब्ध कराएँगे।

बैठक एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान दिनांक 23.05.2017, 01.12.2017 तथा 31.01.2018 को तीन बैठकें आयोजित की गई।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	बैठकों की संख्या
1.	श्री आर. प्रसाद	अध्यक्ष (01.11.2016 से)	3
2.	डा. देवाशीष गुप्ता	सदस्य (30.10.2017 से)	2
3.	श्री बी.एन. शुक्ला	सदस्य— (30.10.2017 से)	2
4.	श्री विनय दयाल	सदस्य— (30.12.2015 से 30.10.2017 तक)	1
5.	श्री ए.के. चक्रवर्ती	सदस्य— (28.10.2016 से)	3

1.5.6 निदेशकों का पारिश्रमिक

सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कार्यकारी निदेशकों का अनुबंध एवं शर्त तथा पारिश्रमिक कंपनी/कोयल इंडिया लिमिटेड के संस्था संलेख (आर्टिकल आफ असोशिएशन) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

क) कार्यकारी निदेशक

कंपनी के कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का विस्तृत विवरण 31.03.2018 के अनुसार निम्न प्रकार से है :

नाम	पदनाम	छूटटी नकदीकरण सहित कुल बेतन एवं भत्ता	पक्से	एचआरए	सीएमपीए नियोजक का अंशदान	पीआरपी की अग्रिम	कुल	एलटीसी एवं चिकित्सा खर्च
श्री शेखर सरन	अ.स.प्र. निदेशक	2246757.00	431046.00	0.00	307932.00	1872720.00	4858455.00	137835.00
श्री बी.एन. शुक्ला	निदेशक (तक.)	1184992.00	228956.00	0.00	141893.00	1035956.00	2591798.00	37582.00
श्री ए.के. चक्रवर्ती	निदेशक (तक.)	2065842.00	404292.00	0.00	287750.00	750336.00	3508220.00	60694.00

ख) अंशकालिक सरकारी निदेशक :

सीएमपीडीआईएल द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। श्री डी.एन.प्रसाद, सलाहकार (परियोजना) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से मनोनीत निदेशक हैं। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उन्हें पारिश्रमिक दिया जा रहा है।



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

श्री बिनय दयाल, निदेशक (तकनीकी) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता से 09.11.2017 से नामित निदेशक हैं। श्री सी.के.डे. निदेशक (वित्त) 19.12.2016 से 09.11.2017 से कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता द्वारा नामित है। और उनका पारिश्रमिक कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिया जा रहा है।

ग) स्वतंत्र निदेशक :

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड में उपस्थित होने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित सी. लिंग के भीतर कोल इंडिया बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाने वाला सीटिंग फीस को छोड़कर कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के लिए भुगतान किए जा रहे सिटिंग फीस का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र. सं.	नाम	उपस्थिति के लिए भुगतान किया गया फिस		कुल (₹)
		बोर्ड की बैठक (₹)	समिति की बैठक (₹)	
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	2,00,000.00	3,40,000.00	5,40,000.00
2.	डा. देबाशीष गुप्ता	2,00,000.00	3,60,000.00	5,60,000.00

1.5.7 (1) वार्षिक आम बैठक :

विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	वर्ष 2014-15 40वीं एजीएम	वर्ष 2015-2016 41वीं एजीएम	वर्ष 2016-2017 42वीं एजीएम
तिथि	22.06.2015	27.06.2016	06.07.2017
समय	11.30 पूर्वाह्न	10.30 पूर्वाह्न	11.30 पूर्वाह्न
स्थान	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, रोंची-834031, झारखंड	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, रोंची-834031, झारखंड	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, रोंची-834031, झारखंड
विशेष संकल्प	शून्य	शून्य	शून्य

(2) असाधारण आम बैठक

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18 10वीं ईजीएम
तिथि			17.03.2018
समय			9.30 पूर्वाह्न
स्थान	शून्य	शून्य	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, रोंची-834031, झारखंड
विशेष संकल्प			बोनस शेयर का निर्गमन

(3) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक :

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को निम्नलिखित पर विचार-विमर्श करने के लिए वर्ष में कम-से-कम एक बैठक में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है :

- क) गैर-स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड का संपूर्ण रूप से कार्य निष्पादन की संवीक्षा करना।
- ख) कार्यकारी निदेशक और गैर-कार्यकारी निदेशक से कंपनी के चेयरपर्सन के बारे में विचार लेके संवीक्षा करना।
- ग) कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और टाइम लाइन का मूल्यांकन करना जो कि बोर्ड के लिए प्रभावपूर्ण और समुचित अपनी डयूटी कर सके, के लिए आवश्यक है।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठकें दिनांक 06.07.2017 को हुई। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा बैठक में भाग लेने का विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	बैठकों में भाग लेने की संख्या
1.	डा.देबाशीष गुप्ता	1
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	1

(4) बोनस शेयर कमिटि :

डीआईपीएम के दिशा—निर्देश के अनुसार बोर्ड ने दिनांक : 09.03.2018 को हुई अपनी 211वीं बैठक में बोनस शेयर कमिटि का गठन किया है।

गठन :

बोनस शेयर कमिटि में निम्नलिखित सदस्य हैं जिनकी अध्यक्षता कंपनी के अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक करते हैं और इसमें 1 कार्यकारी निदेशक तथा 1 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बैठकों में भाग लेने की संख्या
1.	श्री शेखर सरन	अध्यक्ष
2.	डा.देबाशीष गुप्ता	सदस्य
3	श्री बी.एन.शुक्ला	सदस्य

बैठक एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 21.03.2018 एवं 27.03.2018 को दो बैठकें आयोजित की गईं। सदस्यों द्वारा बोनस शेयर कमिटि निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	बैठकों में भाग लेने की संख्या
1.	श्री शेखर सरन	अध्यक्ष	2
2.	डा.देबाशीष गुप्ता	सदस्य	2
3.	श्री बी.एन.शुक्ला	सदस्य	2

1.5.8 प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर)

• मैटेरियली सिग्नीफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्शन :

कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों अथवा वरीय प्रबंधन कर्मियों या उनके संबंधियों के साथ किसी भी पार्टी मामलों (ट्रान्जेक्शन) से संबंधित किसी भी विषय

की दृष्टि से (मैटेरियली सिग्नीफिकेंट) में प्रवेश नहीं किया है, जिससे कि बड़े पैमाने पर कंपनी की संभावित रुचि हो।

सम्बद्ध पार्टी सहित किसी संविदा या व्यवस्था के संबंध में वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक में कोई ऐजेंडा पेश नहीं किया गया। संबंधित पार्टी के लेन—देन संबंधी नीति के अनुसार किसी भी दो सरकारी कंपनी के अध्यक्ष कंपनी एवं उसकी अनुषंगी कंपनी के बीच लेन—देन में छूट है।

धारा 188(I) के तहत पार्टी से संबंधित कंट्रेक्ट या एरेजमेंट को परिशिष्ट—VII में संलग्न किया जाता है।

• कंपनी द्वारा नियमों/कानून के अनुपालन का विस्तृत विवरण

कंपनी के लिए लागू विभिन्न प्रकार के नियमों के अनुपालन की यह कम्पनी मानिटरिंग कर रही है तथा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा—निर्देशों से संबंधित किसी भी विषय पर किसी भी ऑथरिटी द्वारा कंपनी पर आरोपित संरचना तथा वर्तमान में कंपनी द्वारा गैर—अनुपालन के लिए कोई भी विपरीत मामला नहीं है।

• व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार अंकेक्षण समिति तक पहुँच

यह नीति प्रबंधन तथा अंकेक्षण समिति को गैर—नीतिपरक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध, धोखाधड़ी, अथवा कंपनी के कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन के उदाहरण की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर उपलब्ध कराती है।

व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार किसी भी कर्मी द्वारा अंकेक्षण समिति तक पहुँच को नकारा नहीं गया है। विवेच्य वर्ष के दौरान व्हिसिल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

• कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देशों का अनुपालन

निदेशक मंडल, अंकेक्षण समिति, प्रकटीकरण, कोड ऑफ कंडक्ट इत्यादि के संबंध में इन



दिशा—निर्देशों का पालन किया जाता है। तथापि, पारिश्रमिक समिति, अनुषंगी कंपनियों, प्रशिक्षण नीति इत्यादि पर दिशा—निर्देशों का अनुपालन कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा किया जाता है, इसका अनुपालन सीएमपीडीआई द्वारा भी किया जाता है। कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पूर्णकालिक कंपनी के अंकेक्षक से एक प्रमाण—पत्र इसके साथ परिशिष्ट IV में संलग्न है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान और डीपीई के दिशा—निर्देशों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति के लिए कोयला मंत्रालय जो अप्वाईटिंग आथरिटि है को इससे अवगत करा दिया है।

• इन्टीग्रिटी पैक्ट एवं आईडीएम

कंपनी के पास अपने व्यापारिक ट्रान्जेक्शन, संविदा, प्राप्ति प्रक्रिया में प्रबंधन में पारदर्शिता संवृद्धि पर जोर देते हुए इंटीग्रिटी पैक्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ समझौता संलेख (एमओयू) किया हुआ है। इस समझौता संलेख (एमओयू) के अंतर्गत कंपनी अपने सभी प्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) तथा वर्क कांट्रैक्ट कार्यों में इंटीग्रिटी पैक्ट कार्यान्वयन करने हेतु वचनबद्ध है। दो स्वतंत्र बाह्य मोनिटर्स केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से ही टीआईआई द्वारा नामजद व्यक्ति इसकी गतिविधियों का मॉनीटर करते हैं। इन्टीग्रेटी पैक्ट ने ट्रस्ट स्थापित कर स्थापना प्रणाली एवं प्रक्रिया को सशक्त किया है तथा जिसे सीवीसी का पूरा सर्पेट है।

• सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

कंपनी के अध्यक्ष तथा महाप्रबंधक (वित्त) / सीएफओ द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर को “सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण” प्रदान कर दिया है जिसे डाइरेक्टरों की रिपोर्ट के परिशिष्ट ॥ के रूप में लगाया गया है।

• निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट)

कंपनी के निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे सभी संबंधित व्यक्तियों के मध्य परिचालित कर दिया गया है, तथा कंपनी के वेबसाइट www.cmpdi.co.in में भी डाल दिया गया है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक तथा वरीय प्रबंधन कार्मिक ने कंपनी के आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन का समर्थन किया है।

• किए गए खर्च का व्यौरा

बुक आफ एकाउन्ट में व्यय के किसी वैसे मद को डेबिट नहीं किया गया है जो निजी प्रकृति के हैं तथा निदेशक—मंडल और शीर्ष प्रबंधन पर खर्च किया गया है।

• राष्ट्रपति का निर्देश

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सीएमपीडीआईएल के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रेसिडेंसियल निर्देश जारी नहीं किया गया है।

• वार्षिक रिपोर्ट

वेब साइट लिंक अर्थात् www.cmpdi.co.in देखें

1.5.9 संचार के साधन

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट आम बैठक तथा डिस्कलोजर अपने वेबसाइट, कार्यालयी पत्रिका “गोंदवाना भारतीयाइन्टरेक्ट”, प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा स्थानीय दैनिक के माध्यम से अपने शेयर होल्डरों के साथ संप्रेषण करती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्ट एवं कंपनी का तिमाही परिणाम तथा महत्वपूर्ण घटनाओं को कंपनी की वेबसाइट यानि www.cmpdi.co.in पर उपलब्ध करा दिया गया। कंपनी से संबंधित अद्यतन जानकारी तथा घोषणाएँ कंपनी

की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। कंपनी की उपलब्धियों से आम लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है।

1.5.10 अंकेक्षण योग्यता

कंपनी का प्रयास हमेशा से अनक्वालिफायड वित्तीय विवरण पेश करने का रहा है। 31 मार्च, 2018को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।

1.5.11 बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

कंपनी के व्यवसाय से संबंधित सभी मामले, इसके संबंधित जोखिम तथा कंपनी की भावी रणनीति आदि के सार (संक्षिप्त विवरण) से निदेशक—मंडल को पूर्णतः अवगत करा दिया जाता है।

सभी कार्यकारी निदेशक संबंधित क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता तथा अनुभव के आधार पर संबंधित कार्य क्षेत्र के प्रमुख होते हैं। वे कंपनी के बिजनेस माडल तथा जोखिमों से अवगत होते हैं। अंशकालिक निदेशक भी कंपनी के बिजनेस मॉडल से पूर्णतः वाकिफ होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को निगमित शासन के लिए समय—समय पर प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया जाता है। सभी सरकारी निदेशकों की कोल इंडिया लिमिटेड की पॉलिसी के अनुसार भारत और विदेश दोनों के लिए स्पांसर किया जाता है। कंपनी में नव—नियुक्त निदेशकों को कंपनी के कंस्टीच्यूशन, विजन एवंमिशन स्टेंटमेंट, मुख्य क्रिया—कलाप, बोर्ड की प्रक्रिया/पद्धति, रणनीतिक दिशा—निर्देश के विस्तृत प्रजेन्टेशन, विचार—विमर्श आदि के माध्यम से पूर्णतः अवगत कराया जाता है।

1.5.12 व्हिसिल ब्लोअर नीति

कंपनी के कर्मचारियों के नैतिक आचरण को सशक्त करने तथा विभिन्न स्टेक होल्डरों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए सीएमपीडीआई में 2011–12 में व्हिसिल ब्लोअर नीति लागू की गई तथा दिनांक 8.11.2011 को आयोजित 163वीं बैठक में बोर्ड को इससे अवगत करा दिया गया। यह नीति वास्तविक या संदिग्ध अनैतिक आचरण, कंपनी की आचार संहिता के साथ धोखाघड़ी या इसका उल्लंघन के मामले को प्रबंधन के पास रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर प्रदान करता है। सूचीबद्ध कंपनी तथा स्टाक एक्सचेंज के बीच लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 में संशोधन किया गया है तथा यह 4 नवम्बर, 2010 से लागू हो गया है। खंड 49 में अन्य बातों के साथ—साथ “व्हिसिल ब्लोअर नीति” नामक मेकानिज्म स्थापित करने के लिए सभी सूचीबद्ध कंपनियों को नन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट प्रदान करता है। यह प्रतिशेष या उत्पीड़न से कर्मचारियों को बचाने में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। तथापि, इस नीति के अंतर्गत व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए खराब कार्य निष्पादन या कदाचार, जो व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए स्पष्टीकरण से अलग हो, के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई को इसके तहत संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

आंतरिक अंकेक्षण विभाग द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया गया कि अंकेक्षण समिति के समक्ष पहुँच से व्हिसिल ब्लोअर को रोका नहीं गया।

1.5.13 जोखिम प्रबंधन प्रणाली

जोखिम प्रबंधन कमिटि का गठन दिनांक : 02.02.16 को आयोजित सीएमपीडीआईएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 192 वीं बैठक में किया गया तथा दिनांक : 18.9.2017 को आयोजित बोर्ड की 207वीं बैठक में इसे पुनर्गठित किया गया।

क). गठन :

जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं, जिसकी अध्यक्षता गैर—सरकारी अंशकालीन निदेशक करते हैं :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति
1.	जा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष (28.06.2016 से प्रभावी)
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सदस्य (28.06.2016 से प्रभावी)
3.	श्री ए.के. चक्रवर्ती	सदस्य (28.06.2016 से प्रभावी)
4.	श्री बी.एन. शुक्ला	सदस्य (18.09.2017 से प्रभावी)
5.	श्री वी.के. सिन्हा	सदस्य (02.02.2016 से 31.07.2017 तक)



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

ख). बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दिनांक 30.10.2017, 20.11.2017 और 06.03.2018 को तीन बैठकें हुई। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थित सदस्य निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	बैठक में उपस्थिति की संख्या
1.	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष (28.06.2016 से प्रभावी)	3
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सदस्य (28.06.2016 से प्रभावी)	3
3.	श्री ए.के.चक्रवर्त्ती	सदस्य (28.06.2016 से प्रभावी)	3
4.	श्री बी.एन.शुक्ला	सदस्य (18.09.2017 से प्रभावी)	3

जोखिम प्रबंधन समिति ने जोखिम उप-समिति का गठन किया है और उप-समिति का गठन 31 मार्च, 2018 को किया गया जो इस प्रकार है :

1. मुख्य जोखिम अधिकारी :

श्री बिजॉन भट्टाचार्जी, महाप्रबंधक (एमएसडी)

2. जोखिम उप-समिति (आरएससी) अर्थात्- सीआरओ का दल:

क) श्री रजनीश कुमार, मुख्य प्रबंधक (ईएंडएम/जियोमेटिक्स)

ख) श्रीमती सुमन रस्तोगी, प्रबंधक (पीएंडए)

ग) श्री राजीव दत्ता, वरीय प्रबंधक (ईएंडएम)

घ) श्री यू.चटर्जी, वरीय प्रबंधक (वित्त)

1.5.14 इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाव के लिए आंतरिक प्रक्रिया और आचार संहिता का कोडः

नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी जानकारी के आधार पर किसी इनसाइडर द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरों की खरीद और/या बिक्री को रोकने के उद्देश्य से इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने तथा कोल इंडिया लिमिटेड की प्रतिभूति से डील करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया को कोड संहिता को अपनाया है। यह संहिता (केस) सीएमपीडीआई द्वारा भी अपनाई गई है। इस संहिता के तहत वैसे इनसाइडरों को डिजिनेटेड कर्मचारी का नाम दिया गया है, जो ट्रेडिंग बिन्डों के बंद होने के दौरान सीआईएल के शेयरों से डील करने से रोके जाते हैं। विहित सीमा से अधिक प्रतिभूति डील करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। जैसा कि संहिता में परिभाषित है, सभी डिजिनेट कर्मचारी को नियमित रूप से संबंधित जानकारी प्रकट करना आवश्यक है। इस कोड के लिए कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नामित किया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आंतरिक प्रक्रिया तथा आचार संहिता को भी सीएमपीडीआई के वेब साइट के इन्ट्रानेट पर डाल दिया गया है।

1.5.15 निदेशकों का दायित्व

आगामी वित्तीय वर्ष आरंभ होने के पहले डीपीई दिशा-निर्देश में दिए गए प्रावधान के अनुसार सीएमपीडीआई के प्रबंधन तथा कोल इंडिया/कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता संलेख (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौता के अंतर्गत यह कंपनी वर्ष के प्रारंभ में सेट किए गए टारगेट को हासिल करने के लिए वचनबद्ध है तथा इसमें निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वर्ष के अंत में सीएमपीडीआई के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना निहित है। यह “फाइव प्वाइंट स्केल” तथा “क्राइटेरिया वेट” की पद्धति को अपनाकर कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप “कम्पोजिट स्कोर” की गणना की जाती है। “कम्पोजिट स्कोर”, कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से डीपीई तथा प्रशासनिक मंत्रालय को अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है।

समझौता संलेख सिस्टम दक्षतापूर्वक काम करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वित्तीय एवं गैर-वित्तीय दोनों प्रकार के (डायनेमिक, क्षेत्र विशिष्ट तथा उद्यम विशिष्ट पारामीटर) पारामीटरों की विविधता है। इस प्रक्रिया से दीर्घकालीन उद्देश्य तथा संपूर्ण विकास प्राप्त करने में अधिक मदद मिलती है। संपूर्ण प्रक्रिया से स्टेक होल्डरों के प्रति पारदर्शिता तथा उत्तदायित्व भी सुनिश्चित किया जाता है।

1.5.16 निगमित शासन के अनुपालन की त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति

अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को सीपीएसई द्वारा रिपोर्ट करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति का विकास किया गया है। इसके अनुपालन में सीएमपीडीआई द्वारा कोयला मंत्रालय को निगमित रूप से तथा समय पर तिमाही रिपोर्ट भेजी जाती रही है।

1.5.17 की-मैनेजेरियल पर्सनल

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित की-मैनेजेरियल पर्सनल हैं :

श्री शेखर सरन, सीईओ

श्री एन.एन. ठाकुर, सीएफओ

श्री अभिषेक मुंधडा, कंपनी सचिव

1.6.0 सीएमपीडीआई में सीएसआर इनिसियेटिव

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तथा सर्टेनेब्लिटी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण के अनुकूल ढंग से कार्य, जो पारदर्शी तथा नैतिक हो, करने के लिए अपने स्टेक होल्डरों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता है। सीएसआर तथा सर्टेनेब्लिटी क्षमता निर्माण, सामुदायिक अधिकारिता, समावेशी, सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, तथा समाज के सीमांत तथा

अर्ध-सुविधायुक्त तबकों की उन्नति आदि पर विशेष जोर देता है। कंपनी ने दिनांक : 27.02.2014 को मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन तथा डीपीई की गाइड लाइन और कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 135 तथा उसके तहत बने नियम के अनुसार स्वयं की सीएसआर नीति बनाई है।

सीएसआर तथा सर्टेनेब्लिटी खनन उद्योग के लिए न सिर्फ जोखिम लाता है बल्कि यह अवसर का समूह भी सृजित करता है। सीएसआर तथा सर्टेनेब्लिटी कंपनी को परिचालन, सर्टेनेबुल डेवलोपमेंट में सार्थक योगदान सुनिश्चित करता है। सीएसआर तथा सर्टेनेब्लिटी के प्रति सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दुहराता है। नीतियों एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सीएमपीडीआई में “टू-टीयर डिसिजन मेकिंग कमिटी” का गठन किया गया है।

अपने व्यापार की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखकर, सीएमपीडीआई ने वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर तथा सर्टेनेब्लिटी क्रिया-कलाप प्रारंभ किया है, जिसे रिपोर्ट के भाग “ख” में देखा जा सकता है।

1.7.0 वार्षिक रिटर्न का सार

धारा 92 (3) के अनुसार वार्षिक रिटर्न का सार विस्तृत विवरण के साथ फार्म सं.-एमजीटी-9 में कंपनी निबंधक (आरओसी) के पास जमा किया जा रहा है, जिसे इस रिपोर्ट को परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है। (परिशिष्ट-III)

1.8.0 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय को निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है। (परिशिष्ट- I)



1.9.0 बोर्ड की समिति तथा निदेशकों के कार्य-निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन

सूचीबद्ध कंपनी या गत वर्ष के अंत में परिकलित प्रदत्त पूँजी 25 करोड़ रु. या उससे अधिक रखने वाली अन्य सार्वजनिक कंपनी के मामले में कंपनीज (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 8 तथा धारा— 134 (3) (पी) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में एक विवरण के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें उस ढंग को दर्शाया गया है, जिसमें बोर्ड द्वारा अपनी उपलब्धि तथा इसकी समिति की उपलब्धि तथा प्रत्येक निदेशक की उपलब्धि को दर्शाया गया है।

सीएमपीडीआईएल की प्रदत्त शेयर पूँजी 19.04 करोड़ रु. है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

के रूप में दर्ज की है तथा किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है एवं तदनुरूप कंपनी को अपने निदेशक मंडल, समिति तथा प्रत्येक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है।

बोर्ड द्वारा वार्षिक मूल्यांकन तथा अपना एवं प्रत्येक निदेशकों का कार्य निष्पादन कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के तीन महीने से अधिक की अवधि तक तीन नियुक्ति न होने के कारण नहीं किया जा सका। हलाँकि, नियंत्रक कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनी के लिए कोल इंडिया द्वारा बनाई जाने वाली नीति के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा।

भाग : ख

वार्षिक उपलब्धि का पर्यवलोकन :

1.0 भूवैज्ञानिक गवेषण एवं वेधन :

- 1.0.1 सीएमपीडीआई ने कोल इंडिया तथा गैर-सीआईएल वशवर्ती खनन ब्लॉकों में मुख्य रूप से वर्ष 2017–18 में भी कोयला गवेषण की गतिविधियों को जारी रखा। कोल इंडिया के ब्लॉकों में प्रोजेक्ट प्लानिंग/कोल इंडिया की सहायक कंपनियों में उत्पादन सपोर्ट की आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए कार्य किया गया वहीं दूसरी ओर गैर कोल इंडिया/वशवर्ती खनन ब्लॉकों में प्रोसपेक्टिव उद्यमियों के लिए कोयला आवंटन को सरल बनाने हेतु गवेषण का कार्य किया गया।
- 1.0.2 सीएमपीडीआई ने XIवीं (ग्यारहवीं) तथा XII (बारहवीं) योजना अवधि के दौरान ड्रिलिंग क्षमता लगातार विकसित की है। विभागीय संसाधनों तथा आउटसोसिंग के माध्यम से 2007–08 में 2.09 लाख मीटर उपलब्धि के मुकाबले सीएमपीडीआई ने 2011–12 में 4.98 लाख मीटर, 2012–13 में 5.63 लाख मीटर, 2013–14 में 6.97 लाख मीटर, 2014–15 में 8.28 लाख मीटर, 2015–16 में 9.94 लाख मीटर, 2016–17 में 11.26 लाख मीटर और 2017–18 में 11.26 लाख मीटर (21 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ लक्ष्य को हासिल कर लिया है। वर्ष 2008–09 में विभागीय ड्रिल के आधुनिकीकरण के माध्यम में क्षमता विस्तार के लए 39 नये यांत्रिक ड्रिल्स तथा 19 हाइटेक हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल्स उपलब्ध कराये गये हैं जिसमें से 12 एडिशनल ड्रिल के रूप में लगाया गया है तथा 39 ड्रिल प्रति स्थापित किया गया है विगत 7 वर्षों में सीएमपीडीआई ने 57 मड पम्प, 74 ट्रक्स तथा 17 बहु उपयोगी क्रू केव प्रतिस्थापित किया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017–18 में 6 हाइटेक हाइड्रोस्टेटिक्स ड्रिल्स प्राप्त किया गया है। बढ़े कार्य (वर्क बोड) को पूरा करने के लिए कैम्पस साक्षात्कार/खुली परीक्षा के माध्यम कर्मिकों की भर्ती की गई है। ड्रिलिंग कार्य के लिए 240 भू-वैज्ञानिक 34 भू-भौतिकी तथा 20 मैकनिकल इंजीनियर वर्ष 2008–09 में सीएमपीडीआई में कार्य भार ग्रहण किया है लगभग 1226 गैर-स्टाफ

गवेषण कार्यों के लिए इन्डुकेटेड किए गए हैं, जिसमें से 45 भू-वैज्ञानिक, 7 भू-भौतिकविद् 5 मैकनिकल इंजीनियर, तथा 14 गैर-अधिकारी पंजीकृत किये जा चुके हैं।

1.0.3 बाह्य स्रोतों :

बाह्य स्रोतों के अंतर्गत 35.52 लाख मीटर ड्रिलिंग को शामिल करते हुए 86 ब्लॉकों का कार्य वर्ष 2008–09 से निविदा के माध्यम से प्रदान किया गया, जिसमें से 48 ब्लॉकों में ड्रिलिंग का कार्य संचालित किया जा चुका है।

वर्ष 2017–18 में आउट सोर्सिंग के माध्यम से कुल 34 प्रतिशत की वृद्धि की दर से 9.156 लाख मीटर ड्रिलिंग का कार्य किया गया, जिनमें से 4.446 लाख मीटर निविदा के माध्यम से 4.688 लाख मीटर एमईसीएल के साथ एमओयू के माध्यम से 0.002 लाख मीटर ड्रिलिंग सरकार के माध्यम से किया गया।

1.1 वर्ष 2017–18 में ड्रिलिंग कार्य निष्पादन :

1.1.1 सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल/गैर-सीआईएल ब्लॉक का विस्तृत गवेषण के लिए विभागीय ड्रिलों को लगाया, जबकि मध्य प्रदेश तथा उडीसा राज्य सरकारों ने केवल सीआईएल ब्लॉकों में भी अपना संसाधन लगाया है। इसके अतिरिक्त कोल इंडिया लिमिटेड/गैर-सीआईएल ब्लॉकों में आठ (8) अन्य संविदात्मक एजेंसियों में अपना संसाधन लगाया। वर्ष 2017–18 में कुल 140 से 160 ड्रिल लगाए गए हैं, जिनमें से 66 ड्रिल विभागीय वेधन के माध्यम से किया गया।

सीएमपीडीआई 8 ब्लॉकों में कोल सेक्टर (कोल इंडिया क्षेत्र) में एमईसीएल द्वारा किए गए प्रोफेशनल/एनएमटी कार्यों का तकनीकी सर्वेक्षण जारी रखा। इसके अतिक्रिया डीजीएम (नागालैंड) ने एमओसी की ओर से कोयला सेक्टर में डीजीएम (नागालैंड) ने 1 ब्लॉक में तथा सीएमपीडीआई के 2 ब्लॉक में एमईसीएल द्वारा प्रोफेशनल/एनएमटी गवेषण किया गया। वर्ष 2017–18 के दौरान सीएमपीडीआई के माध्यम से कोयला (0.928 लाख मीटर) तथा लिङ्गाइट (0.419 लाख मीटर) कुल 1.347 लाख) मीटर प्रोफेशनल (क्षेत्रीय) ड्रिलिंग का कार्य किया गया।



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

1.1.2 वर्ष 2017-18 में सीएमपीडीआई तथा इसके संविदात्मक एजेन्सियों ने 6 राज्यों में स्थित 118 ब्लॉक्स/माइन्स में गवेषणात्मक ड्रिलिंग किया है 118 ब्लॉकों में 42 ब्लाक/माइन्स गैर-सीआईएल/वशर्वर्ती ब्लाक्स थे कोयला क्षेत्र रानीगंज (6 ब्लाक्स/माइन्स), राजमहल (7 ब्लॉक्स) औररंगा (1 ब्लॉक्स) ई-बोकारो (1 ब्लॉक्स) वेर्स्ट बोकारो (2 ब्लॉक) नाथकर्णपुरा (6 ब्लॉक), वर्धा वैली (12 ब्लॉक) पंच कन्हान (2 ब्लॉक), सोहागपुर (13 ब्लाक्स), मांद रायगढ़ (22 ब्लॉक्स)/माइन्स), कोरबा (4 ब्लाक्स), विशामपुर (4 ब्लॉक्स/माइन्स), सोनहाट (3 ब्लाक्स) सोनहाट (3 ब्लॉक्स), टाटापानी-रामकोला (5 ब्लॉक्स), सिंगरौली (5 ब्लॉक्स), तालचर (11 ब्लाक्स), ईव वैली (7 ब्लॉक्स), गोदावरी (2 ब्लॉक्स), है। सीएमपीडीआई के विभागीय ड्रिल द्वारा 50 ब्लॉक्स/माइन्स में गवेषणात्मक ड्रिलिंग

किया गया जबकि संविदात्मक एजेन्सियों द्वारा 68 ब्लाक्स/माइन्स में ड्रिलिंग कार्य किया गया।

1.1.3 प्रोमोशनल/एनएमईटी (रिजनल) गवेषण कार्यक्रम के अंतर्गत एमईसीएल 8 कोयला ब्लॉकों में मांदरायगढ़-5 जोहिला-1, टाटापानी-रामकेला-1, सिंगरौली-1 में क्षेत्रीय ड्रिलिंग का कार्य किया है। डीजीएम नागालैंड ने भी कोयला सेक्टर में रिजनल ड्रिलिंग के लिए 1 ब्लॉक को लिया है। सीएमपीडीआई ने 2 ब्लॉक में, 1 नाथकर्णपुरा सीएफ तथा 1 तालचर सीएफ में प्रमोशनल गवेषण का कार्य किया है :

वर्ष 2017-18 के दौरान सीएमपीडीआई ने 95 प्रतिशत तथा 109 प्रतिशत तक क्रमशः अपना विभागीय तथा कुल ड्रिलिंग लक्ष्य हासिल कर लिया है। विभागीय ड्रिलिंग की उपलब्धि गत वर्ष

वर्ष 2017-2018 के दौरान गवेषणात्मक ड्रिलिंग की विस्तृत उपलब्धि नीचे दी गई है :

(ऑकड़े लाख मी. में)

एजेंसी	2017-18 का लक्ष्य	वर्ष 2017-18 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग की उपलब्धि			गत वर्ष 2016-17 में प्राप्त उपलब्धि	वृद्धि %
		लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	+/-		
(क) सीएमपीडीआई द्वारा किया गया विस्तृत वेधन कार्य						
(1)विभागीय	4.750	4.505	95%	0.245	4.413	2%
(2) आउटसोर्सिंग						
राज्य सरकार	0.030	0.021	71%	-0.009	0.005	301%
एमईसीएल(एमओयू)	4.000	4.688	117%	0.688	3.562	32%
निविदा	3.720	4.446	120%	0.726	3.275	36%
कुल आउटसोर्सिंग	7.750	9.156	118%	1.406	6.842	34%
सकल योग(क)'	12.500	13.661	109%	1.161	11.255	21%
(ख) एमईसीएल, जीएसआई, सीएमपीडीआई तथा डीजीएम (नागालैंड) एवं डीजीएम (असम) द्वारा किया गया प्रोमोशनल ड्रिलिंग कार्य						
1. कोयला क्षेत्र						
जीएसआई	0.000	0.000	0%	0.000	0.000	0%
एमईसीएल	0.858	0.853	99%	-0.005	0.491	74%
डीजीएम, नागालैंड	0.007	0.008	115%	0.001	0.006	35%
डीजीएम, असम	0.005	0.000	0%	-0.005	0.000	0%
सीएमपीडीआई	0.030	0.067	224%	0.037	0.000	100%
कुल कोयला	0.900	0.928	103%	0-028	0.497	87%
2 लिंगनाईट क्षेत्र						
जीएसआई	0000	0.003	0%	0.003	0.035	-90%
एमईसीएल	0.850	0.416	49%	-0.434	0.522	-20%
कुल लिंगनाईट	0.850	0.419	49%	-0.431	0.557	-25%
सकल योग (ख)	1.750	1.347	77%	-0.403	1.054	28%

'वर्ष 2017-18 में सीआईएल/कैप्टिव ब्लॉकों में 8.802 लाख मीटर तथा गैर-सीआईएल ब्लॉकों में 4.859 लाख मीटर ड्रिलिंग किया गया।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

की उपलब्धि से 2 प्रतिशत बेहतर रही तथा औसत परिचालन ड्रिल उत्पादकता 586 मी./ड्रिल/माह दर्ज की गई जंगल वाले क्षेत्रों में दोहन की अनुत्तिनहीं मिलने तथा स्थानीय समस्या (कानून एवं व्यवस्था) के कारण आउट सोर्सिंग ड्रिलिंग की उपलब्धि प्रभावित हुई।

1.1.4 गैर-सीआईएल / कैप्टिव खनिखंडों में वेधन (ड्रिलिंग) :

वर्ष 2017–18 में गैर-सीआईएल ब्लॉकों में (विभागीय 1,085 लाख मीटर, आउटसोर्सिंग 3,910 मी.) कुल 4,995 लाख मी. ड्रिलिंग का लक्ष्य रखा गया। इसमें से कुल 4,8571 लाख मी. लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, जिसमें से सीएमपीडीआई विभागीय ड्रिल द्वारा 1.138 लाख मी. गवेषणात्मक ड्रिलिंग किया गया जबकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से 3.719 लाख मी. गवेषणात्मक ड्रिलिंग किया गया।

उपरोक्त गवेषण कार्य के अलावे सीएमपीडीआई ने आबंटन के उद्देश्य से वर्तमान कैप्टिव माइनिंग का प्रारंभिक भूवैज्ञानिक सूचना उपलब्ध कराया है। आवंटन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद गवेषण के कुल मूल्य के भुगतान पर आवर्तियों मूल भूवैज्ञानिक रिपोर्ट सीएम उपलब्ध करा दी जायेगी कोयला मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देश के अनुसार सीएमपीडीआई ने एलोकेट्स द्वारा पेश योजना तथा खनन योजना में तैयारी में प्रयुक्त भू-वैज्ञानिक को—आर्डिनेट्स खनन योजना में शामिल वेर्स्टींग आर्डर एवं भूवैज्ञानिक कॉआर्डिनेट्स के अनुरूप है तथा यह कोई भी अन्य एडजासेन्ट ब्लॉक को इनक्रॉच नहीं करता है।

1.2 जल भू-वैज्ञानिक :

1.2.1 सीजीडब्ल्यूए अनुमोदन तथा ईएमपी विलयरेंस के लिए 'भूगर्भ जल समाशोधन आवेदन' तैयार करने हेतु कई खनन परियोजनाओं/खानों का जल भू-वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान खनन परियोजनाओं के लिए जल भू-वैज्ञानिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है। बीसीसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसइसीएल, एनसीएल, इसीएल तथा एमसीएल के 17 माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए जल भूवैज्ञानिक अध्ययन 2016–17 के दौरान पूरा कर लिया गया है।

- 1.2.2 18 डब्ल्यूसीएल, 15 एसइसीएल, 6 एमसीएल, 1 ईसीएल, 10 बीसीसीएल, 2 एमसीएल तथा 1 डीवीसी के लिए बाध्य परामर्शी कार्य सहित इस अवधि के दौरान जीआर/पीआर तथा अन्य अध्ययन पर कुल 53 जल भूवैज्ञानिक अध्ययन का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- 1.2.3 5 ईसीएल, 2 एसइसीएल तथा 1 सीसीएल सहित इस अवधि के दौरान जियोमीटर के लोकेशन तथा डिजाइन के आधार पर कुल 8 जल भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार कर सुपुर्द कर दिया गया है।
- 1.2.4 खदानों, कॉलोनियों तथा गाँवों में जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए कुल डब्ल्यूसीएल, एसइसीएल, एनसीएल तथा एमसीएल की 6 परियोजनाओं में जल भूवैज्ञानिक अध्ययन का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- 1.2.5 डब्ल्यूसीएल के कुल 45 भूमि गत जल अप्लीकेशन तैयार कर ऑनलाइन सुपुर्द कर दिया गया है।
- 1.2.6 क्षेत्रीय संस्थान-7 के जल भूवैज्ञानिकों के तकनीकी सुपर विजन के तहत (23 तालचर कोयला क्षेत्र एवं 17 ईव वैली) कुल 40 जियोमीटर की संरचना की गई है। वर्ष 2016–17 के दौरान क्षेत्रीय संस्थान-7 के जल भूवैज्ञानिकों द्वारा दीर्घकालिक पर्मिंग जांच (1000 एमआईएन साइकिल) तथा उत्पादन जांच संचालित किया गया।
- 1.2.7 डब्ल्यूसीएल माइन का 74, बीसीसीएल में माइन का 15 कलस्टर, एमओईएफएमओईएफ स्वीकुत सतही जल का सीएमपीडीआई मॉनिटरिंग कर रहा है। ईसीएल, सीसीएल, एसइसीएल, एनसीएल तथा एमसीएल के अन्य क्षेत्रों में जल स्तर का मॉनिटरिंग किया गया।

1.3 भू-वैज्ञानिकी रिपोर्ट

- 1.3.1 विगत वर्ष में संचालित विस्तृत गवेषण के आधार पर वर्ष 2017–18 में 23 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार किया गया। तैयार किया गया भूवैज्ञानिक रिपोर्ट "प्रमाणित" श्रेणी के अतिरिक्त कोयला संसाधनों के 5.00 बिलियन टन से बढ़ा हुआ है।
- 1.3.2 उपयुक्त विनिर्दिष्ट थिकनेस, इन्डीकेटेड तथा इन्फर्ड श्रेणी में कोयला संसाधनों का संस्थापित लगभग 0.892 बिलियन टन कोयला ब्लाक पर प्रमोशनल गवेषण प्रोग्राम के अन्तर्गत जीएसआई तथा एमईसीएल ने 3 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट सुपुर्द की है।



1.4 भू-भौतिकी सर्वेक्षण

1.4.1 भू-भौतिकीय लागिंग

गवेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए ड्रिल किये गए बोर होलों में मिले विभिन्न संस्तरों के स्वरस्थाने (इनसीटू) जानकारी प्राप्त करने के लिए भू-भौतिक रूप से लौग किया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान इस उद्देश्य के लिए सीआईएल तथा गैर-सीआईएल परियोजनाओं में मल्टी पारामेट्रिक भू-भौतिकी लॉगिंग उपकरण की सहायता से कुल 3,41,422 गहराई मीटर तक भू-भौतिक लॉगिंग की जा चुकी है। इसमें 6 विभागीय जियोफिजिकल यूनिट के द्वारा 1,33,674 मीटर गहराई तक लागिंग किया गया तथा संविदात्मक एजेंसियों द्वारा 2,07,748 मी. लॉगिंग किया गया।

1.4.2 भू-तल भू-भौतिकी सर्वेक्षण

सीएमपीडीआई द्वारा डाइक के डिलीनिएशन और भू-जल अन्वेषण, कोल सीमों के इन-कॉप डिलीनिएशन के लिए सीआईएल और गैर-सीआईएल ब्लॉकों में इलेक्ट्रीकल रेसिस्टीविटि एवं मैग्नेटिक सर्वेक्षण भी शुरू किया गया है। ऐसे उद्देश्य के लिए वर्ष 2017-18 में कुल 272.1 लाइन कि.मी. प्रतिरोधक प्रोफाइलिंग 207 वर्टिकल इलेक्ट्रीकल साउण्डिंग (वीईएस) तथा 126.26 लाइन कि.मी. मेग्नेटिकल सर्वेक्षण किया गया है। 48 चैनल सिंगल बुद्धिगत भूकंपीय 122 लाइन कि.मी. हाईरिजोल्यूशन शैलोसिस्मिक (एचआरएसएस) सर्वेक्षण बाजा ब्लॉक, सोहागपुर कोयला क्षेत्र, गौतम धारा, तथा ब्लॉक-6, ईब वैली कोयला खेत्र तथा साक्षीगोपाल-ए ब्लॉक, तालचर कोयला क्षेत्र में किया गया है।

2डी भूकंपीय आंकड़ा के प्रोसेसिंग तथा इन्ट्रीप्रिटेशन के लिए स्टेट ऑफ आर्ट पीएआरएडी/सीएम साप्टवेयर सफलतापूर्वक सीएमपीडीआई में लगाया गया है तथा सभी भूकंपीय रिपोर्ट इसके बाद इस प्रोग्राम उपयोग करते हुए तैयार किया जाएगा।

1.4.3 रिपोर्ट :

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 23 भू-भौतिकीय रिपोर्ट सुपुर्द की जा चुकी हैं। भूभौतिकी रिपोर्ट सुपुर्द कर दी गई है। भूभौतिकी लॉगिंग पर 5

रिपोर्ट, प्रतिरोधक सर्वे पर बारह रिपोर्ट, भूचुम्बकीय सर्वे पर चार रिपोर्ट इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में एचआरएसएस पर दो रिपोर्ट यथा केवाई ब्लॉक में भूकंपीय सर्वे 2डी पर रिपोर्ट तथा बेध्यबंद ब्लॉक, सोहागपुर कोयला क्षेत्र 2डी भूकंपीय सर्वे पर रिपोर्ट सौंप दी गई है।

1.5

भू-प्रणाली:

खनिखंडों के विभिन्न श्रेणियों से संबंधित आवश्यकता का पता लगाने के लिए नियमिता के आधार पर विभिन्न कोयला क्षेत्रों के ब्लॉक बाउण्डरी के संबंध में जीआईएस डाटा बेस का आधुनिकीकरण / अद्यतनीकरण किया जा रहा है। भूवैज्ञानिक फीचर्स, पीईआरई एक्सरसाइज वन से संबंधित तथा अन्य आवश्यकताएँ जब जहाँ आवश्यकत हो को सम्मिलित करने के लिए कोयलांचल मैप का अद्यतनीकरण किया जा रहा है। विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए विभिन्न रिपोर्ट एवं डाटा का तैयारी के साथ गवेषण विभाग की अन्य इकाइयों तथा सीबीएम, जियोमेट्रिक्स, माइनिंग जैसे अन्य विभागों को सहायता प्रदान करना।

ब्लॉक बाउण्डरी, वनच्छादन इत्यादि से संबंधित विभिन्न मुद्दों का पता लगाने एमओसीको सपोर्ट, वेब पोर्टल के लिए डाटा की तैयारी में सहायता, आईसीटी के सहयोग से ओसीआईबी आईएस नियमित आधार पर एक्सरसाइज, आरआई तकि जियोमेट्रिक प्रभाग के सहयोग से एमओसी द्वारा आवंटित ब्लॉक के डीजीपीएस सर्वेक्षित ब्लॉक बाउण्डरी मुहैया कराया जा चुका है।

विभिन्न आरआई के ब्लॉक के लिए माइनेक्स मॉडलिंग सपोर्ट, विभिन्न आरआई से प्राप्त जीआरएस तथा माइनेक्स मॉडलज का पुनरीक्षण, जीआईएस मैप डाटा, जीआरएस तथा माइनेक्स मॉडल से संबंधित विभिन्न आरआई से प्राप्त विभिन्न डाटा का मेन्टेनेंस तथा केट लॉफगिंग/एमओजी द्वारा जैसे निलामी/आवंटित विभिन्न एनसीआईएल ब्लॉक के क्रास सेक्सन की संरचना के लिए एक्सरसाइज किया जा चुका है। जब जहाँ आवश्यकत हो आरआई तथा मुख्यालय के लिए घरेलू विकसित साप्टवेयर तथा माइनेक्स की सहायता प्रदान करना।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

1.5.1 वन:

सीएमपीडीआई ने अरेस्ट्रीयल एक्वेटिक फ्लोरा तथा फूना पर गवेषणात्मक ड्रिलिंग के प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए शर्त के साथ एमओईएफ तथा सीसी की सहमति से वन क्षेत्र में गवेषणात्मक ड्रिलिंग किया है। पर्यावरण प्रबंधन विभाग आईसीएफआरई विभाग (एमओईएफ तथा सीसी के ऑटोनमस बॉडी) द्वारा अध्ययन किया गया। निम्नलिखित दो रिपोर्ट पर्यावरण प्रबंधन विभाग, आईसीएफआरई द्वारा सुपुर्द किया गया। महान रिजर्व फॉरेस्ट, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश के अंतर्गत मकरी-बरका वेस्ट ब्लॉक (800 हेक्टेयर) तथा मकरी-बरका इस्ट ब्लॉक (1000 हेक्टेयर) में रहने वाले टेरेस्टीयल फ्लोरा, फौना एक्वेटिक प्रणी पर पहले एवं बाढ़ के गवेषणात्मक ड्रिलिंग का प्रभाव पड़ा है।

1.6 कोल बेड मिथेन (सीबीएम)/ कोल माइन मिथेन (सीएमएम)

1.6.1 कोल इंडिया एवं ओएनजीसी के कंसोर्टियम द्वारा झारिया एवं रानीगंज कोयला क्षेत्रों में सीबीएम का सहयोगात्मक व्यावसायिक विकास

सरकार ने सीबीएम के व्यावसायिक विकास के लिए मनोनयन के आधार पर ओएनजीसी एवं कोल इंडिया के कंसोर्टियम को मुख्यतः झारिया कोयला क्षेत्रों में सीबीएम ब्लॉक तथा रानीगंज कोयला क्षेत्रों में रानीगंज नार्थ सीबीएम ब्लॉक को 2002 में आवंटित किया है। सीएमपीडीआई कोल इंडिया की तरफ से परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। ओएनजीसी दोनों सीबीएम ब्लॉकों का आपरेटर है तथा सरकार के साथ हुए संविदा करार के अनुसार कार्य को संपादित कर रहा है। दोनों सीबीएम ब्लॉकों के लिए आपरेटर (ओएनजीसी) द्वारा सीएमपीडीआई के मिनिमम वर्क प्रोग्राम सीआईएल के पार्ट के पूरा होने पर ओएनजीसी द्वारा पायलट एप्रेजल एक्टिविटि फील्ड डेवलपमेंट एक्टिविटि फार्मूलेटेड की गई तथापि जुलाई, 2013 में भारत सरकार द्वारा दोनों सीबीएम ब्लॉक के लिए एफडीपी को अनुमोदित किया गया। झारिया सीबीएम ब्लॉक के लिए जुलाई, 2015 में पेट्रोलियम माइनिंग लीज को झारखंड राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित

किया गया। जुलाई, 2013 में भारत सरकार द्वारा दोनों सीबीएम ब्लॉक के लिए एफडीपीएस अनुमोदित कर दिया गया है। जुलाई, 2015 झारखंड सरकार क्षरा झारखंड सीबीएम ब्लॉक के लिए पीएमएल प्रदान कर दी गई है तथापि पर्यावरणिक क्लीयरेंस अभी तक प्रतीक्षित है।

एमओपी तथा एनजी कनसीडिरिंग ओवरलेन मुद्दे के निर्देशानुसार एफडीपीएल संशोधन में है। अप्रैल, 2017 में एमओपी तथा एनजी द्वारा ओवरलैपिंग एरिया में कोयला माइनिंग तथा कोल बेड मिथेन दोनों के लिए मॉउल को-डवलपमेंट करार जारी किया जा चुका है। ओएनजी (सीबीएम ब्लॉक के ऑपरेटर) द्वारा सेल तथा सीबीएम द्वारा कोयला के अनुकूल गवेषण के लिए प्रभातपुर सेन्ट्रल कोयला ब्लॉक में झारिया सीबीएम ब्लॉक के संबंध में को-डवलपमेंट एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा डीजीएमएस द्वारा सहमति दे दी गई है। अब सेल ने ओएनजीसी को जब तक सेल को माइनिंग लीज ग्रांट नहीं मिल जाता है तब तक को-डबलपमेंट एग्रीमेंट को डिफर करने के लिए कहा है। 30 मार्च, 2017 को आयोजित स्टीयरिंग कमिटि के अनुसरण में डीजीएच संशोधित एफडीपी तथा लागत प्राक्कलन सभी बातों को ध्यान में रखकर ओएनजीसी द्वारा तेयार किया गया है तथा तदनुसार तकनीकी अर्थव्यवस्था ओएनजीसी तेयार की गई है। एफआर ओएनजीसी में परीक्षण के अंतर्गत है।

फरवरी, 2018 में डीजीएमएस ने ओएनजीसी को सूचित किया है कि सेल के प्रभातपुर कोयला ब्लॉक तथा ओएनजीसी के झारिया कोयला ब्लॉक के बीच ओवरसेपिंग क्षेत्र में सीबीएम की गतिविधियों को पुनः आरंभ करने से संबंधित निदेशालय को कोइ आपत्ति नहीं है बशर्ते कि सीबीएम ड्रिलिंग शुरू करने के बाद फॉल्ट एफ-5-एफ-5 के वेस्ट साइड में कोई अंडरग्राउंड वर्किंग नहीं किया जायेगा। डीजीएम के अनापत्ति (नो ऑबजेक्शन) पर विचार-विमर्श करते हुए 14 मार्च, 2018 को वेल# जेएच-14 में उसके बाद एचएफ जॉब पूरा किया जा चुका है।



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

1.6.2 12वीं योजना के दौरान उन्नायक (प्रमोशनल) गवेषण के तहत सीबीएम और भोल गैस से संबंधित अध्ययन

1.6.2.1 सीबीएम से संबंधित अध्ययन

गवेषण के दौरान झील किए गए बोर होल के माध्यम से ‘इंडियन कोल फिल्ड्स/लिंग्नाइट फिल्ड्स के रिसोर्स के प्लेस में कोल बेड मिथेन गैस का निर्धारण’ से संबंधित अध्ययन सीएमपीडीआई कर रहा है। विवेच्य वर्ष के दौरान आठ बोर होलों से सीबीएम स्पेसिफिक डाटा सृजित कर लिया गया है तकि लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। यह अध्ययन सीबीएम के विकास के लिए अधिक-से-अधिक डेलिनियेशन को आसान बनाने तथा सीबीएम की संभावना का निर्धारण करने के लिए डाटा बेस तैयार करता है। पतरातु एबीसी ब्लॉक, साउथ कर्णपुरा कोयला क्षेत्र तथा झारखण्ड पर अध्ययन से संबंधित सीबीएम पर आधारित रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।

1.6.2.2 शैल गैस से सम्बन्धित अध्ययन

गवेषण के दौरान बोर होल्स के माध्यम से “इंडियन कोलफिल्ड्स/लिंग्नाइट के शैल गैस इन प्लेस का निर्धारण” से संबंधित अध्ययन सीएमपीडीआई कर रहा है। शैल गैस के विकास के लिए अधिक से अधिक ब्लॉक ब्लॉकों के डेलिनिएशन को आसान बनाने तथा शैल गैस की संभावना का निर्धारण के लिए यह अध्ययन डाटा बेस सृजित करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान पाँच बोर होलों में अध्ययन पूरा करते हुए लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।

1.6.3 कोल माइन मिथेन (सीएमएम) का व्यावसायिक विकास

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को आवंटित कोयला माइनिंग लीज के अंतर्गत इसके क्षेत्रों से सीबीएम का गवेषण एवं दोहन करने के लिए कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29 जुलाई, 2015 के अनुसार कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया को अनुमति दे दी है। इसके पहले से ही कोयला मंत्रालय ने भारत में सीएमएम के विकास के लिए सीएमपीडीआई को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त कर दिया है। इसके पहले से ही कोयला मंत्रालय अधिसूचना दिनांक : 3 नवंबर, 2015 के अनुसार एमओपी तथा एमजी ने कोयला वाले क्षेत्रों में नोमिनेशन के

आधार पर कोल इंडिया तथा इसके अनुषंगियों द्वारा सीबीएम के गवेषण तथा दोहन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया है, जिसके लिए वे खनन लीज रखते हैं सीबीएम इत्यादि के दोहन के लिए थर्ड पार्टी के रूप में भारत अधिवा विदेश से अनुभव प्राप्त तकनीकी डबलपर्स को लगाने के लिए अनुमति तथा एफडीपी तथा उत्पादन की सुपुर्दगी के विलंब में अर्थ दंड की छूट, कोल माइनिंग लीज्ड एरिया के तहत ओआरडी एक्ट तथा पीएमजी नियमों की प्रयोज्यता की छूट पर विचार-विमर्श करते हुए कोयला मंत्रालय ने संशोधित दिशा-निर्देश जारी करने हेतु एमओपी तथा एनजी से अनुरोध किया है।

सीआईएल को आवंटित कोयला माइनिंग लीज के अंतर्गत इनके क्षेत्रों में सीबीएम का गवेषण तथा दोहन करने के लिए जुलाई, 2015 में सीआईएल के जीओआई अनुमति पर विचार-विमर्श करते हुए सीएमपीडीआई/सीआईएल द्वारा कोल इंडिया माइनिंग लीज होल्ड के अंतर्गत दामोदर वैली कोयला क्षेत्र में प्रारंभ में संभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए कदम उठाये गये हैं जो सीबीएम के लिए अधिक संभावना को प्रकट करता है। तदनुसार सीबीएम/सीएमएम ब्लॉक के रूप में झरिया कोयला क्षेत्र (बीसीसीएल के अधिकार वाले क्षेत्र में) प्रत्येक ब्लॉक में तथा रानीगंज कोयला क्षेत्र (ईसीएल अधिकार वाले) क्षेत्र की पहचान की पहचान की जा चुकी है।

1. झरिया सीएमएम/सीबीएम ब्लॉक (बीसीसीएल एरिया) :

बीसीसीएल जिसमें 25.22 का सीबीएम संसाधन है, के माइनिंग लीज्ड एरिया के अंतर्गत व्यवसायिक विकास के लिए लगभग 24.32 वर्ग कि.मी. में कलविंग कमुनिया, मूनीडीह, झरिया सिंगारा ब्लॉक के डेली नेटेड कर दिया गया है। रिजर्वर मॉडलिंग तथा तकनीकी आर्थिक अध्ययन के आधार पर परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर अवलोकनार्थ बीसीसीएल को सुपुर्द की जा चुकी है।

2. झरिया कोलफील्ड में कोल माइन मिथेन का प्री ड्रेनेज :

सुरक्षा एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए मिथेन प्राप्त करने हेतु वर्किंग सीम 15 में मिथेन का प्री-ड्रेनेज प्रस्तावित किया गया है तथा प्राप्त गैस का लाभप्रद ढंग से इस्तेमाल किया जा

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

सकता है। इस संबंध में झरिया कोलफिल्ड के मुनीडी भूग.खान से सीएमएम के प्रीडेंज पर आधारित पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा ग्लोबल बिड के लिए कार्य क्षेत्र को शामिल करने हेतु सक्षम अनुमोदन के लिए इसे बीसीसीएल को सुपुर्द कर दिया गया है।

झरिया कोयला क्षेत्र में बीसीसीएल के मुनीडीह माइन से मिथेन का प्री—डेंज अंडरटेक करने के लिए उपयुक्त आर्ग माइनेथम के अध्ययन हेतु सीएमपीडीआई द्वारा एक्सप्रेशन ॲफ इन्ट्रेस्ट जारी किया गया। ईओआई के एगेंस में 15 ॲफर प्राप्त हुए हैं। 10 मई, 2017 को सीएमपीडीआई, राँची में आयोजित विडर्स मीट में ईओआई के ।। प्रत्युत्तरकर्ताओं ने भाग लिया जिसमें आस्ट्रेलिया, यूएसए, पोलैंड से सर्विस प्रोवाइडर/डवलपर शामिल हैं उनके इनपुट के आधार पर भारत में प्रथम पायलट प्रोजेक्ट चालू करने के लिए ग्लोबल ई—टेंडरिंग के माध्यम से उपयुक्त अनुभव प्राप्त डवलपर/सर्विस के चयन हेतु टेंडर स्पेसिफिकेशन डकूमेंट (सीएसडी) तैयार किया गया। ड्राफ्ट टीएसडी रिसपॉडेंट्स के लिए परिचालित किया गया तथा 7 सितम्बर, 2017 को सीएमपीडीआई, राँची में आयोजित एनआईटी की बैठक में इस पर विचार—विमर्श किया गया। तदनुसार, मुनीडीह भूग. खान से कोल माइन मिथेन (सीएमएम) के प्रीडेंज” के लिए पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट तथा ग्लोबल बिड डकूमेंट तैयार कर लिया गया है। ड्राफ्ट ग्लोबल बिड डकूमेंट को “फीचर रिव्यू” के लिए डीजीएच को भेज दिया गया है। डीजीएच ने सुझाव दिया कि मुनीडीह माइन में सीबीएम के ईएंडपी के दिनांक 3 नवम्बर, 2015 को जीओआई अधिरसूचना को बढ़ाने के लिए दिया जा सकता है। इस संबंध में सीबीएम/सीएमएम को सीआरडी एक्ट 1948 के डोपेन के अंतर्गत बेचा जा सकता है। बीसीसीएल नोमिनेशन के आधार पर सीबीएम कॉन्ट्रैक्ट के समान लाइन पर जीओआई के साथ एग्रीमेंट में प्रवेश कर सकता है क्योंकि पहले से ही यह कोल माइनिंग लीज पर है। बीसीसीएल बोर्ड के अनुमोदन पर उपयुक्त अनुभव प्राप्त डवलपर/सर्विस प्रोवाइडर के चयन के लिए

ग्लोबल टेंडर आमंत्रण हेतु एनआईटी प्रकाशित किया जाएगा ।।

3. रानीगंज सीएमएम ब्लॉक (ईसीएल एरिया)

सरानीगंज कोयला क्षेत्र में ईसीएल के श्रीपुर, सतग्राम, तथा कुनस्तोरिया एरिया के माइनिंग लीज्ड के अंतर्गत लगभग 57 वर्ग मीटर क्षेत्र सीएमएम के व्यवसायिक विकास के लिए डेली मेटेड कर दिया गया है, जिसके पास 3.93 बीसीएम का सीबीएम संसाधन है। रिजर्व मॉडलिंग तथा तकनीकी आर्थिक अध्ययन पर आधारित परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है तथा अगले परीशीलन के लिए इसे ईसीएल को सुपुर्द कर दिया गया है।

सीबीएम इत्यादि के लिए संभावित कोयला सीम के विस्तृत पुराना वर्किंग, जीईईसीएल के साथ ओवरलैपिंग, अधिग्रहण के लिए आवश्यक भूमि की ऊँची लागत तथा लिमिटेड एक्रास द फ्री लैंड तथा दामोदर वैली के नीचे माइनिंग लीज जैसे बाधाओं पर विचार करना। यह स्पष्ट करता है कि सीबीएम/सीएमएम दोहन के लिए पहचान किया हुआ क्षेत्र तकनीकी रूप से चुनौती हो सकता है।

1.6.4 भारत में सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस

17 नवम्बर, 2008 को यूएसईपीए पर आधारित कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में सीएमपीडीआई, राँची में तत्वावधान में सीएमपीडीआई, राँची में सीएमएम/सीबीएम क्लीयरिंग हाउस देश के सीएमएम/सीबीएम से संबंधित डाटा पर सूचना के संचयन तथा शोयरिंग के नॉडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है तथा सहभागिता तकनीकी सहयोग तथा वित्तीय निवेश का अवसर लाते हुए सार्वजनिक प्राइवेट द्वारा भारत में सीएमएम परियोजना के व्यवसायिक विकास में सहायता कर रहा है।

सीएमएम, वीएम इत्यादि के विकास के लिए वर्तमान अवसरों से संबंधित सूचना के अतिरिक्त न्यूज लेटर्स, ईओआई अधिसूचना जैसे सभी महत्वपूर्ण सूचना भारत क्लीयरिंग हाउस के वेबसाइट एचटीपी : सीएमपीडीआई सीओ में शामिल है। प्रारंभिक तीन वर्षों के टर्म की समाप्ति



के बाद अगले तीन वर्षों के लिए इसे बढ़ाया गया उसके बाद यूएसईपीए ने अतिरिक्त टर्म अर्थात् तीन वर्ष 2017 तक के आर्ग सपोर्ट बढ़ाया है। यूएसईपीए ने 2018-21 (3 वर्ष) के लिए अपना सपोर्ट देना निर्दिष्ट किया है।

‘वेस्ट प्राइविट्स इन मिथेन ड्रेन एंड यूज इन कोल माइन्स’ पर 9-10 मार्च, 2017 को रांची में एक अन्तर्राष्ट्रीय वर्कशॉप आयोजित किया गया, जो जीओआईएमओसी के तत्वाधान में सीआईएल सीएमपीडीआई, जीएमआईयूएसईपीए, यूएनईसीई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई।

1.6.5 भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) का व्यवसायिक विकास

सीबीएम विकास के वर्तमान नीति के समान ही यूसीजी के लिए क्षेत्रों की पहचान हेतु कोयला मंत्रालय ने अंतर मिनिस्ट्रियल कमिटी का गठन किया है। पीएसयूएस द्वारा विशेष रूप से यूसीजी के विकास के लिए आईएमसी में कोयला एवं लिंगनाइट में संभावित ब्लॉक की पहचान की गई तथा विचार-विमर्श किया गया। पीएसयूएस द्वारा विशेष रूप से यूसीजी के व्यवसायिक विकास के लिए आईएमसी में संभावित कोयला (7) तथा लिंगनाइट (7) की पहचान की गई तथा विचार-विमर्श किया गया। यूसीजी के विकास के लिए पहचान किए गए कोयला ब्लॉक वर्द्धा वैली कोयला क्षेत्र (जोगपुर-सिरसी), सोहागपुर सीएफ (माइकी) (नार्थ)-माइकी-मारखी, पथेरा (चेनपा) टाटापानी-राऊरकेला सीएफ (रिचोन्टीवेस्ट) तथा चेलेन्टु कोयला क्षे-गोदावरी वैली, बान्दा-एससीसीएल है।

यूसीजी के विकास के लिए मॉडल बिड डक्यूमेंट तथा मॉडल कॉन्ट्रैक्ट डक्यूमेंट विचार-विमर्श के एमओसी को सुपुर्द किया गया। ईसीएल/सीएमपीडीआई, सीआईएल के सहयोग से आरएण्डडी मॉडल के अंतर्गत पॉयलट रकेल यूसीजी लेने के लिए ईसीएल क्षेत्र के अन्तर्गत रानीगंज सीएफ में कास्ता वेस्ट ब्लॉक जैसे कोयला ब्लॉक की पहचान की गई है।

1.6.6 कोल ब्रेड मिथेन पर एसएंडटी तथा आरएंडडी परियोजनाएं

1.6.6.1 “भारतीय कोयला क्षेत्रों के लिए सीबीएम भंडार का आकलन” पर एसएंडटी परियोजनाएँ

“भारतीय कोयला क्षेत्र (प्रोजेक्ट कोड सीई (ईओआई) 31 के लिए सीबीएम भंडार आंकलन” से संबंधित एसएंडटी परियोजनाएँ कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं जबकि आईआईईएसटी, सोहागपुर मुख्य कार्यान्वयक एजेंसी है तथा एमजीआरआई, हैदरबाद, सीएमपीडीआई तथा टीसीई, कोलकता ये सभी उप-कार्यान्वयक एजेंसी हैं। एमओसी के कोयला एसएंडटी परियोजना के ईओआई के अंतर्गत यह परियोजना अनुमोदित है। यह परियोजना 3 वर्षों की है तथा इसकी संशोधित पूर्णता की तिथि मार्च, 2019 तक है। साउथ कर्णपुरा सीएफ में 2 डी भूकंपीय सर्वे का ड्राफ्ट रिपोर्ट एनजीआरआई द्वारा सुपुर्द कर दिया गया है जहाँ 3 डी भूकंपीय सर्वे के लिए 55 वर्ग कि.मी. की रूपरेखा तैयार की गई है जो दिसम्बर, 2018 तक एमनजीआरआई द्वारा अपने अधिकार में लिए जाने की संभावना है।

1.6.6.2 “सीआईएल कमांड क्षेत्र में सीबीएम के कर्षण के लिए क्षमता निर्माण” पर एसएंडटी परियोजनाएँ

सीआईएल कमांड एरिया (प्रोजेक्ट कोड सीई 32 के अंतर्गत सीएमएम संसाधन के कर्षण के लिए क्षमता निर्माण” पर एसएंडटी प्रोजेक्ट एमओसी के कोयला एसएंडटी प्रोजेक्ट के तहत अनुमोदित किया जा चुका है तथा यह कार्यान्वयन के अंतर्गत है। सीएमपीडीआई कार्यान्वयक एजेंसी है तथा सीएसआईआरओ आस्ट्रेलिया उप कार्यान्वयक एजेंसी है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की निर्धारित तिथि मार्च, 2019 है। प्रयोगशाला उपकरण के लिए तकनीकी विनिर्देशन को सीएसआईआरओ के सहयोग से अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा सीबीएम लैब कार्मिक का प्रशिक्षण लैब प्रक्रिया तथा फिल्ड परीक्षण प्रोटोकॉल के आधार पर सीएसआईआरओ द्वारा दिया गया।

शेल गैस पर परियोजना

1.6.6.3 “भारत के दामोदर घाटी बेसिन के शेल गैस की संभावना” शीर्षक एसएंडटी परियोजना

कोयला मंत्रालय (एमओसी) के एसएंडटी योजना के तहत भारत (प्रोजेक्ट कोड—सीई (ईओआई) / 30)“ के दामोदर बेसिन शेल गैस की संभाव्यता” से संबंधित एसएंडटी प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन किया जा रहा है। परियोजना की संशोधित पूर्णता की तिथि मई, 2017 निर्धारित है। इन्टीग्रेटेड जियोफिजिकल, जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल तथा पेट्रोफिजिकल इच्चेस्टीगेशन के माध्यम से शेल गैस की संभाव्यता के लिए दामोदर बेसिन का मूल्यांकन करना इस परियोजना का लक्ष्य है। संशोधित पूर्णता की तिथि नवम्बर, 2018 निर्धारित है। सीएमपीडीआई तथा सीआईएमएफआर के साथ-साथ एनजीआरआई ने रानीगंज कोयला क्षेत्र में रंगामाटी बी ब्लॉक (तुमरी एवं कंचनपुर सेक्टर) का चयन किया है तकि 3.2 वर्ग कि. मी. 2.4 वर्ग मीटर 3 डी भूकेंपीय सर्वे का पूरा कर लिया गया है। इन्टरप्रिटेशन को मूल्यांकन करने के लिए एमआरआई द्वारा चार बोर होल प्रस्तावित किया जा चुका है। 3 डी भूकंपनीय सर्वे की फाइन्डिंग्स की समाप्ति पर राधा नगर ब्लॉक में सर्वे शुरू कर दिया गया है। सीएमपीडीआई कॉमिटेड गतिविधि अर्थात् डीप बोर होल के वेधन पार्ट को पूरा करेगा।

1.6.6.4 वीएएम पर परियोजना

सीएमपीडीआई ने सीएसआईआरओ के साथ संयुक्त रूप से “भारत में वर्किंग अंडर ग्राउंड डिग्री—III कोल माइन से वेन्टीलेशन एयर मिथेन में कमी एवं उपादेयता” शीर्षक से एक प्रोजेक्ट प्रतिपादित किया है। इस परियोजनाके लिए कार्यान्वयक एजेंसी सीएसआईआरओ एवं सीएमपीडीआई होगा तथा बीसीसीएल उप कार्यान्वयक एजेंसी होगा। भारत कॉकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के झारिया कोयला क्षेत्र में चिह्नित प्रोजेक्ट माइन मुनीडीह अंडर ग्राउंड माइन है। वर्तमान समय में 100 प्रतिशत के साथ सीआईएल आरएंडटी के पास अनुमोदित प्रोजेक्ट है तथा इसी क्रम

में नेशनल क्लीन इनर्जी से 40 प्रति पूर्ति हो जाना चाहिए तथा 36 महीना प्रोजेक्ट अवधि के लिए पर्यावरण फंड (एनसीईएफ) होना चाहिए। सीएसआईआरओ से ड्राफ्ट कोलेवरेटिव करार तैयार किए जाने का अनुरोध किया गया है जिस पर सीएमपीडीआई तथा सीएसआईआरओ के बीच हस्ताक्षर किया जाना है।

1.6.7 समझौता संलेख (एमओयू) 2017-18

सीएमपीडीआई के समझौता संलेख (एमओयू) 2017-18 के अनुसार सीआईएल लीज होल्ड एरिया में सीबीएम/सीएमएम के लिए “स्पेशन प्रोजेक्ट” के अंतर्गत झारिया सीएमएम/सीबीएम ब्लॉक, झारिया कोलफिल्ड (बीसीसीएल लीज होल्ड के अंतर्गत) पर “प्रोजेक्ट संभाव्यता रिपोर्ट” रानीगंज सीएमएम ब्लॉक रानीगंज कोलफील्ड (ईसीएल लीज होल्ड के अंगत) पर प्रोजेक्ट संभाव्यता रिपोर्ट “उत्कृष्ट” रेटिंग के लिए 31 दिसम्बर, 2017 तक सुपुर्द किया जाना था। तदनुसार झारिया सीएमएम/सीबीएम ब्लॉक, झारिया कोयला क्षेत्र (बीसीसीएल लीज होल्ड के अंतर्गत) पर प्रोजेक्ट संभाव्यता रिपोर्ट 28 दिसम्बर, 2017 को सुपुर्द किया गया तथा रानीगंज सीएमएम ब्लॉक, रानीगंज किया गया तथा रानीगंज सीएमएम ब्लॉक, रानीगंज कोयला क्षेत्र (ईसीएल लीज होल्ड के अंतर्गत) पर प्रोजेक्ट संभाव्यता रिपोर्ट 31 अगस्त, 2017 को सुपुर्द किया गया।

2.0 परियोजना आयोजन एवं अधिकल्पन:

100 मि.ट.व. के ट्यून के लिए अतिरिक्त कोयला उत्पादन क्षमता हेतु वर्ष 2017-18 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों द्वारा प्राथमिकता के अनुसार न्यु/एक्सपेंशन/पूर्नांगठन खान के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। परियोजना रिपोर्ट/लागत प्राक्कलन का संशोधन नये पीआर के साथ किया गया।

उपर्युक्त कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य किए गए :

- नए/वर्तमान वाशरी के लिए वैचारिक/संभाव्यता रिपोर्ट, नवीकरण/रूपांतरण रिपोर्ट/निविदा दस्तावेज, संविदा दस्तावेज, बिड्स का मूल्यांकन इत्यादि की तैयारी



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

- ओसी माइन्स के लिए ऑपरेशनल प्लान
- पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)
- ओपेनकास्ट तथा भू.ग. खाने के लिए माइनिंग प्लान एवं माइन क्लोजर
- कोल इंडिया भू.ग.खान तथा खुली खान के लिए माइनिंग क्षमता मूल्यांकन
- खुली खान तथा भू.ग. खान से संबंधित विभिन्न तकनीकी अध्ययन
- कोल इंडिया की ओसी माइन्स में एचईएमएम ऑपरेटिंग का कार्य निष्पादन विश्लेषण
- थर्मल पावर प्लांट पर आधारित एफबीसी के सेट-अप के लिए वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी
- विस्तृत डिजाइन, तथा ड्राइंग्स, एनआईटी निविदा सुरक्षा इत्यादि।

पर्यावरणिक प्रबंधन एवं मॉनीटरिंग, सुदूर संवेदन, ऊर्जा अंकेक्षण (डी जल एवं इलेक्ट्रीकल) तथा ओपेन कास्ट का बैंच मार्किंग, रॉक तथा कोयला नमूनों पर भौतिक एवं यांत्रिक जाँच धूंसान अध्ययन, संस्तर नियंत्रण, अमानाशक परीक्षा(एमडीटी) नियंत्रित विस्फोटन एवं कंपन अध्ययन एवं विस्फोटन यूटिलाइजेशन भू.ग. खान का कंपन/गैस सर्वे, माइनिंग इलेक्ट्रानिक्स, कोयला कोक प्रोसेसिंग तथा विष्लेषण वाशिबलिटी परीक्षण, ओबी आर एर्व, मेन राइंडिंग सिस्टम, टॉप स्वाचल मैनेजमेंट अध्ययन, स्लोप स्टेबिलिटी अध्ययन, इफलूएंट/सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट माइन क्लोजर, ऑडिटिंग इत्यादि के क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों को वर्ष 2017-18 के दौरान एक्सपर्ट परामर्शी सेवाएँ भी उपलब्ध कराई गई।

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 244 रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। तैयार रिपोर्टों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

रिपोर्ट	संख्या
भूवैज्ञानिक रिपोर्ट	23
परियोजना रिपोर्ट	30
ड्राफ्ट ईएमपी (20 फार्म-1 सहित)	43
अन्य अध्ययन	148
कुल	244

वर्ष 2017-18 के दौरान तैयार की गई रिपोर्टों का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

परिशिष्ट-1

पूरी की गई रिपोर्ट की सूची (2017-18)

क्षेत्रीय संस्थान	रिपोर्टों के नाम
भू-वैज्ञानिक रिपोर्टें	
क्षेत्रीय संस्थान-१	पिरपेंटी बाराहांट (संशोधित जीआर)
क्षेत्रीय संस्थान-३	तेतरियाखार
	आरा
क्षेत्रीय संस्थान-४	येकोना-पप
	भारतवाडा
क्षेत्रीय संस्थान-५	बिचारपुर नॉर्थ (गैर-सीआईएल)
	शिवसागर
	बिचारपुर इस्ट (नन-सीआईएल)
	मरवाटोला सेक्टर VI एवं VII
	सुन्दरगढ़ (तुलसी ब्लॉक डी)
क्षेत्रीय संस्थान-६	इंगुरी इस्ट
क्षेत्रीय संस्थान-७	मनोहरपुर एवं इसका डीप साइड
	मन्दाकिनी बी (चरण-1)
	घोघरपल्ली और डीप विस्तारण
संविदात्मक	वेस्ट बैसी (गैर-सीआईएल)
	मकरी बरका वेस्ट फेज-II
	सिंगरा
	महुदा वेस्ट
	घुघरा सेट्रल
	सलानपुर बी
	बिस्टुपुर साउथ
	पुण्डी इस्ट
	घुघरा इस्ट
परियोजना रिपोर्ट	
क्षेत्रीय संस्थान-१	चित्रा ओसी के लिए आरसीई
	सिदुली यूजी
	तिलाबोनी यूजी रिकास्ट
	बंकोला यूजी

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
	5.	नकराकोडा कुमारडीह बी ओसी पुनर्निर्माण
क्षेत्रों-ii	1.	अमलगेमेटेड जयरामपुर कोलियरी
	2.	कल्याणेश्वरी ओसी
क्षेत्रों-iii	1.	कोनार एक्सप्रेशन ओसी रिकार्स्ट
	2.	सिलेवारा ओसी
	3'	रोहिणी-करकट्टा अमलगमेशन ओसी
	4.	तेतरियाखार ओसी एक्स.
	5.	कोतरे-बसंतपुर-पचमो ओसी
क्षेत्रों-iv	1.	कोंदा-हरदोला ओसी
	2.	संगम यूजी
	3.	सिलेवारा डीप यूजी
	4.	विष्णुपुरी यूजी से ओसी
	5.	पिम्पलगाँव डीप ओसी रिकार्स्ट पीआर
	6.	भाटडी एक्स (उत्तरी-पश्चिम) ओसी
क्षेत्रों-v	1.	स्थाग ओसी
	2.	पोरदा-चिमटापानी संयुक्त ओसी
	3.	रामपुर बतुरा ओसी (रिकार्स्ट)
	4.	बतुरा वेस्ट ओसी
	5.	बोदरी यूजी
क्षेत्रों-vi	1.	मेसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का अमेलिया ओसी
क्षेत्रों-vii	1.	लाजकुरा आरिएंट ओसी एक्सप्रेशन
मुख्यालय	1.	गंदबहेरा उज्ज्वली कोयला ब्लॉक, मेसर्स एमपीपीजीसीएल
	2.	गारे पेल्ना सेक्टर-1 ओसी+यूजी, जीएसईसीएल के लिए परियोजना रिपोर्ट तथा खनन योजना
	3.	पिपरवार यूजी(फेज- I) सीसीएल
	4.	पीक्यू ओसीपी(रिकार्स्ट), एनईसी
	5.	जगुन ओसीपी (रिकार्स्ट), एनईसी
अन्य रिपोर्ट		
क्षेत्रों-i	1.	ईटापाडा खुली खदान के लिए योजना
	2.	सोनपुर बजारी खुली खदान के लिए योजना
	3.	नकराकोडा-कुमारडीह बी खुली खदान का यूसीई
	4.	कलस्टर-1 खान के लिए माइनिंग प्लान
	5.	बोंजेमेहारी ब्लॉक के लिए पीआर के लिए जीआर
	6.	लखीमाता के लिए पीआर हेतु जीआर
	7.	कलस्टर 4 और 10 के लिए खनन योजना
	8.	बोनबहल ओसी पैच के लिए आरसीई
	9.	चोरा ब्लॉक इंकलाइन की शंकरपुर ओसीपी इकाई में एस एम ई का उपयोग कर परीक्षण विस्फोटन
	10.	अमतनगर यूजी में बड़े पैमाने पर उत्पाद प्रौद्योगिकी परिचय के लिए स्कीम
	11.	चित्रा कोलियरी में परीक्षण विस्फोटन और खतरे वाले क्षेत्र में कम्पन अध्ययन
	12.	उत्तरी सियरसोल ओसी पैच के लिए स्कीम
	13.	कपासरा ओसी पैच के लिए योजना
क्षेत्रों-ii	1.	विश्वकर्मा ओसी का उर्जा ऑडिट और बैंचमार्किंग

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
	2.	2009 से पहले बीसीसीएल के बन्द खानों का माइन क्लोजर स्टेटस रिपोर्ट
	3.	अमलगेमेटेड जॉयरामपुर ओसी के लिए खनन योजना
	4.	अमलगेमेटेड जॉयरामपुर ओसी के पीआर के लिए जीआर
	5.	राजापुर ओसी के लिए खनन योजना और खान बन्दी योजना (संशोधित)
	6.	दोबारी ओसी के लिए खनन योजना और खान बन्दी योजना
	7.	सेन्द्रा बांसजोडा ओसी के लिए खनन योजना और खान बन्दी योजना
	8.	अमलगेमेटेड एनटी-एसटी एक्स- जीनागोरा खुली खान का डीजल ऑडिट और बैंचमार्किंग
	9.	कुथा ओसी का खान योजना और खान बन्दी योजना
	10.	केन्द्रवाडीह ओसी खान का खान योजना और खान बन्दी योजना में भूवैज्ञानिक
क्षेत्रों-iii	1.	सीरीएल के हुतार, सेमरा, गीधानिया, कारो भूमिगत खदान, खासमहल भूमिगत खदान एवं एके भूमिगत खदान (2009 से पहले बन्द) का माइन क्लोजर स्टेटस रिपोर्ट।
	2.	उत्तरी उरीमारी ओसी का यूसीई
	3.	आम्रपाली ओसीपी का यूसीई
	4.	कोनार ओसीपी के रिकार्स्ट ईपीआर
	5.	मगध ओसीपी का यूसीई
	6.	एकेके ओसीपी का परिचालन योजना
क्षेत्रों-iv	1.	शारदा भूमिगत खान के रिकार्स्ट पीआर की यूसीई
	2.	कुम्भरखानी खान की यूसीई
	3.	धुपतला ओसी (सास्ती यूजी से ओसी) की यूसीई
	4.	महादेवपुरी यूजी खान के लिए स्कीम
	5.	बोरदा यूजी. एवं भाटडीह विस्तार के लिए एमआईएनईएक्स (जीआर से पीआर) में भू-विज्ञानिक मॉडल।
	6.	धाव नॉर्थ का यूसीई
	7.	सास्ती ओसी के लिए ओपरेशनल प्लान
	8.	मुंगोलि निरगुडा ओसी का ओपरेशनल प्लान
	9.	मुरपर विस्तार यूजी के लिए जीआर से पीआर
	10.	भारत ओसी (फेज- I) की योजना
	11.	संगम यूजी माइन का धृंसान पूर्वानुमान अध्ययन
	12.	सिलेवारा डीप यूजी खान का धृंसान पूर्वानुमान अध्ययन
	13.	पिम्पलगाँव डीप ओसी के लिए जीआर से पीआर
	14.	गाँधीग्राम रिकार्स्ट पीआर का यूसीई
	15.	शारदा यूजी खान का यूसीई
	16.	गोंदेगाँव-घोरोहाना ओसी का पीआर का यूसीई
	17.	तावा- III यूजी माइन का यूसीई
	18.	माथरा डीप यूजी के लिए जीआर से पीआर
	19.	विसापुर ओसी का यूसीई
	20.	सिलोरी ओसी का यूसीई
	21.	पउनी कम्बाइंड ओसी का यूसीई
	22.	गौरी सेंट्रल ओसी का यूसीई



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

क्षेत्रीय संस्थान	रिपोर्टों के नाम
	23. चू माजरी यूजी से ओसी के लिए कम्पन अध्ययन
	24. भानेगाँव ओसी का बैंचमार्किंग के साथ विद्युत ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट
	25. छत्रपुर—पप यूजी का बैंचमार्किंग के साथ विद्युत ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट
	26. डब्ल्यूसीएल मुख्यालय भवन का बैंचमार्किंग के साथ विद्युत ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट
	27. सिलेवाड यूजी माइन का धृंसान पूर्वानुमान अध्ययन
	28. छत्रपुर—। विस्तारित भूमिगत खान का धृंसान पूर्वानुमान अध्ययन
क्षेत्रीय संस्थान-v	1. झिरिया वेस्ट खुली खदान की यूसीई 2. उमरिया भूमिगत खदान के लिए स्कीम 3. चिरोमीरी विस्तार ओसी के लिए परिचालन योजना 4. गेवरा ओसी के लिए परिचालन योजना 5. महान ओसीपी में एसईएम का प्रयोग कर परीक्षण विस्फोटन अध्ययन 6. विश्रामपुर ओसी में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन 7. पिपरिया भूमिगत खान में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन 8. खैराहा यूजी के लिए खान योजना 9. रामपुर बतुरा ओसी का यूसीई 10. तुलसी ब्लॉक सी के लिए वैचारिक टिप्पणी 11. दिपका ओसी (35.50 मी.ट.प्र.व.) के लिए वैचारिक टिप्पणी 12. पश्चिम यिरिमिरी कोलियरी में परीक्षण नियंत्रित ब्लास्टिंग अध्ययन 13. चिरिमिरी ओसी माइन का अंतिम पुनर्विचार योजना 14. हल्दीबारी यूजी के लिए मैन राइडिंग सिस्टम
क्षेत्रीय संस्थान-vi	1. निगाही खुली खदान परियोजना के लिए परिचालन योजना 2. खादिया ओसीपी का डीजल अंकेक्षण एवं बैंचमार्किंग 3. कृष्णशीला ओसीपी का खनन योजना 4. एनसीएल के 4 खानों का माइन क्लोजर ऑडिटिंग 5. अमलोहरी ओसीपी का विद्युत ऊर्जा ऑडिट और बैंचमार्किंग 6. निगाही ओसीपी का डीजल ऑडिट और बैंचमार्किंग
क्षेत्रीय संस्थान-vii	1. साउथ बलंडा ओसीपी का माइन क्लोजर स्टेट्स रिपोर्ट 2. साउथ देउलबेरा तथा साउथ हंडीदुआ भूमिगत खानों का माइन क्लोजर स्टेट्स रिपोर्ट 3. भरतपुर पुनर्निर्माण का यूसीई 4. बसुधरा ईस्ट ओसीपी का माइन क्लोजर स्टेट्स रिपोर्ट 5. लखनपुर एक्स. ओसीपी का खनन योजना और माइन क्लोजर प्लान 6. भुवनेश्वरी एक्स. ओसीपी की खनन योजना और माइन क्लोजर प्लान

क्षेत्रीय संस्थान	रिपोर्टों के नाम
	7. भरतपुर ओसीपी का खनन योजना एवं माइन क्लोजर प्लान
	8. सियारमल ओसीपी का खनन योजना एवं माइन क्लोजर प्लान
	9. मधुपुर ब्लॉक पर वैचारिक टिप्पणी
	10. दिनांक 27.10.17 को हुई पीएसी बैठक के निर्णय का अनुपालन कर भरतपुर ओसीपी.पुनर्गठन की यूसीई
मुख्यालय	1. ककरी ओसीपी, एनसीएल का स्लोप स्थायित्व अध्ययन 2. सोनपुर बजारी ओसीपी, ईसीएल का स्लोप स्थायित्व अध्ययन 3. तरमी ओसीपी, सीसीएल का शीर्ष मिट्टी प्रबंधन अध्ययन 4. डब्ल्यूसीएल के मुगोली निरगुडा ओसी के लिए बफर जोन का भू-उपयोग /आच्छादन मैपिंग 5. अमलगेमेटेड जयरामपुर कोलियरी, बीसीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन तथा कम्पन अध्ययन 6. डब्ल्यूसीएल की पड़नी—।। ओसी के लिए बफर जोन का भू-उपयोग /आच्छादन मैपिंग 7. एसईसीएल के गरे-पेल्मा ओसीपी में बेन्द्रा नाला डाइवर्जन का रिपोर्ट 8. सीसीएल की पिपरवार यूजी (फेज-।) का माइन क्लोजर प्लान 9. एमसीएल की लिंगराज ओसीपी का ढाल स्थायित्व अध्ययन 10. वर्धा नदी, डब्ल्यूसीएल के नीचे स्थित भूमिगत गैलरीज से नैगाँव ओसीएम वर्धा वैली कोलफील्ड में बाढ़ के खतरे का आकलन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन। 11. बेहराबन्द भू.ग. माइन, एसईसीएल में उच्च क्षमता वाला मुख्य यांत्रिक वैंटीलेटर की आवश्यकता का आकलन करने हेतु वैज्ञानिक अध्ययन। 12. गाँधीग्राम भू.ग. माइन, डब्ल्यूसीएल के लिए धृंसान पूर्वानुमान अध्ययन 13. गौरी डीप ओसी, डब्ल्यूसीएल का ढाल स्थायित्व अध्ययन 14. कुसमुण्डा ओसी, एसईसीएल के लिए वर्कशॉप का ढाल स्थायित्व अध्ययन 15. एनईसी की पीक्यू ओसीपी का माइन क्लोजर प्लान 16. वर्ष 2016–17 के दौरान कोल इंडिया की खुली खदान खानों के लिए क्षमता और क्षमता उपयोग का निर्धारण 17. वर्ष 2016–17 के दौरान कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों में एचईएमएम का कार्य निष्पादन 18. वर्ष 2016–17 के दौरान कोल इंडिया की खुली खदान खानों में विस्फोटको, डीजल और बिजली की विशिष्ट खपत 19. डब्ल्यूसीएल की दुर्गापुर विस्ता. ओसी तथा भानेगाँव विस्ता. ओसी के बफरजोन का भू-उपयोग आच्छादन मापन (मैपिंग) 20. वर्ष 2017–18 के लिए कोल इंडिया की भूमिगत खानों का खान क्षमता मूल्यांकन 22. एनईसी की दिल्ली जयपुर खान की खान बन्दी स्थिति रिपोर्ट

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

क्षेत्रीय संस्थान	रिपोर्टों के नाम
23.	13% राख की मात्रा तक कोकिंग कोयले की धुलाई की तकनीकी सम्भाव्यता का मूल्यांकन की रिपोर्ट
24.	सिलो के नीचे ढहने वाले ओवरहेड उपकरण की रिपोर्ट
25.	करकट्टा ओसीपी सीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
26.	जागुन ओसीपी, एनईसी का खान बन्दी योजना
27.	एसईसीएल की 3 ओसीपी का डीजल अंकेक्षण एवं वार्षिक बेचमार्किंग
28.	सीसीएल की 31 ओसीपी का डीजल अंकेक्षण एवं वार्षिक बेचमार्किंग
29.	एसईसीएल की मानिकपुर, बतुरा और मालाचुआ ओसी का उपयोग / आच्छादन मापन
30.	आर०आई०-vii सीम, चोरा ब्लॉक इन्कलाइन, ईसीएल का गैस सर्वेक्षण
31.	तेतरियाखार ओसीपी, सीसीएल का स्लोप स्थायित्व अध्ययन
32.	गिरी सी ओसीपी, सीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
33.	एबीजी कोलियरी, बीसीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
34.	उरीमारी ओसीपी, सीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
35.	केदला और रजरप्पा वाशरी, सीसीएल का क्षमता उपयोग की वृद्धि के लिए तकनीकी अध्ययन
36.	जयंत ओसीपी, एनसीएल के सीएचपी का ढलान स्थिरता अध्ययन
37.	जयंत ओसी और कृष्णशीला ओसी, एनसीएल का भूमि उपयोग / कवर मैपिंग
38.	तापिन ओसी, डब्ल्यूसीएल और खाईराहा यूजी, एसईसीएल का भूमि उपयोग / कवरमापन।
39.	खाईराहा यूजी, एसईसीएल का भूमि उपयोग / कवर मानवित्रण
40.	भाटाडी ह ओसी और गोडेगाँव ओसी, डब्ल्यूसीएल का भूमि उपयोग / कवर मानवित्रण
41.	मन्द रायगढ़ कोयलाक्षेत्र, एसईसीएल का वनस्पति कवर मानवित्रण
42.	कवादा चौधर गरियापानी ओसीपी, ईसीएल का वित्तीय मूल्यांकन और लागत अद्यतन
43.	रेलीगढ़ा ओसीपी, सीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
44.	झरिया, करणपुरा और बोकारो कोयलाक्षेत्र का आग मानवित्रण
45.	रानीगंज कोयलाक्षेत्र, ईसीएल का वनस्पतिय आवरण मानवित्रण
46.	उमरेर कोयलाक्षेत्र, डब्ल्यूसीएल का वनस्पति आवरण मानवित्रण
47.	एकीकृत लखनपुर-बेलपहाड़-लिलारी ओसीपी, एमसीएल का ढलान स्थिरता अध्ययन
48.	वर्धा नदी के नीचे भूमिगत गैलरी से बल्लारपुर ओसीपी के जलाप्लावन के खतरे के मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन

क्षेत्रीय संस्थान	रिपोर्टों के नाम
49.	समलेश्वरी खुली खान परियोजना, एमसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कंपन अध्ययन
50.	गिरी 'ए' ओसीपी, सीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
51.	भागाबाँध कोलियरी, बीसीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कंपन अध्ययन
52.	चित्रा कोलियरी, ईसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
53.	ईसीएल की 8 खुली खदानों का डीजल अंकेक्षण एवं कम्पन अध्ययन
54.	पेंच कान्हान कोलफील्ड्स डब्ल्यूसीएल का वनस्पति आच्छादन मैपिंग
55.	सोहागपुर कोयलाक्षेत्र, एसईसीएल का वनस्पति आच्छादन मैपिंग
56.	राजमहल कोयलाक्षेत्र, ईसीएल में वनस्पति आच्छादन मैपिंग
57.	ईब घाटी कोयलाक्षेत्र, एमसीएल में वनस्पति आच्छादन मैपिंग
58.	01.04.2018 के प्रोजेक्शन (अनुमान) के अनुसार सीआईएल की खुली खानों की क्षमता का मूल्यांकन
59.	आईएसआई रिपोर्ट की अनुशंसा के संबंध में एमसीए एवं आरएफबी का अद्यतनीकरण / संशोधन, यथा प्रयोज्य ई-प्रोक्योरमेंट / रिवर्स बिल्डिंग का कार्यावयन, जीएसटी एवं अन्य संबंधित करों का क्रियावयन
60.	ओरिएन्ट कोलियरी खान नं- 1 और 2 एमसीएल के तीन पैनलों में आरएमआर एवं सपोर्ट डिजाइन
61.	सीएचपी दुधिचुआ ओसीपी, एनसीएल का ढाल स्थायित्व अध्ययन

पर्यावरण प्रबंधन योजना

फार्म-ि	
क्षेत्रों-ii	<ol style="list-style-type: none"> कलस्टर-iii खानें (ईसी में संशोधन) कलस्टर-v खानें (ईसी में संशोधन) कलस्टर-viii खानें (ईसी में संशोधन) कलस्टर-x खानें (ईसी में संशोधन) कलस्टर-xi खानें (ईसी में संशोधन) कलस्टर-ix खानें (ईसी में संशोधन)
क्षेत्रों-iii	<ol style="list-style-type: none"> केदला कोलियरी (यूजी और ओसी) उरीमरी खुली खदान विस्तारण कारो ओसीपी (उल्लंघन का मामला) तरमी ओसीपी (उल्लंघन का मामला) चयनित ढोरी खान समूह (उल्लंघन का मामला) कुजु ओसीपी गिरी 'ए' रेलीगढ़ा
क्षेत्रों-v	<ol style="list-style-type: none"> छाल ओसी गायत्री यूजी मनिकपुर ओसी विस्तारण अमाड़ॉड एक्स. ओसी



क्षेत्रीय संस्थान	रिपोर्टों के नाम
क्षेत्रीय संस्थान-vii	1. जगन्नाथ खुली खदान विस्तारण 2. सामलेश्वरी खुली खदान विस्तारण
ड्राफ्ट ईएमपी	
क्षेत्रीय संस्थान-i	1. कलस्टर-ि खानें (खंड-7(ii) के तहत) 2. कलस्टर न०-१० (19 खानों का समूह) (परिशिष्ट ईएमपी) 3. कलस्टर न०-९ (12 खानों का समूह) (परिशिष्ट ईएमपी) 4. कलस्टर न०-४ (3 खानों का समूह) (परिशिष्ट ईएमपी)
क्षेत्रीय संस्थान-ii	1. कलस्टर xvii
क्षेत्रीय संस्थान-iii	1. तापिन साउथ एक्स. ओसीपी
क्षेत्रीय संस्थान-iv	1. पउनी-ii खुली खदान विस्तारण 2. मुंगोली नीरगुदा विस्तार ओसीपी 3. मुरपर एक्सपैंशन भूमिगत खान (फेज-ii) (खंड-7(ii) के तहत) 4. गोदेगाँव एक्स. ओसी (ईएमपी संसोधन / रूपांतरण) 5. भटाडी एक्स. ओसी (ईएमपी संसोधन / रूपांतरण) 6. दिनेश ओसी (मकरथोकरा-iii) (ईएमपी संसोधन / रूपांतरण) 7. गाँधीग्राम यूजी 8. जमुनिया यूजी
क्षेत्रीय संस्थान-v	1. दिपका विस्ता. ओसी (संशोधित) 2. गवेरा विस्ता. ओसी (संशोधित) 3'. बतुरा ओसी
क्षेत्रीय संस्थान-vi	1. जयंत ओसीपी (संशोधित) 2. कृष्णशीला ओसी (ईएमपी संसोधन / रूपांतरण)
क्षेत्रीय संस्थान-vii	1. कुल्दा विस्ता. ओसी 2. लखनपुर एक्स. ओसीपी (खंड-7(ii) के तहत) 3. भुवनेश्वरी ओसीपी (खंड-7(ii) के तहत) 4. जगन्नाथ ओसीपी विस्तारित

2.1 कोयला एवं खनिज परिष्करण

सीएमपीडीआईएल, कोयला वाशरियों, खनिज परिष्करण संयंत्र के लिए तथा वर्तमान संयंत्रों के आधुनिकीकरण / रूपांतरण कार्य करने के लिए प्रौद्योगिकी सेवा प्रदान करता है। इन सेवाओं में सर्वांगीन प्रयोगशाला अध्ययन, तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट, वैचारिक रिपोर्ट, परियोजना आयोजन, निर्माण प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रिया-कलापों की विस्तृत शृंखला शामिल है। यह विभाग प्रयोगशाला स्केल अध्ययन करने के लिए नवीनतम और परिष्कृत उपकरणों के साथ आईएसओ प्रमाणित आधुनिक प्रयोगशाला से सुरक्षित है।

सीएमपीडीआईएल ने खुले बाजार में कठिन प्रतियोगिता के मुकाबले कोयला परिष्करण तथा अन्य खनिजों के क्षेत्र में कई प्रतिष्ठाजनक कार्य किया है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- “सीमेंट उद्योग के लिए कोयला वाशरियों का तकनीकी आर्थिक अध्ययन पर रिपोर्ट” विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना और
- “भारत में कोयला परिष्करण के जरिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन,” एडीबी निधित परियोजना।

सीएमपीडीआई के रोस्टर में कुछ सम्मानित ग्राहकों में से कुछ इस प्रकार हैं : आईसीवीएल, एसएंडटी माइनिंग, एमपीईबी, एमईसीएल, नेवेली लिनाइट, पीएसईबी, बीएचईएल, एनटीपीसी, टिस्को, आईसीएमपीएल, यूएनडीपी, एमओआईएल, एससीसीएल आदि।

वर्ष 2017-18 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कार्य पूरे किए गए :

क) रिपोर्ट/अध्ययन

9 तकनीकी रिपोर्ट तैयार की गई है। इन रिपोर्टों का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है :

➤ वाशरी पर चाप्टर

- रोहिणी-करकटा, सीसीएल (8.0 मी.ट.प्र.व.)
- तेतरियाखार, सीसीएल (2.5 मी.ट.प्र.व.)
- कल्याणेश्वरी, बीसीसीएल (3.6 मी.ट.प्र.व.)
- कपुरिया, बीसीसीएल (2.5 मी.ट.प्र.व.)
- गरे-पेलमा, जीएसईसीएल (15.0 मी.ट.प्र.व.)

➤ वैचारिक रिपोर्ट

- कुसमुण्डा (10.0 मी.ट.प्र.व.), एसईसीएल

➤ संभाव्यता रिपोर्ट

- कोयला संसाधन संयंत्र (2.0 मी.ट.प्र.व.), की स्थापना के लिए पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट
- मोजाम्बिक के टेटे प्रोविंस में मेसर्स आईसीवीएल का बंगा सीपीपी (5.3 मी.ट.प्र.व.)
- 13 प्रतिशत राख की मात्रा के लिए वाशिंग कोकिंग कोयले का तकनीकी संभाव्यता का मूल्यांकन करना।

ख) निविदा दस्तावेज (रिवर्स ई-टेंडरिंग मोड पर)

कोल इंडिया लिमिटेड के विभिन्न अनुषंगियों के विभिन्न वाशरियों के लिए 9 निविदा दस्तावेज तैयार किए गए।

➤ बीओएम अवधारणा पर

- कोनार (7.0 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल
- हिंगुला (10.0 मी.ट.प्र.व.), एसईसीएल
- जगन्नाथ (10.0 मी.ट.प्र.व.), एसईसीएल

➤ बीओओ अवधारणा पर

- कुसमुण्डा (10.0 मी.ट.प्र.व.), एसईसीएल
- बरौद (5.0 मी.ट.प्र.व.), एसईसीएल
- तापिन (4.0 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल
- न्यू कथारा (3.0 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल
- हिंगुला (10.0 मी.ट.प्र.व.), एसईसीएल
- जगन्नाथ (10.0 मी.ट.प्र.व.), एसईसीएल

ग) करार दस्तावेज

1. करार दस्तावेज तैयार/रूपांतरितर

- लखनपुर (10.0 मी.ट.प्र.व.), एमसीएल

घ) बीसीसीएल के मधुबंद, दहीबारी और पाथरडीह के लिए 157 निर्माण ड्राइंग अनुमोदित।

ड.) अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ

मधुबंद वाशरी, बीसीसीएल में कोल इंडिया लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत 'रेडियोमेट्रिक टेक्नीक (आर्डी-सोर्ट)' का उपयोग कर कोयले के शुष्क परिष्करण' के लिए एक संयंत्र स्थापित किया जा चुका है।

च) अन्य कार्य

- क) एसिड माइन ड्रेनेज का रीमीडिएशन और रिक्लामेशन, गोरबी ओसीपी, एनसीएल
- ख) बीसीसीएल में वर्तमान 4 वाशरियों के आधुनिकीकरण पर रिपोर्ट

2.2. परियोजना मूल्यांकन

- 1) सीएमपीडीआई, मुख्यालय के द्वारा तैयार 22 पीआर/आरपीआर/ईपीआर (5 मार्च, 2018 तक) की संवीक्षा एवं मूल्यांकन।
- 2) क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा 13 वैचारिक टिप्पणियों (5 मार्च, 2018 तक) की संवीक्षा और मूल्यांकन तथा पीआर/आरपीआर/ईपीआर की तैयारी से पूर्व प्रमुख तकनीकी पारामीटर को अंतिम रूप देने के लिए पीएडी विभाग और खुली खदान/भूमिगत खदान सहित निदेशक (टी/पीएंडडी) द्वारा मूल्यांकन करने के लिए समन्वयन।
- 3) सचिव (कोयला) के त्रैमासिक समीक्षा बैठक के लिए 500 करोड़ रु. से अधिक की लागत वाली विशेषकर जो सीएमपीडीआई के जिम्मे जो कार्य है, उन चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का अद्यतनीकरण।

3.0 भूमिगत और खुली खदान खनन

3.1 भूमिगत खनन

क.) बाह्य परामर्शी सेवा कार्य

- वर्ष के दौरान एमपी पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के गंधबेहरा उज्जेनी कोल ब्लॉक के लिए खनन योजना एवं परियोजना रिपोर्ट (पीआर) की तैयारी पूरी की जा चुकी है।
- वर्ष के दौरान कल्याणी खानी संख्या-1 इन्क्लाइन मंदामनी एरिया, एससीसीएल के लिए बालू भराई के मानकीय लागत का मूल्यांकन।
- वर्ष के दौरान बालाधाट खान, एमओआईएल के लिए बिडों के मूल्यांकन में सहायता एवं टीईएफआर, लागत प्राक्कलन, निविदा दस्तावेज का अद्यतनीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है।
- वर्ष के दौरान गरे पेल्मा सेक्टर-1 कोयला ब्लॉक के लिए खनन योजना का कार्य पूरा किया जा चुका है।



ख). कोल इंडिया लिमिटेड के कार्य

वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए :

- कंपनी वाइज क्षमता उपयोग (2016–17) तथा वृद्धि विश्लेषण के साथ कोल इंडिया लिमिटेड (2017–18) के भूमिगत खानों के लिए क्षमता मूल्यांकन।
- खनन उपकरणों के लिए मानक मूल्य सूची
- हीरा खंड बुदिया इन्क्लाइन, ओरिएंट एरिया, एमसीएल का खनन योजना और खान बंदी योजना
- पिपरवार भूमिगत खान चरण–1, सीसीएल का आरपीआर
- वर्धा नदी, डब्ल्यूसीएल से नीचे भूमिगत गैलरियों से नैगांव ओसीएम वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र तक के जलाप्लावन के जोखिम का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन
- हसदेव एरिया, एसईसीएल के बेहेराबांध भूमिगत खान में उच्च क्षमता वाले प्रमुख यांत्रिकीय बेंटीलेटर की जरूरत का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन
- नोबाकाजोरा कोलियरी पिट संख्या–8, काजोरा क्षेत्र, ईसीएल के लिए हेड गियर का स्थायित्व विश्लेषण
- कुमारडीही ए कोलियरी, पिट संख्या–3 एवं 4 बंकोला एरिया तथा सीएल जामबाद कोलियरी पिट संख्या–7 एवं 8, केंद्रा एरिया, ईसीएल के हेडफ्रेम का स्थायित्व विश्लेषण
- कारकेंड पिट संख्या–2 एवं मैरिन पिट संख्या–2, गोयालीचक कोलियरी, पी.बी.एरिया बीसीसीएल का स्थायित्व विश्लेषण
- चोरा ब्लॉक इन्क्लाइन, केंद्रा एरिया, ईसीएल के आर–VII सीम का गैस सर्वेक्षण
- वर्धा नदी के नीचे भूमिगत गैलरियों से बल्लारपुर ओसीपी तक जलाप्लावन के जोखिम का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन
- परेज ईस्ट भूमिगत परियोजना, सीसीएल के लिए आरपीआर की तैयारी

क) आईएसआई रिपोर्टों की अनुशंसाओं
ई-प्रोक्योरमेंट के कार्यान्वयन/
रिवर्स विडिंग जहाँ लागू हो, जीएसटी
का कार्यान्वयन एवं अन्य संबंध कर से
संबंधित आरएफबी दस्तावेज और
संशोधित एमसीए एवं अद्यतन करना।

ख) एमसीए एवं आरएफबी दस्तावेजों का
अद्यतनीकरण एवं पुनरीक्षण

ग). कोल इंडिया के कार्य (प्रगति पर)

विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए :

- सीसीएल की खानों में जहाँ लाभकारी हो, श्रम–बल लगाकर आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे खराब खान को बंद करने (फेज आउट) के लिए तकनीकी आर्थिक पारामीटर तकि समयबद्ध कार्रवाई का विस्तृत अध्ययन
- एन.के.एरिया, सीसीएल के चुरी बेंटी भूमिगत खान बेंटीलेशन सिमूलेशन स्टडी
- मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए खान में वायु की संवातन आवश्यकता पर अनुसंधान एवं विकास, परियोजना कोड सं. सीआईएल / आरएंडी / 01 / 63 / 2016
- पतरातू ए/बी/सी का पीआर
- सतग्रामू एरिया, ईसीएल के तहत कलिदासपुर परियोजना, सतग्राम परियोजना, सतग्राम इन्क्लाइन, प्योरसियर सोल, जे.के.नगर कोलियरी में मेन राइडिंग प्रणाली को लागू करने की योजना की तैयारी
- 5 हेड गियर केंद्रा एरिया, ईसीएल के हेड गियर का स्थायित्व विश्लेषण
- के.बी. 10 / 12 पिट, पीबी एरिया, बीसीसीएल के 10,11 एवं 12 पिट में हेड गियर का स्थायित्व विश्लेषण
- दहनकासा भूमिगत खान, डब्ल्यूसीएल के लिए 3 डी धंसान पूर्वानुमान एवं प्रबंधन पूर्वानुमान।
- पिपरवार भूमिगत खान, सीसीएल में रिस्क गेन शेमरिंग आधार पर सीएम के नियोजन के लिए बीड दस्तावेज की तैयारी

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

- पी.बी. परियोजना, पी.बी. एरिया, बीसीसीएल के ईस्ट वाइन्डर के 2 पिटों के हेडगियर संरचनाओं का स्थायित्व विश्लेषण
- भुरकुंडा खाना'बी'कॉलियरी, सीसीएल के लोअर सीमाना के लिए केविंग विधि से ओबी डम्पिंग के प्रभाव एवं पिलरों के स्थायित्व के लिए वैगानिक अध्ययन

3.2 खुली खदान खनन (ओपेनकास्ट माइनिंग)

- पूरे किए गए बड़े / महत्वपूर्ण बाहरी परामर्शी :
- मेसर्स आईसीवीएल (मोजाम्बिक) के बेंगा कोल परियोजना के लिए संभाव्यता अध्ययन
 - मेसर्स जेएसएमडीसी के पताल ईस्ट कोल ब्लॉक के लिए खनन योजना
 - मेसर्स जीएसईसीएल के गरे-पेल्मा सेक्टर-। के लिए खनन योजना एवं परियोजना रिपोर्ट
 - मेसर्स टाटा स्टील के वेस्ट बोकारो लीज होल्ड के लिए खनन योजना
 - मेसर्स ओसीपीएल के मनोहरपुर कोल ब्लॉक के लिए एमडीओ के चयन हेतु आरएफी एवं माइन सर्विसेज अससेमेंट डाक्यूमेंट के ड्राफ्ट की समीक्षा (पुनरीक्षण)
 - मेसर्स सीईएससी के सरिसाटोली खुली खदान खाना के लिए तकनीकी-आर्थिक विकल्प का अध्ययन

पूरे किए गए कोल इंडिया के प्रमुख कार्य इस प्रकार है :

- बलराम ओसीपी, एमसीएल का परियोजना रिपोर्ट
- पीक्यू ओसीपी, एनईसी के लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट
- जागुन ओसीपी, एनईसी के लिए परियोजना रिपोर्ट
- क्यादा चौधर गरियापानी ओसीपी, ईसीएल के लिए वित्तीय मूल्यांकन एवं लागत अद्यतन
- हाई एंगल कन्वेयर सिस्टम पर संभाव्यता अध्ययन" नामक कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत विकसित और पूरी की गई" हाई एंगल कन्वेयर सिस्टम" (एचएसी) के कार्यान्वयन के लिए कोल इंडिया और गैर कोल इंडिया के एक खान की पहचान पर रिपोर्ट
- कोल इंडिया के खुली खदान खानों की क्षमता का मूल्यांकन 01.04.2018 के अनुसार प्रोजेक्शन

- वर्ष 2016–17 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खदान खानों के लिए क्षमता और क्षमता उपयोग का मूल्यांकन
- कोल इंडिया लिमिटेड के सभी अनुषंगी कंपनियों के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान एचईएमएम के कार्यनिष्ठादान विश्लेषण
- वर्ष 2016–17 के दौरान कोल इंडिया के डम्परों और एक्सकेवेटरों का कार्यनिष्ठादान विष्लेषण और सारांश
- वर्ष 2016–17 के दौरान एक्सप्लोसिव्स, डीजल एवं इलेक्ट्रीक पावर के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के खुली खदान खानों में विशिष्ट खपत का विश्लेषण
- नई चालू एचईएमएम के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के प्लांट संख्या का आवंटन तथा डाटाबेस का अद्यतनीकरण

कोयला मंत्रालय के अन्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- ऑक्सन के लिए कोयला ब्लॉकों के इंट्रीन्सीक वैल्यू का निर्धारण
- खनन योजनाओं की तकनीकी संवीक्षा
- कोल इंडिया लिमिटेड के अतिरिक्त कोयला ब्लॉकों के लिए स्थिति रिपोर्ट

4.0 अभियंत्रण सेवाएँ

4.1 सिविल अभियंत्रण सेवाएँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण / बड़ी सेवाएँ पूरी की गई :

परियोजना आयोजन कार्य

क) निम्नलिखित के सिविल पार्ट के पीआर की तैयारी / लागत आकलन :

- मोजाम्बिक के टेटे प्रोविंस में मेसर्स आईसीवीएल का बेंगा कोल परियोजना
- गरे पेल्मा सेक्टर-।
- होहिणी-केरकटटा ओसीपी
- कोटरे बसंतपुर, सीसीएल
- रमना गाड़े इंडिकाटा, सेल
- बलराम ओसीपी, एमसीएल



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

ख) पूरे वर्ष के दौरान पीएडी द्वारा तकनीकी जांच के लिए इस विभाग को अग्रसारित विभिन्न रिपोर्ट हेतु पीआर/आरपीआर की तकनीकी जांच

सिविल एवं वास्तुशिल्पीय विस्तृत डिजाइन कार्य :

- क) कुसमुण्डा क्षेत्र, एसईसीएल के लिए नगर का वास्तुशिल्पीय एवं संरचनात्मक परामर्श।
- ख) एमसीएल के लिए मानक क्वार्टर एवं एमसीएल के बसुंधरा, गर्जनबहल तथा हिंगुला क्षेत्र के लिए नगर योजना की वास्तुशिल्पीय तथा संरचनात्मक ड्राईंग की तैयारी।
- ग) विजय वेस्ट और रानी अटारी भूमिगत खान, चिरीमिरी क्षेत्र, एसईसीएल के टाउनशिप के लिए अग्रिम प्लानिंग।
- घ) बसुंधरा क्षेत्र, एमसीएल के लिए 2.24 लाख रु. वाले निम्न लागत के घर का डिजाइन।

निविदा दस्तावेज की तैयारी :

- क) अमलोहरी वर्कशॉप एक्सपेंसन के लिए एनआईटी की तैयारी।
- ख) एनसीएल के कृष्णशीला परियोजना के लिए समेकित बाह्यस्राव उपचार संयंत्र हेतु संशोधित योजना और निविदा दस्तावेज की तैयारी।
- ग) एसईसीएल के कोरबा क्षेत्र के माणिकपुर ओसीपी / 3.5 मी.ट.प्र.व.) में इनपिट क्रिंशिंग व्यवस्था के लिए एनआईटी की तैयारी।
- घ) पुरनाडीह सबस्टेशन, सीसीएल के लिए एनआईटी की तैयारी।
- ड.) जयंत इंक्रीमेंटल सीएचपी (15 मी.ट.प्र.व.), एनसीएल के लिए टर्न की निविदा दस्तावेज की तैयारी।
- च) तापिन और पुरनाडीह वर्कशॉप, सीसीएल के लाए टर्न की निविदा दस्तावेज की तैयारी।
- छ) कुसमुण्डा वर्कशॉप (50 मी.ट.प्र.व.), एसईसीएल के निविदा दस्तावेज और ड्राईंग संवीक्षा की सिस्टम डिजाइन, तैयारी।

योजना/रिपोर्ट की तैयारी :

- क) आईडब्ल्यूएसएस, खादिया, एनसीएल में जल उपचार संयंत्र की क्षमता में वृद्धि के लिए डिजाइन और प्लानिंग
- ख) कोयला नगर, बीसीसीएल के लिए एसटीपी हेतु योजना की तैयारी।

संरचनात्मक पर्याप्तता अध्ययन :

- क) बैकुंठपुर एरिया, एसईसीएल (कुल 5 सीएचपी) में विभिन्न सीएचपी का संरचनात्मक पर्याप्तता अध्ययन
- ख) ककरी एवं खादिया, एनसीएल के सीएचपी का संरचनात्मक पर्याप्तता अध्ययन
- ग) बीणा सीएचपी (डिशेलिंग संयंत्र सहित), एनसीएल का संरचनात्मक पर्याप्तता अध्ययन

डिजाइन/ड्राईंग संवीक्षा

- क) हुरा "सी" राजमहल क्षेत्र के मृदा संरक्षण योजना के लिए चेक डैमों, डिसिलेशन चेक डैमों की तकनीकी संवीक्षा।
- ख) ब्लॉक "बी" खुली खदान परियोजना, एनसीएल के लिए टर्न की आधार पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की प्लानिंग, डिजाइन, निर्माण, परीक्षण एवं चालन।
- ग) बीसीसीएल में मधुबंद तीव्र लदान प्रणाली के ड्राईंग की संवीक्षा।
- घ) पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी (2.5 मी.ट.प्र.व. क्षमता), बीसीएल के ड्राईंग की जाँच।
- ड.) xv सीम, मूनीडीह, बीसीसीएल में सब-स्टेशन फाउंडेशन एवं प्रशासनिक भवन के डिजाइन एवं संरचनात्मक विवरण की जाँच।

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

- क) अनुसंधान एवं विकास परियोजना— बैक-फील्ड ओपेनकास्ट कोल माइन्स का निर्माणाधीन संरचनाएँ: व्यवहार्य मेथेडोलॉजी सुझाने का एक प्रयास



स्थल चित्र : वीणा सीएचपी, एनसीएल के लिए संरचनात्मक पर्याप्तता अध्ययन

4.2 वैद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रणा सेवाएँ :

कार्य वर्ष 2017-18 में संपन्न किया गया।

4.2.1 खान आयोजना (आधारभूत संरचना)

• परियोजना रिपोर्ट की तैयारी

क) सीएमपीडीआई, (मु.), राँची द्वारा पताल फास्ट (जेएसएमडीसीएल), जागुन ओसीपी (एनईसी), पीक्यूओसीपी (एनईसी) और तिराप ओसीपी (एनईसी)

ख) क्षेत्रीय संस्थान- । द्वारा परसिया बेल वैदरी, आर्गनाइजेशन भूमिगत, तिलाबोनी भूमिगत खान, सिदुली भूमिगत, नारायणकुरी ओसीपी, लखीमाता ओसीपी, नकराकोंडा कुमारडीही बी ओसी, मोहनपुर ओसीपी, नार्थ सियरसोल ओसी पैच निरसा ओसी पैच ओर इटापारा ओसी पैच

ग) क्षेत्रीय संस्थान- । द्वारा कल्याणेश्वरी ओसीपी, जयरामपुर ओसीपी, राजापुर ओसीपी का खनन योजना, न्यू गोधूर कुसुण्डा कोलियरी का खनन योजना, कंदुआडीह खान का

खनन योजना और अमलगेमेटेड जोयरामपुर कोलियरी में खान से निपटने की योजना।

घ) क्षेत्रीय संस्थान- ।।। द्वारा कोटरे बसंतपुर ओसीपी, हजारीबाग क्षेत्र (5 मी.ट.प्र.व.), सिरका ओसीपी, अरगड़डा क्षेत्र (1.5 मी.ट.प्र.व.), राहिणी केरकेट्टा ओसीपी, एन.के.एरिया (10 मी.ट.प्र.व.), और तेतरियाखार ओसीपी, राजरप्पा क्षेत्र (2.5 मी.ट.प्र.व.) ,

घ.) क्षेत्रीय संस्थान- ।। द्वारा पीआर कोंधा हरदोला ओसी खान (7.0 मी.ट.प्र.व.), पीआर सिलेवारा डीप भूमिगत खान (3.00 मी.ट.प्र.व.), पीआर संगम भूमिगत खान (4.00 मी.ट.प्र.व.), पीआर विष्णुपुरी भूमिगत से ओसी खान (2.00 मी.ट.प्र.व.), आरपीआर भटाडी ओसी माइन (2.0 मी.ट.प्र.व.), और पीआर मुरपार एक्सपेंशन भूमिगत खान (0.87 मी.ट.प्र.व.) ।

च) क्षेत्रीय संस्थान- ।।। द्वारा बोदरी भूमिगत 1.52 मी.ट.प्र.व., करकट्टी भूमिगत 0.72 मी.ट.प्र.व., दामिनी ओसी 1.50 मी.ट.प्र.व. और पोरदा चिम्पटापानी ओसी (15 मी.ट.प्र.व.) ।



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

छ) क्षेत्रीय संस्थान-6 अमेलिया ओसीपी (7 मी.ट.प्र.व.), के लिए पी आर, वाहय परामर्शी कार्य।
ज) क्षेत्रीय संस्थान-7 द्वारा कुल्दा गर्जन बहल (40 मी.ट.प्र.व.), के लिए पीआर का मसौदा, भरतपुर-रिअर्गेनाइजेशन (20 मी.ट.प्र.व.), के लिए पीआर, लखनपुर-बेलपहाड़-तिलारी समेकित (30 मी.ट.प्र.व.), के लिए पीआर, भुवनेश्वरी एक्सपेंसन (38 मी.ट.प्र.व.), के पीआर का मसौदा और बैतरनी वेस्ट ओसीपी (15 मी.ट.प्र.व.), के लिए पीआर।

- **परियोजना रिपोर्ट/लागत प्राक्कलन का अद्यतनीकरण :**

- **क्षेत्रीय संस्थान-I**

बंकोला भूमिगत के लिए रिकास्ट पीआर और चित्र ओसीपी के लिए आरसीई

- **क्षेत्रीय संस्थान-III**

कोनार ओसीपी रिकास्ट, बीएंड के क्षेत्र (8.मी.ट.प्र.व.), अप्रपाली ओसीपी रिकास्ट, एमएंडए एरिया (25 मी.ट.प्र.व.), मगध ओसीपी के लिए यूरीई, एमएंडए क्षेत्र (51 मी.ट.प्र.व.) और नार्थ उरीमारी ओसीपी के लिए यूरीई, बड़का सयाल एरिया (7.5 मी.ट.प्र.व.)।

- **क्षेत्रीय संस्थान-IV**

रिकास्ट पीआर शारदा भूमिगत खान, कुम्भरखानी भूमिगत से ओसी तक का पीआर, पीआर धूपतला (सस्ती भूग. से ओसी तक), पीआर धाऊ नार्थ भूमिगत खान, रिकास्ट पीआर गांधीग्राम भूमिगत खान, पीआर शारदा भूमिगत खान के पीआर गोंदेगाँव घटरोहन ओसी द्वितीय अद्यतन, पीआर तावा-||| भूमिगत खान, पीआर गौरी सेंथ्रल ओसी खान, पीआर विसापुर ओसी खान, पीआर पठनी संयुक्त खुली खदान खान और पीआर सिलोरी ओसी खान।

- **क्षेत्रीय संस्थान-VI**

बीणा-ककरी अमलगेमेशन ओसीपी (10 मी.ट.प्र.व.) के पीआर का रिकास्ट और सिमरिया ओसीपी (2 मी.ट.प्र.व.) के पीआर के रिकास्ट का मसौदा।

- **क्षेत्रीय संस्थान-VII**

गोपालजी पीआर (30 मी.ट.प्र.व.) का आरसीई और कनिहा ओसीपी (10 मी.ट.प्र.व.) का आरसीई।

4.2.2 कोल हैंडलिंग प्लांट (कोयला निपटान संयंत्र)

- **ई-निविदा/निविदा दस्तावेजों की तैयारी**

- **मुख्यालय**

जयंत इंक्रीमेंटल सीएचपी (15 मी.ट.प्र.व. वृद्धि), एनसीएल, दुधीचुआ इंक्रीमेंटल चरण-||| सीएचपी (10 मी.ट.प्र.व.), एनसीएल, माणिकपुर सीएचपी, एसईसीएल, हुरा सी सीएचपी (30 मी.ट.प्र.व.), ईसीएल, कोट्टाडीह सीएचपी (10 मी.ट.प्र.व.), ईसीएल, झांझरा भूमिगत (1.0 मी.ट.प्र.व.), ईसीएल और कोनार सीएचपी (8.0 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल

- **क्षेत्रीय संस्थान-I**

सिलो सहित सीएचपी के लिए योजना का मसौदा और सोनपुर-बाजारी ओसीपी (12.0 मी.ट.प्र.व.) के लिए आरएसएस, सिलो सहित सीएचपी के लिए अंतम योजना और सोनपुर-बाजारी ओसीपी (12.0 मी.ट.प्र.व.) के लिए आरएसएस एनआइर्टी ऑल वॉल्यूम और सिलो सहित सीपीएस तथा सोनपुर बाजारी ओसीपी (12.0 मी.ट.प्र.व.) के लिए आरएसएस।

- **क्षेत्रीय संस्थान-II**

पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी के लिए आरएलएस के निविदा दस्तावेज का रूपांतर।

- **क्षेत्रीय संस्थान-III**

नार्थ उरीमारी सीएचपी (7.5 मी.ट.प्र.व.) और मगध सीएचपी (20 मी.ट.प्र.व.)

- **क्षेत्रीय संस्थान-V**

कुसमुण्डा ओसीपी और गेवरा इनपिट कन्वेंशन सिस्टम (इलेक्ट्रीकल) में कुसमुण्डा सीएचपी चरण-||| 10 मी.ट.प्र.व., 2x40 / 50 एमवीए, 132 / 33 केवी सब स्टेशन।

सीएचपी/वर्कशॉप का संवीक्षा/अनुमोदन

- **मुख्यालय**

कृष्णशीलामुख्य सीएचपी, एनसीएल, खादियाचरण-||| (6.0 मी.ट.प्र.व.) सीएचपी,

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

एनसीएल, एक्सपेंसनसीएचपी (इनपीट क्रशिंग सिस्टम), केवलमेकेनेकिलपार्ट, एसईसीएल

• क्षेत्रीय संस्थान-V

कुसमुण्डा सीएचपी चरण-। कुसमंडा ओसीपी में 10 मि.ट.प्र.व., 2x40 / 50 एमवीए, 132 / 33 केवी सबर्टेशन और गेवरा इनपिट कन्वेर्झिंग सिस्टम (इलेक्ट्रीकल)

• क्षेत्रीय संस्थान-VI

एनसीएल के नेहरू शताब्दी चिकित्सालय के लिए केंद्रीयकृत वायु संवातन

• क्षेत्रीय संस्थान-VII

सिलो लोडिंग अरेंजमेंट (100 प्रतिशत) के साथ लिंगराज सीएचपी (15 मी.ट.प्र.व.), पाइप कन्वेयर जो कोल इंडिया का पहला पाइप कन्वेयर परियोजना है, के साथ हिंगुला सीएचपी (10 मी.ट.प्र.व.) और सिलो निर्माण (95 प्रतिशत) पाइप कन्वेयर (25 मी.ट.प्र.व.) सहित भुवनेश्वरी सीएचपी के प्रमुख संरचना कीजीए और 132 / 33 के.टी. नांदिरा सब-स्टेशन (80 प्रतिशत) का आगमेंटेशन

4.2.3 वर्कशॉप एवं स्टोर : ई-निविदा दस्तावेजों की तैयारी

• मुख्यालय

कुसमुण्डा वर्कशॉप, एसईसीएल और अमलोहरी वर्कशॉप, एनसीएल

• क्षेत्रीय संस्थान-III

तापिन वर्कशॉप और पुरनाडी वर्कशाप

4.2.4 एफबीसी आधारित विद्युत संयंत्र

• मुख्यालय

कोनाट ओसीपी सीसीएल के रिकास्ट पीआर के लिए एफबीसी आधारित टीपीपी पर चैप्टर अप्रपाली ओसीपी, सीसीएल के रिकास्ट पीआर के लिए एफबीसी आधारित टीपीपी पर

चैप्टर, मोजाम्बिक में आईसीवीएल कोयला प्रोजेक्ट के संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट के लिए एफबीसी आधारित टीपीपी (तकनीकी आर्थिक संभाव्यता) पर चैप्टर तथा संशोधित कार्य क्षेत्र के साथ 3x10 एमडब्ल्यू चिनाकुटी टीपीपी, ईसीएल के लीजिंग के बिड डक्यूमेंट

4.2.5 ऊर्जा अंकेक्षण तथा बैच मार्किंग

- मुख्यालय, राँची द्वारा निम्नलिखित अनुषंगी कंपनियों के लिए कोल इंडिया के इकनवे (91) खुली खान हेतु वार्षिक डीजल बैच मार्किंग
- बीसीसीएल का 14 ओसीपीएस, सीसीएल का 30 ओसीपीएस, ईसीएल का 8 ओसीपीएस, एमसीएल का 12 ओसीपीएस, एमसीएल का 10 ओसीपीएस, एसईसीएल का 10 ओसीपीएस तथा डब्ल्यूसीएल का 14 ओपीएस, मुख्यालय, राँची द्वारा सीसीएल के परेज ईस्ट ओसीपी, क्षे.सं.-2, धनबाद द्वारा एमटीएसटी ओसीपी, लोदना एरिया बीसीसीएल, क्षेत्र सं.-4, सिंगरोली द्वारा केदला ओसीपी तथा अमलोरी ओसीपी के लिए डीजल खपत मानक (नाम्स) का विस्तृत डीजल बैच मार्किंग तथा उपकरणवार (ईविपमेंटवाइज) निर्धारण।
- मुख्यालय द्वारा निगाही ह ओसीपी, एमसीएल क्षे.सं.-2, धनबाद द्वारा सहीबारी ओसीपी बीसीसीएल तथा क्षे.सं.-4, नागपुर द्वारा चतरपुर- ॥, यूजी माइन, पाथरखेरा क्षेत्र तथा मानेगाँव ओसी माइन के लिए विद्युत ऊर्जा अंकेक्षण तथा बैच मार्किंग

4.2.6 विद्युत आपूर्ति, वितरण तथा नियंत्रण प्रणाली

- मुख्यालय, राँची द्वारा नए लोकेशन पर अतिरिक्त 1x40 एमवीए पावर ट्रांसफरमर द्वारा क्षमता एमेगेशन के साथ 132 / 33 केवी, 2x40 एमवीए मछौली स्टेशन के शिपिटंग के लिए ई-टेंडर डक्यूमेंट।
- क्षेत्रीय संस्थान-3, राँची द्वारा मगध ओसीपी, सीसीएल के लिए 2x10 एमवीए 33 / 6.6 केवी सब स्टेशन हेतु ई-टेंडर डक्यूमेंट।
- क्षे.सं.-3, राँची द्वारा डीवीसी के प्रस्तावित सब-स्टेशन से मगध ओसीपी सीसीएल के प्रोजेक्ट एस/एस को पावर उपलब्ध कराने के लिए 33 केवी ओएच ओएल हेतु ई-टेंडर डक्यूमेंट।



- क्षेत्रीय संस्थान—3, राँची द्वारा डीवीसी के प्रसतावित सब—स्टेशन से अप्रपाली, सीसीएल के प्रोजेक्ट एस/एस को पावर उपलब्ध कराने के लिए 33 केवी ओएचटीएस हेतु ईंटेंडर डक्यूमेंट।
- क्षेत्रीय संस्थान—5 द्वारा कुसमुण्डा ओसीपी एसईसीएल में 3, एमआईटी
- क्षेत्रीय संस्थान—5, बिलासपुर द्वारा दिपका ओसीपी के 3,33 केवी सब—स्टेशन का बैलेंस कार्य के लिए एनआईटी
- क्षेत्रीय संस्थान—5, बिलासपुर द्वारा ओसीपी, एसईसीएल के 3,33 केवी सब—स्टेशन का जैलेंस कार्य के लिए एनआईटी
- क्षेत्रीय संस्थान—5, बिलासपुर द्वारा गेवरा एक्सपेंशन (35—70 मि.र.व.) के 220/33 केवी 2x100 सब—स्टेशन के लिए एमआईटी
- क्षेत्रीय संस्थान—6, सिंगरौली द्वारा खादिया असीपी एनसीएल के कॉलोनी सब—स्टेशन के लिए एनआईटी तथा खादिया के ओबी स्टेशन के लिए एनआईटी।
- क्षेत्रीय संस्थान—7, भुवनेश्वर द्वारा अनन्ता ओसीपी, एमसीएल में 2x4 एमवीए 33/3.3 केवी सबस्टेशन के लिए ईंटेंडर डक्यूमेंट

4.2.7 सौर ऊर्जा पर उठाये गए कदम (सोलर इनिसियेटिव)

- एनईसी के कार्यालय भवन के लिए 12 केडबल्यूपी रूफ टॉप का टैंडर डॉक्यूमेंट, एनआईटी सुपुर्द। मुख्यालय, राँची द्वारा कार्य प्रगति में है।
- क्षेत्रीय संस्थान—1, आसनसोल द्वारा सीएमपीडीआई, राँची तथा क्षेत्रीय संस्थान—1, आसनसोल के कैम्पस में 80 केडबल्यूपी रूफ टॉप सोलर माइक्रो पावर प्लांट (एसपीपी) की आपूर्ति, प्रतिस्थापन, कमिशनिंग।
- क्षेत्रीय संस्थान—4 नागपुर द्वारा क्षेत्रीय संस्थान—4 के कार्यालय भवन के 50 केडबल्यूपी रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट का आपूर्ति, संस्थापन, संचालन (कमीशनिंग)
- क्षेत्रीय संस्थान—5, नागपुर क्षरा क्षेत्रीय संस्थान—4 में कॉलोनी में 25 सोलर लीड की आपूर्ति प्रतिस्थापन तथा कमिशनिंग।

- क्षेत्रीय संस्थान—4 नागपुर द्वारा मुरपार कैम्प—टीसीआर स्टेज में 5 एचपी सोलर सबमर्सिबल पम्प की आपूर्ति, संस्थापन, परिचालन
- क्षेत्रीय संस्थान—5, बिलासपुर द्वारा सीएमपीडीआई कॉलोनी के प्ले ग्राउंड में इनर्जी इफिसियेंट एलईडी फलड़ लाइट लगाया जा चुका है।
- क्षेत्रीय संस्थान—7, भुवनेश्वर द्वारा सीएमपीडीआई आवासीय कॉलोनी भुवनेश्वर में एलईडी का प्रतिस्थापन।

4.2.8 अन्य रिपोर्ट :

- मुख्यालय, राँची द्वारा (पिपरवार, अशोक, पुरानडीह, रोहिणी, डकरा, केडीएच) 6 ओसीपीएस सीसीएल इल्यूमिनेशन सर्वे।
- मोजाम्बिक (ईंडंडरम पार्ट) में आईसीवीएल कोयला प्रोजेक्ट के लिए संभाव्यता अध्ययन पर रिपोर्ट तैयार किया गया तथा मुख्यालय, राँची द्वारा सुपुर्द कर दिया।
- मुख्यालय, राँची द्वारा भारत के माननीय न्यायालय की सेंट्रल इम्पावर्ड कमिटि (सीईसी) के निर्देशानुसार बेलेरी, चित्रदुर्गा के जिला में कर्नाटक के 7 आईरन और माइन्स के लिए कन्वेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का संभाव्यता अध्यन्चालित किया गया।
- मुख्यालय, राँची द्वारा कृष्णाशील वर्कशॉप में डम्पर वाशिंग स्टेशन की डिजाइन ड्राईंग्स तथा इस्टीमेट के लिए टैंडर डक्यूमेंट
- मुख्यालय, राँची द्वारा कृष्णाशीला ओसीपी एनसीएल में ईटीपी पर योजना तथा एमआईटी
- मुख्यालय, राँची द्वारा, खादिया ओसी, एनसीएल में आईडब्ल्यू एसएस सिस्टम के लिए मैकनिकल कॉस्ट इस्टीमेट।
- क्षेत्रीय संस्थान—2, धनबाद द्वारा झारिया एक्शन मार्टर प्लान तथा अन्य तकनीकी परामर्श का प्रेसपेक्टिव प्लानिंग कार्यान्वयन
- क्षेत्रीय संस्थान—3, राँची द्वारा नार्थ धाधु, सीसीएल का ब्लॉक मूल्यांकन
- ऑपरेशनल प्लान : क्षेत्रीय संस्थान—4, नागपुर द्वारा मुंगोली निरगुदा डब्ल्यूसीएल के लिए स्वाल्ड डिजाइन तथा ड्राइंग

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

- क्षेत्रीय संस्थान-4, नागपुर द्वारा डब्ल्यूसीएल, मुख्यालय कार्यालय भवन, कोयला विहार, सिविल लाइन्स नागपुर
- विद्युत ऊर्जा अंकेक्षण क्षे.सं.-4, नागपुर द्वारा एमसीएल कमांड एरिया के अन्तर्गत गैर-सीआईएल ब्लॉक की वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन
- फुलजारी ओसी माइन्स, (2.5 मी.ट.प्र.व.)
- करदा बहल-ब्राह्मण बिल ओसी माइन (25.00 मी.ट.प्र.व.)
- बुद्ध जोरिया ओसी माइन (15.00 मी.ट.प्र.व.)
- जमकानी बिजाहन ओसी माइन (15.00 मी.अ.प्र.व.)
- क्षेत्रीय संस्थान-4, सिंगरौली द्वारा जयंत, दधिचुआ, निगाही तथा अमलोहरी ओसीपीएस

के लिए पम्पिंग पुनर्गठन रिपोर्ट

4.2.9 निरीक्षण सेवाएँ

- निर्माण कार्यों (मैनुफेक्चर वर्क) पर कोल इंडिया की सभी अनुषंगियों द्वारा खरीद किए गये प्लांट एवं मशीनरी के लिए प्रेषणपूर्व निरीक्षण सेवाएँ
- वर्ष 2016–17 के लिए सीएमपीडीआई द्वारा सर्विस से प्राप्त अर्जित राजस्व लगभग 2.61 करोड़ रु. है।

4.2.10 एनडीटी (नन डिस्ट्रिक्टिव अस्ट्रिंग) कार्य

- मुख्यालय, राँची, क्षेत्रीय संस्थान-5, बिलासपुर तथा क्षेत्रीय संस्थान-7, भुवनेश्वर द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान किए गये एनडीटी कार्य का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1 में दिया गया है, जो इस प्रकार है :

परिशिष्ट - 1

क्र.सं.	विषय	जॉब नंबर	एरिया/कंपनी	ईडीएस	दिनांक
1.	क) निगाही प्रोजेक्ट एमसीएल में 6 शॉवेल का गैर-विधंषक परीक्षण(एनडीटी) ख) दधिचुआ प्रोजेक्ट एमसीएल में 24 / 96 ड्रेगलाइन ज्याला का एनडीटी ग) निगाही प्रोजेक्ट एनसीएल में पीरंडेच 1900 एएस शॉवेल (07) तथा 182 एमएसी परियोजना शॉवेल (02) का एनडीटी) घ) वीणा प्रोजेक्ट एनसीएल में 24 / 96 ड्रेगलाइन सौरभ का एनडीटी च) डीटी के प्रोजेक्ट एनसीएल में 20 / 90, ड्रेगलाइन “विधवामाथ” का एनडीटी छ) अमलोहरी प्रोजेक्ट एनसीएल में 24 / 90 ड्रेगलाइन अजय का एनडीटी ज) जयंत प्रोजेक्ट एनसीएल में सीएचपी तथा बंकर का एनडीटी	014616138 014616138 014616138 014617088 014617088 014617088 014617089	एनसीएल एनसीएल एनसीएल	150 300 40 40 40 50	12.04.2017 15.09.2017 20.09.2017 04.12.2017 08.12.2017 26.03.2017 26.03.2017
2.	केंडीएच प्रोजेक्ट में 02 नं. केंएच-5शॉवेल का अनाशक परीक्षण (एनडीटी) तथा रेहिणी प्रोजेक्ट एनके एरिया में 02 इंकेजी-5 शॉवेल का अनाशक परीक्षण (एनडीटी)	014313042	एनके एरिया सीसीएल	96	26.04.2017
3.	हिंगुला एरिया, एमसीएल, हिंगुला ओसीपी का ईंकेजी-5 (01) तथा 5 एक्स वेटर का अनाशक परीक्षण	014716025	हिंगुला एरिया सीसीएल एमसीएलएमसीएलसीसीएल	100	25.04.2017 15.06.2017
4.	खुरजा तथा कपिलधारा, माइन्स हसदेव एरिया, एसईसीएल में 8 सर्फेस बंकर्स का अनाशक परीक्षण (एनडीटी)	014516024	हसदेव एरिया एसईसीएल एमसीएलएमसीएलसीसीएल	40	25.05.2017
5.	झिरिया भू.ग.हसदेव एरिया, एसएसईसीएल में सर्फेस बंकर्स का अनाशक परीक्षण (एनडीटी)	014515134	हसदेव एरिया एसईसीएल एमसीएलएमसीएलसीसीएल	40	29.05.2017
6.	लिंगराज ओसीपी, लिंगराज एरिया, एमसीएल बंकर्स तथा सीएचपी के सर्फेस का अनाशक परीक्षण (एनडीटी)	014716145	लिंगराज एरिया एमसीएल एमसीएलएमसीएलसीसीएल	90	19.06.2017
7.	सोहागपुर क्षेत्र एसईसीएल में दामिनी भू.ग.खान में संरचना तथा कोयला बंकर्स का अनाशक परीक्षण (एनडीटी)	014516306	सोहागपुर एरिया एसईसीएल एमसीएलएमसीएलसीसीएल	35	30.08.2017
8.	सोहागपुर एरिया एसईसीएल में खैरहा यूजी माइन्स में सीएचपी एवं बंकर्स का अनाशक परीक्षण (एनडीटी)	014517024	सोहागपुर एरिया एसईसीएल एमसीएलएमसीएलसीसीएल	32	30.08.2017
9.	चन्दपुर एरिया, डब्ल्यूसीएल पदमपुर ओसीपी में सीएचपी का अनाशक परीक्षण (एनडीटी)	014417046	चन्दपुर एरिया डब्ल्यूसीएल एमसीएलएमसीएलसीसीएल	40	30.08.2017
10.	क) चन्दपुर एरिया, डब्ल्यूसीएल में सीएचपी तथा वाइन्डर घटक का अनाशक परीक्षण ख) बल्लारपुर एरिया, डब्ल्यूसीएल में वाइन्डर घटक का अनाशक परीक्षण (एनडीटी)	014415120	चन्दपुर एरिया डब्ल्यूसीएल एमसीएलएमसीएलसीसीएल	147	09.10.2017 23.10.2017
11.	बसुन्धरा एरिया एमसीएल में एचईएमएस का अनाशक परीक्षण (एनडीटी)	014715171	बसुन्धरा एरिया एमसीएल एमसीएलसीसीएल	200	09.10.2017



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

12.	तालचर एरिया एमसीएल में वाइन्डर घटक का अनाशक परीक्षण (एनडीटी)	014717063	तालचर एरिया एमसीएल एमसीएलएमसीएलसीसीएल	35	20.10.2017
13.	मुनीडीह प्रोजेक्ट डब्ल्यू जेएरिया बीसीसीएल में वाइन्डर (4) तथा सीजीएस घटक का अनाशक परीक्षण (एनडीटी)	014217076	सड़ब्ल्यूजे एरिया बीसीसीएल एमसीएलएमसीएलसीसीएल	32	30.08.2017
14.	भटगाँव एरिया, एसईसीएल में सीएचपी/बंकर्स तथा मेन राइडिंग के शापट का अनाशक परीक्षण	014517064	भटगाँव एरिया, एसईसीएल एमसीएलएमसीएलसीसीएल	118	09.01.2018
15.	कन्हान एरिया डब्ल्यूसीएल में नदन वाशरी का अनाशक परीक्षण (एनडीटी)	014416059	कन्हान एरिया डब्ल्यूसीएल एमसीएलएमसीएलसीसीएल	100	19.02.2018
16.	हेण्डीदुधा कोलियरी, तालचर एरिया, डब्ल्यूसीएल में वाइन्डिंग इन्स्टालेशन के घटक का अनाशक परीक्षण	014717043	तालचर एरिया एमसीएल एमसीएलएमसीएलसीसीएल	100	19.02.2018
		कूल	1637 इडीज		

4.2.11 अन्य मुख्य कार्य

• मुख्यालय, राँची

- रेलवे द्वारा डीजल लोकोमोटिव के लुप्त करन की दृष्टि से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वैगन में कोयला के द्रुत लोडिंग को सुगम बनाने के लिए एसआई की डिजाइन आरडीएसआ लखनऊ को सुपुर्द किया गया जो मुख्यालय, राँची द्वारा अनुबंधियों के लिए द्रुत लोडिंग व्यवस्था में कायान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया।
- ईएनआईटी की तैयारी, सीएमपीडीआई के लिए वाहन संचालन एवं रख—रखान किया पर लेने के लिए निविदा की प्रोसेसिंग तथा इसे अंतिम रूप देना।
- ईएंडएम डिवीजन, सीएमपीडीआई, मुख्यालय में क्वालिटी तथा डाटा सिक्यूरिटी को सुनिश्चित करने के लिए सीएमपीडीआई के आईएसओ समेकित प्रबंधन
- ईएंडएम डिविजन में ई—आफिस का कार्यान्वयन

• क्षेत्रीय संस्थान-1, आसनसोल

- सीएमपीडीआई, क्षे.सं.—1, आसनसोल में दो नम्बर ॥ केवी / 400 एएमपी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर तथा दो नंबर 315 केवीए 11 / 0.433 केवी सबस्टेशन।
- केवी वितरित ट्रांसफार्मर की आपूर्ति सीएमपीडीआई, क्षे.सं.—1, आसनसोल में सर्विसिंग तथा 39 बिन्डो टाइप रिप्परिंग 12 स्पिल्ट टाइप रूम एयर कंडीशन तथा कार्यालय एवं कॉलोनी का इलेक्ट्रिकल रख—रखाव के लिए एएमसी
- ईपीएबीएक्स तथा ऑपरेशन का मेटेनेंस तथा 6 विभागीय वाहन के फ्लीट का मेटेनेंस

• क्षेत्रीय संस्थान-2, धनबाद

- मैन्युअल टेंडरिंग तथा ई—टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा क्षेत्रीय संस्थान-2 के सभी पूँजीगत आइटम, रेवेन्यु आइटम तथा सीएआर आइटम की प्राप्ति।
- कार्यालय भवन तथा क्षेत्रीय संस्थान-2 का इलेक्ट्रिकल मेटेनेंस कम्प्यूटर प्रीफेरियल्स ईपीयूजी कनेक्शन, वाहन, यूपीएस सिस्टम, फोटो कॉपियर मशीन, सर्वेलांस प्रणाली लिफ्ट एमपीएलएस लेन प्रणाली तथा वायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का मेटेनेंस

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

• क्षेत्रीय संस्थान-3 राँची

- राँची में मैन्युअल टेंडरिंग तथा ई-टेंडरिंग प्रोसेस के माध्यम से क्षेत्रीय संस्थान-3 के सभी पूँजीगत आइटम, राजस्व आईटम तथा सीएसआर आइटम की प्राप्ति
- सीएमपीडीआई के समेकित प्रबंधन प्रणाली के तहत डाटा बैंक का अद्यतनीकरण
- मुरपार कैप में केवी एडीजी सेट चालू करना

• क्षेत्रीय संस्थान-4 नागपुर

- कैप तथा सब कैप में बायोमेट्रिक उपस्थिति का इन्स्टालेशन
- सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान-4 के इलेक्ट्रिकल सब-स्टेशन तथा डीजी सेट सहित आवासीय तथा कार्यभवन का मेंटेनेंस
- सीएमपीडीआई कैम्पस में लगाये गए सभी यूपीएस सिस्टम, एसीएस, एयर कूलर्स, वाटर कूलर्स फिल्टर्स तथा पंखें इत्यादि का मेंटेनेंस
- टेलीफोन एक्सेंज ब्रॉडबैड, इन्टरक्शन तथा सीयूजी, सीसीटीवी ताति बायोमेट्रिक उपस्थिति विडियों क्रान्केसिंग सिस्टम, पीसीएस, वर्किंग स्टेशन, पेरीफेरियल्स इत्यादि का मेंटेनेंस

• क्षेत्रीय संस्थान-5, बिलासपुर

- सीएमपीडीआई कॉलोनी तथा कार्यालय का इलेक्ट्रिकल मेनटेनेंस
- नये कार्यालय भवन का विद्युतीय कार्य का सुपरविजन
- ड्रिलिंग कैप के ई-प्रोक्यूरमेंट, वाहन, खरीद तथा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में सहायता करना

• क्षेत्रीय संस्थान-7, भुवनेश्वर

- सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान-7, भुवनेश्वर में कार्यालय भवन के सर्वेलांस के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया जा चुका है।
- एलईडी लाइटिंग सिस्टम का इन्स्टालेशन,

इलेक्ट्रिकल कन्ट्रोल रूम का पुनर्गठन तथा प्रत्येक क्वार्टर में जेनरेटर प्लाइंट का प्रावधान विभिन्न कैप के स्तर पर किया जा चुका है जो सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान-7 के ड्रिलिंग लक्ष्य की प्राप्ति की ओर मुख्य सपोर्ट के रूप में कार्य करता है।

- सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान-7, आवासीय कॉलोनी भुवनेश्वर में सांविधिक मानकों के अनुसार बहुमंजिली भवन तथा 4 अतिरिक्त पैसेंजर लिफ्ट लगाया जा चुका है।

4.3 नगर अभियंत्रण

विवेच्य वर्ष 2017–18 के दौरान दी गई सेवाओं में मेंटेनेंस, कन्शट्रक्शन तथा इस्टेट से संबंधित कार्य इसमें शामिल है :

1. भवनों जैसे : कार्यालय भवन, आवासीय स्टाफ क्वार्टर का रख-रखाव, आवश्यक बागवानी कार्य सहित स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण तथा रख-रखाव एवं सफाई का मेंटेनेंस।
2. कार्यालय से संबंधित सभी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक एवं यांत्रिक उपकरणों का रख-रखाव तथा इसकी इन्वेंटरी का मेंटेन करना
3. कार्यालय की कुर्सियों का मेंटेनेंस
4. आवश्यक कदम उठाते हुए जलापूर्ति की व्यवस्था
5. विद्युत का संरक्षण तथा बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए विद्युत का प्रबंधन
6. बिजली बिल, टेलीफोन बिल, जल कर बिल तथा अन्य सांविधिक भुगतान के लिए प्रस्तावों की सुपुर्दग्गी तथा रसीद चेकिंग सुनिश्चित करना
7. नगर-निगम जैसे स्थानीय निकायों के साथ संपर्क
8. वेस्ट पेपर रिसाइकिलिंग प्लांट का ऑपरेशन

सीएमपीडीआई, मुख्यालय के टीई/सीएम प्रभाग में वर्ष 2017–18 के दौरान पूँजीगत कार्य, चालू मरम्मती कार्य, विशेष मरम्मती कार्य तथा सीएसआर कार्यों के अन्तर्गत पूर्ण किए गए तथा चालू कार्य निम्नलिखित है :



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

क्र.सं.	कार्यों का नाम	कार्य का मूल्य
	पूर्ण किए गए कार्य	
1.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय कैप्स रँची में आरसीसी रिपेयर, टेफलेटिंग ओवर रूफ, क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पाइप लाइन तथा रेनवाटर पाइप लाइन का रिप्लेसमेंट सहित एसटीसी तथा कंपनी के भवनों का बाह्य पेन्टिंग	20.14
2.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रँची कैम्पस में फायर फाइटिंग पाइप लाइन तथा रेन वाटर पाईप, तथा क्षतिग्रस्त बाह्य जलापूर्ति पाइप लाइन के रिप्लेसमेंट सहित 1 सी, 2 सी, 1डी, 2 डी बहुमंजली भवन का बाह्य पेन्टिंग	32.14
3.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय कम्पलेक्स रँची में बी टाइप तथा ए टाइप के टॉयलट तथा किचन का नवीकरण तथा मरम्मती	65.03
4.	अयोध्या भवन, बरियातू, रँची में करुणा एनएमओ आश्रम के लिए हॉल का कन्स्ट्रक्शन	22.16
5.	ब्रज किशोर नेत्रहीन विद्यालय, बरियातू की नेत्रहीन छात्राओं के लिए छात्रावास—सह—कम्प्यूटर सेंटर का इन्स्ट्रक्शन तथा प्रमथनाथ मध्य विद्यालय, हिनू, रँची में जलापूर्ति तथा सेंट्रीफ्यूगल पम्प के साथ बोर होल का डिलिंग तथा छात्राओं के लिए टॉयलेट का कन्स्ट्रक्शन	28.26
6.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय कम्पलेक्स, रँची का अपकीप वर्क	64.67
7.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रँची के लिए सिविल इंजीनियरिंग कार्य हेतु तथा एक साल के एमटीएस बरकाकाना के लिए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट	87.62
8.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय कम्पलेक्स रँची मौसमी प्लांट (बाह्य एवं भीतरी) के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट	30.04
9.	सीएमपीडीआई भवन, सीएमपीडीआईएल, रँची के 1,2,3,4 एवं 6 फ्लोर, रोकड़ अनुभाग, टीसी एवं सीएम का पार्ट, वित्त, एसएंडटी एवं विस्फोटक, ओपेनकास्ट प्रभाग, एमएम विभाग, यूएमडी, बीडीडी, पीएंडए विभाग तथा सिविल विभाग का मेंटेनेंस तथा विशेष मरम्मती कार्य	252.02
10.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय कम्पलेक्स रँची तथा पूरक कार्यादेश के अंतर्गत ब्लॉक 1डी (शेष कार्य) ब्लॉक 2 डी, 2सी, 1सी के छज्जा, बीम, स्लैब, कॉलम तथा स्टेयर जैसे क्षतिग्रस्त आरसीसी की रिपेयरिंग	54.55
11.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय रँची में एक साल के लिए पमें का ऑपरेशन तथा मेंटेनेंस सहित गंदे जल उपचार संयंत्र का ऑपरेशन तथा मेंटेनेंस	7.27
12.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रँची में टाव टाइप/फ्लोर माउन्टिंग 3.0 टन क्षमता वाले एयर कंडीशनर को चालू करना तथा आपूर्ति, इन्स्टालेशन एवं टेस्टिंग	1.80
13.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रँची में वेस्ट पेपर रिसाइकिंग प्लांट का ऑपरेशनी	विभागीय तौर पर
	चालू कार्य (ऑन-गोइंग वर्क्स)	
1.	सीएमपीडीआई, रँची में पूराना क्षतिग्रस्त छज्जा, कॉलम, बीम 3 खड़ा हुआ प्लास्टर, पुराने क्षतिग्रस्त जीआई पाइप लाइन का रेन वाटर पाइप लाइन का रिप्लेसमेंट, ब बी सी टाइप क्वार्टर का बाहरी पेंटिंग तथा एक्सक्यूटिव फेमिली हॉस्टल की मरम्मती का कार्य	114.00
2.	सीएमपीडीआई कॉलोनी, रँची के सिवरेज लाइन का री—एरेमेंट	62.37
3.	अंचल शिशु आश्रम रँची में टॉयलट एवं कीचन का निर्माण	10.40
4.	ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय बरियातू के प्रथम तल कन्स्ट्रक्शन	19.52
5.	गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, सीएमपीडीआई कम्पलेक्स, कांके रोड, रांची के लिए क्लास रूम का कन्स्ट्रक्शन	17.35
6.	पतरागोंदा रँची में अक्षर चैरिटेबुल ट्रस्ट “एलई केएचएनवाई” में बाउण्डरी वॉल का कन्स्ट्रक्शन	6.85

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

7.	आवासीय क्वार्टर सीएमपीडीआई मेसर्स बरकाकाना कॉलोनी का स्पेशल रिपेयर एवं मेंटेनेंस कार्य	81.79
8.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय कम्पलेक्स रॉची का अपकीय वर्कर्स	105.54
9.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रॉची में आवासीय क्वार्टरों के लिए सिविल इंजीरिंग कार्य हेतु मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट	77.40
10.	एक वर्ष के लिए सीएमपीडीआई कैम्पस में आवासीय क्वार्टरतथा कायग्लय भवन के लिए मच्छड़ नियंत्रण तथा एन्टी टरमाइट ट्रीटमेंट के लिए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट	6.65
11.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रांची में मौसमी प्लांट(इनडोर एवं आउटडोर) के रख-रखाव सहित गर्डन के लिए वार्षिक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट	50.28
12.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रॉची में आवासीय क्वार्टर एबीसीडी तथा एफएच का आंतरिक पैंटिंग	31.39
13.	एक वर्ष के लिए सीएमपीडीआई कम्पलेक्स रांची (आवासीय तथा गैर आवासीय) का इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्कर्स	45.09
14.	सीएमपीडीआई कार्यालय भवन, रांची में वर्तमान टी-5 ट्यूब लाइन फिटिंग्स के रिप्लेसमेंट के रूप में एलईडी ट्यूब लाइन फिटिंग्स की आपूर्ति तथा इन्स्टालेशन	7.02
15.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रॉची में एक वर्ष के लिए ऑपरेशन तथा पम्पों का रख-रखाव सहित वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आपरेशन एवं मेंटेनेंस	6.76
16.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रांची में सब-स्टेशन के लिए केपियर बैंक (ऑटोमेटिक पावर फेक्टर कॉरकेशन पेनल सिस्टम) की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन	295
17.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रॉची में वेस्ट पेपर रिसाइकिलिंग का ऑपरेशन	विभागीय तौर पर

5.0 अनुसंधान एवं विकास परियोजना

5.1 कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त प्रदत्त एसएण्डटी परियोजना

- 5.1.1 कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) क्रिया-कलापों को सचिव (कोयला) की अध्यक्षता वाली स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) के जरिए प्रशासित किया जata है। इस शीर्ष निकाय के अन्य सदस्यों में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अध्यक्ष, सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीचूट (सीएमपीडीआई) सिंगरौनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) तथा एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशायल (डीजीएमएस) के महानिदेशक, संबंधित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान (सीएसआईआर) प्रयोगशाला परिषद् के निदेशक, एसएण्डटी के विभाग के प्रतिनिधि, नीति आयोग के प्रतिनिधि संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। एसएसआरसी का प्रमुख कार्य अनुसंधान परियोजनाओं की योजना बनाना, कायक्रम एवं बजट तेयार करना और पर्यवेक्षण करना तथा किए गए आरएंडडी कार्यों के निष्कर्ष का अप्लिकेशन माँगना है।
- 5.1.2 एसएसआरसी की सहायता सीएमडी, सीएमपीडीआई की अध्यक्षता वाली तकनीकी उप-समिति करती है। यह समिति कोयला खानों में उत्पादन उत्पादकता तथा सुरक्षा, कोयला परिष्करण एवं उपयोग, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी का संरक्षण आदि से संबंधित अनुसंधान प्रस्ताव पर विचार (डील) करती है।
- 5.1.3 सीएमपीडीआई कोयला क्षेत्र में अनुसंधान क्रिया-कलापों के समन्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें अनुसंधान कार्यों के लिए दबाव वाले क्षेत्र की पहचान, उन एजेंसियों की पहचान जो चिन्हित क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर सकती है, सरकारी अनुमोदन के लिए प्रस्तावों की संवीक्षा एवं कार्यवाही, बजट प्रावक्कलन की तैयारी, कोष का वितरण, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मानिटरिंग आदि शामिल हैं।



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

शुरू की गई एसएंडटी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.3.2018 तक)	.	396
पूरी की गई एसएंडटी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2018 तक)	.	321

5.1.4 वर्ष 2017-18 के दौरान भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि

क) भौतिक उपलब्धि

क) भौतिक कार्यनिष्ठादान

वर्ष 2017-18 के दौरान कोयला एसएंडटी प्रोजेक्ट की स्थिति इस प्रकार है (परिशिष्ट- ॥)

01.04.2017 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	.	13
एसएसआरसी द्वारा अनुमोदित परियोजनाएँ	.	06
पूरी की गई परियोजनाएँ	.	02
01.04.2018 को चालू परियोजनाएँ	.	17

ख) वित्तीय स्थिति

बजट प्रावधान एवं वास्तविक खर्च नीचे की तालिका में द्रष्टव्य है :

2016-2017		2017-2018	
बीई	वास्तविक	बीई	वास्तविक
10.0 (1.0 एनईआर सहित)	10.38	10.0 (1.0 एनईआर सहित)	11.50 (अन अंकेक्षित)

परिशिष्ट-ए

वर्ष 2017-18 के दौरान अनुमोदित कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त प्रदत्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयक एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)
1.	खुली खदानों में विफलता/डाल अस्थिरता का पूर्णानुमान करने के लिए अलीं बर्मिंग रडार का रखदेशी विकास	एसएमईआर, मुम्बई, अर्डे पुणे, सीएसआरई, आईआईटी, मुम्बई, सीएमपीडीआई, राँची तथा एनसीएल सिंगरौली	585.58
2.	कोयला से अशुद्धता दूर करने के लिए कोयला वाशरियों में पानी की खपत अनुकूल बनाने हेतु वाटर नेटवर्क नेटवर्क का डिजाइन	आईआईटी, रुडकी, सीएमपीडीआई, राँची तथा सीसीएल, राँची	18.55
3.	खानों में भूमिगत जल नियंत्रण तथा कन्वेयर प्रणाली का इलेक्ट्रोनिकिकेशन	एनएलसी इंडिया लि, नवेली तथा एनआईटीटी, तमिलनाडु	73.27
4.	कोयला माइनिंग वर्किंग्स में विभिन्न खनन प्रणाली के लिए पिलर्स के पिलर्स/एरिज की डिजाइन एवं स्थिरता	सीआईएमएफआर, धनबाद, आईआईटी—आईएसएम, धनबाद सीएमपीडीआइ राँची, एसईसीएल बिलासपुर, बीसीसीएल, धनबाद तथा एससीसीएल कोठागुदम	562.2
5.	एसिड माइन ड्रेन्ज तथा इनडिम्यूजल मेटल की प्राप्ति के सिमुलेटेन्स रेमिडेशन के लिए हाईब्रिड पीआरईएसआरआई एक्स	आईआई टी, रुडकी, एमईसी मारघेरिटा तथा एससीसीएल कोठागुदम	74.45
6.	इन्टीग्रेटेड बॉयोलाजिकल एप्रोच का इस्मेला करते हुए नेटिव प्लांट स्पेजिसज के साथ मिट्टी का संशोधन तथा रीवेजिरेशन के माध्यम से नार्थ इस्टर्न कोलफिल्ड आसाम को कोल माइन्स भूमि का पुनरुद्धार	आरएफआरआई, जोरहाट तथा एनईसी मारघेरिटा	83.18

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

वर्ष 2017-18 के दौरान अनुमोदित कोयला मंत्रलय (एमओसी) द्वारा वित्त प्रदत्त अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी परियोजना

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयक एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)
1.	आन लाइन कोल वाशिबिलिटी लाइजर का विकास	सीआईएमएफआर, धनबाद तथा मेसर्स आर्ड हाईटेक प्रा. लि. विशाखापत्तनम	849.00
2.	पुनरुद्धारित ओपेनकास्ट कोल माइन्स पर स्टर्टेनेबुल लाइवलीवुड एक्टिविटीज / भारतीय कोयला सेक्टर में इन्टीग्रेटेड समर्थ टेक्नोलॉजी	टीईआरआई / टीईआरआई यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली, सीएमपीडीआई, राँची तथा बीसीसीएल, धनबाद	371.69

5.2 कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा वित्त प्रदत्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ

कोल इंडिया लिमिटेड के घरेलू अनुसंधान एवं विकास का कार्य करने के लिए अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड की अध्यक्षता में अनुसंधान एवं विकास बोर्ड / कार्य कर रहा है। सीएमपीडीआई कोल इंडिया के अनुमोदन के लिए प्रस्तावों की प्रोसेसिंग, बजट प्राक्कलन की तैयारी, निधि का वितरण, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग आदि के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास आधार बढ़ाने के उद्देश्य से कोल इंडिया कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास आधार बढ़ाने के उद्देश्य से कोल इंडिया बोर्ड ने दिनांक : 24 मार्च, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में शीर्षस्थ समिति तथा कोल इंडिया, अनुसंधान एवं विकास बोर्ड को पर्याप्त अधिकार दिया है। अब शीर्षस्थ समिति सभी परियोजनाओं को एक साथ मिलाकर विचार करते हुए प्रत्येक 5.0 करोड़ रुपये कुल मिलाकर 25.0 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की सीमा तक लागत वाली विशिष्ट अनुसंधान विकास परियोजना को मंजूरी देने में समर्थ है तथा कोल इंडिया आरएंडडी बोर्ड प्रत्येक आरएंडडी कार्य के लिए 50 करोड़ रुपये तक मंजूरी देने में समर्थ है। अब तक कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड के कोष के अन्तर्गत 86 परियोजनाएँ शुरू की जा चुकी हैं, जिसमें से 62 परियोजनाएँ मार्च, 2018 तक पूरी की जा चुकी हैं।

वर्ष 2017–18 के दौरान कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार रही :

(परिशिष्ट-बी)

1.4.2016 के अनुसार जारी परियोजनाएँ	—	14
सीआईएल के आरएंडडी बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजना	—	07
1.4.2018 के अनुसार जारी परियोजनाएँ	—	21

वर्ष 2017-18 के दौरान कोल इंडिया आरएंडडी प्रोजेक्ट के लिए कोश का वितरण 59.24 करोड़ (अन-अंकेक्षित) रु. है।



वर्ष 2017-18 दौरान कोल इंडिया आरएण्डडी प्रोजेक्टस् के अनुमोदित कोष :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयक एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)
1.	भारतीय कोकिंग तथा गैर-कॉकिंग की विकसित क्षमता के लिए लागत प्रभावी फ्लोशीट की डिजाइन	आईआईटी एसएमएम, धनबाद तथा सिविल डिवीजन सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची वाशरी डिजीजन, बीसीसीएल, धनबाद, न्यू केसल(एनआईईआर सेंटर) की यूनिवर्सिटी के साथ तकनीकी सहयोग, (न्यू केसल आस्ट्रेलिया)	1266.98
2.	भारत में ओपेन कोल माइन्स में ओवर बर्डेन डमप के बढ़ी हुई ऊँचाई के लिए दिशा-निर्देश (गाइड लाइन्स)	पर्यावरण डिविजन, सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची एवं आईआईटी, दिल्ली	428.08
3.	हाई एश कोल गैसीफिकेशन तथा एशोशिएटेड अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस (कोयला से केमिकल, सीटीसी तक)	आईआईटी, आईएसएम, धनबाद आईआईटी, रुडकी सीएमपीडीआई, राँची, एमसीएल सम्बलपुर, ईसीएल सकतोड़िया तथा सीसीएल, राँची 1. आस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी, कर्नन यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न आस्ट्रेलिया, पर्थ 2. मेलबोर्न की यूनिवर्सिटी विक्टोरिया अस्ट्रेलिया तथा 3. मोनास यूनिवर्सिटी क्लेटोन, विक्टोरिया, आस्ट्रेलिया	2160.721
4.	सर्फेस माइनिंग स्लोप के सेपटीजोन में इन फोर मेटरीसेन थेरिक एपाटचर रडार (जीबीआईएनएसएआई) को प्रयोज्यता एवं कार्यनिष्पादन का निर्धारण	आईआईटी, खड़गपुर तथा ईसीएल सकतोड़िया	478.27
5.	पिट बॉटम तथा अंडर ग्राउंड माइन रोडवेज तथा वर्किंग फेस का सोलर इल्यूमिनेशन पर आधारित ऑप्टीकल फाईबर	आईआईटी, खड़गपुर तथा ईसीएल, सकतोड़िया	155.53
6.	कोयला खान में सुरक्षा तथा उत्पादकता सुधारने के लिए वर्च्युअल रियलिटी माइन सेमुलेटर का विकास	आईआईटी, आईएसएम, धनबाद, यूएमडी, सीएमपीडीआई, राँची, बीसीसीएल, धनबाद, एनसीएल, सिंगरोली तथा एसआईएमटी एआरएस	1410.10
7.	हाई ऐस इंडियन थर्मल कोयला की शुष्क सत्यापन	नेशनल मेटर्लाजिकल लेबोरेटरी (एमएम जमशेदपुर, सीएम विभाग, सीएमपीडीआई, राँची तथा एमसीएल सम्बलपुर	216.77

५.३ एमओयू 2017-18

सीएमपीडीआई के 2017-18 के एमओयू के अनुसार "उत्कृष्ट" रेटिंग के लिए अनसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 1. कम्प्यूटर मॉडलिंग सिमुलेशन द्वारा ओपेनकार्स्ट कोयला खान में हाई एगिंग कॉनवेटिंग सिस्टम (एचएसी) से संबंधित पूरे किए गए आरएंड प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए सीआईएल / गैर-सीआईएल खान की पहचान तथा 2. "डिजीटल फोटोग्रेमेटिक टेक्निक" के माध्यम से ईटीएस के साथ स्पोर्टड एयर बोर्न लेसर स्केनर डाटा, हाई रिजोल्यूशन सेटेलाइट शामिल करते हुए उत्खनित स्वरथाने ओवर बर्डेन रेपिड वेल्यूमेट्रिक विश्लेषण" से संबंधित पूर्ण किए गए आरएण्डडी प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन के लिए सीआईएल की खान की पहचान 28 फरवरी, 2018 तक सुपुर्द किया जाना था। तदनुसार गारे पेल्मा सेक्सन-। औसीपी हाई एनिल कन्वेयिंग प्रणाली के लिए पहचान किया गया जो क्रम सं. (1). तथा मेथेडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ओबीआर चेक मेजरमेंट के लिए बीसीसीएल की जॉयरामपुर प्रोजेक्ट की पहचान की गई। (2). इसके कार्यान्वयन के लिए उपर्युक्त दोनों रिपोर्ट 28 फरवरी, 18 को सुपुर्द कर दी गई।

6.0 प्रयोगशाला सेवाएँ :

6.1 रासायनिक प्रयोगशाला

वर्ष 2017–18 के दौरान 15 कोयला क्षेत्रों के 47 ब्लॉकों से प्राप्त बोर होल कोल का गुण–निर्धारण किया गया। कुल 11,966 पीट कोयला कोर संसाधित किया गया तथा नागालैंड (डीजीएम नागालैंड) तथा महागेनको ब्लॉक से प्राप्त कोयला नमूनों सहित 31,410 नमूनों का विश्लेषण किया गया। 23 जीआरएस के लिए रासायनिक विश्लेषण का मॉनीटर किया गया तथा जीआर की तेयारी के लिए परिणाम सुपुर्द कर दिया गया।

6.2 कोल पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला :

वर्ष 2017–18 के दौरान 18 कोयला क्षेत्रों के 35 ब्लॉकों से प्राप्त बोर होल कोयला कोर का गुण–निर्धारण किया गया। (क) नागालैंड (डीजीएम, नागालैंड) (ख) महागेमको तथा सिंगरैनी कोलियरीज कोयला क्षेत्र से प्राप्त कोयला नमूनों सहित मेसरल निर्धारण तथा रिफलेक्टेंस अध्ययन के लिए 915 नमूनों का विश्लेषण किया गया। स्केनिंग इलेक्ट्रोन माइक्रोप (एसईएम) के माध्यम से माइक्रोक्लीट के अध्ययन के लिए कुल 40 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

6.3 कोयला विनिर्माण (प्रेरण) प्रयोगशाला:

कार्य की आवश्यकता के अनुसार सीएमपी प्रयोगशाला विभिन्न कोयला खानों के कोकिंग तथा गैर–कोकिंग कोल दोनों के लिए धोवन क्षमता विश्लेषण (प्रोक्सिमेंट विश्लेषण, जीसीवी, एचजीआई, कोकिंग गुण सहित) में लगी हुई है। ये विश्लेषण बोर कोर नमूने के साथ–साथ बोर कोल नमूने के लिए किए गए हैं। कोयला नमूना, जिसका विश्लेषण किया गया है वह नीचे दिया गया है, जो इस प्रकार है :

क) बोर कोर कोल नमूनों	—	41
(केवल धोवन क्षमता अध्ययन)		
ख) रोम कोल नमूने	—	3
(प्रोक्सीमेट विश्लेषण) – जीसीभी, एचजीआई, कोकिंग गुण आदि सहित)		

6.4 कोल बेड मिथेन (सीबीएम) प्रयोगशाला

5 बीएचएस में शेल गैस अध्ययन तथा 8 बीएचएस में सीबीएम अध्ययन के अतिरिक्त 51 शेल सेम्पल के लिए कुल आर्गेनिक कार्बन (टीओसी) विश्लेषण, 78 कोयला नमूनों के लिए एवसोरपिन आइसोथेरम (ए–1) जेसे संबंधित अध्ययन कोलियरियों से प्राप्त 971 खान वायू नमूनों का रिजल्ट सुपुर्द कर दिया गया है।

6.5 खनन प्रयोगशाला सेवाएँ :

रॉक मेकानिक्स/रॉक टेस्टिंग

- भौतिक यांत्रिक गुण के लिए जाँच 3610.16 मी. ड्रिल कोर नमूनों की की गई है।
- सीआईएल तथा गैर सीआईएल के विभिन्न ब्लॉकों 12 बोर होलों का भौतिक–यांत्रिक गुण के परिणाम पर रिपोर्ट।

संस्तर नियंत्रण अध्ययन :

- खानों/सीमों के लिए रॉक मास रेटिंग/स्पेसिफिक ग्रेविटी/कैपेलिटी अध्ययन पर रिपोर्ट सौंप दी गई।
- आरएमआर अध्ययन हेतु, स्ट्रेन्थ प्रोपर्टी/स्लेक ड्यूरेबिलिटी इंडकेस तथा डेन्सिटी के निर्धारण के लिए 14 रुफ रॉक नमूनों की रॉक जाँच
- सीआईएल की एक खान के लिए धृंसान पूर्वानुमानका कार्य किया गया।

7.0 पर्यावरणिक सेवाएँ

7.1 ईआईए/ईएमपी

सीआईएल परियोजनाएँ

विवेच्य वर्ष 2017–18 के दौरान पर्यावरण विभाग ने कुल 20 फार्म–1 तथा 23 ड्राफ्ट ईएमपी तैयार किया।

बाहरी परियोजना :

वर्ष 2017–18 के दौरान पर्यावरण विभाग में राज स्थान के 76 माइन्स के लिए वैज्ञानिक सेंड रिप्लिनसमेंट अध्ययन किया।





वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

7.2 वायु, जल तथा ध्वनि का पर्यावरणिक मॉनिटरिंग :

एमओईएफ एण्ड सीसी द्वारा जब एक बार किसी खनन परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी जाती है, तब परिचालन के दौरान परियोजना स्तर पर शुरू किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित पर्यावरणिक मॉनिटरिंग करने की जरूरत पड़ती है।

विवेच्य वर्ष 2017-18 के दौरान आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, कुसमुण्डा, हसदेव, जयंत तथा राँची स्थित 9 पर्यावरणिक प्रयोगशाला के माध्यम से कोल इंडिया (ईसीएल-95, बीसीसीएल-69, सीसीएल-72, डब्ल्यूसीएल-86, एसईसीएल-78, एनसीएल-10 तथा एमसीएल-25) का 435 परियोजना / संस्थापन का पर्यावरणिक मॉनिटरिंग किया गया है।



7.3 ईआईए परामर्शी संगठन के रूप में सीएमपीडीआई को मान्यता

खुली खदान/भूमिगत खनन क्षेत्र, ताप एवं कोयला वाशरी क्षेत्र सहित खनिजों के खनन के लिए क्वालिटी काउंसिलऑफ इंडिया (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नामित एजेंसी) द्वारा सीएमपीडीआई को ईआईए परामर्शदाता संगठन के रूप में पुनः मान्यता दी गई है। सीएमपीडीआई ईआईए तथा ईएमपी की तैयारी के लिए सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त परामर्शदाता संगठन (एसीओ) है तथा इसके पास 12 फंक्शनल एरिया तथा तीन सेक्टर में 90 अनुमोदित विशेषज्ञ हैं।

7.4 सीएमपीडीआई पर्यावरण प्रयोगशाला की मान्यता

नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर टेरिटंग एंड कैलिब्रेशन आफ लेबोरेटरी (एनएबीएल) ने सीएमपीडीआई, मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थान-4 एवं क्षेत्रीय संस्थान-5 एवं क्षेत्रीय संस्थान-7, भुवनेश्वर के पर्यावरण प्रयोगशाला को पुनः मान्यता प्रदान कर दी है। पर्यावरण प्रयोगशाला, सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत सेंट्रल पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा मान्यता दे दी गई है।

7.5 कोयला परियोजनाओं के लिए ईटीपी / एसटीपी / एमडी (आईडब्ल्यूएसएस) योजनाएँ

विवेच्य वर्ष के दौरान चार योजनाएँ तथा निविदा दस्तावेज तैयार की गई।

7.6 सीमएपीडीआई को एमओसी द्वारा भेजे गए कोलया ब्लॉक के लिए माइन क्लोजर प्लान पर चेक-लिस्ट की जाँच तथा त्वरित टिप्पणी

विवेच्य वर्ष के दौरान 39 माइन क्लोजर प्लान की संवीक्षा की गई तथा टिप्पणी एमओसी को भेज दी गई।

7.7 माइन क्लोजर स्टेट्स रिपोर्ट

विवेच्य वर्ष के दौरान 36 माइन क्लोजर रिपोर्ट तैयार की गई।




7.8 माइन क्लोजर गतिविधियों की मॉनीटरिंग

इस्को लेखा से प्राप्त प्रतिपूर्ति के लिए 19 खाने हेतु माइन क्लोजर गतिविधियों की मॉनीटरिंग की जा चुकी है।

7.9 ढाल स्थायित्व/भू-क्षरण नियंत्रण अध्ययन/नाला डायवर्सन

खुली खानों के लिए ढाल स्थायित्व की आवश्यकता तथा भू-क्षरण नियंत्रण अध्ययन की आवश्यकता पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई पर्यावरण एवं वन स्वीकृति एक शर्त है। तदनुसार 11 ढाल स्थायित्व अध्ययन तथा हाईवॉल के अल्टीमेट स्लोप एंगल का निर्माण कर्य पूरा किया गया।

इसके अतिरिक्त कोयला परियोजनाओं के 1 भू-क्षरण नियंत्रण अध्ययन तथा 1 नाला डायवर्सन योजनाएँ पूरी की गई।



एफएसएसी एवं गैलना का प्रयोग कर ओबी डम्प का टिपिकल स्लोप स्टेबिलिटी विश्लेषण

7.10 मोबाइल एप

ग्रीन सीआईएल तथा कोल जल के लिए सहायक कंपनियों से ऑकड़ा एवं इकट्ठा करने हेतु मोबाइल एप के विकास में पर्यावरण विभाग लगा हुआ है।

7.11 एसएंडटी/विशेष अध्ययन :

पुनरुद्धार किए गए ओपेनकास्ट खानों पर उपयुक्त आजीविका कार्य : सीएमपीडीआई, मुख्यालय बीसीसीएल तथा टीईआरआई, नई दिल्ली द्वारा भारतीय कोयला क्षेत्र में संभव रिप्लिकेशन के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम इंटीग्रेटेड एप्रोच।

- सीएमपीडीआई, मुख्यालय, सीसीएल तथा बीएयू रँची द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की परित्यक्त (बंद क्वारियों में मछली पालन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खान जल पर्यावरण का मूल्यांकन तथा उपयुक्त लागत के अनुकूल प्रभावी माइन व्याय एक्वा इकोसिस्टम का विकास।
- बीसीसीएल की खनों के लिए सड़क मार्ग से कोयले की ढुलाई को कम कर प्रदूषण भार में आने वाली कमी की मात्रा का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन।
- बड़ी बारहमासी नदियों से सटी खुली कोयला खदानों में नन कोहसिव/ग्रेनुलर व्यास सैंड को स्थिर करने के लए भू-तकनीकी एवं जल-भू-वैज्ञानिक पक्ष से संबंधित अध्ययन द्वारा सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान-4 नागपुर एवं आईआईटी, मुम्बई।
- कोयला खान में ओबी डम्प तथा हाइट की बढ़ोत्तरी के लिए दिशा-निर्देश का विकास

7.12 पर्यावरण प्रयोगशाला का स्वचालन (ऑटोमेशन)

प्रयोगशाला के विभिन्न प्रयोगशाला उपकरणों द्वारा तैयार किए गए विश्लेषण ऑकड़े को सीधे स्थानांतरित करने के लिए स्वचालन कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरणिक मॉनीटरिंग रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाले समय में कमी आएगी।

7.13 ऑन लाइन वाटर मॉनीटरिंग उपकरण प्राप्ति संस्थापन

संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमानुसार समयबद्ध ढंग से ऑन लाइन वाटर क्वालिटी उपकरण के संस्थापन की आवश्यकता थी। पर्यावरण विभाग द्वारा विवेच्य वर्ष के दौरान एसईसीएल तथा एमसीएल के लिए 11 ऑन लाइन वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग का संस्थापन तथा विनिर्देशन एवं प्राप्ति की तैयारी।

7.14 विश्व पर्यावरण दिवस समारोह

5 जून, 2017 को मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के



लिए बच्चों के लिए ड्राईंग प्रतियोगिता, कवीज प्रतियोगिता, वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया।



विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन

8.0 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

घरेलू स्पोर्ट उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के अपनी परामर्शी सेवा बढ़ाया है। वर्ष 2017-18 के दौरान कुछ मुख्य कार्य किए गए जो इस प्रकार हैं :

1. पूरे कोल इंडिया के लिए आईसीटी प्रभाग सीएमपीडीआई द्वारा निम्नलिखित केंद्रीयकृत साफ्टवेयर विकसित तथा मेंटेन किया जाता है।
- क) कन्ट्रेक्ट लेवर इन्फोरमेशन पोर्टल विलप के लिए पोर्टल : विभिन्न अनुषंगी कंपनी में कन्ट्रेक्ट लेवर वर्किंग रजिस्टर करना।
- ख) वेब-सक्षम ऑन लाइन पीएमएस (कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली) – ई-7 से ऊपर अधिकारियों के लिए पीआरआईडी
- ग) कोल इंडिया लिमिटेड के सभी अधिकारियों के लिए मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एचआरआईएस) का विकास तथा कार्यान्वयन
- घ) कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस प्रणाली / विजीलेंस मॉनीटरिंग प्रणाली विकसित तथा कार्यान्वयन की गई है।

च) वर्ष 2016 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के सभी अधिकारियों के लिए ऑन लाइन वेब समर्थित एन्यूअल प्रोपर्टी रिटर्न सिस्टम

छ) सुरक्षा क्लीयरेंस (एससी) तथा विभागीय क्लीयरेंस (डीसी) विकसित एवं कार्यान्वयन किया जाता है।

ज) कोल इंडिया द्वारा फंड जाया करने के लिए बैंकर्स से डिपॉडिट रेट आमंत्रित करने हेतु सीआईएल को समर्थ बनाने के लिए सीआईएल हेतु बैंक कार्ड रेट विकसित किया गया है।

झ) खान क्षमता निर्धारण की गणना करने के लिए संबंधित डाटा तथा उपकरण डाटा सीमलेस इन्ट्री हेतु अंडर ग्राउण्ड तथा ओपेनकास्ट माईन क्षमता निर्धारण अप्लीकेशन विकसित किया जा चुका है।

(ज) कोयला ब्लॉक डाटा से संबंधित सूचना देने के लिए आनेलाइन कोल ब्लॉक इन्फोर्मेशन सिस्टम अप्लीकेशन विकसित किया गया है।

1. पूरे कोल इंडिया लिमिटेड के लिए ई ऑफिस के इन्फोर्मेशन टास्क सीएमपीडीआई को भी सौंपा गया है। सभी अनुषंगी मुख्यालय सीआईएल, नई दिल्ली, सीआईएल (मुख्यालय), कोलकाता, आईआईसीएम तथा एनईसी के लोकेशन पर केंद्रीयकृत आधारभूत संरचना तथा एमपीएलएस संबद्धता स्थापित की गई है। सभी लोकेशन पर ई ऑफिस संचालित है।
2. मोबाइल एप्स एमओसी के लिए कोल इंडिया की ओर से विकसित कर दिया गया है। एसईवीए (सरल ईंधन वितरण) विकसित किया गया तथा 22 मई, 2.17 के माननीय कोयला मंत्री द्वारा लांच कर दिया गया है।
3. लेखा में एकरूपता लाने के लिए क्षेत्रीय संस्थान हेतु कोल नेट वित्तीय मोड्यूल बढ़ा दिया गया है।
4. ऑन लाइन ईडी बुकिंग सिस्टम क्षेत्रीय संस्थान के लिए एकस्टेंड कर दिया गया है।

एमओयू : 2017-18

'सीएमपीडीआई' के 2017-18 के एमओयू के अनुसार 'ई-ऑफिस यूटिलाइजेशन' 75 प्रतिशत तथा ईऑफिस में इससे अधिक हेड के तहत उत्कृष्ट 'रेटिंग' के लिए फरवरी, 2018 के माह में हासिल किया जाना था। तदनुसार 91 प्रतिशत ई-ऑफिस में लागू-इन फरवरी, 2018 तक कर दिया गया। इसके बाद कोल नेट के माध्यम से सीएमपीडीआई, मुख्यालय के साथ सभी क्षेत्रीय संस्थान की "विशेष परियोजना सम्बद्धता" हेड के अन्तर्गत 28 फरवरी, 18 तक हासिल जाना था। तदनुसार फरवरी, 2018 में कोल नेट के माध्यम से सीएमपीडीआई, मुख्यालय के साथ सभी क्षेत्रीय संस्थान को जोड़ दिया गया।

9.0 सूचना प्रबंधन प्रणाली

1. "माइन टेक" एवं गोंदवाना भारती का प्रकाशन

वर्ष 2017-18 के दौरान उपर्युक्त पत्रिका के प्रत्येक का तीन प्रकाशन किया जा चुका है। मार्च "18" के अंतिम सप्ताह में मुद्रण एजेंसी को अक्टूबर-दिसम्बर, 2017 के लिए साप्ट कॉपी सुपुर्द कर दिया गया। समयानुकूल पत्रिका का प्रकाशन 2018-19 में किए जाने की संभावना है।

2. पत्रिका का पेशण

आंतरिक वितरण के अलावा वर्ष 2017-18 के दौरान कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियाँ, मुख्यालय, एरिया एवं कोलियरी) विभिन्न संस्थानों तथा प्रख्यात संगठनों को लगभग 12000 प्रतियाँ भेजी गई।

3. पुस्तक का प्रकाशन

डा० असीम.के. सिन्हा, डीडीजी, डीजीएमएस, साउथ इस्टर्न जोन, राँची द्वारा लिखित "ए हैंड बुक आनंरॉक व्यालिंग इन इन्डियन माइन्स" नामक एक नई पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 17-18 के दौरान किया गया। हैंड बुक की कॉपी कोल माइनिंग इंजीनियर्स को दिया गया।

4. पुस्तकों की बिक्री

पत्र भेजकर कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में तकनीकी पुस्तकों के लगाताल अनुवर्ती कार्रवाई की गई। विभिन्न कोयल क्षेत्रों विभागाध्यक्षों द्वारा पुस्तक की खरीद सुलभ बनाने के लिए एफडीएस की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में तकनीकी पुस्तकों को उपलब्ध करा दिया गया। इस संबंध में क्षेत्रीयसंस्थान विभिन्न एरिया/कोलियरियों से संपर्क कर रहा है। ये तकनीकी पुस्तकें कोयला खनन से जुड़े मध्य स्तर तथा यूवा अधिकारियों के लिए तकनीकी ज्ञान अद्यतन करने में सहायक होगा।

5. सामाजिक मिडिया कार्य-कलाप

अगस्त, 2016 से विभागाध्यक्ष (आईएमएस) को सोशल मेडिया का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नीचे दिए विस्तृत विवरण के अनुसार ऑफीसियल फेस बुक पेज तथा ट्वीटर हैंडल खोला गया तथा सीएमपीडीआई और सीआईएल के महत्वपूर्ण कार्य को नियमित अपलोड किया जा रहा है। आंतरिक कार्य के अलावा भारत सरकार, रेल मंत्रालय तथा कोयला, नया एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा खान की महत्वपूर्ण जानकारी/उपलब्धि का आदान-प्रदान किया गया। सोसल मिडिया कार्य-कलापों की मंत्रालय द्वारा भी मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएमपीडीआई का फेस बुक (<https://www.facebook.com/cmpdi>) तथा ट्यूटर हैंडल (<http://twiter.com/cmpdi>) कार्य-कलाप रेल, कोयला, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान मंत्रालय के सोसल मिडिया ग्रूप द्वारा समय-समय पर दी गई जानकारी के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय क्रिया-कलाप के तहत आता है।

6. विशिष्ट उपलब्धि पुस्तकार

7.12.2017 को स्कोप कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रस्तुत स्कोप सीसी एक्सलेंस अवार्ड में 'वेस्ट हाउस जर्नल (हिन्दी)' की श्रेणी में सीएमपीडीआई की पत्रिका



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

“गोंदवाना भारती” को तृतीय पुरस्कार दिया गया। इसके लिए सभी सेंट्रल पीएसयू से स्कोप द्वारा नोमिनेशन आमंत्रित किया गया स्कोप कम्पलेक्स, नई दिल्ली में 7.12.2017 को यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जीओआई के लिए श्री आर एस राठौर एमओएस (आई सी) से उपमहाप्रबंधक (आईएमएस) पुरस्कार प्राप्त किया।



10.0 सतर्कता

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सतर्कत कार्य-कलाप तथा उपलब्धि नीचे दिया गया है।।

1. सतर्कता जागरूकता सप्ताह

सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा इसके सातो क्षेत्रीय संस्थानों में 30.10.2017 से 4.11.2017 तक “सतर्कता जागरूकता सप्ताह” मनाया गया। राँची स्थित सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में श्री बी.एन.शुक्ला, निदेशक (तक.सीआरडी) ने उपस्थित जन-समूह का स्वागत किया गया तथा इस वर्ष के मुख्य विषय “माई विजन कॉरेप्शन फ्री इंडिया” पर प्रकाश डाला।

सीएमपीडीआई में सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2017 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गये

1. सभी कर्मिकों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा कार्मिकों के पारिवारिक सदस्यों के लिए पैट्रिंग प्रतियोगिता
2. झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच भाषण वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया
3. मास कम्यूनिकेशन तथा जर्नलिज्म, सेंट जेवियर्स, कॉलोज, राँची के छात्रों के बीच पेनल चर्चा आयोजित किया गया।
4. राँची कॉलेज, एस.के.एम.एस.एस. स्कूल कमड़े तथा बिरसा उच्च विद्यालय, हथिया गोंदा के छात्रों के बीच भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

सीवीओ सीएमपीडीआई ने इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट, राँची और इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ नेचुरल रेजीन एंड गम्स, नामकुम, राँची में अतिथि भाषण दिया। 3.11.2017 को सीएमपीडीआई, मुख्यालय में एक अतिथि भाषण आयोजित किया गया, जिसमें समानीय न्यायाधीश, डी.के.सिन्हा, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, राँची ने बचे हुए मामले को कम करने के लिए कानून तथा न्यायाधिक प्रयासों से संबंधित अपने अनुभव को बतलाया।

2. सुरक्षात्मक सतर्कता

सीएमपीडीआई के सतर्कता विभाग ने संविदात्मक जॉब/सामग्री उपलब्धि के क्षेत्र में सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए उन्मुखी है जिससे कि कंपनी को परिक्रियात्मक कमी हो और न वित्तीय लैस्प हो। सुरक्षात्मक उपाय सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के इसके संचालित ओचक निरीक्षण/जाँच पर आधारित सलाह दी जा रही है। सिस्टम में सुधार निम्नलिखित क्षेत्र की गई है, जो इस प्रकार है : क) कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों में कोयला स्टॉक सहित यूएवी के माध्यम से ओबीआर (ओवर बर्डन रिमूवल तथा इसके वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट का लीड मेजरमेंट। ख) आउटसोर्स गवेषण कार्यों का सीटीई टाइप अध्ययन। ग) आईएसओ 37001 के टर्म में एन्टी बाइब्री प्रबंधन को कार्यान्वयित करने के लिए कदम उठाये गए हैं कोल इंडिया लिमिटेड के एन्टीफ्राउ पॉलिसी के प्रतिपादन में सक्रिय भागेदारी घ) गैर-अधिकारियों की भर्ती के लिए सोप (स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया) के प्रतिपादन के संबंध में प्रणाली अध्ययन। च) कंपनी वाहनों के उपयोग तथा लॉग बुक मेंटेनेंस पर प्रणाली अध्ययन ठीकेदारों को भुगतान, बुक बैलेंस का सत्यापन, पीओएल स्टॉक का सत्यापन, क्षेत्रीय संस्थानों के विभिन्न कैम्पों द्वारा ड्रील किए गए वास्तविक मीटरेज तथा विभिन्न एजेंसियों इत्यादि को दिए आडर सोर्स मीटरेज का सत्यापन जैसे विभिन्न पहलूओं पर सीएमपीडीआई के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया गया। सीएचपीएस, सिलो इत्यादि जैसे परियोजना के लिए उचित तैयारी में ड्यू डिजिलेंस हेतु आवश्यता पर सुरक्षात्मक उपायों के रूप में क्षेत्रीय निदेशकों की उपस्थिति में सभी विभागाध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श किया गया तथा सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में दिए गए निर्देशों तथा कंपनी के स्टैन्डर्ड मानकों/प्रोसीडयोरस्

को सख्ती से अनुपालन करने की सलाह दी गई। संवेदनशील विभागों की पहचान तथा लम्बे समय तक संवेदनशील पदधारी कार्मिकों के स्थानान्तरण की सलाह सतर्कता विभाग द्वारा दी गई है, जिसे कार्यान्वयित किया गया है।

3. सीएमपीडीआई में 15 औचक निरीक्षण 2 सीटीई 60 एपीआर की संवीक्षा (जाँच) की गई है।

4. वर्ष 2017-18 में सतर्कता की गतिविधियों के कारण मौद्रिक लाभ

वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित बदलाव किए गए जो कंपनी को दीर्घकालिक मौद्रिक लाभ में सहायता तथा पारदर्शिता में वृद्धि करेगा, जो इस प्रकार है

1. “फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व” के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए बिल ट्रेकिंग सिस्टम का कार्यान्वयन
2. ओबी रियुवल में लीड तथा वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट में सुझाव
3. मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय संस्थानों में बायोमेट्रिक उपस्थिति का कार्यान्वयन

एमओयू 2017-18

सीएमपीडीआई के एमओयू 2017-18 के अनुसार “एचआरएम संबंधित पारामीटर शीर्षक के अंतर्गत वरीय अधिकारी (ई-7 तथा उससे ऊपर) के लिए आन लाइन तिमाही सतर्कता क्लीयरेंस अद्यतन हेतु उत्कृष्ट रेटिंग के लिए लक्ष्य 100 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 के दौरान वरीय अधिकारी (ई-7 तथा इससे ऊपर) के लिए 100 प्रतिशत आन लाइन तिमाही सतर्कता अद्यतन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया।

11.0 विषेशीकृत सेवाएँ

11.1 विषेशीकृत

जियोमेटिक्स डिविजन, भूमि पुनरुद्धार मानीटरिंग, ओबी मेजरमेंट, वेजीटेशन, कवर मैपिंग, डीजीपीएस सर्व, लैंडयूज मैपिंग, कोल माइन फायर मैपिंग,



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

टोपोग्राफिकल सर्वे, अंडरग्राउन्ड कोरीलेशन सर्वे इत्यादि के लिए रिमोट सेंसिंग तथा सर्वे के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध कराता है।

11.1.1 रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ओसी माइन्स की मॉनीटरिंग

वर्ष 2008-09 से सीएमपीडीआई में सभी ओपेनकास्ट माइन्स की भूमि पुनरुद्धार मॉनीटरिंग के लिए सेटेलाइट सर्वलांस इन्ट्रोडयूस किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान हाई रिजोल्यूशन सेटेलाइट डाटा पर आधारित 5 मिलियन सीयूएम से कम 42 ओसीप्रोजेक्ट प्रोडयूसिंग तथा 5 सीयूएम मिलियन क्षमता (कोयला+ओबी) अधिक क्षमता वाली 50 ओपेनकास्ट परियोजना के भूमि पुनरुद्धार का कार्य वार्षिक आधार पर नियमित रूप किया जाता है तथा छोटी खानों (5 एसीयूएम) का 3 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है।

11.1.2 वनस्पति आच्छादन मानचित्रण

कोयला खनन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान सेटेलाइट डाटा पर आधारित सात (7) कोयला क्षेत्रों का भूमि उपयोग/वनस्पति आच्छादन मानचित्रण का कार्य पूरा किया जा चुका है, जो इस प्रकार हैं।

- राजमहल
- रानीगंज
- ईव वैली
- मन्ड रायगढ़
- सोहागपुर
- उमरेर
- पंचकन्हान

11.1.3 ईएमपी के लिए परियोजना का भूमि उपयोग/आच्छादन मानचित्रण

वर्ष 2017-18 के दौरान पर्यावरणिक प्रबंधन योजना (ईएमपी) के लिए 20 परियोजना का बफर जोन (4 प्रोजेक्ट सीसीएल, एसईसीएल का 5 प्रोजेक्ट, एमसीएल का 1 प्रोजेक्ट एनसीएल का 2 प्रोजेक्ट, डब्ल्यूसीएल का 8 प्रोजेक्ट) तथा कोर का भूमि उपयोग/आच्छादन मानचित्रण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

11.1.4 कोल फायर माइन की मॉनीटरिंग

वर्ष 2017-18 के दौरान थर्मल रिपोर्ट सेन्सिंग सेटेलाइट डाटा पर आधारित झरिया, रानीगंज, कर्णपुरा तथा बोकारो कोयला क्षेत्र में कोल माइन फायर के मॉनीटरिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। सीएमपीडीआई 2012 से नियमित रूप से कोल माइन फायर का अध्ययन कर रहा है।

11.1.6 ओबीआर मेजरमेंट

थर्ड पार्टी एजेंसी के रूप में सीआईएल के सभी आउटसोर्स्ड पैकिट्स तथा विभागीय खानों में ओबीआर चेक मेजरमेंट के साथ सीएमपीडीआई को सौंपा गया है। 35 विभागीय ओसीपीएस का ओबीआर मेजरमेंट तथा 190 आउटसोर्स्ड पैचेज वर्ष 2017-18 के दौरान पूरा कर लिया गया है इसके अतिरिक्त मेसर्स एमटीपीसी के पाकरी-बखाड़ीह तथा डुलंगा कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में यह ओबीआर मेजरमेंट विवेच्य वर्ष के दौरान पूरा कर लिया गया है।

11.1.6 वन बाउण्डरी का डीजीपीएस सर्वेक्षण

एमओईएफ के नवीनतम दिशा-निर्देश के अनुसार डीजीपीएस का इस्तेमाल करते हुए खनन एवं अन्य उद्योगों के लिए प्राप्त की जाने वाली जमीन पर वन भूमि पर डीजीपीएस सर्वे किया जाना है और चरण। के वन स्वीकृति के लिए सुपुर्द आवेदन के साथ शेष फाइल सुपुर्द किया जाना है। 25 कोयला रेलवे प्रोजेक्ट (बीसीसीएल में 2, सीसीएल में 8, एसईसीएल में 12, मेसर्स एनटीपीसी बनई ब्लॉक में-1 तथा भारतीय रेलवे के-2) में वनभूमि का डीजीपीएस सर्वे वन क्लीयरेंस के लिए विवेच्य वर्ष के दौरान पूरा कर लिया गया है।

11.1.7 डीजीपीएस सर्वेक्षण

विवेच्य वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित डीजीपीएस सर्वेक्षण किये गए :

1. अमेलिया कोयला ब्लॉक के ग्राउण्ड पर कार्डिनल प्वाईट के स्थानान्तरण के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया।
2. मेसर्स एनटीपीसी के बनाई कोयला ब्लॉक का जियो रिफ्रेंस्ड काडस्ट्रीयल मानचित्रण की तैयारी, बाउण्डरी ब्लॉक के सीमांकन के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

3. सीवी एरिया, बीसीसीएल में स्टेशन के फाईनिंग कार्डिनेट के लिए डीजीपीएस सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया।
4. मेसर्स हिण्डालको के गारे IV/4 तथा IV/5 के बोरहोल सर्वे, बाउण्डरी के सीमांकन के लिए डीजीपीएस सर्वे का कार्य पूर्ण।
5. कलस्टर-4 बाउण्डरी, बीसीसीएल के प्वाइंट की जांच के डीजीपीएस कार्य पूर्ण।
6. मेसर्स टीएचडीसी के अमेलिया कोल माइन प्रोजेक्ट के कोल एमुक्युशन कॉरीडोर का डीजीपीएस सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण।

11.1.8 ड्रोन/मानवरहित एरियल व्हेकिल (यूएवी) (संविदात्मक मोड में) इस्तेमाल करते हुए सर्वेक्षण कार्य

1. सीसीएल के राजरप्पा एवं तोपा ओसी प्रोजेक्ट में ओर्थोफोटो मोजाइक की तैयारी तथा यूएवी का इस्तेमाल करते हुए हाई रिजेल्यूशन फोटोग्राफी।
2. एलआईडीएआर आधारित यूएवी का इस्तेमाल करते हुए कोल हिप का वॉल्यूम गणना तथा जयंत, दधिचुआ, निगाही तथा अमलोरी जैसे एनसीएल चार ओसी परियोजना में आर्थो मानवित्रण का प्रतिपादन।

12.0 विस्फोटन

सीएमपीडीआई ने नियंत्रण विस्फोटन तथा कंपन अध्ययन, विस्फोटकों एवं इसकी सहायक सामग्रियों के परीक्षण, विखंडन तथा एचईएमएम के लाभकारी उपयोग के क्षेत्र में मूल्य सर्वार्थित सेवा देने के लिए तकनीकी विशेषता तथा क्षमता को बढ़ाया है।

सीएमपीडीआई का विस्फोटन विभाग विस्फोटन एवं विस्फोटकों की जाँच के लिए स्टेट-ऑफ-आर्ट-प्रौद्योगिकी जैसे हाई स्पीड कैमरा, इन-द-होल वीओडी माप के लए डाटा ट्रैप-॥ विष साफ्टवेयर द्वारा विखंडन मूल्यांकन एवं माप, जे.के. सीम ब्लास्ट द्वारा ब्लास्ट सिमुलेशन, हाई सेम्पलिंग वाला हाई फ्रिक्वेंसी आक्सीलो स्कोप से सुसज्जित है।

वर्ष 2017-18 के दौरान बाहरी एजेंसियों तथा कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगियों में दी जा रही तकनीकी सेवाएँ निम्नलिखित हैं :

क) कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों के अंतर का कार्य

- ❖ **बल्क विस्फोटक, गैर-अनुमत लार्ज डायमीटर (एनपीएलडी) तथा सहायक सामग्री, (नॉनेल डिटोनेटिंग फ्यूज, मेसर्स केजेक्टर, कोल्ड रिले, पीईटीएम कॉस्ट बूस्टर, इम्पुलिशन कास्ट बुस्टर, इलेक्ट्रानिक्स डिटोनेटर तथा सीडीडी / सीईडी डिनोरेटर) विस्फोटकों का परीक्षण तथा रेंडर्य सैम्पलिंग।**
- बीसीसीएल, सीसीएल, एमसीएल तथा एनईसी की जाँच सीएमपीडीआई, मुख्यालय के विस्फोटन डिविजन द्वारा की गई।
- ईसीएल – सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची के ब्लास्टिंग सेल द्वारा जाँच की गई।
- डब्ल्यूसीएल : क्षे.सं.-4, सीएमपीडीआई के ब्लास्टिंग सेल द्वारा परीक्षण
- एसईसीएल – क्षेत्रीय संस्थान-5 सीएमपीडीआई के ब्लास्टिंग सेल द्वारा परीक्षण।
- एनसीएल-क्षेत्रीय संस्थान-VI सीएपीडीआई के ब्लास्टिंग सेल द्वारा परीक्षण।

❖ **बैंच मार्क पाउडर फैक्टर (बीएमपीएफ) का निर्धारण :**

- सीएमपीडीआई, मुख्यालय का विस्फोटन अनुभाग – 17 खाने
- क्षेत्रीय संस्थान-1, सीएमपीडीआई का विस्फोटन अनुभाग – 12 खाने
- क्षेत्रीय संस्थान-4, सीएमपीडीआई का ब्लास्टिंग अनुभाग – 11 खाने
- क्षेत्रीय संस्थान-5, सीएमपीडीआई का ब्लास्टिंग अनुभाग – 13 खाने
- क्षेत्रीय संस्थान-6, सीएमपीडीआई का ब्लास्टिंग अनुभाग – 15 खाने

❖ **नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन के लिए भूकंपीय अध्ययन:**

- सीएमपीडीआई, मुख्यालय का ब्लास्टिंग अनुभाग – 11 खाने



- क्षेत्रीय संस्थान-1, सीएमपीडीआई का ब्लास्टिंग अनुभाग – 2 खाने
- क्षेत्रीय संस्थान-4, सीएमपीडीआई काब्लास्टिंग अनुभाग – 1 खान
- क्षेत्रीय संस्थान-5, सीएमपीडीआई का ब्लास्टिंग अनुभाग – 6 खाने
- क्षेत्रीय संस्थान-6, सीएमपीडीआई का ब्लास्टिंग सेल – 1 खान
- ❖ एसएमईन / एसएमएस (साईट-मिक्सड इमुलशन/स्लोरी) परिचय के लिए वैज्ञानिक अध्ययन:
- सीएमपीडीआई (मुख्यालय) का ब्लास्टिंग सेल – 10 खाने,
- सीएमपीडीआई, श्रेत्रीय संस्थान – IV का ब्लास्टिंग सेल – 2 खाने

- ख) सीएमपीडीआई, मुख्यालय के विस्फोटन प्रभाग द्वारा किए गए बाह्य परामर्शी कार्य**
- ❖ एमएमसी इंडिया लिमिटेड की खानों के लिए विभिन्न निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किए गए विस्फोटकों एवं सहायक सामग्रियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
 - ❖ मेसर्स आइडल इन्डस्ट्री एक्सप्लोसिव लिमिटेड के “डील कॉलम-एस (एसएमएस/बल्क) नामक बल्क एक्सप्लोसिव का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
 - मेसर्स सोलर इन्डस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के “सोलर बीई” नामक बल्क एक्सप्लोसिव का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन
 - मेसर्स प्राइमर एक्सप्लोसिव लिमिटेड के “सेफेक्स-1 बल्क” नामक बल्क एक्सप्लोसिव का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
 - मेसर्स ब्लेक डायमण्ड एक्सप्लोसिव प्रा. लि. के बल्क स्टार” नामक बल्क एक्सप्लोसिव का कार्य निष्पादन
 - मेसर्स आईडीएल एक्सप्लोसिव प्रा.लि. के “ईएमयूएस के आईएनजी-200” बल्क एक्सप्लोसिव का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन
 - मेसर्स सोलर इन्डस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के “कास्ट बूस्टर (पीईटीएन) (सुपरकास्ट)

विस्फोटक एवं सहायक सामग्रियों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन

- मेसर्स ब्लास्टेक (इंडिया) प्रा.लि. के न्यू बल्क विस्फोटक’ब्लास्टेक-90 का टेस्ट एवं ट्रायल

ग) सीएमपीडीआई, मुख्यालय के ब्लास्टिंग डिवीजन द्वारा किए गए विशेष कार्य

- कोल इंडिया (2017-19) के सभी अनुषंगियों के लिए विस्फोटक एवं सहायक सामग्रियों की प्राप्ति हेतु अपेक्षित एनआईटी के लिए तकनीकी विनिर्देशन की तैयारी।
- भगबन्द कोलियरी, पीबी एरिया, बीसीसीएल के ऊपर पड़े हुए सतही संरचना पर ब्लास्ट इन्ड्यूस्ट्री ग्राउण्ड वाइब्रेशन तथा यूजी ब्लास्टिंग के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन।
- मकर घोकरा-III, ओसीएम, उमरेर एरिया डब्ल्यूसीएल में डीप होल नियंत्रित विस्फोटन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन तथा हाई स्पीड कैमरा का इस्तेमाल करते हुए पलाई रॉक के थ्रो तथा सक्सेविक शॉट में विलंब डाटा ट्रैप-II का इस्तेमाल करते हुए कॉनफाइन्ड वीओडी का निर्धारण।
- कोल इंडिया लिमिटेड की खानों में इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दुष्टि से नये विस्फोट उत्पादों के लिए जाँच तथा गुणवत्ता परीक्षण किया गया।
- “कोल माइन्स के ओवर बर्डन में ब्लास्टिंग के लिए लो डेनसिटी पोरसप्रिल्ड एयोनियम नाइट्रेट के साथ एएनएफओ के तकनीकी व्यवसायिक क्षमता का अध्ययन” नामक आरएंडडी प्रोजेक्ट में प्रिसिंपल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य
- “सेल डेल्यूटेड कोयला के साथ अच्छी रिकवरी के लिए मल्टीपल लेयर ट्रायल ब्लास्टिंग” नामक आरएंडडी प्रोजेक्ट में उप कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में कार्य
- आरआईएस / सीआईएल के लिए तकनीकी सपोर्ट / वेटिंग

13.0 खनन इलेक्ट्रानिक्स

सीएमपीडीआई का इलेक्ट्रानिक्स विभाग भूमिगत तथा खुली खानों के लिए पर्यावरणिक पारामीटरों की टेली मॉनीटरिंग संचार नेटवर्क की स्थापना करने हेतु संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट तथा निविदा दस्तावेज तैयार करने में अपनी सेवाएँ देता है। यह सुरक्षा के लिहाज से भूमिगत खानों में मिथेन गैस संसूचक (डिटेक्टर) की मरम्मती एवं अंशशोधन के साथ-साथ आयातित / विदेशी, एचईएमएम कार्डों की मरम्मती में अनुबंधी कंपनियों को मूल्यवान सहायता प्रदान करती है। इस विभाग में खुली खानों तथा भूमिगत खानों के लिए आरएंडडी एवं एसएंडटी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है।

विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए :

13.1 आरएंडडी/एसएंडटी परियोजनाएँ

1. “ऑन-लाइन कोल डस्ट सप्रेशन फॉर ओपेनकास्ट माइन” अशोका ओपेनकास्ट माइन सीसीएल एसेम्बल किया गया तथा साइट पर क्षेत्रीय परीक्षण के लिए सीडीएसी लैब में परीक्षण किया गया।
2. दुधीचुआ ओसीपी, एनसीएल के लिए “ओसी माइन्स में फेल्योर/स्लोप अस्थायीत्वता का अनुपालन करने के लिए अर्ली वार्निंग पाउडर सिस्टम का स्वदेशी विकास” एमओसी से प्राप्त फंड आवंटन के साथ जीओआई की स्वीकृति।
3. सीआईएल आरएंडडी प्रोजेक्ट “भूग. खानों के लिए अर्थ (टीईई) टूवे संचार प्रणाली के माध्यम से स्वदेशी विकास” अंशशोधन के लिए सिमुलेटेड एन्टिना तैयार किया गया। डीजीएमएस, धनबाद के लिए भुरकुण्डा भूग. सीसीएल में क्षेत्र परीक्षण के लिए डीजीएमएस, आरएंडडी क्लीयरेंस के लिए डक्यूमेंट भी सुपुर्द किया गया।

13.2 पीएंडडी/एनआईटी/अन्य कार्य

1. एमसीएल के ओरियेंट एरिया के 4 नवम्बर माइन के लिए पर्यावरणिक टेलीमॉनीटरिंग

प्रणाली हेतु सामग्रियों की बिल के साथ-साथ फाइनल ई-एनआईटी सुपुर्द किया जा चुका है।

2. सीएमपीडीआई, मुख्यालय के लिए सीसीटीवी सर्वेलांस हेतु प्राक्कलित लागत के साथ-साथ फाइनल तकनीकी विनिर्देशन तैयार कर सुपुर्द किया जा चुका है।
3. सीआईएल की विभिन्न अनुबंधियों तथा बाहरी एजेंसियों के प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करने के लिए 25 भू.ग. एवं ओसीपी के लिए इलेक्ट्रोनिक्स तथा दूर संचार पर चैप्टर तैयार किया जा चुका है।

13.3 इलेक्ट्रानिक कार्डों/गैस मॉनीटरों का मरम्मती/अंशशोधन/परीक्षण

1. 123 नये मॉडल एचईएमएम कार्डों की मरम्मती।
2. 30 मेथेनोमीटर की मरम्मती तथा अंशशोधन।

14.0 कोयला प्रौद्योगिकी

कोकिंग-गैर कोकिंग कोयला के गुण-निर्धारण को पूरा करने तथा अपने टाउन स्ट्रीम यूटिलाइजेशन के लिए पारंपरिक तथा आयातित स्टेट ऑफ आर्ट उपकरण के साथ सीटीएंड लैब डिवीजीन का रासायनिक पेटोग्राफिक यूनिट सुसज्जित है।

- भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए रूटिन के आधार पर गवेषण स्टेज में कोयला का प्रणालीबद्ध गुण-निर्धारण किया जा रहा है।
- क्लीन कोयला की विशेषता का पता लगाने के लिए कच्चा एवं क्लीन कोयला नमूना (वाशरी उत्पाद) का प्रणालीबद्ध गुण-निर्धारण किया जा रहा है।
- सीबीएम का मूल्यांकन करने के लिए कोयला नमूनों का प्रणालीबद्ध गुण-निर्धारण।

अद्यतनीकरण तथा उपकरण की प्राप्ति

- परिष्कृत आयातित उपकरण के साथ भू-रासायनिक तथा पेटोग्राफी प्रयोगशाला



अपग्रेड कर दिया गया है तथा क्षमता बढ़ाई गई है।

- पुलवाराइंजर, प्रोक्सीमेंट एना-लाइंजर, बोम्ब केलोरीमीटर का प्रतिस्थापन।
- क्षेत्रीय संस्थान-7, भुवनेश्वर, सीएमपीडीआई में नये रासायनिक विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना।

एनएबीएल तथा आईसीसीपी की मान्यता

- कोयला कोर विश्लेषण परीक्षण के लिए टेस्टिंग तथा अंशषोधन प्रयोगशाला (एनएबीएल) हेतु राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड द्वारा भू-रासायनिक प्रयोगशाला को मान्यता दे दी गई है।
- एनएबीएल एक्रीडियेशन लेबोरेटरी पुनरीक्षण के लिए सर्वेलांस अंकेक्षण किया गया तथा एएसटीएम पद्धति के लिए बीआईएस से जीसीवी स्वीच ओवर के लिए नया स्कोप शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त सीएचएम को भी नये स्कोप में लिया जायेगा।
- विवेच्य वर्ष के दौरान, तीन कर्मियों को एनएबीएल एक्रीडियेशन (17025–2005) में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- पेट्रोग्राफी लेबोरेटरी के सभी सदस्यों को कोयला एवं आर्गेनिक प्रट्रोलॉजी (आईसीसीपी) की इन्टरनेशनल कमिटि द्वारा मान्यता दे दी गई है।

15.0 सीआईएल तथा आईटीएस अनुषंगियों के लिए प्रबंधन प्रणाली परामर्शी सेवाएँ

सीएमपीडीआई ने वर्षों से विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों जैसे आईएसओ 9001 क्वालिटि मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ 14001 पर्यावरणिक प्रबंधन प्रणाली, ओएचएसएएस 18001 ओक्यूपेशनल हेल्थ और सेफटी मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ 27001 इन्फारमेंशन सिक्यूरिटि मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ 50001 इनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, एसए 8000 सोशल एकाउटेबिलिटि मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ/ओईईसी 17025 कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं की कंपीटेंश के लिए आवश्यकता के प्रमाणन में सहायता के लिए परामर्शी के क्षेत्र में अपनी क्षमता का विस्तार किया है।

सीएमपीडीआई डिजाइन और कार्यान्वयन या इडीविजुअल प्रबंधन प्रणाली अथवा समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानक के लिए सिमुलेनीयसली कंफर्मिंग, प्रबंधन प्रणाली के सृजन और प्रलेखन को सुविधाजनक बनाना, प्रशिक्षण देना, आरंभिक कार्यान्वयन, सर्टिफिकेशन ऑडिट के दौरान सहायता और पोस्ट सर्टिफिकेशन सपोर्ट एसेसमेंट आदि के जरिए परामर्शी सेवाएँ देता है। सीएमपीडीआई प्रमाणन के दौरान तथा प्रमाणेत्तर अवधि इत्यादि, प्रारंभिक कार्यान्वयन/सपोर्ट गाइडेन्स, प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हुए प्रबंधन प्रणाली का प्रलेखन तथा सृजन की सुविधा देते हुए विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों की आवश्यकता के लिए स्टीमुलेशन (आईएमएस) या डिजाइन तथा कार्यान्वयन के माध्यम से ऐसी परामर्शी सेवाएँ मुहैया कराता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान

एक परामर्शक होने के कारण ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय कोलकाता के आईएसओ—14001:2015, आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन के अचीवमेंट में सीएमपीडीआई इन्स्ट्रूमेंट था। कोलकाता मुख्यालय अब आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 तथा आईएसओ—50001:2011 द्वारा प्रमाणित है। सभी आवश्यक सपोर्ट तथा गाइडेन्स सफलतापूर्ण कार्यान्वयन प्रमाणन हेतु उपलब्ध मानकों के लिए उपलब्ध कराया गया था।

हमारी तीन अनुषंगी कंपनियाँ एमसीएल, ईसीएल तथा एनसीएल अपने कंपनीवाइड समेकित प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित हैं। जबकि एमसीएल तथा एमसीएल कार्यान्वयक आईएसओ 9001:2008, आईएसओ 14001:2004 तथा ओएचएसएएच 18001:2007 मानकों के लिए प्रमाणित हैं। ईसीएल आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 तथा ओएचएसएएस 18001:2007 मानकों के लिए प्रमाणित हैं। एमसीएल तथा एनसीएल के मामले में मानकों के संशोधित वर्जन के लिए ट्रांजिसन की

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

अपेक्षा है। विवेच्य वर्ष के दौरान आईएसओ 9001:2015 तथा 14001:2015 जैसे मानकों के संशोधित वर्जन के साथ कंपनी वाइड समेकित प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए प्रलेखन का कार्य इसीएल, सीसीएल, एनसीएल तथा एनसीएल के लिए पूरा कर लिया गया।

सीएमपीडीआई तथा इसके सभी क्षेत्रीय संस्थान को नये संशोधित आईएसओ 9001:2015 की आवश्यकता पूरा करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड द्वारा लाइसेंस दे दिया गया है। सभी आवश्यक प्रलेखन पूरा करने के उपरांत अब हम दो नये मानकों आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) को प्रबंधन प्रणाली में सम्मिलित करने की प्रक्रिया में है, जिसके लिए दिसम्बर 2018 तक प्रमाणन प्राप्त करने की आशा है।

एसटीसी, सीएमपीडीआई तथा क्षेत्रीय संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के अतिरिक्त सीआईएल, एमसीएल, एनसीएल, सीसीएल, इसीएल तथा आईआईसीएम में प्रबंधन प्रणाली में आंतरिक अंकेक्षण स्किल पर 4 प्रशिक्षण तथा मानकों के जेनरल एवेयरनेस पर लगभग 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

2018-19 के लिए योजनाएँ

संशोधित आईएसओ—9001 तथा आईएसओ 14001 मानकों के अनुसार कंपनीवाइड समेकित प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रलेखन कार्य सीसीएल, एमसीएल तथा एनसीएल के लिए पूरा किया गया है। जबकि एमसीएल तथा एनसीएल को जुलाई 2018 तक ट्रांजिट किए जाने की संभावना है। सीसीएल को अगस्त, 2018 तक प्रमाणन प्राप्त किए जाने की आशा है।

सीएमपीडीआई के लिए आईएसओ 14001:2015 तथा आईएसओ 50001—2011 मानकों का कार्यान्वयन जारी है तथा दिसम्बर, 18 तक प्रमाणन प्राप्त किए जाने की संभावना है।

मार्च 2018 में नये आईएसओ 45001:2018 मानक द्वारा ओएचएसएस 18001:2007 मानक प्रायोजित किया गया है। आईएसओ 45001:2018 मानकों की आवश्यकता के साथ एलाइनमेंट के लिए

ईसीएल, एमसीएल, एनसीएल, सीसीएल तथा बीसीसीएल के समेकित प्रबंधन प्रणाली मैन्यूअल का पुनर्प्रलेखन 2018—19 के दूसरे क्वार्टर के दौरान ले लिया जाएगा।

मानकों तथा आंतरिक अंकेक्षण स्किल के जेनरल एवेयरनेस पर कार्यक्रम सीआईएल तथा इसकी सभी कंपनियों के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार एसटीसी, सीएमपीडीआई सभी क्षेत्रीय संस्थान में तथा आईआईसीएम में ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जायेंगे।

16.0 प्रबंधन सामग्री

वर्ष 2017—18 तथा गत वर्षों के लिए उपलब्ध प्रोफाइल

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18
1.	कुल वार्षिक उपलब्धि (मूल्य में)	2885.10	3263.44
2.	एससी / एसटी उद्यमियों द्वारा स्वामित्व एमएसईएस से प्राप्त वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य	856.46	1519.88
3.	एससी / एसटी उद्यमियों द्वारा स्वामित्व एमएसईएस से प्राप्त वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य	72.03	शून्य
4.	कुल उपलब्धि में से (एससी / एसटी उद्यमियों द्वारा स्वामित्व एमएसईएससहित) एमएसई से प्राप्त उपलब्धि का प्रतिशत	29.68%	46.57%
5.	कुल उपलब्धि में से एससी / एसटी उद्यमियों द्वारा एमएसई से प्राप्त उपलब्धियों का प्रतिशत	2.5%	शून्य
6.	एमएसईएस के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम की संख्या	01	01

टिप्पणी : वित्तीय वर्ष 2018—19 के दौरान कुल उपलब्धि का लक्ष्य 3,589.78 लाख रु. हैं, जिसमें 900 लाख (लगभग 25%) से सीएमपीडीआई द्वारा जारी किए जा रहे टेप्डर्स में एमएसईएस की सहभागिता के अनुसार एमएसईएस से प्राप्त उपलब्धि रखा गया है।



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

समझौता संलेख-2017-18

“मास्टर कोडिफिकेशन एंड यूनिफिकेशन”, (सीआईएल) को इनपुट देने के लिए शीर्ष के तहत वर्ष 2017-18 के सीएमपीडीआई के एमओयू के अनुसार तीन एमओयूजैसे (1) 11 अंक वाले सीआईएल योजना (11) परिसम्पत्ति कोडिफिकेशन (मास्टर डाटा की तैयारी) (11) विक्रेता कोडिफिकेशन (मास्टर डाटा की) तैयारी) संबंधी सीएमपीडीआई के बारे में कार्य किया जाना था तथा कोडिफिकेशन डाटा (100 प्रतिशत) ‘उत्कृष्ट’ रेटिंग के लिए सौंपा गया। तदनुसार सभी तीनों पारामीटर के लिए सीआईएल के दिशा-निर्देश के अनुसार कोडिफिकेशन का कार्य किया गया तथा कोडिफिकेशन डाटा पेश कर दिया गया।

17.0 मानव संसाधन विकास

वर्ष 2017-18 के दौरान सीएमपीडीआई कर्मचारियों को निम्नलिखित क्षेत्रों में एक्सपोजर दिया गया

प्रमुख क्षेत्र	एसटीसी	आईआई सीएम	बाह्य	विदेशी	कुल
प्रबंधकीय	795	169	119	0	1083
तकनीकी /फंक्शनल	499	33	240	19	791
क्रश-प्रबंधकीय	139	9	35	0	183
टोटल	1433	211	394	19	2057

हमारे ट्रेनिंग कॉलेज (एसटीसी) में प्रशिक्षण

क) प्रशिक्षण एवं विकास कर्मचारियों के विकास अभिन्न अंग है। इसलिए सीएमपीडीआई में सुनिश्चित करने के लिए यह प्रयास किया गया है कि उनका समग्र विकास सालों भर लगातार होता रहे। इस संबंध में 2017-18 के दौरान 1443 कार्मिक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। विभिन्न तकनीकी गेर तकनीकी पर 960 कर्मचारियों के लक्ष्य के मुकाबले 1198 मुख्य प्रशिक्षण 235 माइनर प्रशिक्षण हैं, जो आवश्यकता पर आधारित है, तथा

कस्टमाइज्ड कर दिया गया है। कुछ नीचे दिया गया है।

- वेनटिज्म सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण
- रिचन प्रो-एक्वीजीशन तथा प्रोसेसिंग साफ्टवेयर
- जीएसटी आउटरिच प्रोग्राम
- पराडिजम साफ्टवेयर पर प्रशिक्षण
- बेल कैड साफ्टवेयर पर प्रशिक्षण
- पीएफएसएफओआरइएटी मॉड्यूल एफओआर वित्त के इस्तेमाल पर प्रशिक्षण
- माइनेक्स साफ्टवेयर (अभियंता / भू-वैज्ञानिक इत्यादि)

ख) वर्ष 2017-18 के लिए सीआईएल के विभिन्न अनुभागों के 168 प्रबंधन प्रशिक्षु को प्रौद्योगिकी दक्षता विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया गया।

सीएमपीडीआई ने वर्ष 2017-18 के दौरान सीएमपीडीआई में सर्वोत्तम कार्यव्यवहार पर ब्रेन स्टोर्मिंग सत्र, बायोमेट्रिक प्रोग्राम पर वर्कशॉप, जीएसटी पर वर्कशॉप और भ्रष्टाचार मुक्त समाज पर ब्रेन स्टोर्मिंग सेशन आदि जैसे विभिन्न विषयों पर काँफ्रैंस, सेमिनार और वर्कशॉप भी आयोजित किया है।

आईआईसीएम में प्रशिक्षण

प्रत्येक वर्ष एचआरडी डिवीजन आईआईसीएम के कैलेण्डर कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण बहुत सारे वरीय और मिड्ल स्तर के अधिकारियों के लिए आयोजित करता है। कंपनी एवं कर्स्टमर की जरूरत की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न विभागाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय निदेशकों की अनुशंसा के अनुसार नामांकन किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान 211 अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

बाह्य प्रक्षिण

प्रत्येक वर्ष अधिकारियों का प्रशिक्षण, काँफ्रैंस, वर्कशाप, सिम्पोजियम आदि अटैंड (भाग लेने) करने के लिए विभिन्न संस्थानों/जगहों पर भेजा

जा रहा है। इस वर्ष भारत के विभिन्न जगहों के कार्यक्रमों में 394 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया है। नामांकन सामान्यतः मुख्यालय के विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय संस्थानों के क्षेत्रीय निदेशक करते हैं और कंपनी की आवश्यकतानुसार अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक इसका अनुमोदन करते हैं।

कुछ वैसे संस्थानों के नाम जहाँ हमारे कर्मचारी भेजे जाते रहे हैं, निम्नलिखित हैं :

1. बीएचयू वाराणसी
2. भिडेज इंस्टीच्यूट ऑफ टेस्टिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई
3. आईआईएम, अहमदाबाद
4. आईआईएम, लखनऊ
5. आईआईटी, खड़गपुर
6. राजीव गांधी नेशनल ग्राउण्ड वाटर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीच्यूट, रायपुर
7. एएससीआई, हैदराबाद
8. स्कोप कम्प्लेक्स, नई दिल्ली
9. फिककी न्यू दिल्ली आदि
10. नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल आदि

विदेश में प्रशिक्षण

वर्ष 2017–18 के दौरान सेमिनार/कांफ्रेंस/ट्रेनिंग/टेक्नॉलॉजी आ ग्रेडेशन के लिए सीएमपीडीआई से 19 अधिकारियों ने विदेशों का दौरा किया।

विभिन्न संस्थानों के छात्रों के लिए सीएमपीडीआई में इंटर्नशिप प्रशिक्षण

विभिन्न संस्थानों के छात्रों को ग्रीष्म और शरद इंटर्नशिप प्रशिक्षण सीएमपीडीआई और मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में एचआरडी डिवीजन द्वारा दिया जा रहा है। वर्ष 2017–18 के दौरान सीएमपीडीआई में कुल 235 छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। छात्र अपने संबंधित क्षेत्रों में 4–6 सप्ताहों के लिए प्रशिक्षण/परियोजना कार्य करते हैं। प्रशिक्षण/परियोजना पूर्ण करने

और उनके परियोजना रिपोर्ट सौंपने के बाद एचआरडी डिवीजन प्रशिक्षण/परियोजना की सफलतापूर्वक समाप्ति पर प्रमाण—पत्र जारी करता है।

प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित संस्थानों ने अपनी पहुँच बनाई :

1. वीआईटी, वैल्लोर
2. बीएचयू वाराणसी
3. बीआईटी, राँची
4. आईआईटी (आईएसएम), धनबाद
5. पटना विश्वविद्यालय, पटना
6. एसडीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, धारवाड़
7. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड
8. एमआईटी, मणिपाल
9. एक्सआईएसएस, राँची
10. एएमयू अलीगढ़
11. आईआईटी भुवनेश्वर
12. केआईआईटी भुवनेश्वर
13. यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, देहरादून
14. उषा मार्टिन एकेडमी, राँची
15. एसआरएम यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद/चेन्नई
16. चाणक्या नेशनल लॉयूनिवर्सिटी, पटना
17. आईआईटी, खड़गपुर
18. एनआईटी, सूरथकल
19. एनआईटी, राऊरकेला आदि

बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (बीओपीटी)

गवर्नरमेंट पालीटेक्नीक कॉलेज, कोडरमा द्वारा समय—समय पर उम्मीदवारों को अप्रैटिंस अधिनियम 1961 के तहत पूर्वी क्षेत्र के बीओपीटी द्वारा आवंटित उम्मीदवारों को वेधन तकनीक पर सीएमपीडीआई में एक वर्ष का



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

अप्रैटिसशिप प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान सीएमपीडीआई ने 17 अप्रैटिस को डिलिंग में प्रशिक्षण प्रदान किया। बीओपीटी द्वारा आवंटित सभी 17 उम्मीदवारों को उनके प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय संस्थानों के विभिन्न डिलिंग कैम्पसों में प्रतिनियुक्त किया गया।

कौशल विकास

कौशल विकास मिशन योजना के तहत सीएमपीडीआइ ने मुख्यालय और विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में पदस्थापित कैट-1,2,3 में 1136 अकुशल एवं अर्द्ध-कुशल कर्मचारियों को चिह्नित किया है। कोल इंडिया लिमिटेड के विजन 2020 डाक्यूमेंट के अनुसार में 2016-17 से 2019-20 तक 4 वर्षों की अवधि में बाँटा गया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत कुशल एवं अर्द्ध-कुशल कर्मचारियों के लिए कुल लक्ष्य 200 था, जिसमें से 202 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

कौशल भारत मिशन के तहत अकुशल एवं अर्द्ध-कुशल कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :

1. सीएमपीडीआई, मुख्यालय एवं क्षेत्रीय संस्थानों में विभिन्न प्रयोगशालाओं के संचालन पर कैट-1,2, एवं 3 का प्रशिक्षण
2. ई-ऑफिस पर अकुशल (कैट-I) और अर्द्ध-कुशल (कैट-II एवं III) का प्रशिक्षण
3. सीएमपीडीआइएल (मु.) एवं क्षेत्रीय संस्थानों में चालू विभिन्न प्रयोगशालाओं पर कैट- I, 2 एवं 3 के लिए प्रशिक्षण

एमओयू 2017-18

सीएमपीडीआई के 2017-18 के एमओयू के अनुसार “एचआरएम संबंधित पारामीटर्स” के शीर्ष के तहत ‘उत्कृष्ट’ रेटिंग के लिए ‘टैलेंट मैनेजमेंट और कैरियर प्रौग्येशन’ हेतु आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई,

आईआईसीएम, एएससीआई आदि जैसे सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस में कम-से-कम 5 प्रतिशत अधिकारी को प्रशिक्षण में शामिल किया जाना था। तदनुरूप उपर्युक्त आवश्यकता के अनुसरण में 78 अधिकारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। 31.03.2017 के अनुसार 917 एकजीक्यूटिव स्ट्रेंथ (अधिकारी श्रम शक्ति) पर विचार करते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रशिक्षण में 8.5 प्रतिशत अधिकारियों ने भाग लिया।

18.0 कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के परामर्शी कार्य

वर्ष 2017-18 के दौरान कोल इंडिया से बाहर के 31 संगठनों के लिए 41 परामर्शी कार्य पूरे किए गए। कुछ प्रमुख ग्राहक/संगठन जिनका कार्य पूरा किया गया वे निम्नलिखित हैं : एनटीपीसी लिमिटेड, एमओआईएल लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (महाजेन को), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, उड़ीसा कोल एंड पावर लिमिटेड (ओसीपीएल), गुजरात स्टेट इलेक्ट्रीसिटी कारपोरेशन लिमिटेड (जीएसईसीएल), मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) आदि।

वर्तमान में, ओसीपीएल, नाल्को, एनटीपीसी लिमिटेड, सेल, एनएलसी इंडिया, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएमडीसी), झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (जेएसएमडीसी), उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड (ओएमसी), पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल), हिंडलालको, तालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड आदि जैसे 16 संगठनों के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा कोल इंडिया से बाहर के 29 परामर्शी कार्य किए जा रहे हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान, 27 संगठनों से सीएमपीडीआई को कोल इंडिया से बाहर के 47 परामर्शी कार्य प्राप्त हुए जो 66.77 करोड़ रु. की लागत वाली है, इन परामर्शी संस्थान और निजी कंपनियों के परामर्शी कार्य शामिल हैं।

19.0 श्रमशक्ति और कल्याण क्रिया-कलाप

19.1 श्रमशक्ति की स्थिति

विवरण		31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
अधिकारी		917	931
गैर – अधिकारी	मासिक वेतनभोगी	1201	1101
	दैनिक वेतनभोगी	1380	1347
समग्र कुल		3498	3379

एमओयू 2017-18

सीएमपीडीआई के वर्ष 2017–18 के एमओयू के अनुसार तथा “एचआरएम रिलेटेड पारामीटर्स” के शीर्ष के तहत एसीआर/एपीएआर के लिखने से संबंधित निर्धारित टाइम लाइन के सहित सभी अधिकारियों (ई–० एवं इससे ऊपर) के संबंध में एसीआर/एपीएआर की ऑन लाइन सुपुर्दग्गी ‘उत्कृष्ट’ रेटिंग के लिए की जानी थी। तदनुसार इस एमओयू पारामीटर से संबंधित उपलब्धि 100 प्रतिशत थी।

19.2 कल्याण संबंधी गतिविधियाँ

- सीएमपीडीआई के पास मुख्यालय और क्षेत्रीय संस्थान में 2071 क्वार्टर (आवास) है। कंपनी आवास में रहने वाले सीएमपीडीआई के निवासी/कर्मचारियों के बीच संतुष्टि का भाव है।
- सीएमपीडीआईएल के कर्मचारियों को पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है।
- कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के स्वयं के डिस्पेंसरी और हास्पिटल में सभी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। मरीजों को कोल इंडिया से सूचीबद्ध अस्पतालों में भी भेजा जाता है।
- सीएमपीडीआई ने डीएवी पब्लिक स्कूल, गांधी नगर को 1.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता/अनुदान उपलब्ध कराई है।
- कार्मिकों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए

किराये के छोटे वाहनों सहित 31 स्कूल बसों की व्यवस्था की गई है।

- मार्च, 2017 में 12वीं एवं 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 90 प्रतिशत और इससे ऊपर अंक लाने वाले सीएमपीडीआईएल के कर्मचारियों के आश्रितों (बच्चों) का क्रमशः 3000/-रु. और 2000/-रु. प्रत्येक को नकद पुरस्कार दिया जाता है।
- कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के अगले दिन उनके खाते में ग्रेचुटि का भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है।
- कस्तूरी महिला सभा को सावन मिलन का आयोजन करने के लिए 30,000 रु. (तीस हजार रु. मात्र) का अनुदान दिया गया।
- सीएमपीडीआईएल में भीम राव अम्बेडकर जयंति मनाने के लिए 20,000/-रु. का अनुदान दिया गया।
- वार्षिक मिलन/वनवर्ष समारोह मनाने के लिए रिक्रिएशन एवं गोंदवाना कलब को क्रमशः 33,000/-रु. (तौंतीस हजार रु.) एवं 37,000/-रु. (सैंतीस हजार रु.) का अनुदान दिया गया।
- कंपनी के दिशा-निर्देश के अनुसार कर्मचारियों के 15 बच्चों को 43,800/-रु. (तैंतालीस हजार आठ सौ) रु. का कोल इंडिया मेरिट स्कॉलरशिप तथा कर्मचारियों के 77 बच्चों को 89,520/-रु. (नवासी हजार पाँच सौबीस रु.) को कोल इंडिया जेनरल स्कॉलरशिप दिया गया।
- वर्तमान दिशा-निर्देश के अनुसार एनआईटी/आईआईटी/चिकित्सा/सरकारी कालेजों में पढ़ने वाले कर्मचारियों के बच्चों को 10,39,162/-रु.(दस लाख उनचालीस हजार एक सौ बासठ रु.) दिया गया।
- सीएमपीडीआईएल, गोंदवाना प्लेस के परिसर में ग्रीष्मकालीन कैम्प का आयोजन किया गया, जिसमें सीएमपीडीआईएल के कर्मचारियों के बच्चे दिनांक : 20.05.2017 से 03.06.2017 तक के पन्द्रह दिनों के प्रशिक्षण में भाग लिया। बैडमिंटन, चेस, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड,



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

- वालीबाल, लॉनटेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य एथलेटिक क्रिया—कलापों जैसे विभिन्न खेलकूद गतिविधियों में ग्रीष्मकालीन कैम्प में सूचीबद्ध होने के दौरान उनकी रुचि/चयन के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया।
14. फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए फुटबाल गेम को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार, कोयला मंत्रालय से अवर सचिव के कार्यालय से एक निर्देश मिला है, जिसमें नजदीकी स्कूली बच्चे के लिए फुटबाल टूर्नामेंट का आयोजन करना है। सीएमपीडीआई ने बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा, काँके रोड, राँची के अंडर 17 स्कूली बच्चों के लिए दिनांक 24.06.2017 को एक फुटबाल टूर्नामेंट का आयोजन किया।
15. सीएमपीडीआईएल और इसके क्षेत्रीय संस्थानों में दिनांक 16.08.2017 से 31.08.2017 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े में स्वच्छता पखवाड़ा से संबंधित गतिविधियाँ संपन्न की गई। सीएमपीडीआईएल द्वारा गोंदवाना प्राइमरी स्कूल एवं बिरसा हाईस्कूल, हथियागोंदा, काँके रोड, राँची में स्वच्छता अभियान शुरू किया गया।
16. दिनांक : 30.10.17 से 4.11.17 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान नजदीकी तीन कालेजों और दो विद्यालयों में प्रश्नोत्तरी/आशु भाषण एवं भाषण प्रतियोगिता जैसे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सीएमपीडीआईएल के कर्मचारियों और अश्रितों के पेंटिंग और लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
17. सीएमपीडीआईएल में दिनांक : 31.01.2017 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। अध्यक्ष, सीएमपीडीआईएल ने सीपीईआई भवन से ‘रन फोर यूनिटि’ का उद्घाटन किया।
18. सीएमपीडीआई में दिनांक : 27.11.2018 को संविधान दिवस मनाया गया उसके बाद लेख प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।
19. सीएमपीडीआई में दिनांक : 01.12.2017 को एड्स दिवस मनाया गया। सीएमपीडीआईएल के कर्मचारियों को एचआईवी/एड्स से फैलने वाले संक्रामकता के बारे में जागरूक किया गया। एचआईवी/एड्स से संचरण से संबंधित अन्य मुददों और कारण तथा बचाव पर विचार—विमर्श किया गया और प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए।
20. सीएमपीडीआई के मयूरी हॉल में दिनांक : 08.3.2018 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया।

19.3 खेल-कूद से संबंधित क्रिया-कलाप

- सीएमपीडीआई ने दिनांक : 28.01.2018 से 30.01.2018 तक कोल इंडिया इंटर कंपनी वालीबॉल टूर्नामेंट की मेजवानी की। इस टूर्नामेंट में कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी की टीम ने भाग लिया।
- सीएमपीडीआईएल ने बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, चेस, एथलेटिक मीट, फुटबॉल, वालीबाल, ब्रिज, लान टेनिस और कलचरल मीट के लिए अंतर क्षेत्रीय संस्थान टूर्नामेंट का आयोजन किया।
- सीएमपीडीआईएल के खेल मैदान में दिनांक : 15.08.17 को एक सेलेब्रिटि फुटबाल टूर्नामेंट सीएमडी-11 और निदेशक-11 के बीच आयोजित की गई।
- सीएमपीडीआईएल के क्रीड़ांगन में दिनांक 26.01.18 को सीएमडी-11 और निदेशक-11 के बीच एक कैनवास बाल क्रिकेट खेला गया।

19.4 अधिकारी संस्थापना संबंधी मामले

- वर्ष 2017–18 में सेवानिवृत्त हुए सभी अधिकारियों को समय पर ग्रेव्युटि का भुगतान।
- सभी त्याग पत्र मामलों का समय पर निपटाया गया तथा पूर्व के लंबित त्याग-पत्रों

- के मामले को निजी स्तर के साथ—साथ कंपनी स्तर पर बहुत बार देखने के बाद बांड मनी के रियलाइजेशन के जरिए निपटाया गया।
3. सभी सीपीआरएसई कार्डों को जारी कर दिया गया तथा नियमित आधार पर अद्यतित किया गया। बिलों को परिश्रमपूर्वक प्रोसेस किया गया।
 4. अधिकारियों के अंतर कंपनी स्थानांतरण के लिए सीएमपीडीआईएल के ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल से प्राप्त सभी आवेदनों को समय पर प्रोसेस किया गया।
 5. ई—ऑफिस अप्लीकेशन के लोकल एडमिन द्वारा दिए गए विभिन्न क्रिया—कलापों के जरिए ई—ऑफिस का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन।

19.5 एचआरआईएस/आरटीआई/शिकायत

1. वर्ष 2017–18 के दौरान सभी अधिकारियों से संबंधित पीएआर के साथ—साथ प्राइड के लिए पीएमएस (आनलाइन) के तहत अर्द्धवार्षिक समीक्षा के साथ—साथ गोल की सेटिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। वर्ष 2016–17 के लिए पीएमएस के तहत सीएमपीडीआईएल के लिए अंतिम मूल्यांकन निर्धारित अवधि में 100 प्रतिशत किया गया।
2. ऑनलाइन पीएमएस पर नए प्राइडों/पीएआरएस के सृजन, गोल सेटिंग की फाइलिंग, अनुवर्ती कार्रवाई नियमित आधार पर की जा रही थी।
3. ईआईएस और एचआरआईएस के अन्य मॉड्यूल के अद्यतन के लिए अनुषंगी कंपनियों के साथ—साथ कोल इंडिया के पॉलिसी सेल के साथ सतत समन्वयन और अनुसरण
4. अंतिम भुगतान देने के लए कोल इंडिया के दिशा—निर्देश के अनुसार वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 के लिए पीआरपी डाटा तैयार कर लिया गया है।

5. आरटीआई प्रश्नों का जवाब समय पर दिया जा रहा है।
6. सीएमपीडीआई में शून्य शिकायत को बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में सीपीजीआरएएन पोर्टल पर 42 शिकायतें प्राप्त हुई और सभी मामलों को हल/समाधान कर दिया गया। शिकायत निवारण समिति की नियमित बैठकें हुई और सामान्य प्रकृति के शिकायतों के साथ—साथ सीपीजीआरएएम पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का नियमित अनुसरण किया गया।

19.6 प्रशासन/श्रमशक्ति/पेंशन अनुभाग

1. सीएमपीडीआईएल के लिए वर्ष 2017–18 हेतु श्रमशक्ति बजट निर्धारित समय में पूरा किया जा चुका है।
2. कुल 40 पेंशन से संबंधित मामले सुलझाए गए।
3. वर्तमान कर्मचारियों और उनके आश्रितों से संबंधित आऊट साइट मेडिकल रेफरल के 254 मामलों को सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) स्तर पर कार्रवाई की गई।
4. कोल इंडिया के दिशा—निर्देश के अनुसार सभी ठेकेदारों और ठेकेदारों के कर्मचारियों को विलप (CLIP) पर रजिस्टर किया जा चुका है। ठेकेदारों के कर्मचारियों को भुगतान विलप के जरिए किया जा रहा है।
5. कोल इंडिया के निर्देशानुसार बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (बास) सीएमपीडीआई (क्षे.सं. के साथ—साथ मुख्यालय) में कार्यान्वित (लागू) किया जा चुका है और इसे ड्रिलिंग कैम्पों में भी क्रियान्वित किया जा रहा है तथा बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस के द्वारा उपस्थिति दर्ज की जा रही है।

19.7 विधि (लीगल)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में सीएमपीडीआईएल (मु.) के लीगल अनुभाग (सेक्शन) ने निविदा, करार प्रबंधन, श्रम कानून, सेवा संबंधी मामले,



आईपीआर, कारपोरेट लॉ आदि से संबंधित मामलों को सूचीबद्ध करने की सलाह दी है। केसों की संख्या में 31.03.2017 से 31.03.2018 तक 122 से घटकर 108 हुई है। इनमें से दो महत्वपूर्ण मामले संख्या : 609 / 98 सीएमपीडीआई बनाम मेसर्स टेलीक्रीक इलेक्ट्रीकल्स से संबंधित मामलों में सीएमपीडीआईएल के पक्ष में निर्णय आया।

19.8 चिकित्सा (मेडिकल)

- वर्ष 2017-18 के दौरान माह के प्रत्येक द्वितीय शुक्रवार का नियमित रूप से डायबिटिक विलनिक चलाया जा रहा है। डायबिटिज के लिए 767 रोगियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।
- सीएमपीडीआईएल डिस्पेंसरी में माह के प्रत्येक तीसरे शुक्रवार को एड्स/एचआईवी जागरूकता विलनिक संचालित किया जा रहा है। इसके लाभुकां में कर्मचारी, उनके आश्रित और नजदीकी समाज के लोग हैं।

19.9 राजभाषा

आपकी कंपनी समीक्षाधीन अवधि में कोंयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग), कोल इंडिया लिमिटेड तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निदेशों और राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों को लागू करने में सतत प्रयत्नशील रही और कार्यालयीन कार्य में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए इसके द्वारा बहुआयामी प्रयास किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित पत्राचार के लक्ष्य को 'ग' क्षेत्र में प्राप्त कर लिया तथा 'क' और 'ख' क्षेत्र में भी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने के बहुत नजदीक रही।

इसके अलावे राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत जारी दस्तावेज, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/निदेशक स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्, आपकी कंपनी की मासिक और वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में तैयार करना जारी रहा। (हिन्दी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने

के लिए आपकी कंपनी की प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय स्तर की घरेलू पत्रिका "(गोंडवाना भारती)" का प्रकाशन भी लगातार जारी है, जिसे सारे देश से प्रशंसा मिल रही है।

सितम्बर, 2017 में "राजभाषा माह" का आयोजन किया गया। कंपनी के कामगारों के बीच हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए तथा इसे प्रोन्नत करने के लिए कई हिन्दी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।

विवेच्य माह के दौरान सभी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेताओं को प्रथम पुरस्कार में 5000 रु., द्वितीय पुरस्कार 4000/-रु., तृतीय पुरस्कार 3000/-रु. और सांत्वना पुरस्कार 800 रु. से नवाजा गया। सभी पुरस्कार विजेताओं को उनके संबंधित कैटगरी में प्रमाण-पत्र भी दिया गया। इसके अतिरिक्त दो विभागों जिन्होंने अपना अधिकांश कार्यालयीन कार्य हिन्दी में किया को चेयरमेंस विनर (अध्यक्षीय विजेता) तथा उप विजेता का शील्ड दिया गया तथा एक क्षेत्रीय संस्थान जिन्होंने अपना अधिकांश कार्यालयीन कार्य हिन्दी में किया, को अध्यक्षीय विजेता का शील्ड आपकी कंपनी के माननीय अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा दिया गया। इसके अलावे सभी प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया।

राजभाषा माह के दौरान एक भव्य 'कवि सम्मेलन' का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया।

दिन प्रति दिन के सरकारी कार्य में राजभाषा 'हिन्दी' के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, हयूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिवीजन के तत्वावधान में चार हिन्दी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। सभी हिन्दी कार्यशालाएँ दैनिक रूटिन कार्य में हिन्दी के प्रयोग में कर्मचारियों के झिझक को दूर करने में अधिक प्रभावी हुईं।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देश और वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्रीय संस्थानों और मुख्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण भी किया गया।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश और वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार आपकी कंपनी के विभिन्न विभागों में राजभाषा के त्रैमासिक प्रगति की संवीचा करने के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार त्रैमासिक बैठकें भी आयोजित की गई।

आपकी कंपनी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की बैठक में नियमित रूप से भाग लेती रही है।

19.10 महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत डिस्क्लोजर (प्रकटीकरण) एवं सूचना

सीएमपीडीआई में कार्यस्थल (रोक/निवारण, निशेध, क्षतिपूर्ति) अधिनियम-2013 के अंतर्गत महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के तहत प्रकटीकरण और सूचना के किसी भी मामले की कोई शिकायत वर्ष 2017-18 के दौरान दर्ज नहीं की गई है।

वर्ष के दौरान प्राप्त सेक्सुअल हरासमेंट के शिकायतों की संख्या	— शून्य
वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या	— शून्य
90 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या	— 01
वर्ष के दौरान आयोजित सेक्सुअल हरासमेंट संबंधी जागरूकता	— शून्य
कार्यक्रम अथवा कार्यशालाओं की संख्या	— शून्य
मामले से संबंधित नियोक्ता द्वारा या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति	— शून्य

20.0 मीएमपीडीआईएल (2017-18) के सीएसआर एवं स्टेनेबिलिटि क्रिया-कलाप

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तथा स्टेनेबिलिटि अपने अपने स्टेक होल्डर्स को मितव्ययिता, समाजिकता तथा पर्यावरणिक

स्टेनेबिलिटी के रूप के रूप में अपना व्यापार को संचालित करने के लिए कंपनी वचनबद्ध है, जो पारदर्शी तथा नीतिपरक है। क्षमता निर्माण, समुदाय का इनपावरमेंट, अंतर्विरोध सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरण की सुरक्षा ग्रीन एवं ऊर्जा, पर्याप्त प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा समाज के हाशिए (अंडर प्रीमिलेज्ड) समुदाय के उत्थान पर सीएसआर स्टेनेबिलिटी का काफी दबाव है। कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियम सेक्सन 135 के तहत और इसमें बने नियमों के तहत कंपनी की स्वयं की सीएसआर पॉलिसी है।

20.1 निगमित सामाजिक दायित्व और स्टेनेबिलिटि

आपकी कंपनी ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सीएसआर के जरिए वृहत समाज के साथ-साथ अपने आसपास के समुदायों के साथ मजबूत सहभागिता निर्भाई है। सीएसआर एवं स्टेनेबिलिटि के अंतर्गत सीएमपीडीआई द्वारा सतत विकास पर जोर दिया गया और इसे क्रियान्वित भी किया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान इसके प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल है : विद्यालयों/ग्रामों में आधारभूत संरचनाओं का विकास, गरीब और जरूरतमंद स्कूली बच्चों को शैक्षणिक सहायता, कुष्ठ रोगी के उपचार और देखरेख के लिए प्यारी फाउंडेशन, पुरुलिया को वित्तीय सहयोग, ब्रजकिशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय, राँची के नेत्रहीन बालिकाओं का दक्षता विकास, गाँवों में बोरवेल की स्थापना और ड्रिलिंग द्वारा पेय जल उपलब्ध कराने आदि जैसे क्रिया-कलाप है।

20.2 सीएमपीडीआई (2017-18) की सीएसआर तथा स्टेनेबिलिटि का क्रिया-कलाप

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को बड़े पैमाने पर स्टेनेबिलिटि विकास तथा अंतर्विष्ट विकास को प्रोन्नत करने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में जाना जाता है। स्टेनेबिलिटी



मुद्दे का पता लगाने के लिए की गई पहल द्वारा विस्तृत स्तर पर स्टेक होल्डर्स एवं सोसाइटी द्वारा बड़े पैमाने पर कारपोरेट को समझा जाता है। देश के सामाजिक आर्थिक विकास में पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज (पीएसईएस) की महत्वपूर्ण भूमिका है। निगमित सामाजिक दायित्व दीर्घकालिक लाभ तथा सस्टेनेबिलिटी के लिए गवर्नेंस में सामाजिक पर्यावरणिक एकीकरण तथा नीतिपरक उत्तरदायित्व बढ़ाने में मदद करता है। सीएसआर तथा सामुदायिक विकास की ओर तेजी से बढ़ने के लिए कॉरपोरेट हेतु यह अनिवार्य है, जिसमें वे संचालित होते हैं, बढ़ते हैं तथा बड़े पैमाने पर फलते-फूलते हैं।

क्षमता निर्माण, समुदाय का इमपावरमेंट, अंतर्विष्ट सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, ग्रीन एवं ऊर्जा, पर्याप्त प्रौद्योगिकी, को बढ़ावा देने पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा समाज के हाशिए (अंडर प्रीभलेज्ड) समुदाय के उत्थान पर सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी का काफी दबाव है।

विकास एवं सुदृढ़ जीवन के लिए प्रभावित समुदाय की आवश्यकता का प्रबंध करने के लिए (जिसमें देश के 7 राज्यों में फैले ड्रिलिंग कैम्पस शामिल हैं) ऑपरेशन के अंदर एवं बारो ओर सीएमपीडीआई की सीएसआर परियोजना चालू की गई है।

20.3 सीएसआर नीति

प्रीम्बल

निगमित सामाजिक दायित्व की अवधारणा सभी का विकास करना है। संस्थान यह महसूस करते हैं कि समाज के निचले स्तर के लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने का सरकार अपने प्रयास में सफल नहीं होगी। सीएमपीडीआई ने सस्टेनेबल विकास के लिए एक नीतिगत टूल के रूप में सीएसआर को अपनाया है। वर्तमान संदर्भ में सीएमपीडीआई के लिए सीएसआर का मतलब न केवल सामाजिक गतिविधि के लिए कोष का निवेश है बल्कि सामाजिक प्रक्रिया के साथ

व्यावसायिक प्रक्रिया में गति लाना भी है।

यहाँ तक कि सीएसआर के वैशिक चिंता होने के मुद्दे से पूर्व सीएमपीडीआई अपने निगमित सामाजिक दायित्व के प्रति पहले से जागरूक था और परियोजना स्थल के 25 कि.मी. के दायरे के भीतर “सामुदायिक विकास नीति” को अच्छी तरह परिभाषित कर समाज की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप सीएमपीडीआई और इसके आसपास के समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है।

20.4 प्रस्तावना

सीएमपीडीआई की स्थापना कोल इंडिया लिमिटेड (ए गवर्नमेंट आफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग) की अनुषंगी कंपनी के रूप में वर्ष 1975 में हुई।

सीएमपीडीआई, राँची स्थित अपने मुख्यालय तथा आसनसोल, धनबाद, राँची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली और भुवनेश्वर में स्थित क्षेत्रीय संस्थान 1 से 7 तक के रूप में नामित सात क्षेत्रीय संस्थानों के जरिए कार्य करता है। कोयले के गवेषण से, जहाँ सीएमपीडीआई की स्थापना की गई है में और उसके आसपास में रहने वाले लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सीएसआर के प्राथमिक लाभुकों में पैच (परियोजना प्रभावित लोग) तथा जो परियोजना के 25 कि.मी. के परिधि के भीतर रहते हैं, वे हैं।

27.02.2014 को कारपोरेट मामले के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के साथ डीपीईएस के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के समेकित विशेषताओं के बाद सीएमपीडीआई के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर नीति बनाई गई है, जिसमें विस्तृत रूप से निम्नलिखित शामिल है :

- विस्तृत पैमाने पर समुदाय के लिए कल्याण संबंधी उपाय जिससे समाज के गरीब तबका को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
- नियोजन की देयता को दूर करने के लिए तथा उनके विकास एवं आय के सृजन के

लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में सामाजिकता के रूप में बड़े पैमाने पर समाज के लिए अंशदान।

ग) सुरक्षा एवं पर्यावरण का सेफगार्ड तथा पारिस्थितिकी बैलेंस को बनाए रखना।

20.5 उद्देश्य

सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य समाज के लिए सतत विकास हेतु सीएसआर को मुख्य व्यवसाय प्रक्रिया में लाने के लिए सीएमपीडीआई हेतु दिशा-निर्देश का पालन करना है। तात्कालिक और दीर्घकालिक समाज और उसके क्रिया-कलापों के पर्यावरणिक कंसीक्यूरेंस के आधार पर समाज के कल्याण संबंधी उपायों को बढ़ाने के लिए सरकार की भूमिका अदा करना इसका उद्देश्य है। कार्यान्वयन के लिए ग्लोबल काम्पेक्ट के सिद्धांतों को समर्थन करते हुए सीएमपीडीआई अच्छे कारपोरेट सिटिजन के रूप में कार्य करेगा।

20.6 शामिल किए जाने वाले क्षेत्र

समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग जो भारत के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं उन्हें कवर्ड किया जाएगा। संपूर्ण आबादी हेतु विकास घटक के अतिरिक्त अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए स्पेशल कॉरपोरेट प्लान (एससीपी) और ट्राइबल सब-प्लान के वर्तमान घटकों को भी सीएसआर कार्यक्रम शामिल करेगी।

सीएसआर की गतिविधियों को कार्यान्वित करने हेतु बजटेड राशि का 80 प्रतिशत परियोजनाओं / खानों से 25 कि.मी. रेडियस के अंतर्गत खर्च किया जायेगा और बजट का 20 प्रतिशत राज्य / राज्यों जिसमें सहायक कंपनियाँ कार्य कर रहीं हैं के अंतर्गत सीएसआर की गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा।

- सीएमपीडीआई का सीएसआर क्रिया-कलाप करने के लिए परियोजना स्थल / कंपनी मुख्यालय के 25 किलोमीटर के दायरे में बजटीय रकम का 80 प्रतिशत भाग खर्च किया जाता है, जबकि 20 प्रतिशत भाग उन राज्यों में खर्च किया जाता है, जहाँ इसके

क्षेत्रीय संस्थान काम कर रहे हैं।

- यदि सीएमपीडीआई, मुख्यालय या किसी क्षेत्र का सीएसआर बजट खर्च हो जाता है तो सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक उस तरह के खास सीएसआर क्रिया-कलाप / परियोजना / कार्यक्रम को सीआईएल के पास भेज (रेफर) देते हैं जिसे सीएमडी द्वारा आकस्मिक (तत्काल) / महत्वपूर्ण माना जाता है।

20.7 कोष का आवंटन

- सीएसआर के लिए कोष का वितरण विगत तीन वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निबल लाभ के औसत का 2 प्रतिशत के आधार पर किया जाता है।
- किसी खास वर्ष में सीएसआर बजट में जो राशि खर्च के बाद बच जाती है, वह लैप्स नहीं करती है। उसे सीएमपीडीआई के तत्काल आने वाले वर्ष के सीएसआर बजट में जोड़ दिया जाता है।

20.8 क्षेत्र (स्कोप)

नया कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-4 के अनुसार निगमित सामाजिक कार्य के तहत कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है :

- भुख, दरिद्रता तथा कुपोषण को दूर करने, सुरक्षात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, स्वच्छता और सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था करना।
- खासकर, बच्चे, महिलाओं, वयस्क एवं दिव्यांगों के बीच विशेष शिक्षा तथा रोजगारप्रक व्यावसायिक कौशल के साथ शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं तथा अनाथ बच्चों के लिए गृह-हॉस्टल का निर्माण, वृद्धाश्रम की स्थापना, डे केयर सेंटर तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसी तरह की अन्य सुविधा देना, तथा सामाजिक तथा आर्थिक



- रूप से पिछले समूहों के द्वारा सामाना किए जाने वाली असमानता को कम (दूर) करना।
4. पर्यावरण सस्टेनेब्लिटी, पारिस्थितिकी संतुलन वनस्पति एवं जीव जन्तु की सुरक्षा, पशुकल्याण, एग्रोफैरेस्ट्री प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा वायु, जल एवं भूमि की गुणवत्ता बनाए रखना।
 5. राष्ट्रीय धरोहर, कला एवं संस्कृति के साथ-साथ ऐतिहासिक महत्व के भवनों एवं स्थलों तथा कलाकृति का संरक्षण, सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का उन्नयन एवं विकास
 6. सेवा-निवृत सशस्त्र सेना के जवानों, युद्ध विधवाओं एवं उनके आश्रितों के हित के लिए उपाय
 7. ग्रामीण खेल-कूद, राष्ट्रीय पहचान वाले स्पोर्ट्स, पारालिम्पियन स्पोर्ट्स तथा ओलम्पिक खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण
 8. प्रधानमंत्री राहत कोष या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं को सहायता एवं कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अन्य कोष में अंशदान।
 9. केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों के भीतर टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर को दिया गया अंशदान या कोष
 10. ग्रामीण विकास परियोजना

20.9 कार्यान्वयन

- क) सीएसआर कोष को निवेश परियोजना आधारित है और प्रत्येक परियोजना के लिए प्रारंभ में टाइम फ्रेम्ड पेरिओडिक माइल स्टोन को अंतिम रूप दिया जाता है।
- ख) सीएसआर के तहत चिन्हित परियोजना कार्य को विभाग या विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। विशेषज्ञ एजेंसी को एकल या अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य

करने के लिए बनाया जा सकता है। विशेषज्ञ एजेंसियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. समाज आधारित संगठन चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक
2. निर्वाचित स्थानीय निकाय जैसे पंचायत
3. स्वैच्छिक एजेंसियाँ (एनजीओ)
4. संस्थान / शैक्षणिक संगठन
5. ट्रस्ट, मिशन आदि
6. स्वयं सहायता समूह
7. सरकारी, अर्धसरकारी स्वायत्तशासी संगठन
8. स्टैन्डिंग कनफ्रेस ऑफ पब्लिक फोरम (स्कोप)
9. महिला मंडल / समिति एवं इसी प्रकार के अन्य
10. नागरिक कार्य (सिविल) वर्क के लिए संविदात्मक एजेंसी
11. व्यावसायिक (प्रोफेशनल) परामर्शी संगठन आदि

ग) टिकाऊ (सस्टेनेब्ल) विकास संबंधित क्रिया-कलापों से सीएसआर की संपूर्ण पहल का महत्वपूर्ण तत्व बनेगा। ऐसे क्रिया-कलाप व्यावसायिक (बिजनेस) वातावरण से संबंधित 3 यूएन ग्लोबल कम्पैक्ट प्रिंसिपल के तहत आएगा और निम्नलिखित करने के लिए कहेगा :

1. पर्यावरणिक चुनौतियों के प्रति प्रीकाउसनरी अप्रोच में सहायता
2. और अधिक पर्यावरणिक दायित्व को प्रोत्साहित करने के लिए पहल करना
3. पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रसार को प्रोत्साहित करना

20.10 सांस्थानिक प्रबंध

- क) सीएसआर क्रिया-कलापों के तहत सभी प्रस्तावों की जाँच कंपनी अधिनियम, 2013,

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

नवीनतम डीपीई का दिशा-निर्देश के साथ-साथ लागत लाभ विश्लेषण को ध्यान में रखकर सीएसआर समिति द्वारा की जाती है।

- ख) किसी भी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रु. एवं उससे अधिक निबल लाभ कमाने वाला सीएमपीडीआई सीएसआर पर बोर्ड स्तरीय समिति गठित करेगा, जिसमें तीन या उससे अधिक निदेशक होंगे जिसमें से कम-से-कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।
- ग) सीएसआर समिति के क्रिया-कलापों में निम्नलिखित शामिल है :

 1. संबंधित राज्य के अधिकारी / सरकार के अधिकारी से बातचीत करना, सीएसआर के तहत क्रिया-कलाप शुरू करने के लिए वैसे क्षेत्रों की संपुष्टि तथा कार्य की डुप्लीसिटी को रोकने के लिए जरूरी है।
 2. सीएसआर के तहत शुरू किए जाने वाले क्रिया-कलापों को प्राथमिकता देने का निर्णय करना।
 3. शुरू किए जाने वाले क्रिया-कलापों के निर्धारण के लिए सीएसआर कार्यान्वयन एजेंसी के साथ बातचीत करना।
 4. कमिटि शुरू किए गए क्रिया-कलाप / पूरी की गई रिपोर्टों की संवीक्षा और मॉनीटर समय-समय पर करेगी।

- घ) किसी भी सीएसआर परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए डेलीगेशन ऑफ पावर निम्नलिखित होगा :

 - 25 लाख रु. तक के सीएसआर परियोजना / कार्यक्रम / क्रियाकलाप को सीएमपीडीआई के सीएमडी अनुमोदित करेंगे तथा 25 लाख रु. से अधिक के प्रस्ताव का अनुमोदन संबंधित बोर्ड करेगा।

20.11 बेस लाइन सर्वेक्षण एवं डॉक्यूमेंटेशन

- क) डीपीई के दिशा-निर्देश को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में बेस लाइन सर्वेक्षण पर जोर नहीं दिया जाता है तथा घरेलू विशेषज्ञ और आवश्यक मूल्यांकन अध्ययन के लिए संसाधन के उपयोग सहित अन्य विधि अपनाने के लिए फ्लेक्सीबिलिटी को मंजूर किया जाएगा।
- ख) चिकित्सा कॉलेज, इंस्टीच्यूशन, जहाँ सामाजिक लाभ समाहित हो, जैसे उपलब्ध कराने वाली आधारभूत सुविधाओं के लिए सीएसआर क्रिया-कलाप के लिए बेस लाइन सर्वे की आवश्यकता नहीं होती है। कोई परियोजना के लिए कॉस्ट बेनीफिट और जस्टिफिकेशन का पता लगाया जाना चाहिए।
- ग) सीएसआर पहुँच नीति, कार्यक्रम, व्यय, प्राप्ति आदि के लिए संबंधित सावधानीपूर्वक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाना चाहिए और पब्लिक डोमेन (विशेषकर इंटरनेट के जरिए) रखा जाना चाहिए और इसे सीएमपीडीआई के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

20.12 मॉनीटरिंग

- क) सीएमपीडीआई अथवा उसके प्रतिनिधियों की सीएसआर समिति समय-समय पर चालू परियोजनाओं के कार्य की प्रगति मॉनीटर किया जाएगा तथा केस टू केस आधार अथवा / मानीटरिंग को बाह्य प्रतिष्ठित एजेंसी से करवाया जा सकता है।
- ख) सीएमपीडीआई में गठित सीएसआर सेल का अध्यक्ष ई-8 सतर के अधिकारी होने चाहिए एवं सीएसआर एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमिटि के समक्ष पेश करने के लिए सीएसआर क्रिया-कलापों पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे।
- ग) सीएसआर पर बोर्ड लेवल कमिटि और सीएमपीडीआई के सस्टेनेबल विकास की संवीक्षा प्रत्येक छह महीने में सीएसआर क्रिया-कलाप के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा तथा सीएसआर क्रिया-कलापों के तहत होने वाले खर्च की राशि का अनुशंसा करेगा।



- घ) सीएसआर कमिटि समय—समय पर कारपोरेट रेस्पोनसिबिलिटि पॉलिसी का मॉनीटर करेगा।
- ड.) यदि कंपनी किसी वर्ष में आवंटित बजट को खर्च नहीं कर पाती है तो कंपनी को राशि खर्च नहीं करने के कारणों का डायरेक्टर रिपोर्ट में इसका उल्लेख करना होगा।
- च) फिजिकल और फायनेंसियल प्रोग्रेस से संबंधित तथ्यों सहित सीएसआर क्रिया-कलाप/परियोजना के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट में अलग/चाप्टर के साथ सीएमपीडीआई शामिल करेगा।
- छ) खर्च के विवरण के साथ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को प्रैविटसिंग चार्टर्ड एकाउटेंट/आर्थॉराइज्ड ऑडिटर से विधिवत् प्रमाणित होना चाहिए तथा उस संगठन/इंस्टीच्यूशन जिसे सीएसआर फंड आवंटित किया गया है, के द्वारा सौंपा जाना चाहिए।

20.13 सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण/रखरखाव

सीएसआर के तहत सृजित परिसंपत्तियों के रख-रखाव संबंधित राज्य सरकार, समाज के स्थानीय प्रतिनिधि और संबंधित गैर-सरकारी संगठन जिसे सीएसआर क्रिया-कलापों के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी है तथा अंडरटेकिंग/कनसेंट भी शुरू किया जाना चाहिए।

20.14 सीएसआर क्रिया-कलापों का रिफ्लेक्सन

कंपनी द्वारा किए गए सभी क्रिया-कलापों का वार्षिक अंकेक्षण स्थानीय अधिकृत ऑडिटर से कराया जाना चाहिए। सीएसआर संबंधित क्रिया-कलाप वार्षिक रिपोर्ट में और सोशल ओवरहेड (सीएसआर) के तहत सीएमपीडीआई के लेखे में रिफ्लेक्ट होगा।

क्षेत्रीय संस्थान में गठित कमिटि सभी साइट्स की जाँच करेगा और उसे सूचना, रिकार्ड और आगे की कार्रवाई हेतु सीएसआर सेल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए।

20.15 निष्कर्ष

उपर्युक्त दिशा-निर्देश सीएसआर के सभी क्रिया-कलापों के फ्रेम वर्क के फार्म में होगा और सीएसआर शुरू किया जाना चाहिए। सीएमपीडीआई, मुख्यालय और इसके सभी क्षेत्रीय संस्थानों जो परियोजनाओं के उनके विसिनिटि में विशेष क्रिया-कलाप को अधिकांशतः अंगीकार करना चाहिए, जो जिस राज्य सरकार से बिलोंग करता हो।

20.16 वर्ष 2017-18 के दौरान सीएमपीडीआई में सीएसआर के तहत परियोजना/क्रिया-कलाप और उपलब्धि

क) शिक्षा

ड्रिलिंग कैम्पों और कार्यालय में और उसके आसपास में अधिकांश स्कूलों को सीएमपीडीआईएल द्वारा दिव्यांग छात्रों को स्कालरशिप के फार्म में वित्तीय सहायता/सहयोग, स्कूल यूनीफार्म, डेसक बैंचेज की आपूर्ति भारत के माननीय प्रधानमंत्री के अभियान “बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ” अभियान को बढ़ावा देने के लिए स्कूल फीस, स्टेशनरीज, यूनिफार्म के फार्म में गरीब परिवारों के बालिका छात्राओं के स्पांसरशिप, मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप जैसे शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है। राँची झारखंड के विभन्न स्कूलों में वार्षिक दिवस, क्षेलकूद दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस समारोह मनाने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है।





चित्र : विरसा उच्च विद्यालय, राँची को दी जा रही शैक्षणिक सहायता



चित्र : गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, राँची को दिए जा रहे शैक्षणिक आइटम

चित्र : क्षे.सं.- ।।, धनबाद द्वारा डेस्क और बेंच के रूप में शैक्षणिक सहायता दी जा रही है

बालनीकुंज स्कूल, नागपुर में 120 छात्रों को स्कूल बैग और स्वेटर वितरित किए गए और शासकीय प्राथमिक शाला, नीमधाना, अमरवाड़ा, एमपी में क्षेत्री संस्थान-4, नागपुर द्वारा 28 छात्रों को स्कूल बैग, स्वेटर एवं जूतों को वितरण किया गया। इसके अलावे, जिला परिषद् उच्च प्राथमिकशाला, बरौदा, चंद्रपुर, महाराष्ट्र और उर्दू विद्यालय, वरौदा, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय संस्थान-4, नागपुर द्वारा मिड-डे मील के शेड का निर्माण किया गया।



आसनसोल आनंदम में मानसिक रूप से विकलांग वितरण



आसनसोल के स्कूल में डेस्क, बेंचेज का छात्रों के लिए जारी करास

चित्र : क्षेत्रीय संस्थान-4, नागपुर द्वारा छात्रों के बीच स्कूल बैग एवं स्वेटर का वितरण





वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

सरस्वती शिशु मंदिर, एचएस आवासीय विद्यालय, सेंद्रीकोनी, बिलासपुर में एक अतिरिक्त हॉस्टल रूम बनाया जा रहा है, जबकि बोखेल की स्थापना की जा चुकी है। मिडल एवं हाईयर सेकंडरी स्कूल, खामतारी में साइकिल स्टैण्ड के लिए एक शेड का निर्माण किया गया।



चित्र: सरस्वती शिशु मंदिर, एचएस रेसीडेंसिल स्कूल, सेंद्रीकोनी, बिलासपुर में एक अतिरिक्त हॉस्टल रूम का निर्माण जारी है और बोखेल स्थापित किया जा चुका है।

ख) हेल्थ केयर

सीएमपीडीआईएल द्वारा, प्यारी फाउंडेशन – इंडिया ट्रस्ट द्वारा संचालित गांधी मेमोरियल लेप्रोसी हॉस्पिटल बलरामपुर, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल के 10 कुष्ठरोगी के अस्पताल खर्च के लिए वित्तीय सहायत प्रदान की गई है।



कुष्ठरोगियों को उपचार जारी

ग) स्वच्छता एवं पेयजल

सिंगपुर कैम्प, छत्तीसगढ़ के निकट सिंगपुर क्षेत्र में एक बोरवेल तथा गोपालपुर एफपी स्कूल, जीटी रोड, जिला-वर्द्धवान को एक वाटर टैंक (1000 लीटर) की स्थापना की गई है।

घ) कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट)

सीएमपीडीआईएल ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय, बारगेन गाँव, राँची के नेत्रहीन बालिकाओं के कौशल विकास कर रहा है और आधारभूत सुविधाएँ मुहैया करा रहा है। कम्प्यूटर-कम-ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण सीएमपीडीआई द्वारा किया गया है, जिसका उद्घाटन हाल ही में अध्यक्ष-सह-प्रबंधन निदेशक, सीएमपीडीआई द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 में सीएमपीडीआई द्वारा ब्रजकिशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय के 12 नेत्रहीन बालिकाओं के कौशल विकास तथा वार्षिक स्कूल शुल्क प्रायोजित किया जा रहा है। प्रथम तल्ला पर कम्प्यूटर सेंटर-कम-हॉस्टल का निर्माण कार्य जारी है।



चित्र : नेत्रहीन बालिकाएँ, कम्प्यूटर पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए



सीएमपीडीआईएल अद्वृता चिल्ड्रेन होम, भुवनेश्वर में असहाय बच्चों के लिए सिलाई और कम्प्यूटर संचालन में कौशल विकास के लिए सहायता भी दी जा रही है।

ड.) सामाजिक कल्याण और ग्रामीण विकास

सीएमपीडीआईएल द्वारा निम्नलिखित के जरिए आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है :

- करुणा अनाथालय, राँची में अनाथों के लिए एक हॉल का निर्माण
- चलकारी गाँव, पेटरवार बोकारो, झारखण्ड के अखाड़ा मैदान में सीजीआई शीट रूफिंग सहित एक खुला शेड का निर्माण चानगुड़िया, कोसला कैम्प, उड़ीसा में ग्रामीण समुदाय के लिए कल्याण मंडप का निर्माण
- संतारबांध ग्राम निकट कोसला कैम्प उड़ीसा में ग्रामीण समुदाय के लिए कल्याण मंडप का निर्माण
- काबुदिया निकट, कोसला कैम्प, उड़ीसा में ग्रामीण समुदायों के लिए कल्याण मंडप का निर्माण




अनाथो, राँची के लिए नया बना हॉल



चानगुड़िया में कल्याण मंडप

च) सतत विकास

क्षेत्रीय संस्थान—III, राँची द्वारा खुटी टोला ग्राम, टंडवा, चतरा जिला, झारखण्ड में 4 सोलर लाइट लगाए गए हैं।



चतरा, झारखण्ड में स्थापित सोलर लाइट

छ) खेल-कूद को बढ़ावा देना

सीएमपीडीआई द्वारा ग्रामीण उत्थान के साथ सुदूर क्षेत्रों और गरीब परिवारों के युवकों के बीच खेल कूद को बढ़ावा दिया गया है।



जारी फुटबॉल मैच





ट्रॉफी के साथ विजेता टीम

ज) स्वच्छता कार्य योजना

सीएमपीडीआई में दिनांक 15 अगस्त, 2017 से 31 अगस्त, 2017 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया और दिनांक 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर, 2017 तक “स्वच्छता ही सेवा” अभियान चलाया गया। नियमित स्वच्छता (सफाई) कार्यक्रम जिसमें फलदार वृक्षों सहित गहन वृक्षारोपण कार्यक्रम मुख्यालय और सभी सातों क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा चला गया। सफाई अभियान न केवल सातों क्षेत्रीय संस्थानों के सभी ड्रिलिंग कैम्पों के परिसर में बल्कि गाँवों और उसके आसपास के ग्रामीणों में स्वच्छता की आदत डालने, और विभिन्न स्कूलों में भी यह अभियान चलाया गया। स्वच्छता शपथ छात्रों, ग्रामीणों, अधिकारी, कर्मचारी ओर परिसर स्थित आवास में रहने वालों द्वारा बड़े स्तर पर लिया गया। झाईंग प्रतियोगिता, डोर-टू-डोर अभियान, दिवाल पैंटिंग, स्वच्छता रैलियाँ आदि भी आयोजित की गईं।



सीएमपीडीआई, क्षे.संस्थान-4, नागपुर में पैंटिंग



क्षेत्रीय संस्थान-5, बिलासपुर में स्वच्छता रैली



क्षेत्रीय संस्थान-7, भुवनेश्वर में अ.स.प्र.नि., सीएमपीडीआई दि वाल' द्वारा नमूने के तौर पर किया गया वृक्षारोपण



क्षेत्रीय संस्थान-3, राँची द्वारा सफाई अभियान



21.0 वर्ष 2017-18 के लिए सीएमपीडीआई^{एल} के समझौता संलेख (एमओयू) का कार्यनिष्ठादन

सीएमपीडीआई^{एल} फिजिकल और वित्तीय कार्य निष्ठादन हेतु विभिन्न पारामीटर सेट करने के लिए प्रत्येक वित्तीय कार्य के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक एमओयू करता है। उपलब्धियाँ 1-5 के स्केल पर ग्रेडिंग किया जाता है। एक्सीलेंट को 1.0 से 1.5 और खराब को 4.51 से 5.0 तक ग्रेडिंग किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सीएमपीडीआई को एक्सीलेंट (1.002) ग्रेड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटर प्राइजेज

द्वारा दिया गया था, जो सभी सीपीएसई के बीच तीसरा सर्वोत्तम तथा इसके सिंडिकेट में सर्वोत्तम दिया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 और इसके बाद से ग्रेडिंग की प्रणाली 5 प्वार्ड इंटर स्केल से बदल कर प्रतिशत प्रणाली में कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सीएमपीडीआई को “एक्सीलेंट” रेटिंग दी गई थी जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान “एक्सीलेंट” रेटिंग मिलने की संभावना है।

22.0 सीएमपीडीआई^{एल} में मनाए गए कोल इंडिया स्थापना दिवस समारोह

सीएमपीडीआई^{एल} जो एक मिनी-रत्न कंपनी है में दिनांक 1 और 7 नवम्बर, 2017 को पूरे उत्साह से कोल इंडिया स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रो. शैलेन्द्र सिंह, निदेशक, आईआईसीएम ने अपने भाषण में लाइफ अच्छा करने के लिए खुशी और स्ट्रेस प्रबंधन के महत्व पर बल दिया। किसी भी व्यक्ति के लिए आंतरिक बल और दिमागी मजबूती में बढ़ोत्तरी के लिए स्वयं श्रद्धा और स्वयं का मूल्यांकन आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति के अच्छी बातों की प्रशंसा करने से उसके जीवन में खुशियाँ आएंगी।

इस अवसर पर, श्री शेखर सरन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीएमपीडीआई^{एल} ने वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान की

सीएमपीडीआई की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सीएमपीडीआई ने वर्ष 2006-07 से अब तक लगभग 19 प्रतिशत की प्रभावकारी सीएजीआर के साथ 11.26 लाख मीटर की सभी समय उच्च वेधन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। आगे उन्होंने बताया कि दिनांक 01.04.2017 के अनुसार 315 बिलियन टन कोयला संसाधनों प्रमाणित श्रेणी के कोयला संसाधन था, जो मुख्यतः सीएमपीडीआई के प्रयास से था। उन्होंने कोयला क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के विविधीकरण की आवश्यकता पर बल दिया और विस्तृत गवेषण के अलावे कोयले के क्षेत्रीय गवेषण शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सीएमपीडीआई विश्लेषण के ए प्रयुक्त उपकरणों से सीधे पर्यावरणिक मानीटरिंग रिपोर्ट का ऑनलाइन सृजन के लिए अप्लाईकेशन (उपकरण) विकसित किया है और इस उद्देश्य के ए सीसीएल के अधिकार वाले पर्यावरणिक मॉनीटरिंग रिपोर्ट के सृजन के लिए इसे व्यवहार में लाया है।

इस अवसर पर श्री बी.एन.शुक्ला, निदेशक (टी/सीआरडी), श्री ए.के.चक्रवर्ती, निदेशक (टी/ईएस), कोल इंडिया परिवार के भूतपूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध





निदेशक और जेसीसी के सदस्य, सीएमओएआई के प्रतिनिधि, श्रीमति मीता सरन, अध्यक्ष, कस्तुरी महिला सभा और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। समारोह की शुरूआत दीप प्रज्जवलन और कोल इंडिया लिमिटेड के कारपोरेट गीत के साथ हुई।

22.1 वर्ष 2017-18 में वीमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स), सीएमपीडीआईएल के फोरम की गतिविधियाँ

- एमसीएल, सम्बलपुर में दिनांक : 28.10.17 को आयोजित 22 पीएसयू के क्षेत्रीय बैठक में विप्स, सीएमपीडीआईएल को बेर्स्ट इंटरप्राइजेज स्कोपे पुरस्कार मिला। द्वितीय स्थान के लिए मिनी रन कैटेगरी में सीएमपीडीआई को "बेर्स्ट इन्टरप्राइज अवार्ड" से नवाजा गया। विशेष रूप से कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनुकरणीय काम करने और सीएमपीडीआईएल सीएसआर द्वारा उन्हें सौंपा गया कार्य जिसे उन्होंने पूरे जोश और उतास से किया, जिसमें उन्होंने सीएसआर के तहत हातमा बस्ती के अशिक्षित महिलाओं और बच्चों तक अपनी पहुँच

बनाई। कारपोरेट के आस-पास की महिलाओं की स्थिति उननत/सुधार करने के विष्य के उद्देश्यों में शामिल है। वर्ष 2016-17 में सीएमपीडीआईएल क्षेत्रीय संस्थान-4, नागपुर ने कर्मचारियों के कल्याण और समजा के कल्याण के लिए विप्स के बैनर तले सराहनीय कार्य किया है। यह पुरस्कार मुख्य सतर्कता अधिकारी एमसीएल की उपस्थिति में निदेशक (तक/संचा.), एमसीएल द्वारा दिया गया। विप्स के सदस्यों ने अपने निरंतर समर्थन और प्रेरणा के लिए सीएमपीडीआईएल प्रबंधन को धन्यवाद दिया। टीम विप्स ने संबलपुर से लौटने पर अपने कार्यालय में सीएमपीडीआईएल के निदेशक(तक./ईएस) श्री असीम चक्रवर्ती को ट्राफी सौंपी।

- 2017 :सीएमपीडीआई टीम द्वारा दिनांक : 24.8.17 को आईओसीएल, गुवाहाटी और दिनांक 16.09.17 को ईआरपीएल, कोलकाता के कार्यशाला में भाग लिया गया।
- फोरम ऑफ वीमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स), पूर्वी क्षेत्र (ईआर) ने विप्स सेल, गुवाहाटी रिफायनरी, आईओसीएल के सहयोग से दिनांक 24.08.2017 को अपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट की सुश्री उर्मिला बरुआ द्वारा 'दआर्ट ऑफ असर्सन एंड बिझेंग कोल ड्राइवेन' नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- मेसर्स सीआइआई सेंअर फॉर एक्सीलेंस की सुश्री दुम्पा सरकार द्वारा 'आईस्पायर :पर्सनल इफेक्टीवेनेस' पर एक-एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विप्स सेल, ईआरपीएल, आईओसीएल, कोलकाता के सहयोग से विप्स ईआर ने किया।
- सीएसआर पहल 'परियोजना स्वाबलंबी' 15. 12.2017 का निष्कर्ष वाला भाग
- श्रीमति मीता सरन, अध्यक्ष, कस्तुरी महिला सभा, सीएमपीडीआईएल ने सीएमपीडीआईएल कार्यालय परिसर में हातमा बस्ती, कांके रोड, रांची के अन्य 4 महिलाओं के लिए मेसर्स उषा द्वारा प्रमाणिता सिविंग एंड स्ट्रिंगसेशन

का उद्घाटन किया जो अगले 3 महीनों के लिए सप्ताह में पांच दिन का होगा। भविष्य में गोंदवाना स्कूल और बिरसा स्कूल के बच्चों को वितरित किए जाने के लिए पूर्व से प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा सिलाई किए गए स्कूल यूनिफार्म का वितरण और कौशल विकास एवं नियोजन सृजन। इस प्रकार सशक्त महिलाओं को भविष्य में बाजार उपलब्ध कराया गया।

- फोरम निम्नलिखित क्रिया-कलापों के साथ 18.01.14 से चालू/ जारी है।
- वंचित बच्चों के लिए रेमिडियल क्लास
- महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए रोजगार सृजन
- वर्ष 2016–18 के लिए कोआर्डिनेटर विप्स सीएमपीडीआईएल का चयन सचिव विप्स—पूर्वी क्षेत्र के रूप में निर्विरोध किया और दो वर्षों के लिए सीजीबी (सेंट्रल गवर्निंग बॉर्डी) विप्स, ऐपेक्स के सदस्य के रूप में कार्य की तथा उनके दिशा—निर्देश में विप्स के सर्वोत्तम न्यूज लेटर के लिए दिनांक : 12.02.2018 को गुवाहाटी में मुख्य मंत्री आसाम द्वारा पुरस्कार दिया गया।
- सीएमपीडीआईएल, नागपुर द्वारा बायो-डिग्रेडेबल किचन वेस्ट के पृथक्करण पर पायलट परियोजना
- बायोडिग्रेडेबल हाऊस होल्ड वेस्ट के पृथक्करण और अपघटन के लिए विप्स, सीएमपीडीआईएल, नागपुर द्वारा एक शुरुआत / पहल की गई। इसके कार्यान्वयन के लिए सीएमपीडीआईएल परिसर में रहने वाली घरेलू महिलाओं के लिए विप्स टीम द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। बायो-डिग्रेडेबल किचन वेस्ट के पृथक्करण एवं अपघटन की जरूरत और विधि की प्रक्रिया बताई गई। इस उद्देश्य के लिए सभी क्वार्टरों में डस्टबीन का वितरण किया गया ताकि बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग-अलग जमा किया जा सके। सिविल डिपार्टमेंट,

सीएमपीडीआईएल नागपुर की सहायता से बायो-डिग्रेडेबल वेस्ट को अलग-अलग जमा किया गया और कम्पोस्ट बनाने की अनुमति दी गई और इस कम्पोस्ट का प्रयोग सीएमपीडीआईएल परिसर स्थिति बागीचे में खाद के रूप द्वारा काफी सराहा गया। परियोजना सफल रही और विप्स की इस पहल को क्षेत्रीय निदेशक, सीएमपीडीआईएल, नागपुर द्वारा काफी सराहा गया।

- अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2017 सीएमपीडीआईएल, नागपुर में मनाया गया।
- जुम्बा प्रोफेसनल द्वारा जीवन में शारीरिक सक्षमता के महत्व पर विचार करते हुए सभी महिला कर्मचारियों के लिए जुम्बा (डॉस के रूप में कसरत) सत्र का आयोजन किया गया।
- सीएमपीडीआईएल, नागपुर के विप्स सदस्यों ने पंचवटी वृद्धाश्रम, नागपुर (एक वृद्धाश्रम) का भ्रमण किया और सभी निवासियों के साथ मिलकर केक काटकर, मिठाई और फल बॉट कर, सभी के साथ कुछ गेम खेल कर गुणवत्तापूर्व समय बिताया और उन्हें खुश होने का मौका दिया। प्यार और सम्मान स्वरूप वृद्धाश्रम को 2 एयर-कुलर दान किया गया।

23.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व उक्ति

- 23.1 वार्षिक लेखे की तैयारी में मेटेरियल डिपार्चर से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित अप्लीकेबल एकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अनुपालन किया जा रहा है।
- 23.2 निदेशकों ने ऐसा लेखा—नीति का चयन किया और उसे लगातार व्यवहार में लाया, जिससे निर्णय और आकलन किया जा सके, जो यथोचित एवं बुद्धिपरक है ताकि यह वित्तीय वर्ष के अंत में इस अवधि के लिए कंपनी की लाभ—हानि के विषय में कंपनी मामलों की स्थिति पर सत्य एवं स्पष्ट विचार किया जा सके।
- 23.3 निदेशकों ने लेखा रिकार्डों के अनुसरण के लिए इस नियम के प्रावधान के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा जालसाजी एवं अन्य



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18



- अनियमितताओं से बचाने एवं इसका पता लगाने के लिए यथोष्ट एवं उपयुक्त ध्यान दिया है।
- 23.4 निदेशकों ने प्रचलित आधार (गोईंग कन्सर्न) में वार्षिक लेखा तैयार किया है।

23.5 निदेशकों ने संपुष्ट की है कि उन्होंने सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली विकसित की है। इस प्रकार की प्रणाली पर्याप्त था तथा प्रभावी तरीके से काम कर रहा था।



अंकेक्षण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से मेसर्स कै.सी.टॉक एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, राँची को वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया गया। इस वर्ष के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा (44 ए.बी.) के तहत आयकर अंकेक्षक भी नियुक्त किया गया। इन्हें वर्ष 2017–18 के लिए झारखंड वैट अंकेक्षक भी नियुक्त किया गया।


आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियाँ, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों जिसके संपर्क में कंपनी ने चयन किया है तथा कंपनी के कार्यों के पूरा करने में सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया है, उसके प्रति आभारी हैं। हम अपने सम्मानित ग्राहकों के प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हम पर विश्वास प्रकट किया और हमें संरक्षण दिया।

परिशिष्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के तहत अपेक्षित ऊर्जा के संरक्षण, टेक्नोलॉजी एवजार्पसन और फारेन एक्सचेंज अर्निंग एवं आउट गो, अनुसंधान एवं विकास, सीईओ और सीएफओ प्रमाणन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के तहत एनुअल रिटर्न का सारांश, कारपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट, सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा मैनेजेरियल पर्सनेल के पारिश्रमिक आदि का विस्तृत सूचना पर रिपोर्ट भी, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल की ओर से एवं वास्ते



(शेखर सरन)

अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक

स्थान : राँची

तिथि : 13.07.2018



परिशिष्ट-।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं खर्च के बारे में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ पठित नियम 8 में शामिल किए जाने वाले मामले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (एम) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में दिए जाने के लिए अपेक्षित सूचना।

क) कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ऊर्जा का संरक्षण

सीएमपीडीआई ने वर्ष 2017-18 में ऊर्जा संरक्षण अध्ययन शुरू कर्या है और बीईई मान्यता प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षकों द्वारा कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में रिस्त विभिन्न खुली खदान और भूमिगत खानों में विशेष इलेक्ट्रीकल ऊर्जा क्षपत का बेंचमार्किंग तथा इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण के साथ-साथ पेशिफिक डीजल कंजप्सन का बेंचमार्किंग एवं डीजल अंकेक्षण किया गया।

कोल इंडिया के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में किए गए डीजल बेंच मार्किंग अध्ययन में डीजल संरक्षण के लिए निम्नलिखित ब्रोड हेड का स्वीकार किया गया।

1. नियोजित एचईएमएम के लिए प्रीवेंटिव मैटेनेंस मेजर्स को अपनाते हुए तथा लीकेज की पहचान करना और मिनिमाइज करना।
2. एचईएमएम कंसीडरिंग हाउल रोड कंशीनन्स का स्पीड आप्टीमाइजेशन।
3. आइडियल आवर को मिनिमाइज करने के लिए टाइम अध्ययन और एचईएमएम के अनावश्यक मूवमेंट से बचाव।
4. इलेविट्रिकल व्हील माउन्टेड एचईएमएम के लिए 0.054 लीटर प्रति बीएचपी घंटे तथा व्हील माउन्टेड के लिए 0.06 लीटर प्रति/बीएचपी घंटे, ट्रैक माउन्टेड के लए 0.1 लीटर/बीएचपी घंटे को सीएमपीडीआई आयोजन एवं अभिकल्पन के मानदंड के साथ तुलना।

कोल इंडिया के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में इलेक्ट्रीकल एनर्जी आडिट एवं बेंचमार्किंग अध्ययन किया गया। भूमिगत और खुली खदान खानों के क्षेत्र निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रीकल मेजरमेंट एवं पिछले 3 वर्षों के हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर ट्रैंड एनालिसिस (प्रवृत्ति विश्लेषण) किया गया। निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण विधि अपनाई गई है :

1. डिमांड साइड मैनेजमेंट
2. संचरण एवं वितरण हानि में कमी
3. पावर फैक्टर में सुधार
4. इफिशिएंट इल्यूमिनेशन सिस्टम
5. ट्रांसफर्मर की पहचान कर ट्रांसफार्मेशन हानि में कमी लाना
6. ऊर्जा की मॉनीटरिंग के लिए एनर्जी मीटर की स्थापना
7. पम्पिंग प्रणाली में ऊर्जा संरक्षण उपाय

बीईई मान्यता प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षकों के द्वारा ऊर्जा अंकेक्षण तथा ऊर्जा बेंचमार्किंग अध्ययन किए गए। कृपया नीचे दी गई तालिका पर ध्यान दिया जाए :

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

(क 1) वर्ष 2017-18 के लिए सीएमपीडीआई द्वारा उठाए गए ऊर्जा संरक्षण पहल

क्रम सं.	कार्य विवरण	प्रस्तावित निवेश (लाख रु. में)	प्रस्तावित बचत संभावना
2017-18 सीएमपीडीआई, मुख्यालय द्वारा किया गया ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेचमार्किंग अध्ययन			
क.	डीजल अंकेक्षण एवं बेचमार्किंग		
1.	बीसीसीएल द्वारा चिह्नित 14 ओसीपी का वार्षिक बेचमार्किंग	37772 किलो लीटर	1218 किलो लीटर / वर्ष
2.	सीएल द्वारा चिह्नित 30 ओसीपी का बेचमार्किंग	59726 किलो लीटर	2887 किलो लीटर / वर्ष
3.	ईसीएल द्वारा चिह्नित 8 ओसीपी का बेचमार्किंग	34115 किलो लीटर	1578 किलो लीटर / वर्ष
4.	एमसीएल द्वारा चिह्नित 12 ओसीपी का बेचमार्किंग	43147 किलो लीटर	1419 किलो लीटर / वर्ष
5.	एनसीएल द्वारा चिह्नित 10 ओसीपी का बेचमार्किंग	102582 किलो लीटर	4916 किलो लीटर / वर्ष
6.	एसईसीएल द्वारा चिह्नित 03 ओसीपी का बेचमार्किंग	46461 किलो लीटर	2226 किलो लीटर / वर्ष
7.	डब्ल्यूसीएल द्वारा चिह्नित 14 ओसीपी का वार्षिक बेचमार्किंग	64698 किलो लीटर	2929 किलो लीटर / वर्ष
8.	मुख्यालय, रांची सीसीएल के परेज ईस्ट ओसीपी का विस्तृत डीजल अंकेक्षण एवं बेचमार्किंग	23.15 (औसत डीजल लागत 46.23 रु. / लीटर)	50.065 किलो लीटर / वर्ष
9.	क्षेत्रीय संस्थान-II, धनबाद द्वारा एनटी-एसटी ओसीपी, लोदना क्षेत्र, बीसीसीएल का विस्तृत डीजल अंकेक्षण एवं बेचमार्किंग	106.50 (औसत डीजल लागत 46.03 रु. / लीटर)	231.38 के.ली./ वर्ष
10.	क्षेत्रीय संस्थान-4, सिंगरौली द्वारा खादिया ओसीपी, एनसीएल का डीजल अंकेक्षण एवं बेचमार्किंग	—	प्रगति पर
11.	क्षेत्रीय संस्थान-4, सिंगरौली द्वारा अमलोरी ओसीपी, एनसीएल का डीजल अंकेक्षण एवं बेचमार्किंग	—	प्रगति पर
ख.	इलेक्ट्रीकल एनर्जी ऑफिट एंड बेचमार्किंग		
1.	मुख्यालय, रांची द्वारा निगाही ओसीपी, एनसीएल का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण और बेचमार्किंग	374.69	205.32 ला.रु. / वर्ष
2.	क्षेत्रीय संस्थान-2, धनबाद द्वारा दहीबारी ओसीपी, बीसीसीएल का इलेक्ट्रीकल एनर्जी अंकेक्षण और बेचमार्किंग	10.00	8.37 ला. रु. / वर्ष
3.	क्षे.सं-4, नागपुर द्वारा छतरपुर-II भू.ग.खान, पाथाखेरा क्षेत्र, डब्ल्यूसील का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेचमार्किंग	39.49	55.52 लीटर रु. / वर्ष
4.	क्षे.सं-4, नागपुर द्वारा भानेगाँव ओसी माइन, नागपुर क्षेत्र डब्ल्यूसीएल का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेचमार्किंग	—	प्रगति पर

(क 2) वर्ष 2017-18 के लिए सीएमपीडीआई द्वारा शुरू कए गए माइन इल्यूमिनेशन रिपोर्ट

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तावित निवेश (लाख रु. में)
1.	पिपरवार ओसीपी का इल्यूमिनेशन सर्वेक्षण	99.25
2.	रोहिणी ओसीपी का इल्यूमिनेशन सर्वेक्षण	55.63
3.	अशोका ओसीपी का इल्यूमिनेशन सर्वेक्षण	63.23
4.	डकरा ओसीपी का इल्यूमिनेशन सर्वेक्षण	20.10
5.	पुरनाडीह ओसीपी का इल्यूमिनेशन सर्वेक्षण	64.23

वर्ष 2017-18 के लिए सीएमपीडीआई द्वारा शुरू किए गए माइन इल्यूमिनेशन रिपोर्ट में प्रस्तावित एलईडी

क्र.सं.	कार्य विवरण	संख्या
पिपरवार ओसीपी		
1.0	स्टील टुबुलर पोल पर माउंटिंग के लिए स्ट्रीट लाइट ल्यूमिनरीज	488
2.0	स्टील टुबुलर पोल पर माउंटिंग के लिए स्ट्रीट लाइट ल्यूमिनरीज 200 वाट एल.ई.डी. लैम्प	96
3.0	स्टील बुबुलर पोल (फलड लाइट / स्ट्रीट लाइट) पर माउंटिंग के लिए स्ट्रीट लाइट ल्यूमिनरीज 300 वाट एल.ई.डी. लैम्प	350
4.0	वर्कशाप शेड के लिए 140-150 वाट के हाई बे/मिडियम बे एल.ई.डी. यूमिनेयर	133



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

रोहिणी ओसीपी		
1.0	स्टील टुबुलर पोल पर माउंटिंग के लिए स्ट्रीट लाइट ल्यूमिनरीज 210 वाट एल.ई.डी. लैम्प	36
2.0	स्टील टुबुलर पोल पर माउंटिंग के लिए स्ट्रीट लाइन ल्यूमिनरीज 180 वाट एल.ई.डी. लैम्प	130
3.0	टावरों पर माउंटिंग के लिए फ्लड लाइट ल्यूमिनरीज 300 वाट एल.ई.डी. लैम्प	336
4.0	वर्कशाप शेड के लिए 150 डब्ल्यू का हाई बे / मिडियम बे एल.ई.डी. ल्यूमिनेयर	60
अशोका ओसीपी		
1.0	स्टील टुबुलर पोल पर माउंटिंग हेतु स्ट्रीट लाइट ल्यूमिनरीज 120 वाट एल.ई.डी. लैम्प	240
2.0	स्टील टुबुलर पोल पर माउंटिंग के लिए स्ट्रीट लाइन ल्यूमिनरीज 140 वाट एल.ई.डी. लैम्प	414
3.0	स्टील बुबुलर पोल पर माउंटिंग के लिए स्ट्रीट लाइट ल्यूमिनरीज 200 वाट एल.ई.डी. लैम्प	72
4.0	स्टील बुबुलर पोल (फ्लड लाइट / स्ट्रीट लाइट) पर माउंटिंग के लिए स्ट्रीट लाइट ल्यूमिनरीज 300 वाट एल.ई.डी. लैम्प	562
डकरा ओसीपी		
1.0	स्टील टुबुलर पोल पर माउंटिंग हेतु स्ट्रीट लाइट ल्यूमिनरीज 120 वाट एल.ई.डी. लैम्प	36
2.0	स्टील टुबुलर पोल पर माउंटिंग के लिए स्ट्रीट लाइन ल्यूमिनरीज 140 वाट एल.ई.डी. लैम्प	69
3.0	स्टील बुबुलर पोल पर माउंटिंग के लिए स्ट्रीट लाइट ल्यूमिनरीज 200 वाट एल.ई.डी. लैम्प	24
4.0	स्टील बुबुलर पोल (फ्लड लाइट / स्ट्रीट लाइट) पर माउंटिंग के लिए स्ट्रीट लाइट ल्यूमिनरीज 300 वाट एल.ई.डी. लैम्प	88
	140-150 वाट के हाई बे / मिडियम बे एल.ई.डी. ल्यूमिनेयर	24
पुरनाडीह ओसीपी		
1.0	स्टील टुबुलर पोल पर माउंटिंग हेतु स्ट्रीट लाइट ल्यूमिनरीज 180 वाट एल.ई.डी. लैम्प	224
2.0	टावरों पर माउंटिंग के लिए फ्लड लाइट ल्यूमिनरीज 300 वाट एल.ई.डी. लैम्प	366

सौर ऊर्जा और एल.ई.डी. लाइटिंग का उपयोग का हरित पहल

- एनईसी कार्यालय भवन के लिए 12 के. डब्ल्यूपी रूफटॉप सोलर परियोजना का निविदा दस्तावेज, एनआईटी सुपुर्द, मुख्यालय, रॉची द्वारा कार्य जारी।
- क्षेत्रीय संस्थान-1, आसनसोल द्वारा सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान-1 परिसर आसनसोल में 80 के डब्ल्यूपी रूफ टाप सोलर माइक्रो पावर प्लांट की आपूर्ति, संस्थापन और संचालन
- क्षेत्रीय संस्थान-4, नागपुर द्वारा क्षे.सं. 4 कॉलोनी में 50 के. डब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट की आपूर्ति
- क्षेत्रीय संस्थान-5, नागपुर द्वारा मुरपार कैम्प टीसीआर स्टेज में 5 एचपी सोलर सबमर्सिबल पम्प की आपूर्ति, संस्थापन और परिचालन
- सीएमपीडीआई कालोनी, बिलासपुर के खेल मैदान में क्षेत्रीय संस्थान-5, बिलासपुर द्वारा एनर्जी इफिशिएंट एल.ई.डी. फ्लड लाइट लगाया गया है।
- सीएमपीडीआई आवासीय कॉलोनी, भुवनेश्वर में क्षेत्रीय संस्थान-7, भुवनेश्वर द्वारा एल.ई.डी. लाइट फिटिंग्स सहित परंपरागत लाइट फिटिंग्सों का बदलाव।

ख. विदेशी विनियम अर्जन और आउट गो

क्र.सं.	विवरण	2017-18
1.	उत्पादों और सेवाओं और निर्यात योजनाएं के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास, निर्यात में वृद्धि की पहल, निर्यात से संबंधित क्रिया-कलाप	कंपनी निर्यात नहीं करती है
2.	उपयोग और अर्जित किए गए कुल विदेशी विनियम क) अर्जित कुल विदेशी विनियम (करोड़ रुपये में) ख) कुल विदेशी विनियम (करोड़ रु. में) (यात्रा व्यय 0.18 करोड़ + अन्य 8.92 करोड़ रु.)	शून्य 9.10 करोड़ रु.

ग) अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी समावेशन (एब्जापसन)

1. सीएमपीडीआई, रांची तथा गुजरात ऊर्जा अनुसंधान एवं मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट (जर्मी), गुजरात के द्वारा “विद्युत आपूर्ति के बहुस्रोत का ऑप्टीमाइजेशन एवं नियंत्रण के लिए माइक्रो ग्रिड सिस्टम का डिजाइन विकास एवं प्रदर्शन” शीर्षक वाली एक आरएंडडी परियोजना पूरी की गई है। परियोजना का अनुमोदित लागत 351.30 लाख रु. है। (सीएमपीडीआई, राँची 33.80 लाख रु. तथा जर्मी गुजरात 317.50 लाख रु.)

सीएमपीडीआई कार्यालय भवन के छत पर सोलर फोटो वोलटेज इक संयंत्र को चालू कर दिया गया। संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता लगभग 190 किलो वाट है। संयंत्र की स्थापना में दो तरह की प्रौद्योगिकी पहली स्ट्रिंग इनवर्टर और दूसरी माइक्रो इनवर्टर को लगाया गया है। इस परियोजना के तहत जब कभी यूटिलिट ग्रिड से आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती है तो इंटरनल ग्रिड (सीएमपीडीआई) को फीड करने के लिए ग्रिड इन्टर एक्टिव इनवर्टर के जरिए सोलर पीवी सिस्टम और डीजी सेट के साथ कन्वेशनल ग्रिड (परम्परागत) यूटिलिटी सप्लाई को बलब (मिलाया गया) किया गया है। इस प्रोजेक्ट से सीएमपीडीआई के ऊर्जा बिल में सक्षम और प्रभावी तरीके से ऊर्जा में कमी, कार्बन फुट प्रिंट में कमी, रीन्यूअल ऊर्जा प्रणाली को मैक्सिमाइज करना, बिजली की गुणवत्ता में सुधार, डीजल की खपत को मिनिमाइज करना और वास्तविक समय पर नियंत्रण और मॉनीटरिंग के साथ आटोनोमस ऑपरेशन को लागू करना आदि लाभ है। इस संयंत्र की कुल जीवन अवधि लगभग 25 वर्षों की है और न्यूनतम रखरखाव की जरूरत होती है।

2. सीएमपीडीआई, राँची तथा सीआईएफआर, धनबाद द्वारा “कोल-टू-लिकिवड (सीटीएल) कनवर्सन टेक्नोलॉजी के पायलट स्केल अध्ययन के जरिए स्वदेशी केटालिस्ट का विकास” शीर्षकवाली एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत 860.44 लाख रु. है। (सीएमपीडीआई, राँची 116.90 लाख रु. तथा सीआईएफआर, धनबाद 743.54 लाख रु. है।)

इस परियोजना के तहत, लिकिवड कलेक्शन तथा कोल गैसिफिकेशन गैस विलनिंग शिफ्टरिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रिबिंग, लिकिवफिकेशन को शामिल करते हुए पूर्णतः इन्टीग्रेटेड कोल-टू-लिकिवड पायलट प्लांट की डिजाइन, विकास, स्थापना और चालू करने का कार्य सीआईएफआर डिग्वाडीह कैम्पस, धनबाद में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। फिक्सड ब्रेड अपडाप्ट एयर ब्लोन गेसीफायर (कोलफीड रेट क्षमता 50–100 कि.ग्रा./घंटे) में सिनगैस के उत्पादन के लिए प्रयुक्त 33 प्रतिशत राख की मात्रा सहित दाबोकर ओसीपी, सलानपुर क्षेत्र, ईसीएल से कोयले का उपयोग किया गया है। कुल 875 घंटे के चार ऑन-स्ट्रीम एक्सपेरिमेंटल रन्स (लगातार) किया गया। लिकिवफेक्शन प्रतिक्रिया के लिए सीटीएल पायलट प्लांट में दो को-बेर्स्ड काटालिस्ट का परीक्षण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। एक काटालिस्ट अर्थात् सीटीएल/सीओ/कैट-। फिसचर ट्रोप्सच (एफटी) के जरिए सिनगैस रूपांतरण के लिए तरल हाइड्रो कार्बन का अधिकतम आऊटपुट दिया है। और यह फरदर स्केल अप अध्ययन के लिए एक संभावित क्षेत्र है। सीटीएल क्रुड डीजल के समतुल्य है तथा उसका कैलोरिफिक वैल्यू 10900 किलो केलारी प्रति केजी है।

3. आईआईटी रुड़की और सीएमपीडीआई, राँची के सहयोग से आईआईटी-आईएसएम द्वारा “हाईऐश कोल गैसिफिकेशन एंड असोसिएटेड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेज (कोल टू केमिकल्स, सीटीसी)” नामक एक अनुसंधान एंव विकास परियोजना शुरू की गई है। परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 2160.721 लाख रु. (आईआईटी-आईएसएम, धनबाद 1872.007 लाख रु. आईआईटी, रुड़की-131.804 लाख रु. और सीएमपीडीआई, राँची-156.910 लाख रु.)

इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए स्वदेशी विकसित कोयला गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए उच्च राख वाले भारतीय कोयले को वैल्यू एडेड केमिकल में बदलाव है। हाई ऐश कोल से वैल्यू एडेड केमिकल में बदलाव कोयले के भौतिक-रासायनिक एवं भूवैज्ञानिक गुण-



निर्धारण, कोल गैरीकरण (फ्लूडाइज्ड और इनट्रेंड बेड), केमिकल लूपिंग गैरीफिकेशन, हॉट गेस फिल्ट्रेशन, गैस सेपरेशन / प्यूरीफिकेशन, सिनगैस का केमिकल में कैटालिटिक बदलाव, वाटर यूज मिनिमाइजेशन और आर 3 (रिड्यूज, रिसाइकिल और रीयूज) के जरिए वेस्ट वाटर का मिनिमाइजेशन की अवधारणा ओर पिंच टेक्नॉलॉजी तथा पायलट प्लांट एवं अप स्केलिंग के लिए मॉडलिंग और सिमुलेशन के जरिए प्राप्त किया जा सकेगा। भारतीय संदर्भ में उपर्युक्त नए विषयों पर गहराई से अध्ययन के लिए सहयोगी एजेंसियों के रूप में कर्टिन यूनिवर्सिटी, पर्थ, आस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्ड, आस्ट्रेलिया और मोनाश यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया का लिया गया है क्योंकि उपर्युक्त विषयों पर उनका गहरा अनुभव है।

- “इलेक्ट्रोनिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर कंट्रोल एंड कन्वेयर सिस्टम इन माइन्स” नामक एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), नेवेली एंड नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी तिरुचिरापल्ली (एनआईटीटी), तमिलनाडू द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। इस परियोजनाकी कुल अनुमोदित लागत 179.53 लाख (एनएलसीआईएल रु. 113.54 लाख और एनआईटीटी रु. 65.99 लाख) इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य आरएफ/जीपीआरएस आधारित वायरलेस टेक्नॉलॉजी के जरिए एनसीआईएल में कन्वेयर प्रणाली के लिए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल (पीएलसी) आधारित समाधान मुहैया कराना और अम्परेचर वाइप्रेशन, वोल्टेज, करेंट आदि मॉनीटर करने के लिए निम्न लागत वाली उच्च कार्यनिष्ठादान वाले सेंसरों का स्वदेशी विकास है।

घ) प्रौद्योगिकी समावेशन (एज्ञापिसन)

कोयला सेक्टर में आरएंडडी मुख्यतः खान—सुरक्षा तथा कोयला परिष्करण (विनिर्देशन) / उपयोग तथा खान पर्यावरण पर नियंत्रण जैसे सम्बद्ध क्रिया—कलाप सहित खनन परिचालन में दक्षता मापदंड (पारामीटर) में वृद्धि के लिए है। जबकि कुछ अनुसंधान परियोजनाएँ उद्योग पर सीधे प्रभाव डालती हैं जबकि कुछ इन्हीं चालू खानों तथा भावी खनन परियोजनाओं दोनों के लए जरूरी खान आयोजन अभिकल्पन तथा तकनीकी सेवाओं को मजबूत बनाया है।

वर्ष 2017–18 के दौरान इस दिशा में दो अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं। इन पूरी हुई परियोजनाओं का उद्देश्य इस प्रकार है :

1. एक आन-लाइन कोल वाशिबिलिटि एनलाइजर का विकास

यह परियोजना वाशिबिलिटि एनलाइजर द्वारा सृजित इफीशियंसी डाटा के साथ परंपरागत फ्लोट—सिंक परीक्षण से इफिशियंसी डाटा की तुलना करते हुए एनलाइजर की क्षमताओं का प्रदर्शन और एक्स—रे आधारित ऑनलाइन कोल वाशिबिलिटि एनलाइजर का विकास करने के उद्देश्य से आर्डी हाई—टेक प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापत्नम के सहयोग से सीआईएमएफआर, धनबाद पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 849.00 लाख रु. है।

2. पुनरुद्धारित खुली खदान खानों पर स्टेनेबल लाइवलीहुड एक्टीविटज : भारतीय कोयला क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधारित समेकित दृष्टिकोण

यह परियोजना टेरी/टेरी यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली, सीएमपीडीआईएल, रॉची और बीसीसीएल, धनबाद द्वारा संपादित की जा रही है। इस परियोजना के तहत पारिस्थितिकी अनुकूल खान पुनरुद्धार के लिए ओवरबर्डेन डम्प/बैकफील्ड माइन्ड लैंड एरिया विकास और पुनरुद्धारित भूमि का उपयोग स्थायी रूप से हरित क्षेत्र के रूप में किया गया है। इससे परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में और उसके आस—पास के लोगों को सामर्थ्यवान बनाने के लिए स्थानीय समुदाय के बीच उद्यमशीलता और व्यावसायिक दक्षता का विकास होगा। इससे आय आधारित क्रिया—कलापों के द्वारा स्थानीय आर्थिक वृद्धि भी होगी।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 371.69 लाख रु. है।

3. रेडियोमेट्रिक टेक्नीक का उपयोग कर कोयला शुष्क परिष्करण प्रणाली का प्रदर्शन

यह परियोजना सीएमपीडीआई, राँची, आर्डी हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापत्तनम तथा बीससीएल, धनबाद द्वारा क्रान्तिकारी जा रही है। रूपांतरित रेडियोमेट्रिक डिटेक्शन और न्यूमेटिक रीमूवल टेक्नोलॉजी पर आधारित कोयले के ड्राई डी-शेलिंग हेतु एक डेमोशट्रेशन संयंत्र का विकास परियोजना का उद्देश्य है।

प्रस्तावित ड्राई बेनिफिशिएशन टेक्नोलॉजी, कोल तथा ऐश फार्मिंग मिनरल के विभिन्न गामा रे शोषण गुणों पर कार्य तथा कोयला स्ट्रीम से शेल एवं स्टोन के रीमूवल एवं रेडियोमेट्रिक डिटेक्शन पर आधारित है। कोयले का मास एबजार्पसन को-इफिशियेंट कोयले और शेल के रासायनिक गठन पर निर्भर है। रेडियोमेट्रिक टेक्नोजॉजी का एक प्रमुख लाभ यह है कि कलीन कोयले के लिए लक्ष्य अथवा थ्रेसहोल्ड वैल्यू फॉर रिजेक्शनको नियोजित (प्लान) तथा आवश्यकतानुसार सेट किया जा सकता है। यह प्रौद्योगिकी सक्षम, धूलरहित और ऊर्जा के अनुकूल भी है।

इस परियोजना के तहत, डेमोशेन स्केल पर इस प्रौद्योगिकी को शुरू करना प्रस्तावित है। 13 मी.मी. 50 मी.मी. (दो चरण में 13–25 मी.मी. एवं 25–50 मी.मी.) के साइज फ्रेक्शन में डिलिंग के लिए आर्डीसोर्ट के दो माड्यूल की स्थापना कर मध्यबंध वाशरी में इस परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। परियोजना पूरी की जा चुकी है तथा परियोजना के अंतिम निर्णय के लिए परियोजना के तहत डाटा का सूजन किया जा रहा है।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 2565.70 लाख रु. है।

4. रानीगंज कोयला क्षेत्र के मोटे सीम में सुरक्षित तरलीकरण के कार्यविधि का पता लगाना : कोट्टाडीह कोलियरी, ईसीएल में डिजाइन एवं विकास तथा शोकेसिंग डेमोनस्ट्रेटिव परीक्षण

यह परियोजना, ईसीएल के सहयोग से सीआईएमएफआर, धनबाद द्वारा कार्यान्वयन की जा रही है। परियोजना का प्रमुख उद्देश्य कोट्टाडीह परियोजना रानीगंज कोयला क्षेत्र, ईसीएल में चयनित खान स्थल को वेलीडेट करने तथा सीम के कर्षण के लिए वर्तमान विधि से अलग मोटे सीमों में सुरक्षित तरलीकरण के लिए आप्टीमल एवं संभाव्य डिजाइन बनाना है।

- डिजाइनिंग और शो केसिंग डिमांस्ट्रेटिव परीक्षण और फायर प्रोपेंसिटि एसपैक्ट्स पर कोल पिलर्स एक्सटेंशन की संख्या को बढ़ाने के क्रम में विचार किया गया है। स्पॉटेनियस हीटिंग प्वार्ड्ट्स ऑफ व्यू के साथ-साथ ग्राउंड कंट्रोल से कोयले के कर्षण के मुद्दे के बारे में पता लगाने के क्रम में, यह वैज्ञानिक अध्ययन संपूर्ण रानीगंज कोयला क्षेत्र तथा कोट्टाडीह कोलियरी का कुछ भाग में ऐसे परिदृश्य को सुनिश्चित करने और प्रभावित करने वाले फैक्टर / पारामीटरों को रूप-रेखा निर्धारित करने के लिए किया गया था।
- बेहतर रिब डिजाइन और कोयला कर्षण के सिक्वेंस के कारण, स्ट्रेस बदल जाता है और जो डिफार्मेशन पाया गया वह इंड्यूस्ट्रील गोफ ब्लास्टिंग के कार्यान्वयन और डिजाइन के लिए बेहतर आपरेशनल सेप्टी हेतु थ्रेसहोल्ड सेफ की सीमा से कम था।
- इस व्यापक अनुसंधान परियोजना से पैनल कर्षण की शुरूआत से 'टेंडम' एप्रोच राइट का उपयोग कर बहुत कम उद्भवन अवधि (इनकूबेशन पिरीयड) के सीम (आर-अप) के साथ-साथ प्रति पैनल अधिक पिलरों के कर्षण में सहायता मिलेगी।
- सीम के लिए फायर लैडर का विकास किया गया है, जिससे आग का पता शुरू में ही चल जाएगा। इनट्रिंसिक पारामीटरों (म्वायश्चर, वोलाटाइल मैटर, ऐश कंटेंट, फिक्स्ड कार्बन) की पहचान और ऑक्सीडेटिव हीट के लिबरेशन सहित इनफलएंसिंग स्पॉटेनियस हीटिंग/फायर, एक्स्टर्नल फैक्टर



(गोफ फ्रिक्शनल इग्निशन एवं वेंटीलेशन) और सेक्सनलाइज्ड पैनलों के क्लोज्ड सिस्टम में फैक्टर फेवरिंग हीट एक्यूमूलैशन का मूल्यांकन किया जा चुका है। इन फैक्टरों के विश्लेषण और अंडरस्टैंडिंग (ज्ञान/व्याख्या) के आधार पर और पैनल के एक्रास डिफरेंसियल के आप्टीमाइजेशन के साथ कोटफटीडीह कोलियरी, ईसीएल में प्रो-एक्टिव पर्यावरणिक मॉनीटरिंग की शुरूआत लाभदायक रही।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 41.066 लाख रु. है।

5. सुरक्षा को ध्यान में रखकर ड्रैगलाइन और शावेल डम्पर डम्प के टो ओर दूरी का अनुमान करने के लिए दिशा-निर्देश का विकास तथा शावेल डम्पर डम्प और ड्रैग लाइन डम्प दोनों का इकोनोमिकल डिजाइन का विकास

इस परियोजना का कार्यान्वयन बीआईटी, मेसरा, राँची द्वारा की गई है। परियोजना का प्रमुख उद्देश्य जेनरल मॉडल का विकास करना है, जो कोल इंडिया के अन्य खुली खान खदानों जहाँ शॉवेल और ड्रैगलाइन डम्प हो पर सुरक्षा का उचित ध्यान रखते हुए तथा, खुली खान के एक्सकवेशन में बाह्य डम्पिंग के लिए कुछ सीमा तक भूमि की आवश्यकता में कमी आ सके।

इस परियोजना के तहत, ड्रैगलाइन डम्प और शॉवेल डम्पर डम्प के टो ओर आप्टीमम दूरी का निर्धारण करने के लिए दिशा-निर्देशों के विकास हेतु जियो-इंजीनियरिंग पारामीटरों के निर्धारण के लिए कोल इंडिया के 12 खुली खदान खानों अर्थात् सस्ती ओसीपी, डब्ल्यूसीएल (27) दुधीचुआ असेसीपी एनसीएल (3), खादिया ओसीपी, एनसीएल (4) जयंत ओसीपी, एनसीएल, (5) बीणा ओसीपी, एनसीएल, (6) निगाही ओसीपी, एनसीएल (7) अमलोरी ओसीपी एनसीएल (8) सोनेपुर बाजारी ओसीपी, ईसीएल (9) सामलेश्वरी ओसीपी, एमसीएल (10) धानपुर ओसीपी, एसईसीएल (11) घुघुस ओसीपी डब्ल्यूसीएल और (12) ब्लॉक-II ओसीपी, बीसीसीएल का अध्ययन किया गया। ड्रैग लाइन डम्प और शॉवेल डम्पर डम्प के टो ओर आप्टीमम दूरी का निर्धारण करने के लिए दिशा-निर्देशों के विकास हेतु जियो-इंजीनियरिंग पारामीटरों का निर्धारण भी शामिल है।

इस परियोजना के तहत कोल इंडिया लिमिटेड की इंडीविजुअल ड्रैग लाइन आपरेटर ओपेनकास्ट खानों के अध्ययन पर आधारित दिशा-निर्देश का विकास किया गया है। विभिन्न जियो-इंजीनियरिंग पारामीटरों के रेंज पर आधारित ड्रैग लाइन डम्प की कुल ऊँचाई और स्लोप का अनुमान इस दिशा-निर्देश से किया जा सकता है। उपर्युक्त अध्ययन से, यह निष्कर्ष निकाला गया कि शॉवेल-डम्पर डम्प का टो ड्रैगलाइन से कम-से-कम 110–180 मीटर दूर बनाया जाए ताकि ड्रैग लाइन डम्प को डम्पर द्वारा फ्रेश डम्पिंग के समक्ष स्टैबलाइज करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। हालाँकि वाटर टेबल में वृद्धि से डम्प की स्थायित्वता डेटीरिओरेट होती है।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 26.58 लाख रु. है।

6. रेलवे वैगन/ट्रक से स्थल पर ईस्टांट कोल ऐश और नमी विश्लेषक के लिए ट्रक माउन्टेड मोबाइल कोल सैम्प्लर का डिजाइन और विकास

रेलवे वैगन/ट्रक से स्थल पर इंस्टॉट कोल ऐश एवं मोआइस्चर एनालाइजर के लिए ट्रक माउन्टेड मोबाइल कोल सैम्प्लर की डिजाइन एवं विकास परियोजना का कार्यान्वयन सीआईएमएसआर, धनबाद एवं मेसर्स प्रणय इंटरप्राइजेज प्रा.लि., हैदराबाद द्वारा किया जा रहा है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य ईस्टांट कोल ऐश तथा नमी केविश्लेषण के लिए ट्रेक माउन्टेड मोबाइल कोल सैम्प्लर के डिजाइन एवं विकास तथा राख एवं नमी की मात्रा के लिए कोयले के विश्लेषण हेतु डयूअल गामा रे सहित न्यूकिलयर टेक्नीक मेथड की स्थापना करना है।

परियोजना के चरण- I के तहत राख और नमी की मात्रा के लिए कोयले के विश्लेषण हेतु न्यूकलीयर टेक्नीक मेथड की संभावना का पता लगाना है। चरण-II में प्रोटो टाइप मोबाइल कोल सैम्प्लर का विकास किया गया

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

है। नई विकसित ट्रक माउंटेड कोल सेम्पलर मशीन के साथ एससीसीएल के खानों में क्षेत्र परीक्षण किया गया। परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 167.60 लाख रु. है।

7. लैब स्केल कोल विन्नोविंग सिस्टम (चरण-II) के विभिन्न पारामीटरों का आप्टीमाइजेशन

परियोजना सीएमपीडीआई, रांची के सहयोग से सीआईएमएफआर, नागपुर द्वारा कार्यान्वित की गई। विभिन्न कोयला परियोजना सीएमपीडीआई, रांची के सहयोग से सीआईएमएफआर, नागपुर द्वारा कार्यान्वित की गई। विभिन्न कोयला क्षेत्रों से भिन्न-भिन्न कोयले की प्रोडक्टर यील्ड और राख की कंसीस्टेंसी के लिए लैब स्केल 'कोल विन्नोविंग प्रणाली' के विभिन्न पारामीटरों को आप्टीमाइज करना मुख्य उद्देश्य है।

परियोजना के तहत, डब्ल्यूसीएल की विभिन्न खानों से एकत्रित 100–75, मी.मी. 100–50 मी.मी. और 75–50 मी.मी. के साइज फ्रैक्शन सहित विभिन्न कोयले के नमूनों की राख और प्रोडक्ट यील्ड में कंसीस्टेंसी के लिए लैब स्केल 'कोल विन्नोविंग सिस्टम' के विभिन्न पारामीटरों को आप्टीमाइज किया गया। परिणामों के विष्लेषण से स्पष्ट पता चलता है कि इस परियोजना के तहत विकसित प्रक्रिया और उपकरण फीड कोयले के संपूर्ण राख की प्रतिशतता की 37 प्रतिशत तक कम करने में सक्षम है।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 18.55 लाख रु. है।

8. सेल्फ एडवांसिंग (मोबाइल) गोफ एज सपोर्ट (एसएजीईएस) का टेक्नो-इकोनामिक इवोल्यूशन और कार्यनिष्ठादानी

यह परियोजना आईआईटी आईएसएम, धनबाद तथा मेसर्स जया भारत इक्वीपमेंट प्रा.लिमिटेड (जेबीईपीएल), हैदराबाद द्वारा किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य एससीसीएल के भूमिगत कोयला खान और उनके टेक्नो-फिजिबिलिटि अध्ययन में 6 साजेएस, जिसे एसएंडटी परियोजना के तहत डिजाइन और फेब्रिकेटेड किया गया और उनके कार्यनिष्ठादान और रिफरविशमेंट करना है।

इस परियोजना के तहत आवश्यक रूपांतरण करने के बाद सपोर्ट यूनिट का एसआरपी एरिया, एससीसीएल के आरके एनटी खान/आर के-5 खान में क्षेत्र परीक्षण होगा, जहाँ परफार्मेंस बिहेवियर और ग्राउंड मूवमेंट पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए शेल/सैंडस्टोन तत्काल रूफ होगा ओर इसके साथ तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता का अध्ययन होगा। एससीसीएल के आर के-7 खान के डिपिलरिंग पैनल में साजेज (एसएजीईएस) को लगाकर। नियोजित कर (डिप्लाईग) द्वारा क्षेत्र परीक्षण शुरू किया गया गया है।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 73.27 लाख रु. है।

9. मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए खान में वायु की आवश्यकता ।

परियोजना आईआईटी आईएसएम, धनबाद तथा मेसर्स जया भारत इक्वीपमेंट प्रा.लिमिटेड (जेबीईपीएल), हैदराबाद द्वारा किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य एससीसीएल के भूमिगत कोयला खान और उनके टेक्नो-फिजिबिलिटि अध्ययन में 6 साजेएस, जिसे एसएंडटी परियोजना के तहत डिजाइन और फेब्रिकेटेड किया गया और उनके कार्यनिष्ठादान और रिफरविशमेंट करना है।

इस परियोजनाके तहत के बाद आरकेएनटी माइन/आरके-5 माइन, एसआरपी क्षेत्र एससीसीएल जहाँ कार्यनिष्ठादान विहेवियर के अध्ययन के लिए मोडिफिकेशन बिहेवियर अध्ययन तथा भूमिगत मूवमेंट पर इसके प्रभाव और टेक्नो-इकोनामिक फिजिबिलिटि अध्ययन करने के लिए रूफ ही तत्काल सपोर्ट यूनिट होगा का आवश्यक रूपांतरण किया जाएगा, क्योंकि मास प्रोडक्शन में श्रम-शक्ति की आवश्यकता घट जाती है।

इस प्रस्तावित अध्ययन के तहत उन सभी भूमिगत खानों के लिए संवातन आवश्यकता के लिए एक दिशा-निर्देश तेयार किया जाएगा, जहाँ या तो मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लगाया जा चुका है या भविष्य में



लगाया जाएगा। उपर्युक्त के उन खानों के लिए इनकलाइन, शाफ्ट, फैन ड्रिफ्ट, फैन कैपेसिटी के रूप में अपेक्षित न्यूनतम आधारभूत संरचना का मूल्यांकन किया जाएगा क्योंकि मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 491.27 लाख रु. है।

10. कम अवामेश्वित (लेस डायलुटेड) कोयले की बेहतर प्राप्ति (रिकवरी) के लिए बहुस्तरीय परीक्षण विस्फोटन

यह परियोजना आईआईटी आईएसएम, धनबाद तथा सीएमपीडीआई, रांची द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आईआईटी आईएसएम, धनबाद ने इस नए अनुसंधान विषय पर युनिवर्सिटी आफ क्वीन्सलैंड ब्रिसबेन, आस्ट्रेलिया के साथ भागेदारी की है।

इस परियोजना का प्रमुख्य उद्देश्य उन्नत विस्फोटन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर बेहतर रिकवरी सहित स्वच्छ कोयले के उत्पादन के लिए सुरक्षित एवं प्रभावकारी मल्टी सीम एण्ड थ्रू सीम ब्लास्ट डिजाइन विकसित करना है।

इस परियोजना के तहत मल्टीपल ओवर बर्डेन तथा स्ट्राटा को ड्रिल किया जा सकता है, विस्फोटक से लोड किया जा सकता है तथा सिंगल साइकिल में इनीशिएट तथा ब्लास्ट किया जा सकता है। प्रत्येक स्तर को यूनिक डिजाइन से ब्लास्ट किया जाता है तथा लक्षित विस्फोटन हासिल किया जा सकता है, जो अन्य स्तरों में किए गए विस्फोटन तुलना में अलग होता है। प्रत्येक स्तर में ब्लास्ट डिजाइन विस्फोटक के प्रकार तथा पावडर फैक्टर, इन्टर-रोल एवं इन्टर रोडिले, इनीसिएशन की दिशा तथा इनीशिएशन समय, स्थिति के अनुसार अलग—अलग हो जाएगा जिसके कारण यह प्रणाली पारंपरिक विस्फोटन से अलग हो जाता है। इस प्रस्तावित विस्फोटन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ओवरबर्डेन में कोई थ्रो नहीं प्राप्त होता है साथ ही साथ बढ़े हुए कोयले की रिकवरी के कारण कोयले की प्राप्ति तथा पल्वराइजेशन में भी कमी आती है।

इस प्रस्तावित विस्फोटन तकनीक से डायलूशन एवं कोयले की क्षति में कमी लाकर कोयले की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किया जाएगा।

इस परियोजना के तहत एनसीएल के जयंत वेस्ट में कम—से—कम 10 परीक्षण विस्फोटन किया जाएगा जहाँ मल्टीपल सीम (जैसे पूर्वांतर, बॉटम एवं इन्टर बर्डेन) उपलब्ध हो। 50 मीटर तक होलों का ड्रिल किया जाएगा तथा सिंगल शॉट में विस्फोटन किया जाएगा। इस पद्धति से ब्लास्टिंग को किफायती, कोयला की क्षति, डायलूशन हानि को सीमित कर मल्टीपल लेयर ब्लास्टिंग का पूरा लाभ लिया जाएगा। प्रस्तावित अध्ययन के जरिए ड्रिल ब्लास्ट सायकिल टाइम को कम कर उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। पड़ोसियों को अधिक परेशान किए बिना आवासीय स्थलों के नजदीक विस्फोटन करना संभव हो सकेगा।

इस परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 496.24 लाख रु. है।

11. भारत में सीमेंट उद्योग में ईंधन के रूप में कोल और पेट-कोक के उपयोग पर अध्ययन।

यह परियोजना सीएमपीडीआई, रांची के सहयोग से आईआईटी आईएसम, धनबाद द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

इस परियोजना के तहत भारत में सीमेंट उद्योग में ईंधन के रूप में कोयले एवं पेट कोक के उपयोग, कोयला, पेट कोक एवं इसके मिश्रण से चलने वाले सीमेंट प्लांट की ऊर्जा आवश्यकता एवं पर्यावरण पहलू तथा आर्थिक मूल्यांकन आदि पर अध्ययन किया जाएगा तथा भारत में सीमेंट संयंत्र में स्वदेशी कोयले के उपयोग पर एक स्टैट्स रिपोर्ट दी जाएगी।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

इस परियोजना कार्य में सीमेंट उद्योग से संबंधित ऊर्जा तथा पर्यावरणिक विषय के सर्वेक्षण पर विचार किया गया है, जिसमें ईधन (कोयला, पेट कोक, ब्लैंड तथा अन्य वैकल्पिक ईधन) के मिलिंग आपरेशन, किलंकर मिल्स, प्री कैलिसनर्स एंड किल्स, पासवर्टी तथा किल्स दोनों वातावरण दोनों में टोटल पार्टीकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन मिल्स उत्सर्जन, कार्बन डायक्सायड/नाइट्रोजन के आक्सायत्रों के उत्सर्जन तथा अन्य प्रदूषक उत्सर्जकों में कोयला एवं पेट कोक का योगदान शामिल है।

इस परियोजना के तहत सीमेंट उद्योग में ईधन के रूप में कोयले, पेट कोक या उनके मिश्रण के उपयोग से होने वाले लाभ के संपूर्ण मूल्यांकन का भी अध्ययन किया जाएगा। पेट कोक तुलना में कोयले का तुलनात्मक विश्लेषण तथा आर्थिक विश्लेषण तथा सीमेंट उद्योग में इसका पर्यावरणिक प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा तथा सीमेंट उद्योग में ईधन के रूप में कोयले की हिस्सेदारी में संभावित वृद्धि के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा।

इस परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 471.95 लाख रु. है।

12. भूमिगत खानों के लिए शू-दि-अर्थ टू वे संचार प्रणाली

यह परियोजना सीएमपीडीआई, रांची तथा सीसीएल, रांची के सहयोग से आईआईटी, बम्बई द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

प्रस्तावित अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य “पोर्टबुल” तथा “टू-वे” वॉयस कॉम्प्यूनिकेशन दोनों प्राप्त करना है। वर्तमान में उपलब्ध टीटीई प्रणाली, जो दो तरफा आवाज संचार को भेजने में सक्षम हो, या तो बल्की है या सिमित रेंज वाली है।

प्रस्तावित अध्ययन के तहत भूमिगत खानों में 150 मी.-200 मी. पेनेट्रेशन रेंज तक के दोतरफा (टू वे) संचार की सहायता करने के लिए पृथ्वी के जरिए पोर्टबुल वायरलेस इन्ट्रीनीसीकली सेफ ट्रान्समीटर रीसिवर विकसित करना है। विकसित टीटीई संचार प्रणाली पर विभिन्न भूमिगत खानों में उपस्थित अनेक प्रकार की भू-सामग्री के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। अन्टेना रेडिसशन पैटर्न के आधार पर मेटा मैटेरियल के बॉल के रफनेस गैलरियों के आयाम (डाइमेशन) का भी अध्ययन किया जाएगा। प्रस्तावित एन्टेना परंपरागत एन्टेनाओं की तुलना में काफी छोटे आकार के साथ-साथ अपेक्षाकृत कम फ्रिक्वेंसी बैंड पर काफी अधिक विकिरण तथा बैंड ब्ड्यूथ प्रदर्शित करेगा।

परियोजना की अनुमोदित लागत 139.8816 लाख रु. है।

13. जोखिम मूल्यांकन के आधार पर विस्फोटन दुर्घटनाओं को रोकने तथा प्रशमन के लिए दिशा-निर्देश का विकास और माइन इमरजेंसी इवैक्यूएशन एवं रिड्न्ट्री प्रोटेक्शन आधारित जोखिम को शामिल कर भारतीय कोयले की विस्फोटन क्षमता का निर्धारण।

यह परियोजना सीआईएमएफआर, धनबाद, आईआटी आईएसएम, धनबाद तथा एस एण्ड आर विभाग के सहयोग से कोल इंडिया लिमिटेड (मुख्यालय), कोलकाता और एसआईएमटीएआरएस, आस्ट्रेलिया द्वारा शुरू की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य विस्फोटन बचाव रणनीति एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आंतरिक विश्लेषण आत्मक क्षमता विकसित करना तथा जोखिम दुर्घटनाओं से जोखिम को दूर करने या कम करने के उद्देश्य से भारतीय कोयला खानों में जोखिम मूल्यांकन आधारित सुरक्षा प्रबंधन की अवधारण को शामिल करना है।

14. सैटेलाइट का प्रयोग का कोयला क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता की मानिटरिंग और ग्राउन्ड ऑबजर्वेशन के लिए प्रणाली का विकास।

यह परियोजना सीएमपीडीआई, रांची तथा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), इसरो, हैदराबाद द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

उपर्युक्त परियोजना का प्रमुख उद्देश्य कोलफिल्ड्स क्षेत्रों में घूल (पीए 10 और पीएम 2.5), एनओएस पर बल देते हुए भू-आधारित पर्यवेक्षणों का एकत्रीकरण और क्षेत्रीय विकास करना है। प्रस्तावित अध्ययन अनेक कोयला खनन क्रिया-कलापों के कारण होने वाली वायु की गुणवत्ता में कमी को रोकने तथा कम करने के उद्देश्य से समुचित प्रशामक उपाय करने के लिए पूर्वानुमान करना है, जिसके बाद के रचने में प्रदूषकों के स्रोत को अलग करने में मदद मिल सकती है।

प्रस्तावित कार्य तीन चरणों में किया जाएगा। वर्तमान अध्ययन पहले चरण तक ही सीमित है जहाँ सेटेलाइट डाटा प्रयोग कर पीएम 10 और पीएम 2.5, एनओएस मॉनीटरिंग पर फोकस के साथ-साथ क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए कार्य प्रणाली तथा मॉडलिंग के विकास के लिए प्रयास किया जाएगा। पहचान चरण सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद दूसरे एवं तीसरे चरण का अध्ययन शुरू किया जाएगा, जहाँ एयरोसोल केमेस्ट्री कैरेक्टराइजेशन के आधार पर आस-पास के उद्योग के प्रदूषक स्रोतों के पृथक्करण तथा एयरोबोर्न कंपेन पर विचार किया जाएगा।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 709.82 लाख रु. है।

15. कोयला खानों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर (वीआरएमएस) का विकास

उपर्युक्त अनुसंधान परियोजना सीएमपीडीआई, राँची, बीसीसीएल, धनबाद, एनसीएल, सिंगरौली और सिमतारस, आस्ट्रेलिया के सहयोग से आईआईटी, धनबाद द्वारा शुरू की जा चुकी है। सिमतारस, आस्ट्रेलिया के सहयोग से आईआईटी, आईएसएम, धनबाद में विभिन्न प्रशिक्षण (सामग्रियों) का उपयोग कर सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण नीतियों का विकास और विभिन्न परिदृश्यों में खान सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कार्य स्थल के वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए एक इमर्सिव 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर (वीआरएमएस) का विकास करना इसका उद्देश्य है।

प्रस्तावित वीआरएमएस के तहत कोल माइन सेफटी और आपरेशन मॉड्यूल को कोल इंडिया एक खुली खदान परियोजना (अर्थात् निगाही परियोजना, एनसीएल) और एक भूमिगत कोयला खान (अर्थात् मूनीडीह खान, बीसीसीएल) के लिए विकसित किया जाएगा। मैप डाटा, जियो टेक्नीकल डाटा, विजुअल डाटा आदि सहित खान पर्यावरण से प्राप्त आवश्यक सभी ऑकड़ें को एकत्रित किया जाएगा और वर्चुअल रियलिटी मोड में प्रोटो टाइप माइन इन्वायरमेंट का सृजन करने के लिए सिस्टम में उपलब्ध करया जाएगा। परियोजना के समापन के पश्चात् परस्पर सहमति लागत आधार पर कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों से सक्रिय भागेदारी के साथ खनन प्रौद्योगिकी और खान सुरक्षा में दक्षता निर्माण के लिए आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम आईआईटी, आईएसएम, धनबाद द्वारा चलाया जाएगा।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 1410.10 लाख रु. है।

16. कोल माइन वर्किंग्स में विभिन्न खनन विधियों के लिए पिलरों के पिलर/एरेज की डिजाइन एवं स्थायित्वता।

उपर्युक्त परियोजना, सीआईएमएफआर, धनबाद, आईआईटी, आईएसएम, धनबाद, सीएमपीडीआई, राँची, एसईसीएल, बिलासपुर, बीसीसीएल, धनबाद तथा एससीसीएल, कोथागुड़ेम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

इस परियोजना के तहत, निम्नलिखित के लिए कोल माइन वर्किंग्स में पिलरों के एरेज और भूमिगत कोयला पिलरों के डिजाइन और स्थायित्वता पर कार्य किया जाएगा।

क) डीपर हॉरिजॉन के साथ-साथ शैलों के लिए पिलरों पर लोड/दबाव का आकलन

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

- ख) डीपर हॉरिजॉन के लिए पिलरों की मजबूती का आकलन और अंतिम रूप से
 ग) माइनिंग मेथड और उद्देश्य पर अवलंबित पिलरों के समुचित सुरक्षा फैक्टर द्वारा (क) और (ख) को
 जोड़ने के लिए दिशा—निर्देशों का विकास।

परियोजना का उद्देश्य पिलर की स्थायित्वता के संबंधित पारामीट्रिक विश्लेषण के साथ—साथ जोखिम मूल्यांकन और स्कॉट पिलर डिजाइन के साथ—साथ फेल्योर (प्रोग्रेसिव अथवा इंस्टानियस नेचर) के तरीकों को प्रमाणित कराना (सिद्ध करना) है।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 562.29 लाख रु. है।

- 17. एसिड माइन ड्रेगन के सिमूलेटेनियस रेमीडिएशन के लिए हाइब्रिड प्रेसरिक्स प्रक्रियाएँ और इंडीविजुअल मेटल सल्फायड की प्राप्ति।**

उपर्युक्त परियोजना एनईसी, मार्डरिटा और एससीसीएल, कोथागुडेम के सहयोग से आईआईटी, रुड़की द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

परियोजना का उद्देश्य एएमडी के कुल घुलनशील ठोस की मात्रा में कमी तथा भारी धातुओं की समाप्ति एवं पर्याप्त क्षारीयता निर्माण करके प्रदूषित जल में एसिडिटी के न्यूट्रलाइजेशन द्वारा एक एसिड माइन ड्रेनेज (एएमडी) उपचार प्रक्रिया विकसित करना है। व्यावसायिक मूल्य (महत्व) रखने वाले एएमडी से सिक्यूरिशली होवी मेटल आयन की प्राप्ति के लिए भी प्रयास किया जाएगा।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 74.45 लाख रु. है।

- 18. समेकित जैविकीय दृष्टिकोण अपना कर नेटिव प्लांट स्पीसिज सहित पुनः बनाच्छादन और मिट्टी की गुणवत्ता में संशोधन के जरिए नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, आसाम के कोयला खनित भूमि का पुनरुद्धार।**

उपर्युक्त परियोजना एनईसी, मार्डरिटा के सहयोग से आरएफआरआई जोरहाट द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

परियोजना का उद्देश्य समेकित जैविकीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नेटिव प्लांट सीसिज सहित मिट्टी संशोधन और पुनः बनाच्छादन द्वारा रीहोबिलिटेट डिग्रेडेड पोस्ट—माइनिंग लैंड का विकास करना है।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 83.18 लाख रु. है।

- 19. पिट बॉटम और भूमिगत खान रोडवेज तथा वर्किंग फेस के ऑप्टिकल फाइबर आधारित सोलर इल्यूमिनेशन।**

उपर्युक्त अनुसंधान परियोजना, ईसीएल, सेकतोरिया के सहयोग से आईआईटी, खड़गपुर द्वारा किया जा रहा है।

उपर्युक्त अध्ययन से माइन रोडवेज और वर्किंग फेस में ऑप्टिकल फाइबर आधारित इल्यूमिनेशन के कार्यान्वयन के लिए एक विजनेस मॉडल का विकास और मल्टीपर्पस (इल्यूमिनेशन एवं सेंसिंग और संचार) उपकरणों के लिए आप्टीकल फाइबर केबल की प्रयोज्यता का पता लगाया जाएगा। यह वर्तमान प्रणाली के बदलाव की लागत का मूल्यांकन और पे बैंक अवधि का विश्लेषण भी किया जाएगा।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 155.52 लाख रु. है।



20. कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्र के भीतर कोल माइन मिथेन (सीएमएम) के लिए क्षमता निर्माण

यह परियोजना सीएमपीडीआई, रांची तथा कामनवेल्थ साइन्टिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (सीएसआईआरओ), आस्ट्रेलिया द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय संसाधन तथा खनन स्थितियों में पूर्वचयनित क्षेत्र या खान स्थल में प्रभावकारी तथा कॉस्ट इफेक्टिव मिथेन कैचर प्रौद्योगिकी का विकास करना है। परियोजना का उद्देश्य सीएमपीडीआई में उन्नत गैस टेस्टिंग लेबोरेट्री सर्विसेज एवं क्षमता विकसित करना भी है, जिससे सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के साथ सम्बद्ध सीएमपीडीआई के संबंधित क्षेत्रीय संस्थानों में इसे दुहराया जा सके।

इस परियोजना के तहत कॉमन वेल्थ साइन्टिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (सीएसआईआरओ), आस्ट्रेलिया को 5,40,000 अमेरिकी डालर (पाँच लाख चालिस हजार अमेरिकन डालर) मात्र का कोष वितरित किया गया।

इस परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 2392.79 लाख रु. है।

परिशिष्ट - ॥

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणन

सेवा में,

निदेशक मंडल,
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीचूट लि.,


हम शेखर सरन, अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक एवं एन.एन.ठाकुर महाप्रबंधक (वित्त) / सीएफओ जो कि वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेवार है, प्रमाणित करते हैं कि :

- क. हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तथा नकद प्रवाह के विवरण की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :


 - i. इन विवरणों में न तो कोई भी वस्तुपरक असत्य विवरण शामिल है, न ही कोई प्रमुख तथ्य छोड़ दिया गया है और न ही कोई गुमराह करने वाला विवरण शामिल किया गया है।
 - ii. ये विवरण कंपनी के कार्यों का सच्चा एवं सही चित्र प्रस्तुत करते हैं तथा विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

- ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेन—देन कपटपूर्ण, गैर—कानूनी एवं कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला नहीं है।
- ग. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण की स्थापना एवं रख—रखाव हेतु हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है तथा ऐसे आन्तरिक नियंत्रण के डिजाइन अथवा संचालन में यदि कोई कमियाँ हैं तो उनके बारे में आडिटरों तथा ऑडिट समितियों को बताया है एवं इनके बारे में उन्हें जानकारी है वे इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित हैं।
- घ. हमने आडिटरों तथा ऑडिट समितियों को निम्नलिखित जानकारी दी है :

 - i. वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्ट के संदर्भ के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है।
 - ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है।
 - और
 - iii. किसी बड़े धोखाधड़ी के किसी भी दृष्टांत के बारे में, जिसमें प्रबंधन की भूमिका हो अथवा किसी ऐसे कर्मचारी जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका हो, की कोई जानकारी हमें नहीं है।



(एन.एन.ठाकुर)
महाप्रबंधक (वित्त)



(शेखर सरन)
अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक



परिशिष्ट - III

फार्म संख्या एमजीटी-९ 31.3.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक रिटर्न का सारांश

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी के नियम 12(1) के संदर्भ में
(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014]

I. रजिस्ट्रेशन एवं अन्य विवरण :

- सीआईएन : यू14292जेएच1975जीओआई001223
- रजिस्ट्रेशन की तिथि : 1.11.1975
- कंपनी का नाम : सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
- कंपनी की कैटेगरी/उप-कैटेगरी : (मिनी रत्न कैटेगरी – ॥)
- पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण : गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची, झारखण्ड–834031
- कंपनी सूचीबद्ध है या नहीं (हाँ/नहीं) : नहीं
- रजिस्टर तथा ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और सम्पर्क विवरण : लागू नहीं होता

II. कंपनी का मुख्य व्यावसायिक क्रिया-कलाप

(कंपनी के कुल टर्न ओवर (उत्पादन) जो 10 प्रतिशत या उससे अधिक के सभी व्यावसायिक क्रिया-कलापों को प्रकट किया जाएगा)

क्र.सं.	प्रमुख उत्पाद/ सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पादन/ सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्न ओवर का प्रतिशत (%)
1	माइन प्लानिंग एंड डिजाइन	लागू नहीं	25.4
2	भूवैज्ञानिक एवं वेधन	लागू नहीं	65.5

III. धारक (नियंत्रक), अनुषंगी तथा सम्बद्ध कंपनी का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रक/अनुषंगी/ सम्बद्ध	धारित शेयर का प्रतिशत (%)	लागू धारा (सेवकान)
1	कोल इंडिया लि.	एल 23109डब्ल्यूबी1973जीओआई028844	नियंत्रक	100 प्रतिशत	कंपनी अधिनियम 2013 का 92(1)ए

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

IV. शेयर धारक के तरीके (पैटर्न) (कुल इकिवटी की प्रतिशतता के रूप में इकिवटी शेयर कैपिटल ब्रेक-अप)

(i) कैटेगरी-वार्ड शेयर होल्डिंग

शेयर धारक की कैटगरी	वर्षारंभ में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2017 के अनुसार)				वर्षार्थ में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2018 के अनुसार)				वर्ष के दौरान बदलाव प्रतिशत में
	डीमेंट	फिजिकल	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	डीमेंट	फिजिकल	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	
ए. प्रमोटर्स									
1) भारतीय									
(ए) व्यक्तिगत / एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(बी) केंद्रीय सरकार			-	-			-	-	-
(सी) राज्य सरकार			-	-			-	-	-
(डी) निकाय कार्पोरेशन	शून्य	190,400	190,400	100.00%	शून्य	380,800	380,800	100.00%	शून्य
(ई) बैंक / एफआई			-				-	-	-
(एफ) कोई अन्य			-				-	-	-
उप योग (ए) (1)	शून्य	190,400	190,400	100.00%	-	190,400	190,400	100.00%	शून्य
2) विदेशी									
ए) एनआरआई			-	-			-	-	-
बी) अन्य—व्यक्तिगत			-	-			-	-	-
सी) निकाय कार्पोरेशन			-	-			-	-	-
डी) अन्य कोई			-	-			-	-	-
उप योग (ए) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ए)	शून्य	190,400	190,400	100.00%	शून्य	380,800	380,800	100.00%	-

बी. पब्लिक शेयर होल्डिंग

1. संस्थान									
क. मियूच्युअल फंड			-				-	-	-
ख. बैंक / एफआई			-	-			-	-	-
ग. केंद्र सरकार			-	-			-	-	-
घ. राज्य सरकार			-	-			-	-	-
ड. वेंचरपूंजीगत निधि			-	-			-	-	-
च. बीमा कंपनी			-	-			-	-	-
छ. एफआईआईएस			-				-	-	-
ज. विदेशी वेंचर पूंजीगत निधि			-				-	-	-
झ. अन्य (उल्लेख करें)			-				-	-	-
उप योग (बी) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर संस्थान									
निकाय कार्पोरेशन									
1. भारतीय			-				-	-	-
2. ओवरसिंज			-				-	-	-
बी. इंडिविजुअल									
i) एक लाख तक के नाम मात्र के शेयर कैपिटल धारक व्यक्तिगत शेयर होल्डिंग			-				-	-	-
ii) एक लाख से अधिक तक के नाम मात्र के शेयर कैपिटल धारक व्यक्तिगत शेयर होल्डिंग			-				-	-	-



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

सी. अन्य (उल्लेख करें)									
अप्रवासी भारतीय			-			-	-	-	-
ओवर्सीज कॉरपोरेट निकाय			-			-	-	-	-
फोरेन नेशनल्स			-			-	-	-	-
विलयरिंग मैंबर्स			-			-	-	-	-
ट्रस्ट			-			-	-	-	-
विदेशी निकाय – डौआर			-			-	-	-	-
उप योग (बी) (2) :-	-	-	-		-	-	-	-	-
कुल पब्लिक (बी)	-	-	-		-	-	-	-	-
सी. जीडीआरएस एवं एडीआरएस के लिए कस्टोडियम द्वारा धारित शेयर			-						-
समग्र योग (ए+बी+सी)	शून्य	190,400	190,400	100.00%	शून्य	380,800	380,800	100.00%	100.00%

(ii) प्रोमोटरों की शेयरहोल्डिंग

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्षारंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में बदलाव का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी की कुल शेयर का %	कुल शेयर का प्लॉन्ड/इनकम्बर्ड शेयर का %	शेयरों की संख्या	कंपनी की कुल शेयर का %	कुल शेयर का प्लॉन्ड/इनकम्बर्ड शेयर का %	
1	कोल इंडिया लिमिटेड	190,400	100.00%	0	380,800	100.00%	0	0.00%

(iii) प्रोमोटरों के शेयर होल्डिंग (यदि कोई बदलाव नहीं है तो कृपया उल्लेख करें) में परिवर्तन

क्र.सं	विवरण	वर्षारंभ में शेयर होल्डिंग	
		शेयर की संख्या	कंपनी का कुल शेयर का %
	वर्ष के आरंभ में	190,400	100.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	190,400	100.00%
	वर्ष के अंत में	190,400	100.00%

(iv) टॉप 10 शेयर होल्डरों (डायरेक्टर, प्रोमोटर तथा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के होल्डर के अलावे) के शेयर होल्डिंग का पैटर्न :

क्र.सं	टॉप 10 शेयर होल्डरों के प्रत्येक के लिए	शेयर की संख्या	कंपनी का कुल शेयर का %
क.	वर्ष के आरंभ में	-	-
ख.	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
ग.	वर्ष के अंत में	-	-

(v) निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (की-मैनेजरियल पर्सनेल) का शेयर होल्डिंग :

क्र.सं	प्रत्येक निदेशक और प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए	वर्ष के शुरूआत में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान तिथिवार वृद्धि/हास	वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग
		शेयर की संख्या	कंपनी का कुल शेयर का %		
क.	वर्ष के आरंभ में	-	-	-	-
ख.	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-
ग.	वर्ष के अंत में	-	-	-	-

सेन्ट्रल माइनिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

V. ऋण भार (इनडेब्टनेस)

बाकाया / अक्रूड व्याज जो भुगतान के लिए देय नहीं हो, सहित कंपनी का ऋण भार

(लाख रुपये में)

विवरण	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋण भार
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋण भार				
i) प्रधान राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) देय व्याज किन्तु भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) अक्रूड व्याज किन्तु बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण भार में				
* जोड़कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
* घटाकर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल बदलाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में डिवेंचर				
i) मूल धन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) बकाया व्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) अक्रूड व्याज किन्तु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (की-मैनेजरियल पर्सोनल) का पारिश्रमिक

ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम				
		नाम	श्री शेखर सरन	श्री वी.के. सिंहा	श्री बी.एन. शुक्ला	श्री विनय दयाल
1	सकल वेतन					
	क.आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में समाहित प्रावधान के अनुसार वेतन	4,487,149.20	2,797,869.80	2,562,160.20	1,685,795.00	3,503,934.00
	ख.आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के तहत अनुलाभों/परिलक्षि का मूल्य	568,881.00	263,184.00	266,538.00	290,674.00	464,986.00
	ग. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-	-
2	स्टाक विकल्प	-	-	-	-	-
3	स्वीट इविविटि	-	-	-	-	-
4	कमीशन					
	- लाभ का : के अनुसार	-	-	-	-	-
	- अन्य उल्लेख करें (सीएमपीएफ ईएमपी शेयर)	307,932.00	120,927.00	141,893.00	137,934.00	287,750.00
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-
	कुल (ए)	5,363,962.20	3,181,980.80	2,970,591.20	2,114,403.00	4,256,670.00



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

बी. अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री राजेन्द्र प्रसाद	श्री देबाशीष गुप्ता	कुल राशि
1	स्वतन्त्र निदेशक			
	– बोर्ड एवं कमिटी की बैठक में उपस्थिति के लिए शुल्क	540,000.00	560,000.00	1,100,000.00
	– कमीशन			-
	– अन्य कृपया उल्लेख करें			-
	कुल (1)	540,000.00	560,000.00	1,100,000.00
2	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक			-
	– बोर्ड कमिटी की बैठक में उपस्थिति के लिए शुल्क			-
	– कमीशन			-
	– अन्य, कृपया उल्लेख करें			-
	कुल (2)	-	-	-
	कुल (बी) = (1+2)	540,000.00	560,000.00	1,100,000.00
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक			

सी. एमडी/मैनेजर/डब्ल्यूटीडी के अलावे मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (की-मैनेजरियल पर्सेनल) को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (की-मैनेजरियल पर्सेनल) का नाम	कुल राशि
	नाम	श्री नागनाथ ठाकुर	श्री अभिषेक मुंदड़ा
	पद	सीएफओ	सीएस
1	सकल वेतन		
	(ए) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में समाहित प्रावधान के अनुसार वेतन	3,525,571.00	1,232,857.10
	(बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के तहत लाभ का मूल्य	484,998.00	233,307.00
	(सी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ		-
2	स्टॉक ऑप्सन		-
3	स्वीट इविवटी		-
4	कमीशन		-
	– लाभ का % के अनुसार		-
	– अन्य, कृपया उल्लेख करें (सीएमपीएफ ईएमपी शेयर)	271,217.00	115,263.00
5	अन्य कृपया उल्लेख करें		-
	कुल	4,281,786.00	1,581,427.10
			5,863,213.10

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

VII. अपराध के लिए जुर्माना/दण्ड/कम्पाऊंडिंग (दोनों)

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	पेनाल्टी/पनिशमेंट, कंपाऊंडिंग लगाया गया शुल्क का विवरण	संक्षिप्त विवरण	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	किया गया अपील, यदि हो (विवरण दें)
ए. कंपनी					
पेनाल्टी					
पनिशमेंट			कोई नहीं		
कंपाऊंडिंग					
बी. निदेशक					
पेनाल्टी					
पनिशमेंट			कोई नहीं		
कंपाऊंडिंग					
सी. डिफॉल्टर में अन्य अधिकारी					
पेनाल्टी					
पनिशमेंट			कोई नहीं		
कंपाऊंडिंग					





परिशिष्ट - IV

सुरभी जैन, एसीएस

(कंपनी सचिव)

एम. नं. : ए 45002
ई-मेल आईडी : sj@way2cprorates.in

निगमित शासन अनुपालन प्रमाण-पत्र

कंपनी का सीआईएन संख्या	:	यू 14292 जे०च 1975 जीओई 001223
नामिनल कैपिटल	:	500,00,000.00 (पचास करोड़ रु.)
प्रदत्त पैंजी	:	38,08,00,000.00 (अङ्गतीस करोड़ आठ लाख रु. मात्र)

सेवा में,
सदस्यगण,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची-834 008

हमने केंद्रीय लोक उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई), के दिशा-निर्देश 2010 की शर्तों के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (दि “कंपनी”) द्वारा निगमित शासन के अनुपालन की स्थिति की जाँच की है।

हमारी जाँच का सारांश नीचे दिया गया है :

1. निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी की जिम्मेवारी है :

हमारे द्वारा की गई जाँच भारत के कंपनी सचिव के संस्थान एवं लोक उपक्रम विभाग के दिशा-निर्देश 2010 में उद्धृत निगमित शासन के दिशा-निर्देश के अनुरूप है। यह जाँच निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपानई गई प्रक्रिया तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो कंपनी की वित्तीय स्थिति पर राय है और न ही अंकेक्षण है। हमने प्रमाणन के उद्देश्य से अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है तथा हमारे द्वारा अपेक्षित इस तरह के सभी अभिलेख, दस्तावेज तथा प्रमाण-पत्र आदि उपलब्ध करवाया गया है।

2. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा निदेशक और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान तथा इस संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी अनेक माड्यूलों तथा मानक के अनुसार स्वच्छ (अच्छा) शासन (गुड गवर्नेन्स) की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जारी कानून तथा मानक के अनुपालन हेतु कदम उठाया है।

3. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य में व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है और न ही दक्षता एवं प्रभावकारिता का, जिसके द्वारा प्रबंधन ने कंपनी मामले को कार्यान्वित किया है।

वार्ता सुरभी जैन

स्थान : राँची
दिनांक : 14.05.2018


(सुरभी जैन)
कंपनी सचिव
एसीएस नं.: 45022

परिशिष्ट - V



के. सी. टॉक एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स,

शॉप नं. 2, इस्टर्न ब्लॉक साइड, प्रथम तल, जीईएल चर्च कम्प्लेक्स, मेन रोड, राँची।

सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट के सदस्यगण

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड “दि कंपनी” का संलग्न आईएनडीएस वित्तीय विवरण का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य विस्तृत आय सहित), नकद प्रवाह (कैश-फलो) विवरण, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इकिवटी में परिवर्त्तन का विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखा नीति का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ (जानकारी) वित्तीय विवरण शामिल हैं।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व :

यह वित्तीय विवरण जो इस अधिनियम के तहत जारी संबद्ध नियमावली के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विहित भारतीय लेखा मानक सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुसार नकद प्रवाह तथा कंपनी की इकिवटी में परिवर्त्तन, वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य विस्तृत आय सहित), जो वित्तीय स्थिति के बारे में सत्य एवं स्पष्ट विचार देता है, की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एकट) की धारा 134(5) में उल्लिखि तमामले की जिम्मेकवारी कंपनी के निदेशक मंडल की है।

कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना के अधिनियम के लिए प्रावधान के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेख का रख-रखाव, यथोचित लेखा नीति का चयन एवं प्रयोग करना, निर्णय एवं आकलन जो उचित एवं विवेकपूर्ण हो, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जो वैसे लेखा रिकार्ड की शुद्धता तथा पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से संचालित किया जा रहा हो जो इन्डिएस वित्तीय विवरण, जो भौतिक गलत बयानी से मुक्त हो तथा सत्य एवं स्पष्ट विचार देते हो, चाहे वह घोखाघड़ी या भूलवश हो, की तैयारी तथा प्रस्तुति से संबंधित हो, इस दायित्व में शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व :

हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर इन्डिएस वित्तीय विवरण पर अपनी राय देना है।

हमने कानून के प्रावधानों, लेखा एवं अंकेक्षण मानकों तथा मामले (मैटर), जो इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत अंकेक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित थे, का ध्यान रखा है।

हमने इस अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विहित अंकेक्षण के मानक के अनुसार अंकेक्षण किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करें तथा इंड एस वित्तीय मानक भौतिक गलतबयानी से मुक्त है या नहीं इसके बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण की योजना बनाई है तथा अंकेक्षण किया है।



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

अंकेक्षण में वित्तीय विवरण में दी गई रकम तथा दिए गए स्पष्टीकरण के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ अंकेक्षकों के निर्णय पर निर्भर करते हैं, जिसमें वित्तीय विवरण के भौतिक गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटिवश हुआ हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है। उन जोखिम मूल्यांकन करने में अंकेक्षक वित्तीय विवरण के लिए कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है, जो उस परिस्थिति में उपयुक्त अंकेक्षण प्रक्रिया डिजाइन करने के लिए सत्य एवं स्पष्ट विचार देता हो। अंकेक्षण में प्रयुक्त लेखा नीति का यर्थार्थता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा तैयार किए गए लेखा प्राककलन का औचित्य एवं वित्तीय विवरण की संपूर्ण तैयारी का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय विवरण पर हमारी अंकेक्षण राय के लिए आधार देने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

राय (विचार) :

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई सूचना के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण कानून द्वारा अपेक्षित ढंग से जानकारी देता है तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुरूप सत्य एवं स्पष्ट विचार देता है, जिसमें 31 मार्च, 2018 के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसकी वित्तीय उपलब्धि के साथ-साथ अन्य विस्तृत आय, इसका नकद प्रवाह तथा इकिवटी में परिवर्त्तन शामिल है।


अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :

- जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत अपेक्षित है, हम सुझाए गए अंकेक्षण कार्य प्रणाली, इस पर की गई कार्रवाई तथा कंपनी के वित्तीय विवरण एवं लेखे पर इसके प्रभाव का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/अतिरिक्त निर्देश पर एक विवरण “परिशिष्ट-1” में संलग्न कर रहे हैं।
- अधिनियम (दि एकट) की धारा 143(11) के संदर्भ में भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (अंकेक्षकों) की रिपोर्ट आदेश 2016 (दि आर्डर) की अपेक्षा के अनुसार हम इस आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विहित मामले पर “परिशिष्ट 2” संलग्न करते हैं।
- जैसा कि इस अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - हमने आवश्यक वैसी सभी जानकारी माँगी है तथा प्राप्त की है जो हमारे अंकेक्षण के लिए हमारी जानकारी एवं विश्वास हेतु आवश्यक थी।
 - हमारी राय में, पुस्तकों की अब तक की गई हमारी जाँच से पता चलता है कि कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा-पुस्तक रखी है।
 - इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानिविवरण, नकद प्रवाह विवरण, इकिवटी में परिवर्त्तन संबंधी विवरण लेखे की पुस्तक के अनुसार सही है।
 - हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के संगत नियम 7 के साथ पठित इस अधिनियम (दि एकट) की धारा 133 के तहत विहित लेखा मानक के अनुसार सही है।
 - निदेशक-मंडल द्वारा अभिलेख में दर्ज किए गए 31 मार्च, 2018 के अनुसार निदेशक-मंडल से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर इस अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के लिए 31 मार्च, 2018 के अनुसार कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

- च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा ऐसे नियंत्रण की प्रभावकारिता की उपयुक्तता के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट “परिशिष्ट-3”में उल्लेखित है। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रभावकारिता पर असंशोधित राय व्यक्त करता है।
- छ. कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियमावली 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामले के संबंध में हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार
- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित विवादों के प्रभाव को प्रकट किया है ।।
 - कंपनी ने व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घकालीन संविदा पर आर्थिक भावी हानि, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखा मानक के तहत अपेक्षित प्रावधान बनाया है।
 - प्रबंधन द्वारा प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार कोइ ऐसी रकम नहीं है, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना है।

वास्ते, के. सी. टॉक एंड कं.
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स,
फर्म निबंधन सं 000216सी.


सीए अनिल जैन
सदस्य,
सदस्यता सं. 079005

राँची
दि. 25.5.2018



अंकेक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट - 1

31, मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एएस वित्तीय विवरण पर “सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड” के सदस्यों को स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट में उल्लेखित परिशिष्ट पर हम रिपोर्ट करते हैं कि

परिशिष्ट-ए

वर्ष 2016-18 वित्तीय वर्ष के लिए लागू कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत संशोधित :

1. क्या कंपनी ने क्रमशः फ्री होल्ड तथा लीज होल्ड के लिए टाइटिल/लीज डीड विलयर किया है ? यदि, नहीं तो उस फ्री होल्ड तथा लीज होल्ड जमीन के क्षेत्रफल का विवरण दें, जिसके लिए टाइटिल/लीज डीड उपलब्ध नहीं है?

फ्रीहोल्ड/लीज होल्ड भूमि के लिए टाइटिल/लीज विलयर कर दिया है।

2. क्या ऋण (डेब्ट्स)/उधारी (लोन)/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो इसका कारण तथा इसकी रकम बताएँ।

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वेवर/ऋण को बट्टे खाते डालने/उधारी (ऋण)/ब्याज आदि का कोई मामला नहीं था।

3. क्या तृतीय पक्ष के पास पड़े वस्तु सूची (इन्वेंटरी) एवं सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में?

प्राप्त परिसंपत्तियों के लिए उचित अभिलेख का रख-रखाव किया जाता है?

प्रबंधन से प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार किसी तृतीय पक्ष के पास कोई इन्वेटरी पड़ा हुआ नहीं है। जैसा कि हमें बताया गया है कंपनी ने सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान प्राप्त किया है। कंपनी विशिष्ट परियोजना/कार्य करने हेतु मंत्रालय/सरकार या अन्य प्राधिकरणों से समय-समय पर प्राप्त कोष के बारे में उचित ढंग से दर्ज (रख रखाव) कर रही है।

परिशिष्ट - बी

वित्तीय 2017-18 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों के अंकेक्षण हेतु नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त निर्देश

- क्या कंटूर मैप को ध्यान में रखकर कोल स्टॉक की माप की गई है? क्या सभी मामलों में भौतिक स्टॉक मेजरमेंट रिपोर्ट कंटूर मैप के अनुकूल है? क्या विवेच्य वर्ष के दौरान सृजित न्यू हीप, यदि कोई हो, को सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है ?

सीएमपीडीआईएल के लिए लागू नहीं होता।

- क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय/विखंडन/पृथक्करण के समय परिसंपत्तियों/संपत्तियों (प्रोपर्टीज) का भौतिक सत्यापन किया था? यदि हाँ, तो क्या संबंधित अनुषंगी कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया था?

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुतिकरण के अनुसार विवेच्य वर्ष के दौरान या किसी भी अवधि में किसी भी क्षेत्र का विलय/पृथक्करण /पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है, इसलिए यह सीएमपीडीआईएल के लिए लागू नहीं होता है।

- क्या सीआईएल एवं इसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खान के लिए अलग—अलग एसक्रो अकाउन्ट रखा जाता है? अकाउन्ट के कोष की उपयोगिता की भी जाँच की जाए :

सीएमपीडीआईएल के लिए लागू नहीं होता है।


- क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध खनन के लगाए गए जुर्माने के प्रभाव पर विधिवत् विचार किया गया है तथा इसकी गणना की गई है :

सीएमपीडीआईएल के लिए लागू नहीं होता।

वास्ते, के. सी. टॉक एंड कं.

चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स,

फर्म निबंधन सं 000216सी.



सीए/अनिल जैन

सदस्य,

सदस्यता सं. 079005

राँची

दि. 25.5.2018



अंकेक्षकों के प्रतिवेदन

परिशिष्ट-II

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीचूट लिमिटेड के लेखे पर उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के “अन्य वैधानिक एवं नियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट” के तहत (अनुच्छेद-2 में उद्धृत) हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. अचल परिसंपत्ति के मामले में
 - क) हमारे अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि कंपनी ने सामान्यतः परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण का समुचित रिकार्ड रखा है।
 - ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी की अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा इसका अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। जैसा कि हमें जानकारी दी गई है, इस प्रकार के सत्यापन में किसी प्रकार की बड़ी विसंगति नहीं पाई गई है।
 - ग) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण तथा हमें उपलब्ध कराए गए व्यौरे एवं अभिलेख के अनुसार तथा हमें उपलब्ध कराया गया कच्चेएन्स डीड की जाँच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि टाइटिल डीड, जिसमें भूमि एवं भवन की सभी अचल परिसंपत्तियाँ शामिल हैं तथा जो फ्रीहोल्ड है, 31 मार्च, 2018 के अनुसार कंपनी के नाम पर हैं।
2. वस्तु सुची (इन्वेटरी) के संबंध में
 - क. यह पाया गया कि कंपनी ने 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त अवधि के लिए स्टोरों एवं स्पेयर पार्टी आदि की जाँच के लिए बाहरी एजेंसी को प्रतिनियुक्त किया है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार इस जाँच में पाई गई त्रुटियाँ महत्वपूर्ण नहीं हैं, वर्ष के अंत में लेखे में इसका उचित निपटान किया गया है। हमारी राय में जाँच की आवृत्ति यथोचित है।
 3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागेदारी या अन्य पार्टियों को किसी तरह की प्रत्याभूत या अप्रत्याभूत ऋण मंजूर नहीं किया है।
 4. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने दिए गए ऋण एवं किए गए निवेश, जहाँ लागू हो के संबंध में अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान का अनुपालन किया है।
 5. कंपनी ने आमलोगों से किसी प्रकार जमा स्वीकार नहीं किया है एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा की गई जाँच के अनुसार कंपनी होता है।
 6. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्र सरकार ने कंपनी को किसी उत्पादों या दी जा रही सेवाओं के लिए अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत रिकार्ड के रख-रखाव के लिए विहित नहीं किया गया है।
 7. सांविधिक बकाया के संबंध में

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने भविष्य निधि, आयकर, बिक्रीकर, मूल्य संवर्धित कर, उत्पाद शुल्क, सेवाकर, सेस तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक बकाया सहित अविवादित सांविधिक बकाया के संबंध में लेखा पुस्तिका में काटी गई/एक्यूर्ड रकम को सामान्यतः सक्षम प्राधिकारी के पास नियमित रूप से जमा कराया है।

हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2017 तक भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, मूल्य संवर्धित कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर सेस तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक बकाया के संबंध में कोई अविवादित देय रकम देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक बकाया नहीं था।

ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार सीमा शुल्क का कोई भी महत्वपूर्ण बकाया नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण समुचित प्राधिकारी के पास जमा नहीं कराया गया है। तथापि, विवाद के कारण निम्नलिखित आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवाकर तथा मूल्य संबंधित कर कंपनी द्वारा जमा नहीं कराया गया है।

(परिशिष्ट 2ए के अनुसार)

8. कंपनी ने विवेच्य वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिवेन्चर होल्डर से कोई ऋण या उधारी नहीं लिया है, तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (viii) लागू नहीं होता है।
9. कंपनी ने विवेच्य वर्ष के दौरान इनिशीयल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक आफर (डेबट-इन्स्ट्रमेंट सहित) तथा टर्म लोन के रूप में धन नहीं उगाता है। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3 (ix) लागू नहीं होता है।
10. प्रबंधन द्वारा अभ्यावेदित और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे अंकेक्षण के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर इसके अधिकारियों के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा किसी तरह का गंभीर धोखाधड़ी का मामला नहीं पाया गया है या रिपोर्ट नहीं किया गया है।
11. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेख की हमारी जाँच के आधार पर प्रबंधकीय परिलक्षि कंपनी अधिनियम की अनुसूची-V के साथ पठित अनुच्छेद 197 के प्रावधान द्वारा अधिदेशित अपेक्षित अनुमोदन के अनुरूप दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है।
12. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं होता है।
13. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अन्य सरकार नियंत्रित इन्टरप्राइज के साथ संबंधित पार्टी के संबंध की तरह सरकार नियंत्रित उद्यम होने के नाते इसे छूट प्रदान की गई है। संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुसार की गई है तथा जहाँ लागू हो, प्रयोज्य लेखा मानक द्वारा यथा अपेक्षित वित्तीय विवरण आदि में इसे विस्तृत रूप में प्रकट किया गया है।
14. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेख की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने शोयरों का अधिमान्य आवंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्णतः या अंशतः परिवर्त्तनीय डिवेन्चर नहीं किया है।



15. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर कंपनी ने निदेशक या उनके साथ संबद्ध व्यक्ति के साथ नन-कैश ट्रान्जेक्शन नहीं किया है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 3(xv) लागू नहीं होता है।
16. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 45-1ए के तहत कंपनी का निबंधित होना अपेक्षित नहीं है।

वास्ते, के. सी. टॉक एंड कं.

चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स,

फर्म निबंधन सं 000216सी.



सीए अनिल जैन

सदस्य,

सदस्यता सं. 079005

राँची

दि. 25.5.2018

(कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (I) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित परिशिष्ट)

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के सदस्यों के लिए (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर “सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड” के केंद्रीय सांविधिक अंकेक्षकों को हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद “अन्य वैधानिक एवं नियामक हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद” अन्य वैधानिक एवं नियामक अपेक्षा” के तहत अनुच्छेद 3 (एफ) में उद्धृत

कंपनी अधिनियम (दि एक्ट) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (1) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट हमने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण कें हमारे अंकेक्षण के साथ-साथ उसी तिथि के अनुसार “सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड” (“दिकंपनी”) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण किया है।।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व :

इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर दिशा-निर्देश टिप्पणी (नोट) में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय नियंत्रण मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा मेनटेन करने का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रख-रखाव शामिल है, जो इसके कार्यव्यापार के उचित एवं प्रभावकारी आचार सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से संचालित किए जा रहे थे। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, लेखा अभिलेख की शुद्धता एवं पूर्णता, धोखाधड़ी या त्रुटियों पर रोक एवं पता लगाना, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा करना कंपनी की नीति का अनुसरण शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व :

हमारी जिम्मेवारी अपने अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना है। हमने अपना अंकेक्षण आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत संबद्ध, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण के लिए गाइडेंस नोट (गाइडेंस नोट) तथा अंकेक्षण के मानकों, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, के अंकेक्षण तक विस्तारित है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए लागू होते हैं, दोनों इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं, के अनुसार संचालित किया गया। इन मानकों एवं दिशा-निर्देश नोट में अपेक्षिता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित है तथा मेनटेन किया जा रहा है और क्या ऐसा नियंत्रण सभी भौतिक (मेटेरियल) संबंध में प्रभावकारी तरह से संचालित किया जा रहा है, इसके बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करें तथा योजना बनाकर अंकेक्षण करें।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी रिपोर्टिंग प्रभावकारिता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया पूरा करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय निरीक्षण को हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्याख्या प्राप्त करना, उस जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें अपर्याप्तता हो तथा मूल्यांकित जोखिमों पर आधारित डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण की संचालन प्रभावकारिता की जाँच एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया अंकेक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरण को मैटेरियल गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, का मूल्यांकन शामिल है।



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

हमें विश्वास है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में हमारी अंकेक्षण राय के पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ :

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्यतः स्वीकृत लेखानीति के अनुसार बाहरी उद्देश्य से वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण की तैयारी के बारे में पर्याप्त (तर्कसंगत) आश्वासन देने हेतु डिजाइन की गई प्रक्रिया है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रिया शामिल हैं जो (1) रिकार्ड के रख-रखाव से संबंधित, जो तर्कसंगत विवरण में कंपनी की परिसंपत्ति के लेन-देन तथा जमा को परिशुद्ध एवं स्वच्छ रूप से प्रतिबिम्बित करता हो। (2) पर्याप्त आश्वासन देना की लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अनुमति हेतु यथा आवश्यक रूप से दर्ज है तथा कि कंपनी का आय एवं व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा है। (3) कंपनी की वैसी परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या जमा की रोकथाम तथा समय पर पता लगाने के बारे में पर्याप्त आश्वासन देना जो वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाएँ :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत अपर्याप्त प्रबंधन, के कारण कमी, नियंत्रण की अवहेलना, भूलवश या धोखाघड़ी के कारण भौतिक (मैटेरियल) गलत बयानी शामिल है जो उपस्थित नहीं हो पाता है या जिसका पता नहीं लगाया जा सकता, की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई भी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जोखिम के अनुसार है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति में परिवर्तन या प्रक्रिया के अनुपालन की स्थिति में कमी क्षरण हो सकने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जा सकता है।

विचार

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक (महत्वपूर्ण) मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2018 के अनुसार प्रभावकारी ढंग से संचालित किए जा रहे थे। इसका आधार चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स द्वारा निर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

वास्ते, के. सी. टॉक एंड कं.

चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स,

फर्म निबंधन सं 000216 सं.

सीए.आर.एल जैन

सदस्य,

सदस्यता सं. 079005

राँची

दि. 25.5.2018

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

परिशिष्ट - बी

31 मार्च, 2018को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड के लेखे पर उसी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकता पर पाराग्राफ में उद्धृत स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट की “परिशिष्ट 2 ए”

31.03.2018 की तिथि तक प्रत्यक्ष कर के लंबित मामलों की सूची :

सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित मामले

क्र.सं.	मूल्यांकन वर्ष	विवादित/माँग की गई रकम	टिप्पणी
1.	2013–2014	53,50	सीएसआर खर्च की अस्वीकृति के संबंध में
2.	2014–15	17,960	सीएसआर खर्च की अस्वीकृति के संबंध में

आईटीएटी के समक्ष लंबित मामले

क्र.सं.	मूल्यांकन वर्ष	कुल राजस्व खर्च	विवादित/माँग की गई रकम	टिप्पणी
1.	2008–09	122,470,022	41,627,560	पूर्व अवधि व्यय की अस्वीकृति तथा कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम के तहत कर्मचारियों के अंशदान के संबंध में बढ़ाई (जोड़ी) गई करम।
2.	2009–10	338,729,256	115,134,074	पूर्व अवधि व्यय की अस्वीकृति तथा कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम के तहत कर्मचारियों के अंशदान के संबंध में बढ़ाई (जोड़ी) गई करम।
3.	2010–11	38,040,00	12,929,796	पूर्व अवधि व्यय की अस्वीकृति तथा कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम के तहत कर्मचारियों के अंशदान के संबंध में बढ़ाई (जोड़ी) गई करम।
4.	2011–12	934,349	310,363	पूर्व अवधि व्यय के संबंध में अस्वीकृति के बारे में विभाग द्वारा बढ़ाई (जोड़ी) गई रकम
5.	2012–13	21,583,891	7,004,893	सीएसआर, चिकित्सा व्यय तथा परिसंपत्ति की बिक्री से लाभ के संबंध में कंपनी द्वारा बढ़ाई (जोड़ी) गई रकम



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

क्र.सं.	क्षे.सं	संदर्भ	अपील का वर्ष	निर्णयाधिकारी	मामला संक्षेप में	स्थिति
1.	III	बी (65) 12 / सीएमपीडीआई / एडीजे /आरएएन-1 /2017 / 11805 दिनांक	2017	एससीएन के विरुद्ध अपर आयुक्त का आदेश-ब्याज के रूप में 3,94,353 रु. तथा सीसीएल को जारी पीवीसी बिलों के लिए जुर्माने के रूप में 2,000 रु. और 7,65,95960	एससीएन के विरुद्ध अपर आयुक्त का आदेश-ब्याज के रूप में 3,94,353 रु. तथा सीसीएल को जारी पीवीसी बिलों के लिए जुर्माने के रूप में 2,000 रु. और 7,65,95960	व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तिथि को अपील दायर तिथि तक अपील को प्रतीक्षा है।
2.	III	बी (65)81 / सीएमपीडीआई / एडीजे /आरएएन-1 /2016 / 550 दिनांक—23.3.17	2017	एससीन के विरुद्ध उपायुक्त का आदेश उपायुक्त का आदेश	एससीएन के विरुद्ध उपायुक्त का आदेश 4,82,1951/-रु. ब्याज के रूप में तथा सीसीएल को जारी पीवीसी बिल हेतु जुर्माने के रूप में 16,98,824 रु.	व्यक्तिगत सुनवाई 6.3. 18 पूर्ण। आयुक्त अपील जैसा कि 2/4/2018 को सीएमपीडीआई, क्षे. सं.-3 को सूचित किया गया है। कमिनशन अपील ने उपायुक्त के को खारिज कर दिया है, संदर्भ एसटी-100/डीएन/13/2017-18/ 781-785
3.	VII	सी.सं. VII (10) 41 /एडीजेएन / बीबीएसआर एसटैक्स डिकि / 2016 / 274	2017	सीएनएस के विरुद्ध उपायुक्त का आदेश ब्याज के रूप में 4,82,1195/-रु. तथा 2,000 रु. एवं सीसीएल को निर्गत पीवीसी के लिए 16,98,824 रु. जुर्माना	सीएनएस के विरुद्ध उपायुक्त का आदेश ब्याज के रूप में 4,82,1195/-रु. तथा 2,000 रु. एवं सीसीएल को निर्गत पीवीसी के लिए 16,98,824 रु. जुर्माना	सी.ने. VII(10) 41 /एडीजेएन / बीबीएसआर /एस ऐक्स डिवि./ 201'/274— दिनांक—17.02.2017 ब्याज के मद में 13,69,142 रु. की वसूली के लिए वित्त अधिनियम 1994 की धारा 87 के तहत बैंक को नोटिस भेजा गया है।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

क्र.सं.	क्षे.सं	संदर्भ	अपील का वर्ष	निर्णयाधिकारी	मामला संक्षेप में	स्थिति
	VII	एस / जीएसटी एवं सीएक्स डिविन / बी—11.03.2018	2018	आयुक्त (अपील)	1,37,339 रु. जुर्माना भरने (भुगतान करने) के लिए एसी / जीएसटी एवं सीएक्स डिविन / बी—11.03.2018 दिनांक—19.01.2018 के द्वारा मूल आदेश निर्गत कर दिया गया था।	सी.ने. VII(10) 41 / एडीजे१न / बीबीएसआर / एस ऐक्स डिवि. / 201' / 274— दिनांक—17.02.2017 ब्याज के मद में 13,69,142 रु. की वसूली के लिए वित्त अधिनियम 1994 की धारा 87 के तहत बैंक को नोटिस भेजा गया है।
4.	मुख्या.	डब्लू .पी(टी) नं. 2014 का 2534	2014	झारखण्ड उच्च न्यायालय	सीएमपीडीआई द्वारा (संशोधित) 11,56,35,000/-रु. सेवा कर ब्याज एवं जुर्माने के बकाए की माँग को निरस्त/रद्द करने के लिए अपील दायर की गई है।	5,05,52,750 रु. की मूल माँग के मुकाबले 8,72,86,713 रु. पहले ही भुगतान किया जा चुका है।
	मुख्या.	166 / 2004	2004	झारखण्ड उच्च न्यायालय	3,81,37,338/-रु. सेवा कर के बकाए से संबंधित माँग सितम्बर 1997 और मार्च 1998 को विभाग द्वारा अपील दायर की गई है।	उसके विरुद्ध 3,41,13,068/- रु. पहले ही जमा किया जा चुका है
	मुख्या.	02 / सीजीएसटी एवं सीईएक्स / उपायुक्त / 2017—18	2017	आयुक्त (अपील)	2,65,473 के लिए उच्च फोरम यानि आयुक्त अपील के पास अपील दायर	ग्राहक से वसूले गए लिकिविडिटी डैमेज पर सेवा कर के बचाव के लिए जुर्माना लगाने हेतु सहायक आयुक्त जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद, राँची, दक्षिणी डिविजन से मूल आदेश सं. 02 / जीएसटी एवं सीएक्स / सहायक आयुक्त / 2017—18 दिनांक—27.12.2018





सुरभी जैन, एसीएस (कंपनी सचिव)

एम. नं. : ए 45002
ई-मेल आईडी : sj@way2cprporates.in

सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट

मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(A) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के अनुसारण में]

सेवा में,

सदस्यगण,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.,
गोंदवाना प्लोस कॉके रोड, राँची, झारखण्ड-834008

हमने मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (इसके बाद इसे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा प्रयोज्य संविधिक प्रावधानों तथा अच्छे निगमित कार्य-कलाप (गुड कारपोरेट प्रैक्टिसेज) के अनुपालन का सचिवीय अंकेक्षण किया है। सचिवीय अंकेक्षण इस ढंग किया है, जिससे हमें निगमित कार्य-कलाप/ तथा इस पर अपनी राय देने के लिए तर्कसंगत आधार मिल सके।

कंपनी के हिसाब-किताब, दस्तावेज कार्यवृत्त पुस्तिका फार्म तथा दाखिल किए गए रिटर्न, कंपनी द्वारा रखी गई अन्य रिपोर्ट और इसके तहत दी गई जानकारी तथा यह भी कि कंपनी के पास इसके नीचे दी गई रिपोर्ट के कार्य पद्धति अनुसार उसी ढंग से तथा उस सीमा तक अनुपालन, (मेकानिज्म) तथा उचित बोर्ड की प्रक्रिया उपलब्ध है। हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लए मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (दि कंपनी) के रजिस्टर, रिकार्ड, पुस्तक एवं दस्तावेज का निम्नलिखित प्रावधान के अनुसार जाँच की है :

सुरभी जैन

कंपनी सचिव

फ्लैट नं. 401, पारस अपार्टमेंट

कोर्ट रोड, राँची 834001

फोन: 7209344224

ई-मेल: sj@way2cprporates.in

पैन:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके तहत बनाए गए नियम।
2. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।
3. संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन (अबोलिशन) अधिनियम, 1970।
4. भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन का विनियमन एवं सेवाशर्त) अधिनियम, 1996 एवं अन्य प्रयोज्य श्रमिक कानून।
5. लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी ओएम नं. 18 (8)/ 2005-जीएम, दिनांक 14 मई, 2010 के अनुसार केंद्रीय लोक उद्यम के लिए निगमित शासन पर दिशा-निर्देश।
6. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और इसके अंतर्गत अन्य पर्यावरणिक कानून एवं नियम।
7. कंपनी पर लागू अन्य अधिनियम एवं कानून।



CS सुरभी जैन, एसीएस (कंपनी सचिव)

एम. नं. : ए 45002

ई-मेल आईडी : sj@way2cprorates.in

सचिवीय अंकेक्षण इस ढंग से किया गया है कि वह हमें कम्पनी के निगमित आचार/सांविधिक अनुपालन को मूल्यांकित करने तथा उस पर अपनी राय देने का तर्क संगत आधार प्रदान करें।

I. हमारी राय में, हमारे द्वारा की गई जाँच, हमारे पास पेश अभिलेखों के सत्यापन तथा कंपनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) के प्रावधान एवं इसके तहत बनाए गए अधिनियम कंपनी के मेमोरेंडम तथा आर्टिकल ऑफ असोशिएशन, विशेषकर इसमें उल्लिखित प्रावधान का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रिया तथा अनुपालन मेकानिज्म जैसा चाहिए वैसा ही एवं सही ढंग में तथा इसके नीचे दी गई रिपोर्ट के अनुसार है :

1. अनेक सांविधिक रजिस्टरों तथा दस्तावेजों का रखरखाव और उसमें आवश्यक प्रविष्टि।
2. भाग 1 के तहत दिए गए निदेश के अनुसार तुलन-पत्र का फार्म, भाग-11 के अनुसार लाभ एवं हानि के विवरण, कंपनी अधिनियम की अनुसूची 3 में दिए गए निदेश के अनुसार इसे तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश।
3. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अधिकारियों एवं गैर-अधिकारियों, स्वतंत्र निदेशकों को मिलाकर पर्याप्त संतुलन कर निदेशक मंडल का गठन।
4. निबंधित कार्यालय एवं कंपनी के नाम का प्रकाशन।
5. अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार निर्धारित समय में कंपनी रजिस्ट्रार, झारखंड के पास अपेक्षित फार्म तथा रिटर्न दाखिल करना।

6. निदेशक मंडल तथा उनकी समितियों की बैठक बुलाना एवं आयोजित करवाना।
7. सोमवार 23 जून, 2017 को सदस्यों की 42वीं वार्षिक आम बैठक बुलाना एवं आयोजित करवाना।
8. लूज में सही ढंग से रिकार्ड किया हुआ वार्षिक आम बैठक, असाधारण आम बैठक तथा बोर्ड की समितियों की बैठक की कार्यवाही का रख-रखाव, जिसे नियमित अंतराल पुस्तक स्वरूप में बनाया जा रहा है।
9. लूज लिफ फार्म में विधिवत् दर्ज वार्षिक आम बैठक, असाधारण आम बैठक, बोर्ड की बैठक तथा बोर्ड की समितियों की बैठक की कार्यवाही का रख-रखाव, जिसे नियमित अंतराल पर बुक फार्म (पुस्तक के स्वरूप) में बनाया जा रहा है।
10. सांविधिक अंकेक्षकों, आंतरिक अंकेक्षकों तथा कॉस्ट आडिटरों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक।
11. अंकेक्षण समिति तथा नामिनेशन एवं रिस्यूनरेशन कमेटी का गठन एवं विचारार्थ विषय।
12. अपने सदस्यों एवं अंकेक्षकों की कंपनी द्वारा प्रलेखन की व्यवस्था (सर्विस)।
13. संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के तहत यथा विहित विभिन्न सांविधिक रिटर्न फाइल करना संवेदकों के रजिस्टर का रख-रखाव आदि से संबंधित सभी अनुपालनों के लिए वचनबद्धता (हलफनामा) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन का विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 1996 एवं अन्य प्रयोज्य कानून।



सुरभी जैन, एसीएस (कंपनी सचिव)

एम. नं. : ए 45002

ई-मेल आईडी : sj@way2cprorates.in

II. हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

- निदेशकों ने, जहाँ कहीं अपेक्षित हुआ है, अपने शेयर होल्डिंग तथा अन्य कम्पनियों में डायरेक्टरशीप तथा अन्य इटिटि में अपनी रुचि स्पष्ट की है तथा बोर्ड द्वारा उनकी रुचि को नोट तथा दर्ज किया गया है।
- निदेशकों ने अपनी नियुक्ति की पात्रता, अपने स्वतंत्र होने तथा निदेशकों एवं वरीय प्रबंधन कार्मिकों के कोड आफ कंडक्ट के अनुपालन के बारे में डिस्क्लोजर रिक्वारमेंट का अनुपालन किया है।
- विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी, इसके निदेशकों तथा अधिकारियों पर कोई अभियोजन (मुकदमा) शुरू नहीं किया है तथा न फाइन तथा पेनाल्टी लगाया गया है।
- कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन क्रिया—विधि (मेकानिज्म) के आधार पर तथा कंपनी सचिव एवं कंपनी के अनुपालन अधिकारी द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण—पत्र एवं अन्य प्रमाण—पत्र के आधार पर कंपनी के पास किसी प्रकार का अनुपालन लंबित नहीं है।।

प्रबंधन का दायित्व

- सचिवीय अभिलेख का रख—रखाव करना कंपनी का दायित्व है। हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार सचिवीय अभिलेखों पर राय (विचार) देना है।
- सचिवीय अभिलेख की विषय—वस्तु की परिशुद्धता के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमने उपयुक्त अंकेक्षण प्रचलन एवं प्रक्रिया का अनुसरण किया है। यह जाँच सह

सुनिश्चित करने के लिए जाँच के आधार किया है कि सचिवीय अभिलेख में प्रतिबिम्बित होता है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं प्रचलन से हमारी राय (विचार) बनाने के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

- हमने कंपनी अधिनियम के अनुपालन के अनुसार वित्तीय अभिलेख की जाँच की है।
- जब कभी अपेक्षित हुआ है, हमने कानून, नियम एवं अधिनियम, हुई घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन अभ्यावेदन / प्रमाणन प्राप्त किया है।
- निगमित शासन एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों विनियम मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है।
- सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता का जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्य व्यापार कार्यान्वित किया है।

प्रत्याख्यान (डिस्क्लेमर)

- हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड तथा लेखा प्रस्तिका की शुद्धता या औचित्य की जाँच नहीं की है।

वास्ते सुरभी जैन

(सुरभी जैन)

कंपनी सचिव

एसीएस नं.: 45022

सी.पी. नं.: 17016

स्थान : राँची

दिनांक : 14.05.2018

सचिवीय अंकेक्षक की टिप्पणी एवं प्रबंधन का स्पष्टीकरण

क्र. टिप्पणी
सं.

1. कंपनी के पास एक महिला निदेशक सहित 5 स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता है, लेकिन रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी के अपने बोर्ड में सिर्फ दो निदेशक हैं और महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है।

स्पष्टीकरण

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान तथा डीपीई के निशा—निर्देश के अनुसार एक महिला निदेशक सहत अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को कोयला मंत्रालय के साथ पत्राचार किया है।





वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

परिशिष्ट - VII



सं. 74 / सीए / एलए-III / एकट. / सीएमपीडीआई / 2016-17/ No. 74/CA/LA-III/Act./CMPDI/2017-18
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा पदेन सदस्य लेखा परीक्षा
बोर्ड-II कोलकाता

पुराना निजाम महल, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड,
कोलकाता- 700020

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF
COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER
AUDIT BOARD-II, KOLKATA

Date : 14/06/2018

सेवा में,
अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीचूट लिमिटेड,
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची— 834 008

विषय : 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीचूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।


महोदय,

मैं 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीचूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी इसके साथ अग्रसारित कर रहा हूँ।

कृपया इसकी प्राप्ति की सूचना दी (से अवगत कराया) जाए।

आपका विश्वासी

संलग्न : यथोक्त।



(रीणा साहा) 14/6/18

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 14 जून, 2018

व्यावसायिक अंकेक्षण के प्रधान निदेशक
एवं लेखा परीक्षा बोर्ड-II, कोलकाता के पदेन सदस्य

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड


भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विहित अंकेक्षण के मानकों के अनुसार अपने स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरण पर अपना विचार देने के लिए उत्तरदायी है। कहा गया है कि यह दिनांक 25.05.2018 के उनके अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड को वित्तीय विवरण के अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के तहत पूरक अंकेक्षण किया गया है। यह पूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्यकारी अभिलेख (वर्किंग पेपर) तक पहुँच (एक्सेस) के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह प्रथमतः सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कर्मियों की जाँच और कुछ चयनित लेखा अभिलेखों के परीक्षण तक सीमित है। हमारे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिस पर सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक टिप्पणी देना अपेक्षित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से एवं वास्ते



(रीणा साहा)
14/6/18

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 14 जून, 2018

व्यावसायिक अंकेक्षण के प्रधान निदेशक

एवं लेखा परीक्षा बोर्ड-II, कोलकाता के पदेन सदस्य





वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

परिशिष्ट - VIII

अनुच्छेद 188 (1) के तहत संबंधित पार्टियों के साथ संविदा या व्यवस्था

फार्म संख्या एओसी - 2

(अधिनियम की धारा 134 की उप धारा (3) के खण्ड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) में उद्भूत सम्बद्ध पार्टियों तथा उसके तृतीय परन्तुक के तहत आर्म लेन्थ ट्रान्जक्शन के साथ कंपनी द्वारा किए गए संविदा/व्यवस्था के विवरण के स्पष्टीकरण के लिए फार्म।

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	वैसे संविदा व्यवस्था या लेन-देन का ब्यौरा जो आर्मलेन्थ बेसिस पर न हो	शून्य
क)	संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध की प्रकृति	
ख)	संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	
ग)	संविदा/व्यवस्था/लेन-देन की अवधि	
घ)	मूल्य सहित संविदा/व्यवस्था/लेन-देन की प्रमुख शर्त टर्म	
ङ.)	इस प्रकार के संविदा या व्यवस्था या लेन-देन करने का औचित्य	
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	
छ)	अग्रिम, यदि कोई हो, के रूप में भुगतान की गई रकम	
ज)	धारा 188 के पहले परन्तुक के तहत यथा अपेक्षित रकम आम बैठक द्वारा पारित विशेष संकल्प की तिथि	
2.	आर्मस लेन्थ आधार पर महत्वपूर्ण (मेटेरियल) संविदा, व्यवस्था या लेन-देन का ब्यौरा	परिशिष्ट 'ए' के अनुसार
क)	संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध की प्रकृति	
ख)	संविदा/व्यवस्था/लेन-देन की प्रकृति	
ग)	संविदा/व्यवस्था/लेन-देन की अवधि	
घ)	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा या व्यवस्था या लेन-देन की प्रमुख शर्त	
ङ.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो,	
च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो,	

ग्रूप के भीतर संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन

सरकार से संबंधित इन्टीटी होने के नाते कंपनी को संबंधित पार्टी लेन-देन के बारे में सामान्य स्पष्टीकरण अपेक्षा तथा एक ही सरकार के अधीन नियंत्रक सरकार तथा अन्य इंटीटी के पास बकाया शेष से छूट है।

इंड एस 24 के अनुसार बड़े (महत्वपूर्ण) की प्रकृति तथा रकम के बारे में स्पष्टीकरण इस प्रकार है।

(करोड़ रु. में)

कंपनी का नाम	संबंध की प्रकृति	विवेच्य वर्ष के दौरान लेन-देन की रकम	लेन-देन की प्रकृति
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अधीन	119.26	बिक्री
भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अधीन	36.05	बिक्री
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अधीन	106.45	बिक्री
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अधीन	146.61	बिक्री
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अधीन	89.01	बिक्री
साउथ कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अधीन	390.48	बिक्री
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अधीन	72.95	बिक्री
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अधीन	3.07	बिक्री
कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल	100% होलिंडग	7.14	बिक्री
	सकल योग	971.02	





वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा विवरण 2017-18

परिशिष्ट - IX

31.3.2018 की तिथि को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग का परिशिष्ट कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक), नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 5(2) के अनुसार सूचना।

क्र.सं.	नाम	पदनाम/कार्य की प्रकृति	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रु.)	नियुक्ति की प्रकृति स्थाई/अस्थाई	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	प्रारंभ की तिथि	31.3.2015 को उम्र (वर्ष)	अंतिम नियोजन	धरित इकिवटी शेयर का %	क्या निदेशक/प्रबंधक से संबंधित है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(अ)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित तथा उस वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त सकल पारिश्रमिक जो 1,02,00,000/-रु. से कम नहीं था।				शून्य						
(ब)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियुक्त एवं वित्तीय वर्ष के लिए संपूर्ण योग के दर पर प्राप्त पारिश्रमिक जो 8,50,000/-रु. से कम नहीं था।				शून्य						
(स)	पूरे वित्तीय वर्ष या उसके भाग के दौरान नियोजित एमडी/डब्ल्यूटीडी/मैनेजर द्वारा मिलने वाले पारिश्रमिक से अधिक की प्राप्ति तथा जिसके पास कंपनी की इकिवटी शेयर का 2% से अधिक नहीं था।				शून्य						

परिशिष्ट - X

सीएसआर रिपोर्ट का परिशिष्ट

2017-18 में सीएसआर पर किया गया कुल व्यय

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के 2 प्रतिशत के नियमानुसार (विगत तीन वर्षों के निबल औसत लाभ का 2 प्रतिशत) सीएसआर बजट 98.27 लाख रु. था। सीएमपीडीआई के व्यापक (विस्तृत) नेटवर्क को देखते हुए बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सीएसआर का बजट बढ़ाकर 150 लाख कर दिया गया। सीएसआर पर वित्तीय वर्ष 2017-18 पर किया गया वास्तविक खर्च 137.40 लाख रु. था।

वर्ष 2017-18 के लिए सीएसआर बजट तथा व्यय

ईकाई	बजट (लाख रु. में)	वास्तविक व्यय (लाख रु. में)
मुख्यालय, राँची	51.01	50.04
क्षेत्रीय संस्थान-1, आसनसोल	11.00	10.99
क्षेत्रीय संस्थान-2, धनबाद	4.99	4.91
क्षेत्रीय संस्थान-3, राँची	10.00	8.83
क्षेत्रीय संस्थान-4, नागपुर	21.00	18.95
क्षेत्रीय संस्थान-5, बिलासपुर	21.00	14.99
क्षेत्रीय संस्थान-6, सिंगरौली	8.00	7.97
क्षेत्रीय संस्थान-7, भुवनेश्वर	23.00	20.72
कुल	150.00	137.40

*सीएसआर बजट 120 लाख रु. मात्र तक ही सीमित है।

सीएसआर पर थेमेटिक क्षेत्रवार व्यय

क्र.सं.	कार्य	वास्तविक व्यय (लाख रु. में)
1	शिक्षा	71.24
2	आधारभूत संरचना	19.12
3	जलापूर्ति	2.30
4	स्वास्थ्य	4.00
5	महिला सशक्तिकरण / कौशलविकास	15.73
6	सामाजिक विकास	11.26
7	सस्टेनिबिलिटी	1.35
8	स्वच्छता कार्यवाई योजना सहित अन्य	12.41
10	कुल	137.40

सीएसआर के तहत किए गए कार्य सीएसआर के उद्देश्य के अनुपालन के अनुरूप हैं तथा कंपनी की नीति तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद VII, धारा 135 के अनुरूप हैं।


अध्यक्ष
सीएसआर समिति


अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक



वार्षिक प्रतिवेदन

2017-18



सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन पत्र

(करोड़ रु. में)

टिप्पणी सं.	वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकड़े	
	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
परिसंपत्तियाँ		
गैर-चालू परिसंपत्ति		
(क) प्रोपर्टी, संयंत्र एवं उपकरण	3	145.42
(ख) चालू पूंजीगत कार्य	4	45.85
(ग) गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति	5	-
(घ) इनटेनजिबल परिसम्पत्ति	6	1.81
(ङ.) विकास के तहत इंटेनजिबल परिसंपत्ति		2.23
(च) निवेश प्रॉपर्टी		
(छ) वित्तीय परिसंपत्ति		
(i) निवेश	7	-
(ii) ऋण	8	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	9	1.16
(ज) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)		128.93
(झ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	10	8.84
कुल गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ (क)		332.01
चालू परिसंपत्तियाँ		310.27
(क) वस्तु सूची	12	8.43
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ		9.38
(i) निवेश	7	-
(ii) पेशागत वसूली	13	611.38
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	14	179.27
(iv) अन्य बैंक शेष	15	-
(v) ऋण	8	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	89.80
(ग) चालू कर परिसंपत्ति (निबल)		150.29
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	276.81
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ (ख)		1,165.69
कुल परिसंपत्तियाँ (क+ख)		1,497.70
इकिविटि एवं देयताएँ		1,130.30
इकिविटि		
(क) इकिविटि शेयर कैपिटल	16	38.80
(ख) अन्य इकिविटि	17	296.45
कंपनी के शेयरहोल्डर को इकिविटि एट्रीब्यूटेबल		334.53
नन-कंट्रोलिंग इंटरेस्ट		-
कुल इकिविटि (क)		334.53
1,130.30		254.43





वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन पत्र

(करोड़ रु. में)

टिप्पणी सं.	वर्ष की समाप्ति के अनुसार ऑकड़े <u>31.03.2018 के अनुसार</u>	वर्ष की समाप्ति के अनुसार ऑकड़े <u>31.03.2017 के अनुसार</u>
देयताएँ		
गैर-चालू देयताएँ		
(क) वित्तीय देयताएँ		
(i) उधारी	18	-
(ii) पेशागत देय (यदि कोई हो)		
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	62.10
(ख) प्रावधान	21	243.52
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (निबल)		49.62
(घ) अन्य गैर चालू देयताएँ	22	224.16
कुल गैर चालू देयताएँ (ख)		
कुल गैर चालू देयताएँ	305.62	273.79
चालू देयताएँ		
(क) वित्तीय देयताएँ		
(i) उधारी	18	-
(ii) पेशागत देय	19	1.31
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	33.56
(ख) अन्य चालू देयताएँ	23	297.30
(ग) प्रावधान	21	308.86
(घ) चालू कर देयताएँ (निबल)		263.74
कुल चालू देयताएँ (ग)	216.52	150.87
कुल चालू देयताएँ	857.55	602.09
कुल इकिवटि एवं देयताएँ (क+ख+ग)	1497.70	1130.30

इसके साथ संलग्न टिप्पणियाँ एवं टिप्पणी 1, 2 तथा 38 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

(ए. मुंधरा)
कम्पनी सचिव

(एन.एन. ठाकुर)
महाप्रब्रधक (वित्त)

(बी.एन. शुक्ला)
निदेशक
डीआईएन-07367625

(शेखर सरन)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध
निदेशक
डीआईएन-06607551

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते के.सी.टाक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000216C

(सीए अनिल जैन)
पार्टनर

सदस्यता संख्या : 079005

तिथि : 25 मई, 2018
स्थान : राँची

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

लाभ-हानि विवरण 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(करोड़ रु. में)

	टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2017
परिचालन से राजस्व			
क बिक्री (निबल)	24	1154.75	930.52
ख अन्य परिचालन राजस्व (निबल)		-	-
(I) परिचालन से राजस्व (क+ख)		1154.25	930.52
(II) अन्य आय	25	15.09	15.47
(III) कुल आय (I+II)		1169.84	945.99
(IV) खर्च			
उपभोग्य सामग्रियों की लागत	26	25.92	26.65
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद			
समाप्त सामग्रियों की वस्तु-सूची में बदलाव/चालू कार्य और पेशागत भंडार उत्पाद कर	27		-
उत्पाद शुल्द			
कर्मचारी सुविधा पर व्यय	28	566.88	481.75
विद्युत एवं इंधन		3.22	3.30
निगमित सामाजिक दायित्व खर्च	29	1.18	1.02
मरम्मती	30	21.19	23.18
संविदात्मक व्यय	31	346.95	271.07
वित्तीय लागत	32	0.25	0.31
मूल्यहास/एमोरटाइजेशन/इम्पेयरमेंट व्यय		20.39	21.21
प्रावधान	33	0.27	0.13
राइट आफ	34		
अन्य व्यय	35	62.77	52.79
कुल व्यय (IV)		1049.02	881.41
(V) अपवादात्मक मद के पूर्व लाभ एवं कर (III-IV)		120.82	64.58
(VI) अपवादात्मक मद			-
(VII) कर पूर्व लाभ (V-VI)		120.82	64.58
(VIII) कर खर्च	36	39.99	24.94
(IX) कन्टीन्यूर्ड परिचालन की अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)		80.83	39.64
(X) डिस्कंटीन्यूड परिचालन से लाभ/(हानि)			-
(XI) डिस्कंटीन्यूड परिचालन का कर खर्च			-
(XII) डिस्कंटीन्यूड परिचालन (कर पश्चात)(X-XI) से लाभ/(हानि)			-
(XIII) जेवी/एसोसिएट के लाभ/(हानि) में शेयर			-
(XIV) अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)		80.83	39.64
अन्य विस्तृत आय	37		
क. i) वैसा मद जिसे लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया गया हो।		35.69	(2.70)
ii) मद से संबंधित आयकर जिसे लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया गया हो।			



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

लाभ-हानि विवरण 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(करोड़ रु. में)

	टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018 (अंकेक्षित)	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2017 (अंकेक्षित)
ख. (i) पैसा मद से लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया हो।			
(ii) मद से संबंधित आयकर जिसे लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया हो।		12.35	(0.93)
(XV) कुल अन्य विस्तृत आय		23.34	(1.77)
(XVI) कुल विस्तृत आय अवधि के लिए (XIV+XV) (कंप्राइजिंग लाभ (हानि) एवं अन्य विस्तृत आय अवधि के लिए लाभ के लिए श्रेय :		104.17	37.87
कंपनी का मालिक :		80.83	39.64
अनियंत्रित ब्याज :		80.83	39.64
कुल विस्तृत आय के लिए श्रेय :			
कंपनी का मालिक :		104.17	37.87
अनियंत्रित ब्याज :		104.17	37.87
(XVII) प्रति इकिवटी शेयर आय (कनटिन्यूईंग ऑपरेशन के लिए):			
(1) बेसिक		2,122.64	1,040.97
(2) डाइल्यूटेड		2,122.64	1,040.97
(XVIII) प्रति इकिवटी शेयर आय (डिसकनटिन्यूड ऑपरेशन के लिए):			
(1) बेसिक		-	-
(2) डाइल्यूटेड		-	-
(XIX) प्रति इकिवटी शेयर आय (डिसकनटिन्यूड एवं कनटिन्यूईंग ऑपरेशन के लिए):			
(1) बेसिक		2,122.64	1,040.97
(2) डाइल्यूटेड		2,122.64	1,040.97

इसके साथ संलग्न टिप्पणियाँ एवं टिप्पणी 1, 2 तथा 38 वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

(ए. मुंध्रा)
कम्पनी सचिव

(एन.एन. ठाकुर)
महाप्रब्रधक (वित्त)

(बी.एन. शुक्ला)
निदेशक
डीआईएन-07367625

(शेखर सरन)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध
निदेशक
डीआईएन-06607551

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते के.सी. टाक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000216C

पार्टनर

सदस्यता संख्या : 079005

तिथि : 25 मई, 2018
स्थान : राँची

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

नकद प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि) 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए

(करोड़ रु. में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन क्रिया-कलापों द्वारा नकद प्रवाह :		
कर से पूर्व कुल विस्तृत आय समायोजन के लिए :	156.51	61.88
मूल्यहास और अचल परिसंपत्तियों की क्षति	20.31	20.94
बैंक जमा से ब्याज	(10.43)	(11.25)
वित्तीय लागत	0.25	0.31
निवेश से ब्याज / लाभांश	-	-
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि	(0.06)	(0.14)
अन्य गैर-ऑपरेटिंग आय	(4.60)	(4.08)
अवधि के रौरान देयता वापस लाया	-	-
अग्रिम स्ट्रीपिंग एक्टीविटी समायोजन	-	-
चालू / गैर-चालू संपत्तियाँ एवं देयताएँ से पहले का	162.20	67.66
परिचालन लाभ समायोजन के लिए :		
पेशागत प्राप्य	283.73	(79.41)
इन्वेन्ट्रीज	0.95	(1.97)
लघु / दीर्घकालिन ऋण / अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	30.10	(4.10)
लघु / दीर्घकालिन देयताएँ एवं प्रावधान	287.30	17.93
परिचालन से उत्पन्न नकद	196.82	0.11
आयकर भुगतान / रिफंड	(52.34)	(24.01)
ब्याज भुगतान	(0.25)	(0.31)
परिचालन क्रिया-कलापों से निबल नकद प्रवाह (क)	144.23	(24.21)
ख. निवेश क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(33.16)	(40.04)
परिसंपत्ति की बिक्री से आय	0.06	0.17
अन्य दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम (पूँजी अग्रिम)	-	-
फिकर्ड डिपॉजिट / सब्सिडियरी के लिए ऋण पर ब्याज प्राप्त	10.43	11.25
अन्य गैर-परिचालित आय	4.60	4.08
बैंक जमा में निवेश	-	-
निवेश में बदलाव	-	-
संयुक्त उद्यम में निवेश	-	-
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज	-	-
निवेशों से ब्याज / लाभांश	-	-
निवेश क्रिया-कलापों से निबल नकद प्रवाह (ख)	(18.07)	(24.54)



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

ग. फाइनेंसिंग क्रिया-कलाप से नकदी प्रवाह

अल्पकालिक उधार/सरकारी अनुदान से सुरुआत	(0.60)	1.63
उधार का पुनर्भुगतान	-	-
फाइनेंसिंग क्रिया-कलापों से संबंधित ब्याज और वित्तीय लागत	-	-
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि की रसीद	-	-
लाभांश और लाभांश कर	(23.47)	-
इकिवटी शेयर पूँजी को वापस खरीदना	-	-
फाइनेंसिंग क्रिया-कलाप में इस्तेमाल होने वाला निबल	(24.07)	1.63
नकद (ग)	102.09	(47.12)
नकद और बैंक बैंलेंस में निबल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)	77.18	124.30
वर्ष के शुरुवात में नकद और नकदी के समांतर (संदर्भ टिप्पणी 14 नकद के घटक और नकदी के समांतर के लिए)	179.27	77.18
वर्ष के अंत में नकद और नकदी के समांतर (संदर्भ टिप्पणी 14 नकद के घटक और नकदी के समांतर के लिए)		

(ब्रैकेट में सभी आँकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करता है)

(ए. मुंद्रा)
कम्पनी सचिव

(एन.एन. ठाकुर)
महाप्रब्रह्मक (वित्त)

(बी.एन. शुक्ला)
निदेशक
डीआईएन-07367625

(शेखर सरन)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध
निदेशक
डीआईएन-06607551

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते के.सी.टाक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000216C

(सी.ए. अनिल जैन)
पार्टनर

सदस्यता संख्या : 079005

तिथि : 25 मई, 2018

स्थान : राँची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

31.3.2018 को समाप्त वर्ष के लिए विवरी में परिवर्तन का विवरण

क. इविवरी शेयर पूँजी

विवरण	01.04.2016 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इविवरी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2017 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इविवरी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2017 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इविवरी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2017 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इविवरी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2017 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इविवरी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2017 के अनुसार शेष
1000 रु. प्रत्येक 3,80,800 इविवरी शेयर के	19.04	-	19.04	-	19.04	19.04	19.04	19.04	19.04	19.04	38.08

ख. अन्य इविवरी

वरीयता प्राप्त शेयर का इविवरी हिस्सा	अन्य कैपिटल रिडेस्ट्रेशन रिजर्व	अन्य कैपिटल रिजर्व	सामान्य भंडार	अन्य व्यापक आमदारी	प्रतिथारित कमाई	कुल गैर-नियन्त्रित ब्याज	इकिवरी
01.04.2016 के अनुसार शेष	-	18.17	-	5.77	14.83	157.44	196.21
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन लेखांकन नीति में परिवर्तन या अवधि पूर्व त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2016 के अनुसार पूर्व घोषित शेष	-	18.17	-	5.77	14.83	157.12	195.89
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	2.32	-	-	-	2.32	2.32
वर्ष के दौरान समायोजन	-	(0.69)	-	-	-	(0.69)	(0.69)
वर्ष के दौरान लाभ परिणामित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (नीबल कर)	-	-	-	-	-	39.64	-
विनियोग	-	-	-	-	(1.77)	-	-
सामान्य भंडार में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-
अन्य भंडार में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश कॉर्पोरेट लाभांश कर प्री-ऑपरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2017 के अनुसार शेष	-	19.80	-	5.77	13.06	196.76	235.39
01.04.2017 के अनुसार शेष	-	19.80	-	5.77	13.06	196.76	235.39
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	0.39	-	4.04	-	4.43	4.43
वर्ष के दौरान समायोजन	-	(0.99)	-	-	-	(0.99)	(0.99)
लेख्यांकन नीति में बदलाव या अवधि पूर्व त्रिटिया	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	-	-	-	-
परिस्थापित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (नीबल कर)	-	-	-	-	-	-	-
<u>विविधोग</u>	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य भंडार में/स्थानांतरण	-	-	-	-	-	(4.04)	(4.04)
अन्य भंडार में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	(19.50)	19.50
बोनस	-	-	-	-	-	(13.27)	(19.04)
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	(3.97)	(3.97)
प्री-ऑपरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 के अनुसार शेष	-	19.20	-	4.04	36.40	236.81	296.45
							296.45

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ टिप्पणी 3 : परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड रु. में)

निवाल वहनीय राशि :	पूर्व स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	संयंत्र और उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर एवं फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	हवाई जहाज	अन्य खनन आधारभूत संरचना	परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया	(टिप्पणी में निर्दिष्ट करें)	कुल	
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार जोड़कर हटाकर / समायोजन	1.15	1.34	-	29.63 17.65 0.17	56.52 34.62 (0.91)	0.15 0.05 -	8.16 0.62 (0.11)	0.62 0.41 0.01	8.06 1.37 (0.25)	0.71 0.23 (0.24)	-	106.34 54.95 (1.33)	-	
31 मार्च, 2017 के अनुसार 1 अप्रैल, 2017 के अनुसार जोड़कर हटाकर / समायोजन	1.15	1.34	-	47.45	90.23	0.20	-	8.67	1.04	9.18	-	0.70	-	159.96
31 मार्च, 2018 के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 के अनुसार जोड़कर हटाकर / समायोजन	1.15	1.43	-	48.07	119.03	0.29	-	8.67	1.04	9.18	-	0.70	-	159.96
सर्वित मूल्यहास और क्षति 1 अप्रैल, 2016 के अनुसार वर्ष के दोषान चार्ज क्षति हटाकर / समायोजन	0.03 - 0.02	1.04 1.63 15.07	-	6.21 - 0.02	-	-	-	1.23	0.74	0.74	-	-	-	9.25 19.97
31 मार्च, 2017 के अनुसार 1 अप्रैल, 2017 के अनुसार वर्ष के दोषान चार्ज क्षति हटाकर / समायोजन	0.04 - (0.01)	2.67 - -	20.68	0.02 - (0.60)	-	-	-	1.13	0.34 (0.27)	1.76 0.01 (0.08)	-	-	-	(0.95)
31 मार्च, 2018 के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 के अनुसार वर्ष के दोषान चार्ज क्षति हटाकर / समायोजन	0.07	-	4.06	35.27	0.05	-	-	3.20	0.71	3.76	-	-	-	28.27
नेट कोरिंग एमाउन्ट 31 मार्च, 2018 के अनुसार 31 मार्च, 2017 के अनुसार	1.15 1.15	1.36 1.30	-	44.01 44.78	83.76 69.55	0.24 0.18	-	6.91 6.58	1.09 0.69	6.22 6.76	-	-	-	145.42 131.69

टिप्पणी :

- कंपनी लेखा नीति के अनुसार मूल्यहास प्रदान किया गया है। (टिप्पणी संख्या 2 देखें)
- अन्य भूमि में क्षेत्रीय संरचना-7 का रु. 1.30 करोड़ (नेट कोरिंग एमाउन्ट) का लीज होल्ड शामिल है। इसके लिए 90 वर्ष का लीज अवधि है, जो नवीनीकरण विकल्प के साथ 18.07.1990 और 04.01.2011 से लागू होगा।



सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 4 : पूँजी डब्ल्यूआईपी

(करोड़ रु. में)

	इमारत (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन आधारभूत संरचना / विकास	अन्य (टिप्पणी में निर्दिष्ट करें)	कुल
निबल वहनीय राशि						
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	21.72	39.72	-	-	-	61.44
जोड़कर	10.31	25.32	-	-	-	35.63
पूँजीवाद / हटाकर	(17.74)	(32.80)	-	-	-	(50.54)
31 मार्च, 2017 के अनुसार	14.29	32.24	-	-	-	46.53
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	14.29	32.24	-	-	-	46.53
जोड़कर	5.35	12.31	-	-	-	17.66
पूँजीवाद / हटाकर	(0.88)	(17.46)	-	-	-	(18.34)
31 मार्च, 2018 के अनुसार	18.76	27.09	-	-	-	45.85
प्रावधान और क्षति						
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान चार्ज	-	-	-	-	-	-
क्षति	-	-	-	-	-	-
हटाकर / समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान चार्ज	-	-	-	-	-	-
क्षति	-	-	-	-	-	-
हटाकर / समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
नेट कैरिंग एमाउन्ट						
31 मार्च, 2018 के अनुसार	18.76	27.09	-	-	-	45.85
31 मार्च, 2017 के अनुसार	14.29	32.24	-	-	-	46.53

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 5 : गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	गवेषण एवं मूल्यांकन लागत
सकल वहनीय राशि :	
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	-
जोड़कर	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2017 के अनुसार	-
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	-
जोड़कर	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2018 के अनुसार	-
संचित प्रावधान और क्षति	
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	-
वर्ष के दौरान चार्ज	-
क्षति	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2017 के अनुसार	-
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	-
वर्ष के दौरान चार्ज	-
क्षति	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2018 के अनुसार	-
नेट कैरिंग एमाउन्ट	
31 मार्च, 2018 के अनुसार	-
31 मार्च, 2017 के अनुसार	-



सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 6 : अन्य इन्टेंजिबल परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य (टिप्पणी में उल्लेखित)	कुल
सकल वहनीय राशि :			
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	4.82	-	4.82
जोड़कर	1.31	-	1.31
हटाकर / समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2017 के अनुसार	6.13	-	6.13
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	6.13	-	6.13
जोड़कर	1.26	-	1.26
हटाकर / समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2018 के अनुसार	7.39	-	7.39
संचित ऋणपरिशोधन और क्षति			
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	1.97	-	1.97
वर्ष के दौरान चार्ज	1.93	-	1.93
क्षति	-	-	-
हटाकर / समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2017 के अनुसार	3.90	-	3.90
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	3.90	-	3.90
वर्ष के दौरान चार्ज	1.66	-	1.66
क्षति	-	-	-
हटाकर / समायोजन	0.02	-	0.02
31 मार्च, 2018 के अनुसार	5.58	-	5.58
नेट कैरिंग एमाउन्ट			
31 मार्च, 2018 के अनुसार	1.81	-	1.81
31 मार्च, 2017 के अनुसार	2.23	-	2.23

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 7 : निवेश

(करोड़ रु. में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
गैर-चालू		
शेयर में निवेश	-	-
संयुक्त उद्यम कंपनियों में इकिवटी शेयर	-	-
अन्य निवेश	-	-
सुरक्षित बॉंड में	-	-
को ऑपरेटिव शेयर में	-	-
कुल	-	-
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-
निवेश की मूल्य में क्षति की कुल राशि	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 7 निवेश (जारी.....)

(करोड़ रु. में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
चालू		
म्यूचुअल फंड निवेश	-	-
यूटीआई म्यूचुअल फंड	-	-
यूटीआई लिकिवड कैश प्लान	-	-
एलआईसी म्यूचुअल फंड	-	-
एसबीआई म्यूचुअल फंड	-	-
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड	-	-
यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड	-	-
बीओआई एएक्सए म्यूचुअल फंड	-	-
कुल	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-
निवेश की मूल्य में क्षति की कुल राशि	-	-



सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 8 : ऋण

(करोड़ रु. में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
गैर-चालू संबंधित पार्टियों को ऋण	-	-
- प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
- अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
- संदिग्ध	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कर्मचारियों को ऋण	-	-
- प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	0.02
- अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
- संदिग्ध	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	0.02
अन्य ऋण	-	-
- प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
- अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
- संदिग्ध	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कुल वर्गीकरण	-	0.02
प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
संदिग्ध	-	-
चालू संबंधित पार्टियों को ऋण	-	-
- प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
- अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
- संदिग्ध	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कर्मचारियों को ऋण	-	-
- प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
- अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
- संदिग्ध	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
अन्य ऋण	-	-
- प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
- अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
- संदिग्ध	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कुल वर्गीकरण	-	-
प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
संदिग्ध	-	-

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी-9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	<u>31.03.2018 के अनुसार</u>	<u>31.03.2017 के अनुसार</u>
गैर चालू		
बैंक जमा	-	-
निम्नलिखित के तहत बैंक के पास जमा	-	-
- माइन क्लोजर प्लान	-	-
- स्थानान्तरण एवं पुनर्वास निधि योजना	-	-
माइन क्लोजर खर्च के लिए एस्क्रो एकाउन्ट से वसूली योग	0.91	0.76
अन्य जमा '	0.04	0.04
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	0.87	0.72
अन्य वसूली योग्य	0.29	0.43
घटाकर : प्रावधान	-	-
	0.29	0.43
कुल	<u>1.16</u>	<u>1.15</u>
चालू		
कोल इंडिया के पास सरप्लस फंड	-	-
माइन क्लोजर खर्च के लिए एस्क्रो एकाउन्ट से वसूली योग	-	-
निम्नलिखित के पास चालू खाता	-	-
- कोल इंडिया लिमिटेड	79.47	128.59
- अनुषंगी कंपनियाँ	-	-
- आईआईसीएम	-	-
निम्नलिखित से प्राप्त व्याज	-	-
- निवेश	-	-
- बैंक जमा	2.39	2.79
- अन्य (टिप्पणी में उल्लेखित)	-	-
अन्य जमा '	-	-
घटाकर : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	-
प्राप्य दावे	5.95	5.97
घटाकर : संदिग्ध दावे के लिए प्रावधान	-	-
	5.95	5.97
अन्य वसूली योग्य	1.99	12.94
घटाकर : संदिग्ध दावे के लिए प्रावधान	-	-
	1.99	12.94
कुल	<u>89.80</u>	<u>150.29</u>
टिप्पणी : निम्नलिखित अन्य जमा		

	<u>31.03.2018</u>	<u>31.03.2017</u>
गैस कंपनी एवं अन्य को जमा	0.03	0.03
विद्युत कंपनी को जमा	0.72	0.56
पीएडटी जमा	0.07	0.07
सुरक्षा जमा देय	0.09	0.09
कुल	0.91	0.76



सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी -10 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(i) अग्रिम पूँजी	8.36	13.00
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	<hr/> 8.36	<hr/> 13.00
(ii) अग्रिम पूँजी के अलावे अग्रिम		
(क) युटिलिटी के लिए प्रतिभूति जमा	-	-
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	<hr/> -	<hr/> -
(ख) अन्य जमा	-	-
घटाकर : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	-
	<hr/> -	<hr/> -
(ग) पार्टी से संबंधित अग्रिम	-	-
(घ) राजस्व के लिए अग्रिम	0.48	0.03
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	<hr/> 0.48	<hr/> 0.03
(ड.) पूर्व प्रदत्त व्यय	-	-
	<hr/> -	<hr/> -
(च) अन्य	-	-
कुल	<hr/> 8.84	<hr/> 13.03

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

	(करोड़ रु. में)	
	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(क) पूँजी के लिए अग्रिम (वस्तुएँ और सेवाएँ)	0.40	0.85
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	0.03	0.03
	0.37	0.82
(ख) राजस्व के लिए अग्रिम	243.62	243.92
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	-	-
	243.62	243.92
(ग) पार्टी से संबंधित अग्रिम	-	-
(घ) पार्टियों से संबंधित अग्रिम	-	-
	-	-
(ड.) कर्मचारियों को अग्रिम	2.01	4.83
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	2.01	4.83
(च) जमा अन्य "	0.07	0.07
घटाकर : प्रावधान	0.05	0.05
	0.02	0.02
		5.49
(इ) प्राप्तियोग्य सीनवेट/वेट क्रेडिट	30.79	
(ज) प्राप्तियोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट		
(झ) मैट क्रेडिट इनटाइटलमेंट	-	
(ज) पूर्व प्रदत्त व्यय	-	0.45
(ट) प्राप्तियोग्य अन्य	-	
घटाकर : प्रावधान	-	
	-	
(ठ) ओबीआर एडवान्स स्ट्रिपिंग		
कुल	276.81	355.53

टिप्पणी : अन्य जमा एवं अग्रिम में निम्नलिखित शामिल है :

1.(च) अग्रिम - अन्य*

	31.03.2018	31.03.2017
अग्रिम (एक्सए)'	0.33	0.18
स्थायी अग्रदाय	-	-
अग्रिम भुगतान	0.01	-
स्थायी अग्रिम	-	-
एल.टी.सी. अग्रिम	0.09	0.09
टी.ए. (अधिकारी)	0.25	0.26
टी.ए. (स्टाफ)	1.01	0.40
टी.ए. अग्रिम (देश से बाहर)	0.02	0.02
चिकित्सा अग्रिम	0.29	0.68
कोल इंडिया दिल्ली	-	0.21
कोल इंडिया हैदराबाद एवं अन्य	0.01	0.02
अन्य	-	2.97
कुल	2.01	4.83

1.(ज) जमा - अन्य**

एक्स-कोल बोर्ड एवं अन्य	0.07	0.07
कुल	0.07	0.07



सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 12 : वस्तु सूची

(करोड़ रु. में)

	<u>31.03.2018 के अनुसार</u>	<u>31.03.2017 के अनुसार</u>
(क) कोयले का भंडार विकास के तहत कोयला घटाकर : प्रावधान कोयले के भंडार (निबल)	-	-
	-	-
	-	-
(ख) भंडारों एवं पार्टपूर्जों (लागत पर) का स्टॉक जोड़कर : मार्गस्थ स्टोर घटाकर : प्रावधान स्टोर एवं स्पेयर (लागत पर) का निबल स्टॉक	8.65 0.41 0.63 8.43	9.42 0.56 0.60 9.38
(ग) सेंट्रल अस्पताल में दवा का स्टॉक	-	-
(घ) कार्यशाला कार्य कार्य जारी एवं फिनिशड गुड्स घटाकर : प्रावधान वर्कशाप जॉक्स का नेट स्टॉक	-	-
	-	-
	-	-
(ङ.) प्रेस जॉब कार्य जारी एवं फिनिशड गुड्स	-	-
	-	-
	8.43	9.38

टिप्पणी 13 : पेशागत प्राप्ति

(करोड़ रु. में)

31.03.2018 के अनुसार 31.03.2017 के अनुसार

चालू

पेशागत प्राप्ति

—प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
—अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	611.38	327.65
—संदिग्ध	2.73	2.50
	614.11	330.15

घटाकर : ढूबंत एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान

2.73

2.50

कुल

वर्गीकरण

प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	614.11	330.15
अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	2.73	2.50



सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 14 : नकद और नकद समतुल्य

(करोड़ रु. में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(क) बैंक के पास शेष		
- जमा लेखा में	89.34	1.37
- चालू लेखा में	89.90	75.55
- नकद क्रेडिट लेखा में	-	-
(ख) भारत के बाहर बैंक शेष	-	-
(ग) हाथे चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प	0.0 1	0.19
(घ) पास में नकद	0.02	0.07
(ङ) भारत से बाहर के पास में नकद	-	-
(च) अन्य	-	-
कुल नकद और नकद समतुल्य	1 79.27	77.18
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
कुल नकद और नकद समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल)	179.27	77.18

टिप्पणी 15 : अन्य बैंक शेष

(करोड़ रु. में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
बैंक के पास शेष		
- जमा लेखा	-	-
- माइन क्लोजर प्लान	-	-
- स्थानान्तरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-
- शेयर के बाईबैक के लिए एस्क्रो लेखा	-	-
- अदेय लाभांश लेखा	-	-
- लाभांश लेखा	-	-
कुल	-	-



सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 16 : इकिवटि शेयर पूँजी

(करोड़ रु. में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
अधिकृत		
1000/-प्रति इकिवटि शेयर वाले 5,00,000 विवटी शेयर	50.00	50.00
	50.00	50.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता पूँजी		
(कोल इंडिया लिमिटेड, नियंत्रक कंपनी तथा इसके नामिती)		
पूर्ण नकद अदायकृत प्रत्येक 1000/-रु. के 8 इकिवटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000/-रु. के 8 इकिवटी शेयर)	-	-
नकदी से भिन्न प्राप्त प्रति मूल्य के लिए पूर्णतः चुकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000/-रु. के 275792 इकिवटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000/-रु. के 85392 इकिवटी शेयर)	27.58	8.54
ऋण को इकिवटी में बदलकर नियंत्रक कंपनी के नकद हेतु पूर्णतः चुकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000/-रु. क 105000 इकिवटि शेयर	10.50	10.50
कुल	38.08	19.04

1. प्रत्येक शेयर होल्डर द्वारा 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित कंपनी में शेयर

शेयर होल्डर के नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक 1000 रु. के अंकित मूल्य)	कुल शेयर का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड	380800	100%

2. विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने नकदी के अलावे 190400 बोनस शेयर जारी किया है।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड
वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ
टिप्पणी 17 : अन्य इकिवटी

(करोड़ रु. में)

	प्रिफरेंस शेयर कैपिटल का इकिवटि पोशन	अन्य भागदार कैपिटल रिडमशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व	समावेशी विकास रिजर्व	सामान्य रिजर्व	स्टेन्ड अर्निंग	अन्य व्यापक आमदारी	गैर-नियंत्रित ब्लाज	इकिवटी
01.04.2016 के अनुसार शेष वर्ष के दौरान जोड़कर वर्ष के दौरान समायोजन लेखांकन नीति में परिवर्तन या अवधि पूर्व त्रुटियाँ	-	-	18.17	-	-	5.77	14.83	157.44	- 196.21
01.04.2016 के अनुसार पूर्व धोषित शेष			18.17	-	5.77	14.83	157.12	- 195.89	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया वर्ष के दौरान समायोजन वर्ष के दौरान लाभ परिस्थापित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (नीबल कर)	-	2.32 (0.69)	-	-	-	-	-	-	2.32 (0.69)
विनियोग जेनरल रिजर्व से/को रथानांतरण अन्य रिजर्व से/को रथानांतरण अंतर्रिम लाभांश अंतर्रिम लाभांश कॉर्पोरेट लाभांश कर प्री-ऑपरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	39.64 (1.77) - 39.64 (1.77)
31.03.2017 के अनुसार शेष	-	19.80	-	5.77	13.06	196.76	- 235.39	-	



सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

बित्रीय बिवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

(करोड़ रु. में)

	प्रिफरेंस शेयर कैपिटल का इक्विटी पोर्शन	अन्य भागडार			सामान्य रिजर्व	रिटेन्ड अर्निंग	अन्य व्यापक आमदानी	गैर-नियन्त्रित ब्लाज	इक्विटी
		कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व	सीएसआर रिजर्व					
01.04.2017 के अनुसार शेष वर्ष के दौरान जोडकर	-	-	19.80	-	-	5.77	13.06	196.76	-
वर्ष के दौरान समायोजन लेखांकन नीति में परिवर्तन या अधिक पूर्ण त्रुटियाँ	-	-	0.39 (0.99)	-	-	4.04	-	-	4.43
वर्ष के दौरान लाभ परिसाधित लाभ योजनाओं का पूनर्मूल्यांकन (नीबल कर) विनियोग	-	-	-	-	-	-	80.83	-	-
जेनरल रिजर्व से/को स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	(4.04)	-	4.04
अंतिम लाभांश बोनस	-	-	-	-	-	(5.77)	-	(19.50) (13.27) (3.97)	(19.50) (19.04) (3.97)
कॉपरेट लाभांश कर प्री-ऑपरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 के अनुसार शेष	-	-	19.20	-	-	4.04	36.40	236.81	-
									296.45

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 17 : (जारी)

रिजर्व एवं अधिकाशेष जारी ...

रिजर्व पैंपी : कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में विज्ञान एवं ग्रोद्योगिकी पीआरई, ईएमएससी, सीसीईए आदि के तहत प्राप्त आर्थिक सहायता / अनुदान एवं परिसंपत्तियों के सूत्रन के लिए प्रयुक्त आर्थिक सहायता / अनुदान को पूँजीगत भंडार के रूप में माना जाता है तथा इस पर मूल्यहास को पूँजीगत भंडार लेखे में डेबिट किया जाता है। अनुदान के जरिए सूजित परिसंपत्ति का रखामित्य उस प्राधिकारी के पास रहता है, जिससे अनुदान प्राप्त किया जाता है। कैपिटल रिजर्व का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

(करोड़ रु. में)

विवरण	एसएंडटी अनुदान	यूएनडीपी अनुदान	सीसीईए अनुदान	ईएमएससी अनुदान	सीआईएल आरएंडडी अनुदान	पीआरई अनुदान	सीएमएम / सीबीएम विलयरिंग हाऊस अनुदान	कुल
गत लेखे के अनुसार	3.45 0.37	0.05 -	0.06 -	- -	15.80 0.02	0.41 -	0.03 -	19.80 0.39
जोड़कर								
घटाकर : मूल्यहास एवं समायोजन	3.82 0.49	0.05 -	0.06 -	- -	15.82 0.45	0.41 0.04	0.03 0.01	20.19 0.99
31.03.2018 के अनुसार कुल योग	3.33	0.05	0.06	-	15.37	0.37	0.02	19.20
31.03.2017 के अनुसार कुल योग	3.45	0.05	0.06	-	15.80	0.41	0.03	19.80



सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 18 : उधारी

(करोड़ रु. में)

31.03.2018 के अनुसार

31.03.2017 के अनुसार

गैर-चालू (नन-करेंट)

टर्म लोन

– बैंक से

– अन्य पार्टियों से

संबंधित पार्टियों से ऋण

अन्य लोन

कुल

वर्गीकरण

प्रतिभूत

अप्रतिभूति

चालू

माँग पर पुनः देय ऋण

– बैंक से

– अन्य पार्टियों से

संबंधित पार्टियों से ऋण

अन्य ऋण

कुल

वर्गीकरण

प्रतिभूत

अप्रतिभूति



सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 19 : पेशागत देय

(करोड़ रु. में)

31.03.2018 के अनुसार

31.03.2017 के अनुसार

चालू

माइक्रो, स्माल और मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए

पेशागत देय

0.17

0.30

निम्न के लिए अन्य पेशागत देय

– स्टोर एंड स्पेयर्स

1.14

0.83

– पावर एंड फ्युअल

-

– अन्य

-

कुल

1.31

1.13

	31.03.2018	31.03.2017
माइक्रो, स्माल और मीडियम इंटर प्राइजेज की ऐजिंग		-
तीन महीने से कम	0.17	0.30



सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
गैर-चालू		
सिक्युरिटी डिपॉजिट	3.82	2.68
अर्नेस्ट मनी	3.40	0.13
अन्य *	54.88	46.81
कुल	62.10	49.62

चालू

अनुषंगी कंपनियों से अधिशेष निधि

निम्न के साथ चालू लेखा

— अनुषंगी कंपनियाँ

— आईआईसीएम

दीर्घकालीन ऋण का चालू परिपक्वता

अप्रदत्त लाभांश

सिक्युरिटी जमा

वेतन, मजदूरी और भत्ते के लिए देयताएँ

अन्य *

कुल

33.56

39.13

टिप्पणी— अन्य* में शामिल है :

	31.03.2018	31.03.2017
कंट्रैक्टर कीप बैंक	1.16	1.37
एक्सप्लोरेशन कीप बैंक	51.93	43.60
कर्मचारियों से अग्रिम एवं जमा	4.50	5.47
कुल	57.59	50.44

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 21 : प्रावधान

(करोड़ रु. में)

गैर चालू

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
कर्मचारी लाभ		
-ग्रेच्यूटि	101.37	58.80
-छुट्टी नकदीकरण	64.68	93.68
-अन्य कर्मचारी लाभ	77.45	71.66
माइन क्लोजर	-	-
ओवरबर्डेन रिमूवल	-	-
अन्य'	0.02	0.02
कुल	243.52	224.16

चालू

कर्मचारी लाभ		
-ग्रेच्यूटि	30.36	28.69
-छुट्टी नकदीकरण	14.47	14.74
-एक्सग्रेसिया	14.05	13.93
-कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान	63.71	88.12
-नेशनल कोल वेज एग्रिमेंट (एनसीडब्ल्यूए) के लिए प्रावधान	30.28	19.04
-एकजीक्यूटिव पे रिवीजन	53.00	5.03
-अन्य कर्मचारी लाभ''	102.99	94.19
	308.86	263.74

साइट रेस्टोरेशन/माइन क्लोजर
कोयले के क्लोजिंग स्टॉक पर एक्साइज ड्यूटि
अन्य

कुल	308.86	263.74
------------	---------------	--------

टिप्पणी : 1रु अन्य' में शामिल

	31.03.2018	31.03.2017
स्वास्थ कर हेतु प्रावधान	0.02	0.02
कुल	0.02	0.02

टिप्पणी 2: **अन्य कर्मचारी लाभ में 31.03.2018 सेवा निवृत्ति के लिए 9.84 प्रतिशत की दर से 92.40 करोड़ रुपये कर्मचारी लाभ शामिल है।

टिप्पणी 3: लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू-02/2017-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-XII/17, दिनांक 3 अगस्त, 2017 के द्वारा दिनांक 01.01.2017 से लागू केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के बोर्ड स्तरीय तथा बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारियों तथा गैर युनियन वाले पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन के दिशा-निर्देश के संबंध में सरकार का अनुमोदन प्रचारित किया है।

01.01.2017 से 31.03.2017 की अवधि के लिए डीपीई के दिशा-निर्देश के अनुसार अधिकारियों के वेतन के सभी मदों (नियोक्ता के पीएफ अंशदान सहित), अन्य कर्मचारी लाभ तथा सेवा-निवृत्ति वाले सभी लाभ में वृद्धि के फल स्व-प फ़ड़ने वाले अनुमानित प्रभाव को इन दिशा-निर्देशों के अंतिम कार्यान्वयन होने तक वित्तीय विवरण में अधिकारियों का वेतन संशोधन के लिए 53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी 4: 01.07.2016 से प्रभावी गैर-अधिकारी कर्मचारियों के लिए रास्त्रीय कोयला वेतन समझौता (एनसीडब्ल्यूए-X) को 10 अक्टूबर 2017 को अंतिम रूप दिया गया था और एनसीडब्ल्यूए-X के अनुसार गैर-अधिकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान अक्टूबर, 2017 से शुरू किया गया है। 01.07.2016 से 30.09.2017 अवधि के लिए ₹ 39.85 करोड़ की राशि एनसीडब्ल्यूए-X के लिए बकाया वेतन का प्रावधान रखा गया है। उपरोक्त बकाया के अधिन ₹ 9.57 करोड़ की राशि अग्रिम के रूप में दिया गया है, जो प्रावधान के साथ नेट-ऑफ है जैसा की टिप्पणी-21 में दर्शाया गया है।



सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ
टिप्पणी 22 : अन्य गैर चालू देयताएँ

(करोड़ रु. में)

31.03.2018 के अनुसार

31.03.2017 के अनुसार

स्थानांतरण और पुनर्वास कोष

अथशोष (ओपेनिग बैलेंस)

जोड़कर : निधि (टीडीएस का नेट) के निवेश से ब्याज

जोड़कर : प्राप्त अंशदान

घटाकर : वर्ष के दौरान अनुषंगी कंपनियों को जारी राशि

आस्थगित आय

कुल

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 23 : अन्य चालू देयताएँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
पूँजीगत व्यय		
संविदात्मक बकाया :		
वरस्तु और सेवा कर	43.37	
जीएसटी मुआवजा उपकर	-	
बिक्री कर/वैट	0.12	
प्रोविडेन्ट फंड एवं अन्य	0.37	0.37
सेंट्रल एक्ससाइज्ड ड्यूटी	-	
कोयले पर रायलटी एवं उपकर	-	
स्टोइंग एक्सरसाइज ड्यूटी	-	
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	
नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट	-	
डिस्ट्रक्ट मिनरल फाउण्डेशन	-	
अन्य सांविधिक लेवी	1.88	2.54
स्रोत पर कटौती/एकत्रित आयकर	2.33	1.56
कोयला आयात हेतु अग्रिम	-	
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	2.96	3.27
सेस इक्यूलाइजेशन एकाउन्ट	246.39	139.36
अन्य देयताएँ'		
कुल	297.30	147.22

टिप्पणी—अन्य देयताएँ *

	31.03.2018	31.03.2017
सीबीएम सेल	2.06	2.35
कर्मचारियों से एलआईसी की वसूली	0.01	0.01
को—ओपरेटिव क्रेडिट सोसायटी	0.08	0.09
रिलिफ फंड	0.02	0.01
अन्य कटौती	0.04	0.02
स्टेल चेक हेतु क्रेडिट	0.16	0.24
एमईसी के लिए ओ/एस देयता	152.96	31.22
जीएसआई एवं अन्य के लिए ओ/एस देयता	35.69	28.63
इम्प्रेस्ट से अनपेड	0.22	0.31
विद्युत के लिए ओ/एस देयता	1.18	1.11
संविदात्मक ओ/एस देयता	3.81	2.03
आरईवी. के लिए ओ/एस देयताएँ	26.90	24.66
कैपिटल देयताएँ ओ/एस	2.42	7.47
खनन इलेक्ट्रोनिक अनुदान	0.01	0.01
परीक्षण प्रयोगशाला	0.28	0.28
यूएनडीपी फंड	0.27	0.27
सीआईएल सीआईएमएफआर फंड	0.21	0.21
सन्डराइ क्रेडिटर—कैपिटल	1.61	0.33
परिसंपत्तियों की हानि पर प्रावधान	0.01	0.01
निधि	18.45	40.10
कुल	246.39	139.36



सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 23 : (जारी...)

अन्य चालू देयताएँ (जारी...)

वर्ष के दौरान एसएंडटी, पीआरई, विस्तृत वेधन, आरएंडडी और प्रतिपूर्ति के तहत प्राप्त अनुदान/कोष नीचे दिया जा रहा है :

(करोड़ रु. में)

विवरण	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान	पीआरई अनुदान	सीसीडीए अनुदान	गैर-सीआईएल के लिए विस्तृत गवेषण	इस्पात मंत्रालय	सीआईएल आरएंडडी अनुदान
01.04.2017 के अनुसार अथशेष जोड़कर	2.79	1.47	0.24	13.60	0.26	21.83
1. कोयला मंत्रालय	8.80	55.78	0.00	103.50	-	-
2. इस्पात मंत्रालय	-	-	-	-	-	-
3. सीआईएल कोलकाता	-	-	-	-	-	54.24
4. समायोजन	-	-	-	-	-	-
5. निधि पर बैंक का ब्याज	0.01	-	-	0.01	-	0.43
	11.60	57.25	0.24	117.11	0.26	76.50
घटाकर : प्रतिपूर्ति / उपयोग	11.50	56.84	--	116.78	-	59.24
31.03.2018 को इतिशेष	0.10	0.41	0.24	0.33	0.26	17.26

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 24 : परिचालन से राजस्व

(करोड़ रु. में)

समाप्त वर्ष के लिए

समाप्त वर्ष के लिए

(अंकेक्षित)

31.03.2018

(अंकेक्षित)

31.03.2017

(क) सेवाओं की बिक्री

1,355.94

1,072.46

घटाकर : अन्य सांविधिक लेवी

वस्तु और सेवा कर

157.79

जीएसटी मुआवजा उपकर टी

रायल्टी

कोयले पर उपकर

स्टोविंग एक्साइज ड्यूटि

सेन्ट्रल सेल्स टैक्स

स्वच्छ ऊर्जा उपकर

स्टेट सेल्स टैक्स/वैट

अतिरिक्त रायल्टी

अन्य लेवी

43.40

141.94

कुल लेवी

201.19

141.94

निवल बिक्री (क)

1,154.75

930.52

(ख) परिचालन राजस्व

कोयला आयात के लिए फैसिलीटेशन शुल्क

बालू भराई एवं प्रोटेक्टिव कार्यों के लिए सबसिडी

लदान एवं अन्य परिवहन शुल्क

घटाकर : एक्साइज ड्यूटि

घटाकर : अन्य सांविधिक लेवी

निकासी सुविधा शुल्क

घटाकर : लेवी

अन्य परिचालन राजस्व (ख)

-

-

-

-

-

-

-

-

परिचालन से राजस्व (क+ख)

1,154.75

930.52



सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 25 : अन्य आय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित) <u>31.03.2018</u>	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित) <u>31.03.2017</u>
ब्याज पर आय		
बैंक के पास जमा	3.90	1.03
कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम निवेश	-	-
ऋण	-	-
ग्रुप के भीतर फंड्स पार्क्ड	-	-
अन्य (आयकर से)	6.53	10.22
लाभांश		
अनुषंगी कंपनियों में निवेश	-	-
म्युचुअल फंड में निवेश	-	-
सरकारी प्रतिभूति में निवेश	-	-
(8.5 प्रतिशत कर मुक्त स्पेशल बॉड्स)	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय		
एपेक्स शुल्क	-	-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.06	0.14
विदेशी विनिमय लेनदेन पर प्राप्ति	-	-
परिवर्तित दर विभिन्नता	-	-
लीज रेट	-	-
बट्टे खाते में वापस लाया गया देयता / प्रावधान	-	-
स्टॉक की कमी पर एक्साइज ड्यूटी	-	-
विविध आय	4.60	4.08
कुल	15.09	15.47

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 26 : उपभोग्य किए गए सामग्रियों की लागत

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित) 31.03.2018	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित) 31.03.2017
कोयले का ओपनिंग स्टॉक	-	-
जोड़कर : ओपनिंग स्टॉक का समायोजन	-	-
घटाकर : कोयले में कमी	10.04	8.94
कोयले का क्लोजिंग स्टॉक	-	-
घटाकर : कोयले में कमी	15.88	17.71
कुल	25.92	26.65

टिप्पणी 27 : फिनिशड गुड्स की वस्तु सूची में परिवर्तन, चालू कार्य, व्यवसाय में स्टॉक

	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित) 31.03.2018	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित) 31.03.2017
कोयले का ओपनिंग स्टॉक	-	-
जोड़कर : ओपनिंग स्टॉक का समायोजन	-	-
घटाकर : कोयले में कमी	-	-
कोयले का क्लोजिंग स्टॉक	-	-
घटाकर : कोयले में कमी	-	-
क. कोयल की वस्तु-सूची में बदलाव	-	-
वर्कशॉप में तैयार फिनिशड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी	-	-
जोड़कर : ओपनिंग स्टॉक का समायोजन	-	-
घटाकर : प्रावधान	-	-
ख. वर्कशॉप की वस्तु-सूची में बदलाव	-	-
प्रेस ओपनिंग जॉब	-	-
i) फिनिशड गुड्स	-	-
ii) चालू कार्य	-	-
घटाकर : प्रेस क्लोजिंग जॉब	-	-
i) फिनिशड गुड्स	-	-
ii) चालू कार्य	-	-
ग. प्रेस जॉब के क्लोजिंग स्टॉक के वस्तु-सूची में परिवर्तन	-	-
ट्रेड में स्टॉक की वस्तु-सूची में परिवर्तन (क+ख+ग) {डिक्रिशन / (एक्रीशन)}	-	-



सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 28 : कर्मचारी लाभ पर व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित) 31.03.2018	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित) 31.03.2017
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस आदि	270.75	262.08
नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट (एनसीडब्ल्यूए) के लिए प्रावधान'	20.81	19.04
एकजीक्यूटिव पे रीविजन"	47.97	5.03
कृपानुदान	14.77	14.83
कार्य निष्पादन संबंधी वेतन	11.16	12.01
पीएफ एवं अन्य कोष में अंशदान	33.06	32.66
ग्रेच्यूटि	102.96	20.00
छुट्टी नकदीकरण	(3.04)	38.85
वीआरएस	-	-
कर्मचारी क्षतिपूर्ति	-	-
वर्तमान कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	9.31	9.23
सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	9.53	13.17
स्कूलों एवं संस्थानों को अनुदान	0.05	0.06
खेलकूद एवं मनोरंजन	0.80	0.78
कैंटीन एवं क्रेच	0.21	0.23
पावर-टाऊनशिप	2.91	2.78
बस, एम्बुलेंस आदि का किराया शुल्क	0.57	0.56
अन्य कर्मचारी लाभ ***	45.06	50.44
कुल	566.88	481.75

उपर्युक्त 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए एनसीडब्ल्यूए-X में 19.04 करोड़ रुपये शामिल है।

उपदान (ग्रेच्यूटी) (संशोधित) भुगतान अधिनियम, 2018 तथा उसके बाद जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 29.03.2018 की तिथि से लागू अधिकतम उपदान की सीमा (सीलिंग) 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। 31.03.2018 को समाप्त वर्ष उपर्युक्त उपदान में उपदान (ग्रेच्यूटी) की सीमा में हुए परिवर्तन के कारण पड़नेवाले प्रभाव के लिए 68.61 लाख रुपये शामिल है।

**अधिकारियों के वेतन संशोधन के लिए टिप्पणी

डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XIII/17 दिनांक 3 अगस्त 2017 द्वारा 01.01.2017 से लागू केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के बोर्ड स्तरीय अधिकारियों तथा बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों तथा नन यूनियनाइज्ड पर्यवेक्षकों के वेतन पुनरीक्षण एवं भत्ते के दिशा-निर्देश के बारे में भारत सरकार का अनुमान जारी कर दिया गया है।

01.01.2017 से 31.03.2017 की अवधि के लिए डीपीई के दिशा-निर्देश के अनुसार अधिकारियों के वेतन के सभी मदों (नियोक्ता के पीएफ अंशदान सहित), अन्य कर्मचारी लाभ तथा सेवा-निवृत्ति वाले सभी लाभ में वृद्धि के फल स्वरूप पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव को इन दिशा-निर्देशों के अंतिम कार्यान्वयन होने तक वित्तीय विवरण में अधिकारियों का वेतन संशोधन के लिए 53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।



सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 29 : निर्गमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित) 31.03.2018	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित) 31.03.2017
सीएसआर व्यय	1.18	1.02
कुल	1.18	1.02

टिप्पणी 30 : मरम्मत

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित) 31.03.2018	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित) 31.03.2017
भवन	7.39	7.31
संयंत्र एवं मशीनरी	6.64	5.30
अन्य	7.16	10.57
कुल	21.19	23.18



सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 31 : संविदात्मक व्यय

(करोड़ रु. में)

समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
31.03.2018	31.03.2017

परिवहन शुल्क :

- बालू
- कोयला
- स्टोर्स एवं अन्य

वैगन लदान	-	-
पीएंडएम का किराया	-	-
अन्य संविदात्मक कार्य	346.95	271.07
कुल	346.95	271.07

टिप्पणी 32 : वित्तीय लागत

(करोड़ रु. में)

समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
31.03.2018	31.03.2017

व्याज पर खर्च

उधारी

भूमि का पुनरुद्धार / माइनक्लोजर व्यय

एस्क्रो एकाउन्ट पर व्याज

डिसकाउन्ट्स का अन-वाइडिंग

फंड पार्कर्ड विदिन ग्रुप

अन्य

0.25 0.31

अन्य उधारी लागत

ऋण (आईबीआरडी एवं जेबीआईसी) पर गारंटी शुल्क

कुल

0.25 0.31

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 33 : प्रावधान (नेट आफ रिवर्सल)

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2017
(क) निम्नलिखित के लिए भत्ता/प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	0.23	0.11
ग्रेड विभिन्नता	-	-
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.04	0.02
भंडार एवं पाट पूर्जे	-	-
अन्य	-	-
कुल (क)	0.27	0.13
(ख) अलाउन्स/प्रोविजन रिवर्सल		
संदिग्ध ऋण	-	-
ग्रेड विभिन्नता	-	-
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
भंडार एवं पाट पूर्जे	-	-
अन्य	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	0.27	0.13

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते डाला गया (गत प्रावधान का निबल)

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित) 31.03.2018	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित) 31.03.2017
संदिग्ध ऋण	-	-
घटाकर : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
ग्रेड विभिन्नता	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
घटाकर :— पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
कोयले का स्टॉक	-	-
घटाकर :— पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
अन्य	-	-
घटाकर :— पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
कुल	-	-



सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित) 31.03.2018	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित) 31.03.2017
यात्रा व्यय		
– घरेलु	19.34	16.65
– विदेशी	0.69	0.54
प्रशिक्षण खर्च	1.63	1.28
टेलीफोन एवं पोस्टेज	2.36	1.07
विज्ञापन एवं प्रचार	1.28	2.44
दुलाई भाड़ा	-	0.07
डीमूरेज	-	-
डोनेशन/सबसक्रिप्शन	-	-
सिक्युरिटि व्यय	16.40	9.47
सीआईएल का सेवा शुल्क	-	-
किराया शुल्क	6.57	5.67
लीगल खर्च	0.18	0.21
बैंक शुल्क	0.02	0.05
गेस्ट हाऊस व्यय	0.79	0.51
परामर्शी शुल्क	3.97	3.39
अंडर लोडिंग शुल्क	-	-
सेल / डिस्कार्ड/सर्वेड आफ एसेट पर हानि	-	0.01
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक एवं व्यय		
– लेखा परीक्षण शुल्क के लिए	0.06	0.04
– कराधान मामले के लिए	0.02	0.04
– अन्य सेवाओं के लिए	0.11	0.01
– किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए	0.21	0.11
आन्तरिक एवं अन्य लेखा परीक्षा पर व्यय	0.60	0.53
पुनर्वास शुल्क	-	-
रायलटी एवं सेस	-	-
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी	-	-
जीएसटी		
किराया	0.46	0.49
दर एवं कर	0.50	0.77
स्वरक्ष्य कर	-	-
बीमा	0.02	0.03
विदेशी विनियम लेनदेन पर हानि	-	-
विनियम दर में विभिन्नता पर हानि	-	-
लीज किराया	-	-
रेस्क्यू/सुरक्षा व्यय	-	-
डेड रेट/सर्फेस रेट	-	-
साइडिंग मैटेनेंस शुल्क	-	-
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	0.01	0.01
आरएंडडी पर व्यय	-	-
पर्यावरणिक एवं वनारोपण व्यय	0.22	0.24
विविध खर्च	7.33	9.16
कुल	62.77	52.79



सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित) 31.03.2018	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित) 31.03.2017
चालू वर्ष	53.30	40.09
आस्थागिकत कर	(13.31)	(15.15)
मैट क्रेडिट इटाइटिलमेंट	-	-
पूर्व वर्ष	-	-
कुल	39.99	24.94



सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 37 : अन्य विस्तृत आय

(करोड़ रु. में)

समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)	समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
31.03.2018	31.03.2017

(क) (i) वैसे मद जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

रिवैल्यूएशन सरप्लस में परिवर्तन	35.69	(2.70)
परिभाषित लाभ योजना की पुनर्माप	-	-
ओसीआई के जरिए इकिवटि इन्स्ट्रूमेंट	-	-
एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय देयता की सेल्फ क्रेडिट जोखिम के संबंध में	-	-
फेयर वैल्यू चेन्ज	-	-
संयुक्त वेन्चर में ओसीआई का शेयर	35.69	(2.70)

(ii) वैसे मद के संबंध में आयकर जिसे लाभ एवं हानि लेखा में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	12.35	(0.93)
परिभाषित लाभ योजना की पुनर्माप	-	-
ओसीआई के जरिए इकिवटि इन्स्ट्रूमेंट	-	-
एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय देयता की सेल्फ क्रेडिट जोखिम के संबंध में	-	-
फेयर वैल्यू चेन्ज	-	-
ज्वाइन्ट वेन्चर में ओसीआई का शेयर	12.35	(0.93)

कुल (क)

(ख) (i) वैसा मद जिसे लाभ एवं हानि लेखा में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।

विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण को परिवर्तित करने में विनियम अन्तर	-	-
ओसीआई के जरिए डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट	-	-
कैश फलो हेज में हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट पर प्राप्ति एवं नुकसान का प्रभावी भाग	-	-
ज्वाइन्ट वेन्चर में ओसीआई का शेयर	-	-

(ii) वैसे मद के संबंध में आयकर जिसे लाभ एवं हानि लेखा में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।

विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण को परिवर्तित करने में विनियम अन्तर	-	-
ओसीआई के जरिए डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट	-	-
कैश फलो हेज में हेजिंग इन्स्ट्र॔मेंट पर प्राप्ति एवं नुकसान का प्रभावी भाग	-	-
ज्वाइन्ट वेन्चर में ओसीआई का शेयर	-	-

कुल (ख)

कुल (क+ख)	23.34	(1.77)
-----------	-------	--------

टिप्पणी : 1 निगमित सूचना

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) की स्थापना कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा अन्य बाहरी कंपनियों भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकी, जलभू-वैज्ञानिक तथा पर्यावरणिक डाटा सूचन सहित कोयला एवं खनिज गवेषण में परामर्शी सहायता देने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया। सीएमपीडीआई शिड्यूल “बी”/मिनी रल्न कैट—।। सीपीएसई है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण कोयला मंत्रालय के अधीन है। सीएमपीडीआईएल 100 प्रतिशत (पूर्णतः) कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसका निर्बाधित कार्यालय गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची 834031, झारखंड भारत में स्थिति है। कंपनी की अधिकृत तथा प्रदत्त पूँजी 31 मार्च, 2018 के अनुसार क्रमशः 50 करोड़ रुपए तथा 38.08 करोड़ रुपए है।

टिप्पणी : 2 महत्वपूर्ण लेखा नीति

2.1 तैयारी का आधार

कंपनी का वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंडिएस) के अनुरूप तैयार किया जाता है।

2.1.1 रकम को पूर्णांक में बदलना (राउडिंग ऑफ)

यदि कोई अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, तो इस वित्तीय विवरण में रकम को दो दशमलव अंक तक ‘करोड़ रुपए’ में राउन्ड ऑफ किया गया है।

2.2 करेंट एवं न करेंट वर्गीकरण

कंपनी करेंट / नन करेंट वर्गीकरण के आधार पर तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करता है।

किसी परिसंपत्ति को चालू (करेंट) के रूप में माना जाता है जब :

- (क) इसे सामान्य परिचालन चक्र (सायकिल) में परिसंपत्तियों को वसूल (रियलाइज) करने की उम्मीद हो, इसे बिक्री या खपत करने का इरादा हो।
- (ख) व्यापार के उद्देश्य से प्रारंभिक तौर पर परिसंपत्ति को रखता (होल्ड करता) हो,
- (ग) प्रतिवेदित अवधि के बाद बारह माह के भीतर परिसंपत्ति को वसूल (रियलाइज) करने की संभावना हो; या
- (घ) परिसंपत्ति नकद या नकद सम तूल्य होता है (जैसा कि इंडिएस 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह माह के भीतर के लिए बदले जाने या दायित्व के निपटारा के लिए प्रयुक्त होने से प्रतिबंधित न हो। अन्य सभी परिसंपत्ति को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कोई इन्टीटी कसी देयता को चालू (करेंट) के रूप में वर्गीकृत करेगा जब :

- (क) अपने सामान्य समय में देयता का निपटान की उम्मीद हो
- (ख) यह प्रारंभिक तौर पर व्यापार के उद्देश्य से देयता होल्ड करता हो,
- (ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद देयता का बारह माह के भीतर निपटाया जाना हो; या
- (घ) इसके पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम-से-कम बारह माह के लिए देयता के निपटारे को आस्थगित करने के लिए बिना शर्त अधिकार नहीं है। देयता की शर्त, प्रतिपक्ष (काउन्टर पार्टी) की राय में जिसके फलस्वरूप इकिवटी इन्स्ट्रूमेंट को जारी कर निपटारा होता है, इसके वर्गीकरण पर कोई प्रभाव नहीं डालता है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू (नन करेंट) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।



2.3 राजस्व की पहचान

2.3.1 ब्याज

प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग कर ब्याज आय की पहचान की जाती है।

2.3.2 सेवा प्रदान करना

जब लेन-देन का परिणाम जिसमें सेवा प्रदान शामिल है, विश्वसनीय ढंग से आकलित किया जा सकता है, लेन-देन से संबंधित राजस्व की पहचान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन (ट्रांजेक्शन) पूरा होने की स्थिति के संदर्भ में की जाती है। लेन-देन के परिणाम को विश्वसनीय तौर पर आकलित किया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा किया जाए :

- (क) राजस्व की रकम को विश्वसनीय ढंग से मूल्यांकित किया जा सकता है।
- (ख) यह संभव है कि लेन-देन (ट्रांजेक्शन) से संबद्ध आर्थिक लाभ का प्रवाह इंटीटी तक होगा।
- (ग) रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक लेन-देन पूरा करने की स्थिति को सही ढंग से मूल्यांकित किया जा सकता है; और
- (घ) ट्रांजेक्शन के लिए व्यय की गई लागत तथा ट्रांजेक्शन पूरा होने की लागत का मूल्यांकन विश्वसनीय हो।

सीएमपीडीआई, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा परामर्शी सेवा से प्राप्त राजस्व

गवेषण, माइन प्लानिंग / परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक योजना तथा अन्य अभियंत्रण सेवाओं के लिए परामर्शी सेवा से उत्पन्न राजस्व की पहचान विभिन्न कोटि के ग्राहकों के लिए अपनाए गए सूत्र के आधार पर किया जाता है। होल्डिंग कंपनी एवं इसकी अन्य अनुषंगी कंपनियों को प्रदत्त सेवाओं का मूल्य निर्धारण लागत+पीएंडडी सेवाओं के लिए सेवा कर का 10 प्रतिशत और विभागीय ड्रिलिंग के लिए 7.5 प्रतिशत, आउट सोर्सिंग एजेंसी द्वारा किए गए ड्रिलिंग के लिए सेवा कर 7.5 से 20 प्रतिशत तक एकरूपता के साथ किया जाता है। दिसम्बर 2016 तक पर्यावरण मनिटरिंग कार्य का मूल्य निर्धारण 2009 के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 90 प्रतिशत पर किया जाता है और जनवरी, 2017 से दर को संशोधित किया गया है तथा 2009 के आधार दर से 2016 तक दर को अद्यतन किया गया है तथा उस पर 2016 के संशोधित दर का 90 प्रतिशत माना जाता है।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान की पहचान तब तक नहीं की जाती है जब तक यह पर्याप्त आश्वासन नहीं मिल जाता है कि कंपनी उनसे संबंधित शर्तों को पूरा करेगी तब अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

उस अवधि में लाभ एवं हानि लेखा में सरकारी अनुदान की पहचान योजनाबद्ध आधार पर की जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को व्यय के रूप में पहचान करती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा होता है।

परिसंपत्ति से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित आय के रूप में अनुदान को स्थापित कर तुलन-पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (यानि परिसंपत्तियों के अलावा अन्य अनुदान) को सामान्य शीर्षक “अन्य आय” के तहत लाभ या हानि के विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान की गई खर्च या हानि के लिए क्षतिपूर्ति के कारण प्राप्त योग्य होता है, या किसी भावी खर्च के साथ इंटीटी के लिज तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्त योग्य (रीसिवेबुल) होता है उसकी उस अवधि के लाभ या हानि में पहचान की जाती है जिस अवधि में वह प्राप्त योग्य (रीसिवेबुल) हो जाता है।

2.5 पट्टा (लीज)

वित्तीय लीज वह लीज है, जो किसी परिसम्पत्ति के स्वामित्व के आनुषंगिक सभी जोखिमों तथा प्रतिफलों (रिवार्ड) को पर्याप्त ढंग से अंतरित (ट्रान्सफर) करता है। अंततः टाइटिल अंतरित (ट्रांसफर) किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

वित्तीय लीज को शुरूआत की तिथि में लीज के प्रारंभ होने पर लीज की हुई सम्पत्ति के फेयर वैल्यू पर या यदि कम हो, तो न्यूनतम लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूँजीकृत किया जाता है। लीज भुगतान को वित्त चार्ज तथा लीज देयता के बीच बॉट दिया जाता है ताकि देयता के शेष बैलेंस पर ब्याज की स्थिर दर को प्राप्त किया जा सके। वित्त प्रभार (चार्ज) को लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में वित्तीय लागत की तब तक पहचान नहीं की जाती है। जब तक कि वह क्वालिफाईंग परिसंपत्ति पर सीधे तौर पर आरोपित (एट्रीचूटेडबल) नहीं करता हो, जिस मामले में उधारी (वौराईंग) लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुरूप उसे पूँजीकृत किया जाता है।

लीज्ड परिसंपत्ति को मूल्यहास उस परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है। तथापि, यदि कोई तार्किक अनिवार्यता नहीं हो कि कंपनी लीज अवधि (टर्म) के अंत तक स्वामित्व प्राप्त कर लेगा, तब यह परिसंपत्ति के आकलित उपयोगी जीवन के न्यूनतम जीवन तथा लीज टर्म पर मूल्य हासित किया जाता है।

परिचालित (आपरेटिंग) लीज वित्तीय लीज से अलग होता है।

2.6 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई)

भूमि को ऐतिहासिक लागत मूल्य पर वहन (कैरी) किया जाता है। ऐतिहासिक मूल्य में वैसा खर्च शामिल है, जो संबंधित विस्थापित व्यक्ति के लिए दिए जाने वाले रोजगार आदि के बदले में पुनर्वास खर्च, पुनर्स्थापना लागत तथा मुआबजा आदि वाले जमीन अधिग्रहण को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करता है।

पहचान के बाद अन्य सभी संपत्तियों के मदों, संयंत्र एवं उपकरण संचित मूल्यहास तथा लागत में संचित इम्पेयरमेंट हानि को घटाकर इसकी लागत पर वहन (कैरी) किया जाता है। संपत्ति के किसी मद, संयंत्र एवं मशीनरी की लागत में निम्नलिखित शामिल है :

- (क) इसकी खरीद मूल्य में व्यापार छूट एवं राहत को घटाने के बाद आयात कर तथा गैर वापसी योग्य क्रय कर शामिल है।
- (ख) किसी परिसंपत्ति को उचित स्थान तक लाने तथा प्रबंधन द्वारा इच्छित ढंग से परिचालन योग्य बनाने के लिए आवश्यक स्थिति में लाने में प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने वाली लागत।
- (ग) किसी मद को विखण्डित करने एवं हटाने तथा जिस स्थान पर वह स्थापित है उसके पुनरुद्धार करने की लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन या जब आइटम खरीदा गया हो या उस अवधि के दौरान इन्वेटरी को उत्पादित करने के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए किसी खास अवधि के दौरान उपयोग करने के परिणामस्वरूप होने वाले इंटीटी का दायित्व।

संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी की लागत सहित किसी आइटम का प्रत्येक भाग जो आइटम की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण हो, का मूल्यहास पृथक रूप से किया जाता है। तथापि, समान उपयोगी जीवन वाले प्रत्येक आइटम का प्रमुख भाग तथा मूल्यहास पद्धति को मूल्यहास चार्ज निर्धारित करने के लिए एक साथ समूहित किया जाता है।

“मरम्मत एवं रख—रखाव” के लिए विहित दैनिक सर्विसिंग लागत को लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसे अवधि में इसे यह हुआ है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी मद को बदलने वाले भाग की परवर्ती लागत है उसके कैरिंग अमाउन्ट में पहचान की जाती है, यदि यह संभावना हो कि आइटम के साथ संबंधित भावी आर्थिक लाभ ग्रुप तक फ्लो करेगा और उस आइटम की लाग विश्वसनीय तौर पर अँकों जा सकती है। बदले गए पार्टों की कैरिंग रकम को नीचेदी गई डिरिकोग्नाइजेशन नीति के अनुसार डिरिकोग्नाइज किया जाता है।

जब कोई बड़ा (महत्वपूर्ण) निरीक्षण (इंस्पेक्शन) किया जाता है तो संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के आइटम के कैरिंग रकम की पहचान प्रति स्थापन के रूप में की जाती है, यदि संभावना हो कि आइटम से सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ ग्रुप तक फ्लो करेगा और आइटम की लागत को विश्वसनीय तौर पर अँका जा सकता है। बचे हुए पूर्व निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग के रूप में) की लागत की कैरिंग रकम डिरिकोग्नाइज होता है।



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी के किसी आइटम को निपटान पर या परिसंपत्ति के सतत उपयोग से कोई भावी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं हो, पर डिरिकोग्नाइज किया जाता है। सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के किसी आइटम के इस डिरिकोग्निजेशन के फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में पहचान (रिकोग्नाइज) की जाती है।

फ्री होल्ड जमीन को छोड़कर, सम्पत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी पर मूल्यहास परिसंपत्ति के आकलित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन बेसिस पर लागत मॉडेल के अनुसार किया जाता है।

अन्य भूमि

(पट्टे वाली जमीन सहित)	:	परियोजना का जीवन काल या पट्टे की अवधि, जो भी कम हो
भवन	:	3–60 वर्ष
सड़क	:	3 से 10 वर्ष
दूर संचार	:	3 से 9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र एवं मशीनरी	:	5 से 15 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3 से 6 वर्ष
फर्निचर एवं फिक्सर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8 से 10 वर्ष

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अवशिष्ट मूल्य को परिसंपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसम्पत्तियों के आकलित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

विवेच्य वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों की वृद्धि/निपटान पर मूल्यहास वृद्धि/निपटान से संबंधित माह के लिए प्रोराटा आधार किया जाता है।

“अन्य भूमि” में कोयला वाहक(धारक) क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत अधिगृहित भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 भूमि अधिग्रहण में न्यायोचित मुआबजा (क्षतिपूर्ति) एवं पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएआर) अधिनियम 2013, सरकारी भूमि का दीघकालीन हस्तांतरण आदि शामिल हैं जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार परिशोधन पर (एमोर्टाइज) किया जाता है तथा लीजहोल्ड जमीन के मामले में लीज होल्ड अवधि या परियोजना के जीवन, जो भी कम हो, के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

पूर्णतः वैसी मूल्यहासित परिसंपत्ति जो सक्रिय इस्तेमाल लायक नहीं रह गया है, को सम्पत्ति, संयंत्र, उपकरण के तहत इसके रिसिड्यूअल मूल्य पर सर्वे आफ परिसंपत्ति के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्ति के निर्माण/विकासपर किए गए खर्च जो सामान के उत्पादन, आपूर्ति के लिए या कंपनी के विद्यमान परिसंपत्ति के मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक हो, को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत इनेबिलिंग परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

2.7 अप्रत्यक्ष (इन्टन्जिबुल) परिसम्पत्ति

पृथक रूप से अधिगृहित अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को लागत पर प्रारम्भिक पहचान के आधार पर आँका जाता है। बिजनेस कंबिनेशन में प्राप्त अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति की लागत अधिग्रहण के समय उसका उचित मूल्य होता है। इनिशीयल रिकोग्निजेशन के अनुसरण में अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन पर स्ट्रेटलाइन आधार पर परिकलित) तथा संचित इम्पेयरमेंट हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर कैरी किया जाता है।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

पूंजीकृत विकास लागत सहित आंतरिक सृजित परिसंपत्ति को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बदले में इससे संबंधित खर्च को लाभ या हानि विवरण में तथा जिस अवधि में खर्च किया जाता है उस अवधि में विस्तृत आय की पहचान की जाती है। अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति का उपयोगी जीवन को या तो सीमित (फाइ नाइट) या इन्डेफिनिट के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित जीवन अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है तथा जहाँ यह संकेत हो कि अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति इम्पेयर हो सकता हो वहाँ इसे इम्पेयरमेंट (हानि/क्षति) के लिए मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति के लिए परिशोधित अवधि तथा परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के कम-से-कम अंत में की जाती है। संभावित उपयोगी जीवन या भावी आर्थिक लाभ की खपत की संभावित पैटर्न जिसे परिसंपत्ति में मूर्त रूप दिया गया हो परिशोधन अवधि को रूपान्तरित करने पर विचार किया जाता है तथा उसे लेखा प्राक्कलन में परिवर्त्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति पर परिशोधन व्यय की पहचान लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में की जाती है। अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है लेकिन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इम्पेयरमेंट की पहचान की जाती है।

किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के डिरिकोगनाइजेशन से उत्पन्न लाभ या हानि को नेट डिस्पोजल प्रोसिडिंग तथा परिसंपत्तियों के कैरिंग अमाउन्ट के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा लाभ एवं हानि लेखा में इसकी पहचान की जाती है।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में चिह्नित साफ्टवेयर की लागत उपयोग के लिए वैधानिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष, जो कम हो, पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर की जाती है।

2.8 परिसंपत्ति की हानि (इम्पेयरमेंट)

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी यह मूल्यांकित करती है कि क्या यह संकेत है कि परिसम्पत्ति को इम्पेयर किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत है, तो कंपनी इस परिसंपत्ति की वसूली योग्य मात्रा का आकलन करती है। परिसंपत्ति का वसूली योग्य रकम प्रयोग में लाई जा रही परिसंपत्ति से या केश जेनरेटिंग इकाई से ज्याद है तथा इसका उचित मूल्य डिस्पोजल की लागत से कम है तथा इसे व्यक्तिगत परिसंपत्ति निर्धारित किया जाता है। जब तक कि परिसंपत्ति वैसा कैश सृजित नहीं करता हो जो अन्य परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह से वैधानिक रूप से स्वतंत्र हो, जिस मामले में वसूली योग्य रकम कैश जेनरेटिंग इकाई जिसकी वह है, के लिए निर्धारित किया जाता है।

2.9 वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट

वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट एक संविदा है जो किसी इंटिटी की वित्तीय परिसंपत्ति है तथा दूसरी इकिवटी के इन्टीटी इन्स्ट्रूमेंट या वित्तीय देयता को उत्थान प्रदान करता है।

2.9.1 वित्तीय परिसंपत्ति

2.9.1 प्रारंभिक पहचान (रिकोनिजिशन) एवं माप :

प्रारंभ में सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान उचित मूल्य एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली लागत को जोड़कर की जाती है, यदि वित्तीय परिसंपत्ति लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया गया हो, वैसे वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद बिक्री जिसकी विनियमन या परंपरा द्वारा स्थापित समय-सीमा के भीतर सुपुर्दगी अपेक्षित हो, की पहचान व्यापार की तिथि, यानि जिस तिथि को कंपनी खरीदती या बेचती हो, पर की जाती है।

2.9.2 सबसीक्वेंट मेजरमेंट

वित्तीय देयता की सबसीक्वेंट मेजरमेंट का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 कोटि के आधार पर की जाती है :

- परिशोधित लागत पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

- अन्य विस्तृत आय के जरिए उचित मूल्य पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट (एफवीटीओसीआई)
- लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट, ब्युतपन्न तथा इकिवटी इन्स्ट्रूमेंट (एफवीटीपीएल)
- अन्य विस्तृत आय के जरिए उचित मूल्य पर मापित इकिवटी इन्स्ट्रूमेंट(एफवीटीओसीआई)

2.9.2.1 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति (इम्पेयरमेंट)

इंड एएस 109 के अनुसार कंपनी ने निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्ति एवं क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर पर इम्पेयरमेंट हानि की माप एवं पहचान के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रयोग में लाती है :

- (क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण इन्स्ट्रूमेंट हैं और जिसकी माप परिशोधित लागत यानि ऋण, डेब्ट सिक्यूरिटी डिपोजिट, ट्रेड रीसिवेबुल और बैंक बैलेंस आदि पर की जाती है डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट हैं।
- (ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट हैं उन्हें एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।
- (ग) इंड एएस 17 के तहत प्राप्त योग्य (रीसिवेबुल) लीज
- (घ) रीसिवेबुल ट्रेड या नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार (राइट) जो द्रान्जेक्षण के परिणाम स्वरूप हुआ हो, वे इंड एएस 11 तथा इंड एएस 18 के क्षेत्र में आता है।

कंपनी निम्नलिखित पर इम्पेयरमेंट हानि (लॉस) की पहचान के लिए “सरलीकृत दृष्टिकोण (अप्रोच) का अनुसरण करती है :

- ट्रेड रीसिवेबुल या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रीसिवेबुल ; तथा
- इंड एएस 17 के क्षेत्र के भीतर द्रान्जेक्षण के परिणामस्वरूप सभी रीसिवेबुल लीज।

कंपनी को सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग में कंपनी को क्रेडिट रिस्क में बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती है। बल्कि इसकी प्रारंभिक पहचान से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक लाइफटाइम ईसीएल के आधार पर यह इम्पेयरमेंट लॉस अलाउएन्स की पहचान करता है।

2.9.3 वित्तीय देयताएं

2.9.3.1 प्रारंभिक पहचान एवं माप

कंपनी की वित्तीय देयता में ट्रेड एवं अन्य देय, हानि एवं बैंक क्रेडिट सहित उधारी।

सभी वित्तीय देयता की पहचान फेयर वैल्यू पर की जाती है, यदि लोन एवं वैरोईग्स तथा देयता, प्रत्यक्षतः एट्रीब्यूटेबुल द्रान्जेक्षण कास्ट का नेट हो।

2.9.3.2 परवर्ती माप

वित्तीय देयता की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

2.9.3.3 लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयता

लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखे गए वित्तीय देयताएँ तथा लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक पहचान पर नामित (डिजिनेटेड) वित्तीय देयता शामिल है। वित्तीय देयता को “ट्रेडिंग के लिए रखे गए” के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट भविष्य में खरीद के उद्देश्य के लिए खर्च किए गए हैं। इस कोटि में कंपनी द्वारा की गई उत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स शामिल हैं जो इंड एएस 109 द्वारा परिभाषित हेड्ज रिलेशनशीप में हेड्जिंग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में नामित किया जाता है। सेपरेटेड इमवेडेड डेरिवेटिव्स (ब्युत्पन्न) को भी हेल्ड फार ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब तक कि उन्हें इफेविटव हेड्जिंग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

ट्रेडिंग के लिए रखे गए (हेल्ड फार ट्रेडिंग) देयता पर प्राप्ति (गेन) या हानि की पहचान लाभ एवं हानि लेखा में की गई है।

लाभ या हानि के जरिए फेयर वैल्यू पर इमिशीयल रिकोग्नाइजेशन पर डिजिग्नेट वित्तीय देयता को वास्तव में रिकोग्नाइजेशन की आरंभिक तिथि तथा इंड एएस 109 में दिए गए मानदंड को पूरा करने पर ही डिजिग्नेटेड किया जाता है। एफवीटीएल के रूप में डिजिग्नेटेड देयताओं के लिए अपने क्रेडिट रिस्क में बदलाव के कारण फेयर वैल्यू प्राप्ति (गेन) / हानि को ओसीएल में रिकोग्नाइज किया गया है। ये प्राप्ति(गेन/हानि पीएंडएल में स्थानांतरित करने के लिए प्राप्त नहीं है, तथा कंपनी संचित प्राप्ति (गेन) हानि को इक्विटी में स्थानांतरित कर सकती है। इस प्रकार देयता के फेयर वैल्यू में अन्य सभी परिवर्तन की पहचान लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। कंपनी ने लाभ एवं हानि के जरिए फेयर वैल्यू पर किसी वित्तीय देयता को डिजीग्नेट नहीं किया है।

2.9.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक पहचान (रिकोग्नाइजेशन) के बाद, इन्हें प्रभावी व्याज दर पद्धति का प्रयोग कर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्राप्ति (गेन) तथा हानि की लाभ या हानि में तब पहचान की जाती है, जब देयता को डिरिकोग्नाइज के साथ-साथ प्रभावी व्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी प्रकार की छूट या किस्त तथा प्रभावी व्याज दर के किसी अभिन्न हिस्से के रूप में लगे शुल्क या लागत/मूल्य को ध्यान में रख कर की जाती है। प्रभावी व्याज दर परिशोधन को लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह कोटि सामान्यतः उधारी में लागू होती है।

2.9.3.5 डिरिकोग्नाइजेशन

किसी वित्तीय देयता को तब डिरिकोग्नाइज्ड किया जाता है, जब देयता के तहत दायित्व डिस्चार्ज या समाप्त हो जाता है। जब वर्तमान देयता को महत्वपूर्ण भिन्न शर्त या वर्तमान देयता की पर्याप्त ढंग से रूपान्तरित शर्त के आधार पर उस उधारदाता से दूसरे उधारदाता द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तब इस तरह के बदलाव या रूपान्तरण को मूल देयता तथा नया दायित्व की पहचान को डिरिकोग्नाइज्ड माना जाता है। समाप्त (इक्साटिग्विरस्ड) वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता के किसी भाग) या अन्य पार्टी को स्थानांतरित तथा कन्सिडेरेशन पेड सहित गैर नकद परिसंपत्ति हस्तांतरित या मानी गई देयता के कैरिंग रकम के बीच के अंतर को लाभ या हानि में रिकोग्नाइज किया जाता है।

2.9.4 वित्तीय परिसम्पत्तियों का पुनवर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक पहचान पर वित्तीय परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक पहचान के बाद उन वित्तीय परिसंपत्तियों के कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट तथा वित्तीय दायित्व हो। वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण इन्स्ट्रूमेंट हो, के लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों को व्यवस्थित करने के लिए बिजनेस माडल में कोई बदलाव किया गया हो। बिजनेस मॉडल में परिवर्तन शायद ही कभी (इन्क्रीक्वेंट) होने की उम्मीद है। कंपनी के वरीय प्रबंधन कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हो, बाहरी या आंतरिक परिवर्तन के फलस्वरूप बिजनेस मॉडल में हुए परिवर्तन को निर्धारित करता है। ऐसा परिवर्तन बाहरी पार्टियों के साक्ष्य हैं। बिजनेस माडल में बदलाव तभी आता है, जब कंपनी वैसे क्रिया-कलाप या तो शुरू करती है या बंद कर देती है, जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण हों। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है तो यह पुनर्वर्गीकरण की की तिथि से परिप्रेक्ष्य रूप से पुनर्वर्गीकरण पर लागू होती है, बिजनेस मॉडल में बदलाव के बाद अगली रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल बाद का दिन पहला दिन होता है। ग्रुप किसी प्रकार के पूर्व का रिकोग्नाइज्ड प्राप्ति (गेन), हानि (इम्पेयरमेंट गेन या हानि सहित) या व्याज को रिस्टेट नहीं करता है।

निम्नांकित तालिका अनेक पुनर्वर्गीकरण तथा वे कैसे इसकी गणना की जाती है, को दर्शाता है :



मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखागत प्रतिपादन
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	फेयर वैल्यू की माप पुनर्वर्गीकरण की तिथि से की जाती है। पूर्व परिशोधित लागत तथा फेयर वैल्यू के अंतर की पहचान पीएंडएल में की गई है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पनर्वर्गीकरण की तिथि से फेयर वैल्यू इसका नया ग्रास कैरिंग रकम (अमाउन्ट) होता है। न्यू ग्रास कैरिंग रकम के आधार ईआईआर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	फेयर वैल्यू की माप पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर की जाती है पूर्व परिशोधित लागत तथा फेयर वैल्यू के बीच के अंतर को ओसीआई में पहचान की जाती है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तिथि को फेयर वैल्यू इसका नया परिशोधित लागत कैरिंग अमाउन्ट हो जाता है। तथापि, ओसीआई में संचित लाभ या हानि को फेयर वैल्यू के मुकाबले समायोजित की जाती है। उसके बाद परिसंपत्ति की माप ऐसे की जाती है मानो इसे परिशोधित लागत पर हमेशा मापा गया है।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तिथि से फेयर वैल्यू इसका नया कैरिंग अमाउन्ट हो जाता है। कोई अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों की माप इसके फेयर वैल्यू पर जारी था। ओसीआई में पूर्व में चिह्नित संचित प्राप्ति या हानि को पुनर्वर्गीकरण की तिथि को पीएंडएल के पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.9.5 वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्ति तथा वित्तीय देयताएँ आफसेट होते हैं तथा नेट रकम को समेकित तुलन-पत्र में प्रतिवेदित किया जाता है, यदि रिकोग्नाइज्ड रकम को आफसेट करने के लिए प्रवर्तनीय वैधानिक अधिकार हो तथा परिसंपत्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटारा साथ-साथ करने हेतु नेट आधार पर सेटल करने का इरादा हो।

2.9.6 नकद एवं नकद इक्यूवेलेन्ट

बैलेंस शीट में नकद एवं नकद इक्यूवेलेन्ट बैंकों और हाथों पर नकदी और महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधिन है। नकद प्रवाह के समेकित बयाज के प्रयोजन के लिए नकद एवं नकद इक्यूवेलेन्ट में उपर परिभाषित अनुसार नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल है, बकाया बैंक ओवरडापटका शुद्ध क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है।

2.10 कराधान

आयकर व्यय, वर्तमान में देय कर तथा आस्थगित कर के योग को दर्शाता है। वर्तमानकर आयकर की वह रकम है जो किसी अवधि के लिए (कर योग्य आय) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है। लाभ या हानि तथा अन्य विस्तृत आय के विवरण में की गई रिपोर्ट के अनुसार “आयकर के पहले लाभ” से कर योग्य लाभ में अंतर



है क्योंकि इसमें आय एवं खर्च के वैसे मदों को निकाल दिया गया है, जो अन्य वर्ष में कटौती योग्य या कर योग्य हैं। इसमें से भी वैसे मदों को निकाल दिया गया है, जो कभी भी वैसे मदों को निकाल दिया गया है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हो। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता का परिकलन उस दर का प्रयोग कर किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक इनेक्ट या पर्याप्त रूप से इनेक्ट किया गया है।

वित्तीय विवरण में आस्थगित कर की पहचान परिसंपत्ति की कैरिंग करम तथा देयता और कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त संगत कर आधार के बीच अस्थायी अंतर (डिफरेंस) के आधार पर की जाती है। सामान्यतः आस्थगित कर देयता की पहचान सभी करयोग्य अस्थायी अंतर (डिफरेंस) के लिए को जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान सामान्यतः सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर के लिए इस सीमा तक की जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध उन कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं की पहचान नहीं किया जाती है। यदि अस्थयी अंतर (टेम्पोररी डिफरेंस) किसी ट्रान्जेक्शन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं के प्रारंभिक पहचान (किसी बिजनेस कम्बिनेशन के अलावा) से या गुडविल से उत्पन्न हुआ हो जिसका प्रभाव न तो कर योग्य लाभ पड़ता है और न ही लेखा लाभ पर।

अनुषंगी कंपनी तथा सम्बद्ध कंपनियों के निवेश से संबंधित कर योग्य अंतर के लिए आस्थगित कर देयता की पहचान उनको छोड़कर की जाती है, जहाँ कंपनी अस्थायी अंतर के रिवर्सल को नियंत्रित करने में सक्षम हो तथा यह संभव है कि निकट भविश्य में अस्थायी अंतर वापस नहीं होता हो। इस प्रकार के निवेश तथा व्याज से सम्बद्ध कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर की पहचान इस सीमा तक की जाती है। यह संभव है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा जिसके विरुद्ध अस्थायी अंतर के लाभ का उपयोग करना है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति कैरिंग रकम की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इस सीमा तक घटा दी जाती है कि लम्बे समय तक यह संभव है कि पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा जिससे परिसंपत्ति के पूरे या किसी भाग को वसूल (रिकवर) किया जा सकेगा। अनरिकोग्नाइज्ड आस्थगित कर का पुनर्मूल्यांकन रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में की जाती है इस हद तक पहचान (रिकोग्नाइज) की जाती है कि यह संभव हो चुका है कि वसूली योग्य आस्थगित कर परिसंपत्ति को पूरे या किसी भाग का प्रबंध करने (अलाउ) के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा देयता की गणना उस टैक्स दर पर की जाती है, जिन्हें उस अवधि में उपयोग किए जाने की संभावना हो जिसमें देयता को निपटाया जाता है या परिसंपत्ति को वसूला (रियलाइज) किया जाता है, उस टैक्स दर (कर कानून) पर जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक इनेक्ट या पर्याप्त ढंग से इनेक्ट किया जा चुका हो।

आस्थगित कर देयता एवं परिसंपत्ति की गणना (माप) कर परिणाम को दर्शाता है जो इस ढंग से अनुसरण करेगा कि कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्ति तथा देयता के कैरिंग रकम को वसूल या निपटाने (सेटल) करने की उम्मीद हो।

लाभ या हानि में वर्तमान एवं आस्थगित कर की पहचान उस तिथि को छोड़कर की जाती है जब उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य विस्तृत आय या सीधे इकिवटी में चिह्नित (पहचान) की गई है जिस मामले में चालू एवं आस्थगित कर भी पहचान क्रमशः अन्य विस्तृत आय या प्रत्यक्षतः इकिवटी में की गई है। जहाँ किसी बिजनेस कंबिनेशन के लिए प्रारंभिक लेखा (अकाउटिंग) से चालू कर या आस्थगित कर उत्पन्न होता है, वहाँ बिजनेस कम्बिनेशन के लिए कर प्रभाव को लेखा (अकाउटिंग) में शामिल किया गया है।

2.11 कर्मचारियों के लाभ

2.11.1 अल्पकालीन लाभ

सभी अल्पकालीन कर्मचारी लाभ की पहचान उस अवधि में की जाती है जिस अवधि में वे खर्च हुए हों।

2.11.2 नियोजन के बाद लाभ तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

2.11.2.1 परिभाषित (डिफाइन्ड) अंशदान योजना

भविष्य निधि तथा पेंशन के लिए परिभाषित अंशदान योजना नियोजन के उपरांत दी जाने वाली लाभ योजना है जिसके तहत कानून के अधिनियम (इनएक्टमेंट) के तहत गठित पृथक सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) द्वारा मेनेटेन किए जा रहे कोष में कंपनी निर्धारित अंशदान देती है तथा कंपनी के पास अतिरिक्त रकम को देना के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक बाध्यता नहीं होगी। परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान के लिए दायित्व की पहचान लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में उस अवधि में की जाती है जिस अवधि में यह कम्पनियों को दिए जाते हैं।

2.11.2.2 परिभाषित (डिफाइन्ड) लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना नियोजन के उपरांत लाभ योजना है जो परिभाषित अंशदान योजना से अलग है। ग्रेच्यूटी, छुट्टी नकदीकरण परिभाषित लाभ योजना (लाभ पर सीमा (सिलिंग) है। परिभाषित लाभ योजना के संबंध में कंपनी का शुद्ध दायित्व (ओब्लिगेशन) की गणना भावी लाभ की रकम का आकलन कर की जाती है जिसे कर्मचारी ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधि में अपने सेप के लिए अर्जित किया है। इस लाभ को इसके वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए डिस्काउन्ट कर दिया जाता है तथा प्लान परिसंपत्ति, यदि कोई हो, के फेयर वैल्यू तक घटा दिया जाता है। डिस्काउन्ट रेट रिपोर्टिंग तिथि को भारत सरकार के प्रतिभूति के प्रचलित बाजार उत्पादन पर आधारित होता है जिसकी परिपक्वता की तिथि कंपनी के दायित्व के समय आसपास तथा वह उसी करेंसी में डेनोमिनेटेड होता है जिसमें लाभ दिए जाने की संभावना रहती है।

एकचुरियल वैल्यू के प्रयोग में डिस्काउन्ट दर, परिसंपत्तियों पर प्रतिफल का संभावित दर भावी वेतन वृद्धि, मोर्टालिटी दर आदि शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालीन प्रवृत्ति के कारण ये आकलन अनिश्चित है। प्रत्येक तुलन पत्र में गणना प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का प्रयोग कर अक्युअरी द्वारा की जाती है। जब गणना का परिणाम कंपनी के लाभ में प्रतिफलित होता है, तब रिकोग्नाइज्ड परिसंपत्ति उस आर्थिक के लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित होता है, जो योजना से किसी भावी रिफंड या योजना में भावी योगदान के रूप में उपलब्ध होता है। आर्थिक लाभ कंपनी को तभी होता है, जब यह योजना की जीवन अवधि में वसूलीयोग्य या योजना देयता के सेटलमेंट पर वसूलीयोग्य होता है।

शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व की पुनर्माप में योजना परिसंपत्ति (व्याज को छोड़कर) पर रिटर्न पर विचार करते हुए अक्युरियल प्राति (गेन) तथा हानि शामिल है तथा परिसंपत्ति की सीलिंग (सीमा) के प्रभाव की पहचान तत्काल अन्य विस्तृत आय में की जाती है।

तत्कालीन निबल परिभाषित अंशदान एवं लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान निबल लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी तरह के बदलाव को ध्यान में रखकर निबल व्याज दर उस समय निबल परिभाषित देयल के प्रति वार्षिक अवधि के प्रारंभ में परिभाषित लायदायित्व की माप करने के लिए प्रयुक्त विस्कांडर दर को लागू कर निबल अवधि देयता पर निर्धारित की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व को माप करने के लिए प्रयुक्त डिस्काउन्ट दर को लागू कर अवधि के लिए निबल लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर निबल व्याज व्यय निर्धारित करती है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित निबल व्याज व्यय तथा अन्य व्यय की पहचान लाभ एवं हानि लेखा में की जाती है।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है तब कर्मचारी द्वारा की गई विगत की सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के भाग की पहचान लाभ एवं हानि के विवरण में तत्काल की जाती है।

2.11.3 अन्य कर्मचारी लाभ

परिभाषित लाभ योजना के लिए एलटीए, एलटीसी, जीवन सुरक्षा योजना, ग्रूप पर्सनल एक्सीडेंट इन्श्योरेंस स्कीम, सेटलमेंट भत्ता, सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना तथा खान दुर्घटना आदि में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआबजा आदि जैसे कुछ अन्य कर्मचारी लाभ की पहचान उसी आधार पर की जाती है जैसा कि दिए गए आधार पर की जाती गया है। इन लाभों के लिए अलग से कोई विशिष्ट फंड नहीं है।

2.12 विदेशी मुद्रा

जिस वातावरण में कंपनी काम करती है उस आर्थिक वातावरण के प्रमुख करेंसी होने के नाते कंपनी की रिपोर्टेड करेंसी तथा इसके बड़े संचालन की कार्यकारी करेंसी भारतीय रूपया (आईएनआर) है।

ट्रान्जेक्शन तिथि को प्रचलित विनियम दर का प्रयोग कर विदेशी मुद्रा में ट्रान्जेक्शन को कंपनी की रिपोर्टेड करेंसी में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्रा में प्रभावी मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनियम दर पर परिवर्तित कर दिया जाता है। मैट्रिक परिसंपत्ति तथा देयता के निपटारा तथा मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता को परिवर्तित करने के फलस्वरूप उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के दौरान या पूर्व वित्तीय विवरण में प्रारंभिक पहचान पर उन्हें परिवर्तित किया गया था, से अलग दर पर लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में पहचान की जाती है जिस अवधि में वे उत्पन्न हुई हो।

मुख्यतः विदेशी मुद्रा वाले गैर-मौद्रिक आइटम का मूल्य लेन देन की तिथि के दिन प्रचलित विनियम दर पर किया जाता है।

2.13.1 स्टोर एवं स्पेयर्स

केंद्रीय तथा क्षेत्र में स्थित स्टोर एवं स्पेयर पार्ट के स्टॉक पर प्राइस्ड स्टोर लेजर में दिए गए बैलेंस के अनुसार विचार किया जाता है। तथा भारित औसत पद्धति (वेटेड अवरेज मेथड) के आधार पर परिकलित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलियरी/सबस्टोर्स/ड्रिलिंग कैम्पों/उपयोग केंद्रों पर पड़े स्टोर्स एवं स्पेयर पार्टों की वस्तुसूची पर विचार भौतिक रूप से सत्यापित स्टोरों के अनुसार वर्षात में किया जाता है तथा लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

बेकार, क्षतिग्रस्त तथा अप्रयुक्त स्पेयर एवं पार्टों के लिए 100 प्रतिशत की दर पर प्रावधान किया जाता है तथा 5 वर्ष से उपयोग में नहीं लाए गए स्पेयर पार्टों के लिए 50 प्रतिशत की दर पर किया जाता है।

2.13.2 अन्य वस्तु सूची

स्टेशनरी के स्टॉक के मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण उन पर वस्तु सूची के लिए विचार नहीं किया जाता है।

2.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधान की पहचान तब की जाती है, जब वर्तमान दायित्व पिछली घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है तथा यह संभव है कि आर्थिक लाभ के आउटफलों के दायित्व सेटल करना अपेक्षित होगा तथा दायित्व की रकम का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। जहाँ धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण हो वहाँ प्रावधान दायित्व निपटाने के लिए संभावित व्यय को वर्तमान मूल्य पर निश्चित किया जाता है।

सभी प्रावधान की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम आकलन प्रहिबिष्ठित करने के लिए इसे समायोजित किया जाता है। सभी प्रावधान की प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि में संवीक्षा की जाती है और करेंट ब्रेस्ट आकलन को प्रतिभाषित करने के लिए समायोजित किया जाता है। जहाँ यह संभव नहीं है कि इकोनामिक बेनीफिट के लिए आउटफलों की जरूरत होगी अथवा धन को आकलित नहीं किया जाता है का ओब्लिगेशन आकस्मिक देयता के रूप में उल्लेख किया जाता है, क्योंकि इकोनामिक बेनीफिट की आउटफलों की संभावना संभव (दूर) नहीं है। संभावित ओब्लिगेशन जिसका अस्तित्व एक या अधिक के आकूरेंस या नन-आकूरेंस द्वारा संपुष्ट करना होगा। भावी अनिश्चितता वाली घटना पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती है, को आकस्मिक देयताएँ में उल्लेख किया गया है, क्योंकि आर्थिक लाभ का आउटफलों की संभाव्यता न के बराबर (दूर) है।

आकस्मिक परिसंपत्ति को वित्तीय विवरण में नहीं माना गया है, हालाँकि जब रियलाइजेशन ऑफ इनकम वरचुअली निश्चित होता है तो संबंधित परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति में नहीं आता है और इसकी पहचान समुचित तरीके से की जाती है।



2.15 प्रति शेयर अर्जन (अर्निंग)

प्रति शेयर मूल अर्जन की अवधि के दौरान इकिविटि शेयर आउटस्टैंपिंग के भारित औसत नंबर को कर के बाद निबल लाभ से भाग देकर गणना की जाती है। प्रतिशेयर डायलूटेड अर्निंग की गणना इकिविटि शेयर की भारित औसत नंबर द्वारा कर पश्चात् लाभ से भाग देकर की जाती है और प्रतिशेयर डिराइविंग बेसिक पर विचार किया गया है ओर इकिविटि शेयर का भारित औसत संख्या को सभी को सभी डायलूटिव पोटेंशियल इकिविटि शेयर में बदल कर जारी किया जाता है।

2.16 जजमेंट्स, एस्टीमेट्स और एजम्पसन

आईएनडीएएस के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी में प्रबंधन को आकलन, जजमेंट्स और एजम्पसन बनाने की जरूरत होती है, जो वित्तीय विवरण में परिसंपत्ति और देयताओं के रिपोर्टड राशि और आकस्मिक परिसंपत्ति तथा रिपोर्टड अवधि के दौरान राजस्व और व्यय को प्रकट किया गया है। लेखा नीति को लागू करने में कमप्लेक्स और सबजेक्टिव जजमेंट्स को इस वित्तीय विवरण में एजम्पसन के उपयोग का उल्लेख किया गया है। लेखा आकलन समय—समय पर बदल सकता है। वास्तविक परिणाम उससे भिन्न हो सकता है। एस्टीमेट और अंडरलाईंग एजम्पसन की संवीक्षा आनगोईंग आधार पर की जाती है। लेखा आकलन का रिवीजन उस अवधि में की जाती है यदि महत्वपूर्ण हो तो जब आकलन को रिवाइज किया जाता है उसके प्रभाव को वित्तीय विवरण की टिप्पणी में उल्लेख किया गया है।

2.16.1 जजमेंट्स

कंपनी लेखा नीति का लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन निम्नलिखित जजमेंट (निर्णय) करता है जो वित्तीय विवरण में रिकोगनाइज्ड राशि पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव को व्यक्त करता है।

2.16.2 लेखा नीति का निर्माण

लेखा नीति इस प्रकार तैयार की जाती है कि लेनदेन के बारे में दी गई सूचना अन्य इवेन्ट्स और कंडीशन्स, जिसके लिए यह लागू है सम्बद्ध ओर विश्वसनीय है। इस नीति की आवश्यकता तब नहीं होती है जब उन्हें लागू करने का प्रभाव महत्वपूर्ण न हो आईएनडीएएस की अनुपस्थिति में जो विशेषकर लेनदेन अन्य इवेन्ट्स या परिस्थिति के लिए लागू होता है, प्रबंधन ने लेखा नीति के विकास और लागू करने के लिए अपने निर्णय (जजमेंट) का उपयोग किया है उसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित सूचना शामिल है :

- (क) उपयोगकर्ता की इकोनोमिक डिसीजन—मेकिंग आवश्यकता से सम्बद्ध हो तथा
- (ख) वह तथा कथित वित्तीय विवरण विश्वसनीय हो,

1. वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और इनटीटी का कैशफ्लो को विश्वसनीय तरीके से प्रतिनिधित्व करता हो।
2. लेन—देन, अन्य इवेन्ट्स और स्थिति के इकोनामिक सबस्टांस को बतलाता है, जो लीगल फार्म में नहीं होता है।
3. यह न्यूट्रल अर्थात् पूर्वाग्रह से मुक्त होता है।
4. प्रेडेन्ट होता है; तथा
5. कंसिस्टेंट आधार पर सभी महत्वपूर्ण पहलूओं को पूरा करता है।

निर्णय करने में प्रबंधन घटते क्रम में निम्नलिखित के प्रयोज्यता पर विचार करता है :

- (क) आईएनडी एएस में समान और सम्बधित मुद्रे से निपटा जाता है।
- (ख) फ्रेम वर्क में परिसंपत्ति, देयता, आय और व्यय के लिए परिभाषा, रिकोगनिशन क्राइटेरिया और मेजरमेंट अवधारणा।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

जजमेंट करने में प्रबंधन इन्टरनेशनल एकाउन्टिंग बोर्ड के मोस्ट रिसेन्ट प्रोनाउंसमेंट पर विचार करता है, और उसकी अनुपरिस्थिति में अन्य स्टैगर्ड रिसेन्ट बॉडीज जिसका उपयोग डेवलपमेंट एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड, अन्य एकाउन्टिंग लिटरेचर का विकास करने के लिए समान कंसेप्चूअल फ्रेम वर्क का उपयोग करता हो और इंडस्ट्री प्रैक्टिस को स्वीकार उस सीमा तक करता है, जो उपर्युक्त पाराग्राफ के सोर्स का विरोधाभाषी न हो।

वह ग्रूप जो खनन के क्षेत्र में कार्य करता है (वैसा सेक्टर जहाँ प्रौन टू कंस्टर्ट चेंजेज और दशकों से चल रहे लीज की अवधि जो विभिन्न टोपोग्राफिकल और जियोमाइनिंग ट्रेन के आधार पर गवेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरणों के विकास पर आधारित है) लेखा नीति जहाँ गत विभिन्न दशकों से इसके कंसिस्टर्ट एप्लीकेशन को विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदित और अनुसंधान समिति द्वारा समर्थित होता है। स्पेसिफिक एकाउन्टिंग लिटरेचर की अनुपरिस्थिति में कुछ विशेष क्षेत्रों जो इवोल्यूशन की प्रक्रिया में हो के दिशा-निर्देश और मानकों का पालन करता हो। एकाउन्टिंग लिटरेचर और उससे संबंधित विकास आईएनडी एएस 8 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार लेखे में लिया जाएगा।

लेखे के वास्तविक आधार का उपयोग कर ऑन गोइंग कंसर्न पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

2.16.3 मैटेरियलिटी (महत्वपूर्ण)

आईएनडी एएस वहीं लागू होता है जहाँ आइटम महत्वपूर्ण हो। प्रबंधन यह निर्णय करने में अपने जजमेंट का उपयोग वित्तीय विवरण में इंडिविजुअल आइटम अथवा ग्रूप ऑफ आइटम महत्वपूर्ण है या नहीं में करता है। महत्वपूर्णता का निर्णय आइटम के आकार और प्रकृति से होता है। डिसाइंग फैक्टर है कि या तो ओमिशन या मिस स्टेटमेंट निजी या सामूहिक रूप से आर्थिक निर्णय को प्रभावित करता है या नहीं तथा जिसे वित्तीय विवरण के आधार पर बनाया जाता है। प्रबंधन आईएनडीएस की अनुपूरक आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण (मैटेरियलिटी) का जजमेंट का उपयोग करता है। विशेष परिस्थिति में एक आइटम की राशि या प्रकृति या आइटमों का कुल योग डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। प्रेजेन्ट सेपेटेली इमेहेरियल आइटमों के लिए इनटिटि की जरूरत हो सकती है जहाँ कानूनी रूप से जरूरी हो।

2.16.4 प्राक्कलन और एजम्पसन

अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्ति और देयताएँ केयरिंग राशि को मैटेरियल एजुजस्टमेंट के कारण महत्वपूर्ण जोखिम में एसटिमेशन अनसरटेंटी के अन्य की स्रोत और भावी संबंधि मुख्य छूट को नीचे दिया जा रहा है। पारीमीटर पर ग्रूप आधारित इसमें छूट और आकलन तभी उपलब्ध होगा जब कंसोलिडेटेड वित्तीय विवरण तैयार किया गया हो। भावी विकास में छूट और वर्तमान परिस्थिति जो ग्रूप के नियंत्रण से परे मार्केट चेंजेज अथवा परिस्थिति के कारण बदल सकता है। ऐसे परिवर्तन एजम्पसन जिसका पता चलता है को दर्शाता है।

2.16.4.1 गैर-वित्तीय परिसंपत्ति में छूट

यदि रिकवरेबल अमाउन्ट का जेनरेटिंग यूनिट अथवा परिसंपत्ति का कैरिंग वैल्यू डिस्पेजल के न्यूनतम लागत और इसके उपयोग मूल्य का फेयर वैल्यू अधिक हो तो इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन होता है। इम्पेयरमेंट के परीक्षण के उद्देश्य से सेपरेट कैश जेनरेटिंग यूनिट्स के रूप में इंडिविजुअल खान पर ग्रूप विचार करता है। वैल्यू डीसीएफ मॉडल के आधार पर यूज में वैल्यू की गणना की जाती है। अगले पाँच वर्षों के लिए नकद प्रवाह बजट से होता है तथा इसमें रीस्ट्रक्चरिंग एकिटिविटि शामिल नहीं होता है, जिसके लिए ग्रूप वर्चनबद्ध नहीं होता है अथवा महत्वपूर्ण भावी निवेश जिसका सीजीयू की परिसंपत्ति के कार्य निष्पादन, बढ़ाएगा का परीक्षण किया जाएगा। गवेषण के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त ग्रोथ रेट और एक्सपेक्टेड भावी कैश इनफ्लो के साथ-साथ डीसीएफ मॉडल के लिए प्रयुक्त डिस्कांट रेट के लिए रिकवरेबल एमाउन्ट संवेदनशील होता है। यह आकलन अन्य माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा अनुकूल होता है। विभिन्न सीजीयू के लिए रिकवरेबल एमाउन्ट के निर्धारण के लिए प्रयुक्त की एजम्पसन होता है, उल्लेख किया जाता है और संबंधित टिप्पणी में उल्लेखित किया जाता है।



2.16.4.2 कर

आस्थगित कर परिसंपत्ति अनयूज्ज टैक्स लॉसेस के लिए उस सीमा तक रिकोगनाइज्ड किया जाता है, लॉस को यूटिलाइज्ड करने के विरुद्ध उपलब्ध कर लाभ संभव है। सिगनीफिकान्ट मैनेजमेंट जजमेंट आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है तथा भावी टैक्स स्ट्रेटजी के साथ भावी टैक्सेबुल लाभ के स्तर और संभावित टाइमिंग के आधार पर जाना जा सकता है।

2.16.4.3 परिभाशित लाभ योजना

डिफाइन्ड बेनीफिट ग्रेच्युटि प्लान की लागत और अन्य पोस्ट इम्प्लायमेंट मेडिकल बेनीफिट तथा ग्रेच्युटि ओबलिगेशन का वर्तमान मूल्य को वास्तविक मूलंकन का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है। वास्तविक मूल्यांकन में मेकिंग वेरियल एजम्पसन, भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकता है। इसमें डिसकाउंट दर का निर्धारण, भावी वेतन में बढ़ोत्तरी तथा मोर्टालिटि दर शामिल है।

मूल्यांकन और इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलता के कारण डिफाइन्ड बेनीफिट ओबलिगेशन इन एजम्पसन में परिवर्तन से हाईली संसेटीव हो जाता है। सभी एजम्पसन की संवीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग डेट पर की जाती है। पारामीटर अधिकांशतः डिसकाउन्ट दर में परिवर्तित होता है। भारत में परिचालित प्लान के लिए समुचित डिस्काउंट दर के निर्धारण में पोस्ट इम्प्लायमेंट बेनीफिट ओबलिगेशन के करेंसी सहित करेंसी कंसीसटेंट में सरकारी बांड के ब्याज दर पर प्रबंधन विचार करता है।

मोर्टालिटि रेट देश में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मोर्टालिटि तालिका पर आधारित होता है। वह मोर्टालिटि टेबल डेमोग्राफिक बदलावों के रेसपोंस के इंटरवल में केवल बदलता है। भविष्य में वेतन बढ़ोत्तरी और ग्रेच्युटि में बढ़ोत्तरी अनुमानित भावी इनफलेशन दर पर होता है।

2.16.4.4 वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स का उचित मूल्य मापन

जब वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य तुलन पत्र में दर्ज हो जाता है तब डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए उसके मूल्य, सक्रिय बाजार में उल्लेखित मूलय पर आधारित नहीं किया जा सकता है। इन मॉडल के लिए इनपुट, जहाँ संभव हो, ओबजरवेबल मार्केट से लिया जाता है, परंतु जहाँ संभव नहीं है वहाँ फेयर वैल्यू को संस्थापित करते हुए जजमेंट की डिग्री की आवश्यकता होती है। जजमेंट में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और वोलाटिलिटि जैसे इनपुट पर विचार शामिल हैं। इन फैक्टर के एजम्पसन से परिवर्तन वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के रिपोर्ट फेयर वैल्यू पर प्रभाव पड़ सकता है।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

टिप्पणी-38 : 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणी

1 उचित मूल्य माप

(करोड़ रुपये में)

(क) कैटेगरी द्वारा वित्तीय इंस्ट्रूमेंट

	31मार्च, 2018			31मार्च, 2017		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	एमोर्टाइज्ड लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसी.आई	एमोर्टाइज्ड लागत
वित्तीय परिसंपत्ति						
निवेश :						
प्रतिभूत बाण्ड						
सब्सिडी में प्रिफरेंस शेयर						
स्थुचुअल फंड						
ऋण			-			0.02
जमा, प्राप्तियोग्य एवं अन्य			90.96			151.44
पेशागत वसूली			611.38			327.65
नकद एवं नकद समतुल्य			179.27			77.18
अन्य बैंक शेष						
वित्तीय देयताएँ						
उधारी						
पेशागत देय			1.31			1.13
सिक्युरिटि जमा एवं अर्नेस्ट मनी			10.09			9.69
अन्य देयताएँ			85.57			79.06

(ख) उचित मूल्य समूह

वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य के निर्धारण में जजमेंट और प्राक्कलन को दर्शाने वाली तालिका में (क) उचित मूल्य पर रिकोगनाइज्ड और मेजरमेंट (ख) अमोर्टाइज्ड लागत पर माप जिसके लिए वित्तीय विवरण में प्रकट किया गया उचित मूल्य है। फेयर वैल्यू के निर्धारण में प्रयुक्त इनपुट्स के रिलिएविलिटी के बारे में सूचना (दिशा-निर्देश) उपलब्ध कराना है, ग्रूप को एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड के तहत निर्धारित तीन स्तरों में इसके वित्तीय इंस्ट्रूमेंट में वर्गीकृत करता है। प्रत्येक स्तर की व्याख्या नीचे की तालिका में दी गई है।

फेयर वैल्यू रेकरिंग फेयर वैल्यू मेजरमेंट पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएँ	31 मार्च, 2018			31 मार्च, 2017		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्ति						
निवेश :	-	-	-	-	-	-
स्थुचुअल फंड	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ						
यदि कोई आइटम हो	-	-	-	-	-	-



(₹ in Crore)

वित्तीय परिसंपत्ति तथा देयता की माप एमोर्टाइज्ड लागत पर होती है जिसके लिए 31 मार्च, 2018 के फेयर वैल्यू में उल्लेख किया गया है।	31 मार्च, 2018			31 मार्च, 2017		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्ति						
निवेश :			-			-
जेवी में इकिविटि शेयर		-				-
स्यूचुअल फंड		-				-
ऋण		-				0.02
जमा, प्राप्य एवं अन्य		90.96				151.44
पेशागत प्राप्ति		611.38				327.65
नकद एवं नकद समतुल्य		179.27				77.18
अन्य बैंक शेष						
प्रिफरेंस शेयर						
उधारी						
पेशागत देय		1.31				1.13
सिक्युरिटि डिपाजिट एवं अर्नेस्ट मनी		10.09				9.69
अन्य देयताएँ		85.57				79.06

स्तर 1 : स्तर 1 हिमरारकी में वित्तीय इंस्ट्रूमेंट की माप उल्लेखित मूलय का उपयोग कर मापा जाता है। इसमें स्यूचुअल फंड जिसका कोटेट मूल्य है और क्लोजिंग एनएवी का उपयोग कर मूल्यांकित किया जाता है।

स्तर 2 : वित्तीय इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू जिसे सक्रिय बाजार में ट्रेड नहीं किया जाता है को वैल्यूएशन तकनीक जो ओवरवेबल मार्केट डाटा का उपयोग मैक्रिसमाइज कर तथा इनटिटि-स्पेसिफिक एस्टीमेंट पर कुछ संभव है, का निर्धारण किया जाता है। फेयर वैल्यू का इंस्ट्रूमेंट जो ओबजरवेसन है, को सभी महत्वपूर्ण इनपुट की आवश्यकता होती है वैसे इंस्ट्रूमेंट को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3 : यदि महत्वपूर्ण इंपुट का एक या अधिक ओवजरवेबल मार्केट पर आधारित नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। इकिविटि सिक्युरिटि, प्रिफरेंस शेयर, उधारी, सिक्युरिटि डिपाजिट, लोन, पेशागत प्राप्ति, नकद एवं नकद तुल्य और अन्य देयताओं/परिसंपत्तियों का यह मामला है जिसे स्तर 3 में शामिल किया गया है।

(ग) फेयर वैल्यू के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वैल्यू फायनासिंयल इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक में शामिल है :

- इंस्ट्रूमेंट के उल्लेखित मार्केट मूल्य का उपयोग।
- डिस्काउंटेड कैश फ्लो विश्लेषण का उपयोग कर शेष वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का फेयर वैल्यू का निर्धारण किया जाता है।

(घ) महत्वपूर्ण अनावश्यक इनपुट की सहायता से फेयर वैल्यू की गणना

वर्तमान में महत्वपूर्ण अनावश्यक इनपुट की सहायता से फेयर वैल्यू की गणना नहीं किया जाता है।

(ङ.) एमोर्टाइज्ड लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति का फेयर वैल्यू एवं देयताओं की गणना

- पेशागत वसूली, अल्पकालीन जमा, नकद और नकद समतुल्य, पेशागत देय का कैरिंग अमाउण्ट (वहनीय राशि) को उसके उचित मूल्य पर समान माना गया है, क्योंकि उसकी प्रकृति अल्पकालीन होती है।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

- कंपनी का विचार है कि सिक्युरिटी डिपॉजिट को महत्वपूर्ण फाइनान्सिंग कम्पोनेंट में शामिल नहीं किया गया है। कंपनी के कार्यनिष्ठादान सहित माइन स्टोन पेमेंट (सिक्युरिटी डिपॉजिट) का समन्वय करता है और वित्त के प्रावधान के अलावे अन्य कारणों के लिए रिटेंड किए जाने वाली अपेक्षित राशि का करार करता है। प्रत्येक माइन स्टोन पेमेंट के स्पेसिफाइड प्रतिशत के विथहोल्डिंग के लिए करार के तहत अपने ओबलिगेशन को पूरा करने में ठेकेदार असमर्थ होता है तो कंपनी के हित के लिए माइल स्टोन पेमेंट किया जाता है। तदनुसार विक्युरिटी डिपॉजिट के लेनदेन की लागत को शुरुआती रिकोगनिशन के फेयर वैल्यू और अमोरटाइज्ड लागत माप पर फेयर वैल्यू पर विचार किया गया है।

महत्वपूर्ण आकलन : वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का फेयर वैल्यू जिसे एकिटव मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता है, को मूलयांकन तकनीकी का उपयोग कर निर्धारण किया जाता है। कंपनी मेथड का चयन करने के लिए अपने जजमेंट का उपयोग करता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त एजम्पसन बनाता है।

2 जोखिम विश्लेषण और प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य और नीति

कंपनी का सिद्धांत वित्तीय देयताएँ, कम्पाइज लोन और उधारी, पेशा और अन्य देय है। इस वित्तीय देयता का मुख्य ध्येय कंपनी के परिचालन के लिए वित्त और इसके संचालन के स्पोर्ट में गारंटी, उपलब्ध कराना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्ति में ऋण, पेशा और अन्य प्राप्ति तथा नकद एवं नकद तुलयमान शामिल है जो सीधे इसके परिचालन से संबंधित है।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट रिस्क और तरलता जोखिम को बतलाता है। कंपनी के वरीय प्रबंधन इस जोखिम प्रबंधन की देख-रेख करता है। कंपनी के वरीय प्रबंधन को जोखिम समिति द्वारा स्पोर्ट किया जाता है जो कंपनी के लिए उपर्युक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन फ्रेमवर्क तथा वित्तीय जोखिम पर सलाह और इंटर एलिया देता है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि कंपनी का वित्तीय जोखिम कार्य-कलाप समुचित नीति और प्रक्रिया द्वारा शासित होती है तथा वित्तीय जोखिम कंपनी की नीति और जोखिम के उद्देश्य के अनुरूप चिन्हत मापित और मैनेज किया जाता है। निदेशक मंडल इसकी समीक्षा करता है और इन जोखिमों के प्रत्येक के लिए मैनेज करने की नीति पर सहमत होता है, जिसे नीचे दिया जा रहा है :

कंपनी मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क को बताता है। यह टिप्पणी जोखिम के स्रोतों को व्यक्त करता है, जिसे इनटिटि प्रकट होती है और यह बतलाती है कि इनटिटि जोखिम को कैसे मैनेज करता है और वित्तीय विवरण में हेगेड एकाउन्टिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा को बतलाता है।

जोखिम	निम्न से उत्पन्न एक्सपोजर	मेजरमेंट	प्रबंधन
ऋण जोखिम	एमोरटाइज्ड लागत पर नकद और नकद तुल्यमान, पेशागत वसूली वित्तीय एसेटमेजरड	एंजिंग विश्लेषण	डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई गाइडलाइन्स), बैंक डिपॉजिट क्रेडिट लिमिट और अन्य सिक्युरिटिज को विविधिकरण।
देयता जोखिम	उधारी एवं अन्य देयताएँ	पिरीओडिक कैश फ्लो	कमिटेड क्रेडिट लाइन्स और उधारी सुविधाओं की उपलब्धता।
बाजार जोखिम विदेशी विनियम	भावी व्यवसायिक लेनदेन, रिकोगनाइज्ड वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएँ आईएनआर में डिनोमिनेटेड नहीं हैं।	कैश फ्लो फोरकास्ट सेनसिटिवीटी विश्लेषण	वरीय प्रबंधन और ऑडिट समिति द्वारा नियमित देख-रेख और समीक्षा।
बाजार जोखिम ब्याज दर	नकद और नकद समतुल्य, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	कैश फ्लो फोर कास्ट सेनसिवीटी विश्लेषण	डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई गाइडलाइन्स), वरीय प्रबंधन और ऑडिट समिति द्वारा नियमित देख-रेख और समीक्षा।



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

कंपनी जोखिम प्रबंधन, भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई के निर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा संपन्न किया जाएगा। मंडल एक्सेस तरलता को शामिल करने की नीति के साथ-साथ समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत (प्रिंसिपल) उपलब्ध कराता है।

- क. क्रेडिट जोखिम :** क्रेडिट जोखिम आउटस्टैंडिंग रीसिवेबल के साथ-साथ बैंक और वित्तीय संस्थानों के पास जमा और नकद तथा नकद समतुल्य से एराइज होता है।

	31.03.2018	31.03.2017
सकल वाहक राशि	614.11	330.15
अपेक्षित हानि दर	0.44%	0.76%
अपेक्षित क्रेडिट भत्ता हानि	2.73	2.50

31.03.2018

एजिंग	2 महिने के लिए चुकाने योग्य	6 महिने के लिए चुकाने योग्य	1 वर्ष के लिए चुकाने योग्य	2 वर्ष के लिए चुकाने योग्य	3 वर्ष के लिए चुकाने योग्य	3 वर्ष से अधिक के लिए चुकाने योग्य	कुल
सकल वाहक राशि	313.16	156.57	81.67	27.01	7.97	27.73	614.11
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	9.84%	0.44%
अपेक्षित क्रेडिट (भत्ता हानि प्रावधान)	-	-	-	-	-	2.73	2.73

31.03.2018

एजिंग	2 महिने के लिए चुकाने योग्य	6 महिने के लिए चुकाने योग्य	1 वर्ष के लिए चुकाने योग्य	2 वर्ष के लिए चुकाने योग्य	3 वर्ष के लिए चुकाने योग्य	3 वर्ष से अधिक के लिए चुकाने योग्य	कुल
सकल वाहक राशि	112.57	137.59	25.25	16.45	7.29	31.00	330.15
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	8.06%	0.76%
अपेक्षित क्रेडिट (भत्ता हानि प्रावधान)	-	-	-	-	-	2.50	2.50

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन :

वित्तीय परिसंपत्ति के महत्वपूर्ण लागत और जजमेंट्स इम्पेयरमेंट

उपर्युक्त में दर्शित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए इम्पेयरमेंट प्रावधान रिस्क ऑफ डिफाल्ट और संभावित हानि पर के जोखिम में छूट के आधार पर है। कंपनी इन छूट के लिए जतजमेंट और इम्पेयरमेंट कलकूलेशन के इनपुट का चयन कंपनी के विगत इतिहास-वर्तमान बाजार की स्थिति तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अग्रिम लागत पर आधारित होता है।

ख. तरलता जोखिम :

प्रूडेंट तरलता जोखिम प्रबंधन में आवलीगेशनस जब बकाया हो को पूरा करने के लिए कमिटेड क्रेडिट सुविधा के पर्याप्त राशि के द्वारा कमिटेड क्रेडिट सुविधा के पर्याप्त राशि के द्वारा कोष की उपलब्धता और बाजारयोग्य सिक्यूरिटि तथा पर्याप्त नकद शामिल है। अंडर लाईंग व्यवसाय, ग्रुप ट्रेजरी की डायनमिक प्रकृति के कारण कमिटेड क्रेडिट लाइन्स के तहत उपलब्धता को बनाकर कोष में फ्लैक्सिबिलिटि बनाए रखना है।

प्रबंधन भावी नकद प्रवाह के आधार पर नकद और नकद समतुल्य के कंपनी तरलता स्थिति (कम्प्राइजिंग द अंडर ड्झान बौरेविंग फेसिलिटि बिलो) के पूर्वानुमान का मानीटर करता है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा प्रैक्टिस और लिमिट सेट के अनुसार ग्रुप के परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर संपन्न किया जाता है।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड

बाजार जोखिम :

(क) विदेशी करेंसी जोखिम :

कंपनी ने विदेशी करेंसी के लेनदेन से उत्पन्न विदेशी विनियम जोखिम को बताया है। विदेशी परिचालन से संबंधित विदेशी विनियम जोखिम को नगान्य माना गया है। कंपनी इम्पोर्ट्स भी करती है और नियमित रूप से इसे मैनेज भी करती है। कंपनी की एक नीति है जिसमें फोरेन करेंसी जोखिम हो और वह महत्वपूर्ण हो तब यह नीति क्रियान्वित होती है।

(ख) नकद प्रवाह और फेयर वैल्यू इंटरेस्ट रेट रिस्क

कैशफलो इंटरेस्ट रेट जोखिम कंपनी के ब्याज दर में परिवर्तन के साथ ही बैंक डिपाजिट से होता है। कंपनी की पौलिसी फिक्सड रेट पर अधिकांश डिपोजिट को बनाए रखना है।

बैंक डिपाजिट क्रेडिट लिमिट और अन्य सिक्यूरिटी के विविधकरण, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के दिशा-निर्देश का उपयोग कर जोखिम को मैनेज करता है।

पूँजीगत प्रबंधन :

कंपनी सरकारी इनटाइटी होने के कारण अपनी पूँजी को वित्त मंत्रालय के तहत पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट के दिशा-निर्देश के अनुसार मैनेज करती है।

कंपनीकी पूँजीगत संरचना इस प्रकार है :

(करोड़ रु. में)

	31.03.2018	31.03.2017
इकिवटी शेयर कैपिटल	38.08	19.04
प्रिफरेंस शेयर कैपिटल	शून्य	शून्य
दीर्घकालीन ऋण	शून्य	शून्य

3. कम्पनी सूचना :

नाम	सीआईएल के साथ संबंध (नियंत्रक कंपनी)	मुख्य क्रिया.कलाप	इनकारपोरेंस का काउन्ट्री	इकिवटी इंटरेस्ट का प्रतिशत	
				31.03.2018	31.03.2017
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीचूट लिमिटेड	कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी	प्लानिंग एंड डिजाइन, गवेषण पर्यावरणिक सेवाएँ	भारत	100 %	100 %

4. कर्मचारी लाभ : रिकोगनिशन एण्ड मेजरमेंट (आईएनडी एएस-19)

i) प्रोविडेंट फंड :

कंपनी कोल माईस प्रोविडेंट फंड (सीएमपीएफ) नामक ट्रस्ट जो फंड का निवेश परमिटेड सिक्यूरिटी में निवेश करती है, यह निवेश प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड में पूर्व-निर्धारित दर पर अंशदान करती है। वर्ष के दौरान फंड में योगदान के रूप में 33.06 करोड़ रुपये है। (32.66 करोड़ रुपये) लाभ एवं हानि (टिप्पणी 28) के विवरण में दिया गया है।



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

ii) कंपनी कुछ डिफाइम्ड बेनीफिट प्लान को चलाती है जिसका मूल्य एक्चूरियल आधार पर तय होता है :

(क) निधित

- ग्रेच्युटि

(ख) गैर-निधित

- छुट्टी नकदीकरण
- लाइफ कवर योजना
- सेटलमेंट भत्ता
- ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्यूरेंस
- लीव ट्रेवल कंसेसन
- चिकित्सा लाभ
- खान एक्सीडेंट बेनीफिट पर आश्रित को क्षतिपूर्ति

एक्चयुअरी द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित 31.03.2018 कुल देयता 333.04 करोड़ है, जिसका विवरण नीचेदिया गया है :

31.03.2018को एक्च्यूरियल देयता :

(करोड़ रु. में)

शीर्ष	01.04.2017 के अनुसार ओपनिंग एक्चूरियल देयता	वर्ष के दौरान आंतरिक देयता	31.03.2018 के अनुसार क्लोजिंग एक्चूरियल
ग्रेच्यूटी	117.21	50.33	167.54
अर्न लीव	74.02	(20.91)	53.11
हाफ पे लीव	29.60	(9.16)	20.44
लाइफ कवर योजना	0.71	(0.09)	0.62
सेटलमेंट अलाउंस एक्जीक्यूटिव	2.14	0.97	3.11
सेटलमेंट अलाउंस गैर-अधिकारी	1.10	(0.20)	0.90
ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट बीमा योजना	0.05	-	0.05
लीव ट्रेवल कंसेसन	17.45	0.95	18.40
चिकित्सा लाभ अधिकारी	60.24	3.78	64.02
चिकित्सा लाभ गैर-अधिकारी	2.46	2.39	4.85
खान एक्सीडेंटल मृत्यु के मामले में आश्रितों को क्षतिपूर्ति / मुआवजा	-	-	-
कुल	304.98	28.06	333.04

(ग) वास्तविक प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रकटीकरण :

ग्रेच्युटि (निधित) और छुट्टी नकदीकरण के लिए कर्मचारी बेनीफिट हेतु वास्तविक प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रकटीकरण :-

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

31.03.2018 के अनुसार ग्रेच्युटि देयता का वास्तविक मूल्यांकन
आईएनडी एएस 19 (2015) के अनुसार प्रमाण-पत्र

तालिका 1 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

31.03.2017	निम्नलिखित के अनुसार ओबलिगेशन के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2018
111.81	गत मूल्यांकन के अनुसार आबलिगेशन का वर्तमान मूल्य	117.21
13.35	करेंट सेवा लागत	28.58
7.43	इंटरेस्ट कॉस्ट	8.32
	पार्टिसीपेन्ट कंट्रीब्यूशन	
	योजना संशोधन : अवधि (गतसेवा) की समाप्ति पर वैरेटेड पोरसन	67.25
	योजना संशोधन : अवधि (गतसेवा) की समाप्ति पर नन-वैरेटेड पोरसन	
5.82	वित्तीय छूट में परिवर्तन के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ / हानि	-5.92
	डेमोग्राफिक एजम्पसन में परिवर्तन के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ / हानि	
-2.64	अन एक्सपेक्टेड अनुभव के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ / हानि	-29.34
	अन्य कारण से कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ / हानि	
	विदेशी विनियम दर में परिवर्तन का प्रभाव	
18.56	प्रदत्त लाभ	18.56
	एक्यूजीशन समायोजन	
	ओबलिगेशन का निपटान / स्थानांतरण	
	करटेलमेंट लागत	
	सेटलमेंट लागत	
	अन्य (मूल्यांकन तिथि की समाप्ति पर अनसेटल्ड देयता	
117.21	मूल्यांकन तिथि पर ओबलिगेशन का वर्तमान मूल्य	167.54
162.33	अर्जित ग्रेच्युटि	117.21

तालिका 2 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

31.03.2017	निम्न के अनुसार योजना परिसंपत्ति को फेयर वैल्यू में परिवर्तन	31.03.2018
23.22	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का फेयर वैल्यू	23.22
1.68	ब्याज पर आय	1.74
23.12	नियोक्ता का अंशदान	23.12
	पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन	
	एक्वीजिशन / बिजनेस कम्बिनेशन	
	सेटमेंट कॉस्ट	
18.56	प्रदत्त लाभ	18.56
	एसेट सीलिंग का प्रभाव	
	विदेशी विनियम दर में परिवर्तन का प्रभाव	
	एडमिनिस्ट्रेटिव व्यय तथा इंश्योरेंस प्रीमियम	
0.48	इंटरेस्ट इनकम को छोड़कर प्लान एसेट पर रिटर्न	0.42
29.94	मापन अवधि के अंत में प्लान एसेट का फेयर वैल्यू	29.94



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

तालिका 3 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

31.03.2017	तुलन पत्र के रीकानसिलिएशन दर्शाता हुआ	31.03.2018
-87.27	निधि की स्थिति	-137.60
	अनरीकोगनाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट	
	अवधि के दौरान अनरिकोगनाइज्ड एकच्यूरियल लाभ / हानि	
	पोस्ट मेजरमेंट डेट इम्पलायर कंट्रीब्यूशन (अनुमानित)	
	अनफंडेड एक्यूएड / प्रीपेड पेंशन कॉस्ट	
29.94	परिसंपत्ति निधि	29.94
117.21	देयता निधि	167.54

तालिका 4 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

31.03.2017	प्लान एजम्पसन को दर्शाती तालिका	31.03.2018
7.25%	डिस्काउन्ट दर	7.71%
7.25%	प्लान एसेट पर अनुमानित रिटर्न	7.71%
अधिकारी के लिए 9.00% गैर—अधिकारी के लिए 6.50%	बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की दर (सैलरी इनफलेशन)	अधिकारी के लिए 9.00% गैर—अधिकारी के लिए 6.25%
एन/ए	पेंशन वृद्धि दर	एन/ए
15	ऑसत अनुमानित भावी सेवा (शेष वर्किंग लाइफ)	15
15	देयताओं का ऑसत अवधि	15
आईएएलएम 2006–2008 अल्टीमेंट	मोर्टालिटि तालिका	आईएएलएम 2006–2008 अल्टीमेंट
60	उम्र पर सेवा—निवृति पुरुष	60
60	उम्र पर सेवा—निवृति महिला	60
1.00%	पूर्व सेवा निवृति एवं डिसएबलमेट (सभी संयुक्त कारणों)	0.30%

तालिका 5 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

31.03.2017	निम्नलिखित के अनुसार लाभ/हानि विवरण में रिकोगनाइज्ड व्यय	31.03.2018
13.35	चालू सेवा लागत	28.58
	पास्ट सर्विस कॉस्ट (वेर्स्टेड)	67.25
	पास्ट सर्विस कॉस्ट (नन-वेर्स्टेड)	
5.75	निबल ब्याज लागत	6.58
	सेटलमेंट पर लागत (हानि / (लाभ)	
	करटेलमेंट पर लागत (हानि / लाभ)	
	केबल गत वर्ष के लागू वास्तविक लाभ—हानि	

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

	कर्मचारियों का अनुमानित अंशदान	
	विदेशी विनियम दर में परिवर्तन का नेट इफेक्ट	
19.10	लाभ का लागत (लाभ / हानि के विवरण में रिकोगनाइज्ड व्यय	102.41

तालिका 6 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

31.03.2017	अन्य कम्प्रेहेन्सिव आय	31.03.2018
5.82	वित्तीय एजम्पसन में परिवर्तन के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ / हानि	-5.92
	डेमोग्राफिक एजम्पसन में परिवर्तन के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ / हानि	
-2.64	इन एक्सपेक्टेड एक्सीपीरिंग्स के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ / हानि	-29.34
	अन्य कारण से कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ / हानि	
3.18	कुल वास्तविक (लाभ) / हानि	-35.26
0.48	सूद पर आय को छोड़कर, प्लान एसेट पर रिटर्न	0.43
	एसेट सिलिंग का प्रभाव	
2.70	अवधि के दौरान शेष	-35.69
2.70	ओसीआई में रिकोगनाइज्ड अवधि के लिए निबल(आय) / व्यय	-35.69

तालिका 7 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

31.03.2017	मापक अवधि के अंत में प्लानएसेट का आवंटन दर्शाती तालिका	31.03.2018
-	नकद एवं नकद समतुल्य	-
-	निवेश निधि	-
-	डेरीवेटिव्स	-
-	एसेट बैंड सिक्युरिटीज	-
-	संरचनागत ऋण	-
-	रियल स्टेट	-
-	विशेष जमा योजना	-
-	राज्य सरकार प्रतिभूति	-
-	भारत सरकार परिसंपत्ति	-
-	कॉरपोरेट बान्ड्स	-
-	प्रतिभूत ऋण	-
-	एनुइटी कंट्रैक्ट / इंश्योरेंस निधि	-
-	अन्य	-
-	अन्य	-



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

तालिका 8 : प्रकटीकरण आइटम

31.03.2017	मापन के अंत में प्लान एसेट कुल आवंटन को प्रतिशत में दर्शाती हुई तालिका	31.03.2018
-	नकद एवं नकद समतुल्य	-
-	निवेश निधि	-
-	डेरिवेटिव	-
-	एसेट बैकड सिक्युरिटीज	-
-	संरचनात्मक ऋण	-
-	रियल स्टेट	-
-	विशेष जमा योजना	-
-	राज्य सरकार सिक्युरिटीज	-
-	भारत सरकार की परिसंपत्ति	-
-	कारपोरेट बांड	-
-	ऋण सिक्युरिटीज	-
-	एनेयुटि कंट्रेक्ट / इंश्योरेंस फंड	-
-	अन्य	-
-	कुल	-

तालिका 9 : प्रकटीकरण आइटम

मोरटालिटि तालिका	
उम्र	मोरटालिटि (प्रतिवर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

तालिका 10 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

31.03.2017		सेनसिटिविटि विश्लेषण	31.03.2018	
वृद्धि	कमी		वृद्धि	कमी
113.85	120.82	डिस्काउंटरेट(−/+0.5%)	162.90	172.52
-2.87%	3.08%	सेनसिटिविटि के कारण बेस में परिवर्तन का प्रतिशत	-2.77%	2.98%
118.07	116.37	वेतन वृद्धि (−/+0.%)	170.00	165.05
0.72%	-0.72%	सेनसिटिविटि के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत	1.47%	-1.49%
117.31	117.12	एट्रीशन दर (−/+0.%)	167.66	167.41
0.08%	-0.08%	सेनसिटिविटि के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत	0.08%	-0.08%
117.86	116.57	सोरटालिट दर(−/+10%)	168.36	166.71
0.55%	-0.55%	सेनसिटिविटि के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत	0.49%	-0.49%

तालिका 11 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

नकद प्रवाह सूचना दर्शाती तालिका	
अगले वर्ष का कुल (अनुमानित)	151.74
न्यूनतम निधि की आवश्यकता	144.44
कंपनी का विवेक	

तालिका 12 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

बेनीफिट इनफार्मेशन एस्टिमेटेड फ्यूचर पेमेंट (गत सेवा)	
वर्ष	करोड़ रु. में
1	42.46
2	22.71
3	24.88
4	22.90
5	16.77
6 to 10	71.57
10 वर्ष से अधिक	141.63
गत एवं भावी सेवा के लिए कुल अनडिस्काउन्ट पेमेंट	
गत सेवा से संबंधित कुल अनडिस्काउन्ट पेमेंट	342.92
ब्याज के लिए घटा डिस्काउन्ट	175.38
प्रोजेक्टेड बेनीफिट ओबलिगेशन	167.54



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

तालिका 13 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

निबल आवधिक लाभ, लागत आगामी अवधि के आऊट लुक नेक्स्ट वर्ष घटकों को दर्शाती तालिका	
वर्तमान सेवा लागत (केवल नियोक्ता का भाग) आगामी अवधि	9.51
ब्याज लागत आगामी अवधि	11.99
प्लान एसेट पर अनुमानित रिटर्न	12.57
अनरिकोगनाइज्ड गत सेवा लागत	
अवधि की समाप्ति पर अनरिकोगनाइज्ड वास्तविक लाभ/हानि	
सेटलमेंट लागत	
करटेलमेंट लागत	
अन्य (वास्तविक लाभ/हानि)	
बेनीफिट लागत	8.93

तालिका 14 : निबल देयता का पृथक्करण

(करोड़ रु. में)

31.03.2017	माप अवधि के अंत में प्लान एसेट पर अनुमानित रिटर्न दर्शाती हुई तालिका	31.03.2018
28.47	वर्तमान देयता	23.16
88.74	गैर-चालू देयता	144.38
117.21	निबल देयता	167.54

31.3.2018 के अनुसार छुट्टी नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) का वास्तविक मूल्यांकन
आईएनडीएएस 19 (2015) के अनुसार प्रमाण-पत्र

तालिका 1 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

31.03.2017	निम्नलिखित के अनुसार ओबलिगेशन के वर्तमान वैल्यू में परिवर्तन	31.03.2018
80.89	गत मूल्यांकन के आधार पर ओबलिगेशन का वर्तमान वैल्यू	103.61
10.44	चालू सेवा लागत	4.32
5.49	ब्याज लागत	7.59
	पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन	
	प्लान संशोधन : अवधि (गत सेवा) की समाप्ति पर वेस्टेड पोर्सन	
	प्लान संशोधन : अवधि (गत सेवा) की समाप्ति पर नन-वेस्टेड पोर्सन	
20.70	वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-3.19
	डेमोग्राफिक पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	
-3.58	असंभावित अनुभव के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-28.44
	अन्य कारण के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	
	विदेशी विनियम दर में परिवर्तन से प्रभाव	

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

10.33	प्रदत्त लाभ	10.33
	अर्जन समायोजन	
	ओबलिगेशन का निपटान / स्थानांतरण	
	करटेलमेंट लागत	
	सेटलमेंट लागत	
	अन्य (मूल्यांकन तिथि के अंत में अनसेटल्ड देयता)	
103.61	मूल्यांकन तिथि के अनुसार ओवलिगेशन का वर्तमान वैल्यू	73.56

तालिका 2 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

31.03.2017	निम्न के अनुसार प्लान एसेट के फेयर वैल्यू में परिवर्तन	31.03.2018
	अवधि की शुरुआत में प्लान एसेट का फेयर वैल्यू	
	ब्याज से आय	
	नियोक्ता का अंशदान	
	सहभागी अंशदान	
	अर्जन / व्यवसाय समन्वय	
	सेटलमेंट लागत	
	प्रदत्त लाभ	
	परिसंपत्ति की सीलिंग पर प्रभाव	
	विदेशी विनियम दर में परिवर्तन पर प्रभाव	
	प्रशासनिक व्यय और इंश्योरेंस प्रीमियम	
	ब्याज पर आय को छोड़कर प्लान एसेट पर रिटर्न	
	मेजरमेंट अवधि के अंत में प्लान परिस्थिति का फेयर प्लान	

तालिका 3 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

31.03.2017	तुलन पत्र के लिए रिकन्सिलिएशन दर्शाती तालिका	31.03.2018
-103.61	निधि की स्थिति	-73.56
	अनरीकोगनाइज्ड गत सेवा लागत	
	अवधि के अंत में अनरिकोगनाइज्ड वास्तविक लाभ / हानि	
	पोस्ट मेजरमेंट डेट इम्पलायर कंट्रीब्यूशन (अनुमानित)	
	अनफंडेड एक्रुएड / प्री पेड पेंशन लागत	
	निधि परिसंपत्ति	
103.61	निधि की देयता	73.56



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

तालिका 4 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

31.03.2017	प्लान एजम्पन दर्शाती तालिका	31.03.2018
7.25%	छूट दर	7.71%
एन/ए	प्लान परिसंपत्ति पर अनुमानित रिटर्न	एन/ए
अधिकारीयों के लिए 9.00 प्रतिशत एवं गैर-अधिकारीयों के लिए 6.50 प्रतिशत	बढ़ी क्षतिपूर्ति की दर (सेलरी इनफ्लेशन)	अधिकारीयों के लिए 9.00 प्रतिशत एवं गैर-अधिकारीयों के लिए 6.25 प्रतिशत
एन/ए	पेंशन में वृद्धि दर	एन/ए
15	औसत अनुमानित भावी सेवा (शेष वर्किंग लाइफ)	15
15	देयताओं की औसत अवधि	15
आईएएलएम 2006–2008 अल्टीमेंट	मोरटालिटि तालिका	आईएएलएम 2006–2008 अल्टीमेंट
60	उम्र पर सेवा निवृत्ति–पुरुष	60
60	उम्र पर सेवा निवृत्ति–महिला	60
1.00 प्रतिशत प्रति वर्ष	जल्दी सेवा निवृत्ति एवं डिसएक्लमेंट(सभी कारण संयुक्त)	0.30 प्रतिशत प्रति वर्ष
अपेक्षित	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति	अपेक्षित

तालिका 5 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

31.03.2017	निम्न के अनुसार लाभ/हानि विवरण में चिन्हित व्यय	31.03.2018
10.44	चालू सेवा लागत	4.32
	गत सेवा लागत (वेस्टेड)	
	पास्ट सेवा लागत (नन–वेस्टेड)	
5.49	निबल ब्याज लागत	7.59
	सेटलमेंट पर लागत (हानि / (लाभ))	
	करटेलमेंट पर लागत(हानि / (लाभ))	
17.12	केवल गत वर्ष के लिए लागू वास्तविक लाभ / हानि	-31.63
	कर्मचारी का अनुमानित अंशदान	
	विदेशी विनियम दर में बदलाव का निबल प्रभाव	
33.05	लाभ लागत (लाभ / हानि) के विवरण में अनुमानित खर्च	-19.72

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

तालिका 6 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

31.03.2017	अन्य कमप्रेहेन्सिव आय	31.03.2018
	वित्तीय छूट में परिवर्तन के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	
	डेमोग्राफिक छूट में परिवर्तन के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	
	असंभावित अनुभव के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	
	अन्य के कारण से ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	
	कुल वास्तविक (लाभ)/हानि	
	ब्याज पर आय को छोड़कर प्लान एसेट पर रिटर्न	
	एसेट सिलिंग का प्रभाव	
	अवधि के अंत में शेष	
	ओसीआई में रिकोगनाइज्ड अवधि के लिए निबल (आय)/व्यय	

तालिका 7 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

मोरटालिटि तालिका	
उम्र	मोरटालिटि (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	.0258545



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

तालिका 8 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

31.03.2017		सेसिटिविटि विज्ञलेषण	31.03.2018	
वृद्धि	कमी		वृद्धि	कमी
99.51	108.08	छूट की दर (- / +0.5 प्रतिशत)	70.68	76.70
-3.96%	4.31%	बेसड्यू की तुलना में प्रतिशत में बदलाव	-3.92%	4.27%
107.98	99.56	वेतन वृद्धि (- / +0.5 प्रतिशत)	76.65	70.70
4.22%	-3.91%	सेसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	4.20%	-3.89%
103.70	103.52	एट्रीशन दर (- / +0.5 प्रतिशत)	73.64	73.49
0.09%	-0.09%	सेसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	0.10%	-0.10%
104.15	103.07	मोरटालिटि दर (- / +10 प्रतिशत)	73.95	73.17
0.52%	-0.52%	सेसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	0.53%	-0.53%

तालिका 9 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

बेनीफिट इनफार्मेशन एस्टिमेटेड फ्यूचर पेमेंट	
वर्ष	करोड़ रु. में
1	9.19
2	8.98
3	8.11
4	8.50
5	6.81
6 से 10	38.14
10 वर्ष से अधिक	109.07
गत एवं भावी सेवा के लिए कुल अनडिस्काउन्ट पेमेंट	
गत सेवा से संबंधित कुल अनडिस्काउन्ट पेमेंट	188.79
ब्याज के लिए घटा डिस्काउन्ट	115.23
प्रोजेक्टेड बेनीफिट ओबलिगेशन	73.56

तालिका 10 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

31.03.2017	मेजरमेंट अवधि के अंत में प्लान एसेट पर अनुमानित रिटर्न दर्शाती तालिका	31.03.2018
12.88	चालू देयता	8.88
90.73	गैर-चालू देयता	64.69
103.61	निबल देयता	73.56

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

5. मान्यतारहित आइटम

क) आकस्मिक देयता (आईएनडी एएस-37)

कंपनी के विरुद्ध दावे को ऋण के रूप में (ब्याज सहित, जहाँ लागू हो) नहीं माना गया है।

(क1)

(करोड़ रु. में)

कंपनी के विरुद्ध दावे जिसे ऋण के रूप में नहीं माना गया		31.03.2018	31.03.2017
1	केंद्रीय सरकार आय कर सेवा कर रॉयल्टी सेंट्रल एक्साइज	17.71 15.89	17.71 15.70
2	राज्य सरकार और स्थानीय अथारिटी बिक्री कर प्रवेश कर		0.17
3	सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज लिटिगेशन के तहत कंपनी के विरुद्ध सुईट		
4	अन्य	4.73	6.23
	कुल	38.33	39.64

(क2)

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	विवरण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय अथारिटी	सीपीएसई	अन्य	कुल
1	01.04.2017 के अनुसार ओपनिंग	33.41			6.23	39.64
2	वर्ष के दौरान जोड़कर	0.19			0.59	0.78
3	वर्ष के दौरान दावा निपटान					
	क. अथ शेष				2.09	2.09
	ख. वर्ष के दौरान अतिरिक्त के अलावा					
	ग. वर्ष के दौरान कुल दावा निपटान (क + ख)					
4	31.03.2018 के अनुसार क्लोजिंग	33.60			4.73	38.33

ख) वचनबद्धता (आईएनडी एएस-37)

पूँजीगत लेखे पर गणन किए जाने के लिए कंट्रैक्ट की शेष राशि की प्राकलित राशि जिसे अन्य को नहीं दिया गया है वह 7.81 करोड़ (16.57 करोड़ रुपए) है।

ग) गारंटी

कंपनी ने 0.14 करोड़ (0.14 करोड़ रु.) की बैंक गारंटी दी है जिसे कंपनी की चालू परिसंपत्तियों पर प्रभारित किया गया है।



6. प्रायर पीरियड़ आइटम

(करोड़ रु. में)

विवरण	वर्ष के लिए (पीपीए के लिए प्रतिधारित कमाई/लाभ के लिए समायोजन) 2016-17
कम्पनी के मालिक को पूर्व में रिपोर्ट की गई कुल व्यापक आय जिसके लिए वे जिम्मेदार हैं	38.82
प्रायर पीरियड़ के लिए एडजस्टमेंट :	
पीपीए हास के लिए प्रत्येक इंडिविजुअल हेड का समायोजित व्यय	0.95
कम्पनी के मालिक को पूर्व में रिपोर्ट की गई कुल व्यापक आय जिसके लिए वे जिम्मेदार हैं (रिस्टेटेड)	37.87

7. अन्य सूचना

(करोड़ रु. में)

प्रावधान	31.04.2017 के अनुसार अथशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बट्टे खाता / समलोजन	डिस्काउन्ट ऑफ अनवाईडंग	31.03.2018 के अनुसार इतिशेष
टिप्पणी 1:-प्रोपर्टी, संयंत्र एवं उपकरण: परिसंपत्तियों की क्षति :					
टिप्पणी 2:-पूंजीगत कार्य जारी : सीडब्ल्यूआईपी की तुलना में :					
टिप्पणी 3:- गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति : प्रावधान एवं क्षति :					
टिप्पणी 1:- बिक्री के लिए रखा गया गैर चालू परिसंपत्तियाँ : प्रावधान :					
टिप्पणी 8:- ऋण : अन्य ऋण :					
टिप्पणी 9 :- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ: अनुषंगी कम्पनियों के पास चालू खाता : वसूली योग्य दावे : अन्य वसूली योग्य :					
टिप्पणी 10 :- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ: गवेषणात्मक वेधन कार्य : यूटिलिटिज के लिए सिक्युरिटि जमा के अगेस्ट:					
टिप्पणी 11:- अन्य चालू परिसंपत्तियाँ : राजस्व के लिए अग्रिम : 0.03 सांविधिक बकाये के अगेस्ट अग्रिम भुगतान : अन्य जमा : 0.05 अन्य वसूली योग :	0.03				0.03
टिप्पणी 12:- वस्तु सूची : कोयले का स्टॉक : स्टोर एवं स्पेयर का स्टॉक:	0.60	0.03			0.63

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

टिप्पणी 13:-पेशागत वसूली : झूबंत एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान :	2.50	0.23			2.73
टिप्पणी 21:-नौर चालू एवं चालू प्रावधान :					
कार्यनिष्ठादान से संबंधित वेतन :	88.12	11.16	-35.57		63.71
एनसीडब्ल्यूए :	19.04	20.81	-9.57		30.28
अधिकारी वेतन रीविजन:	5.03	47.97			53.00
माइन क्लोजर:					
एनपीएस :	81.69	10.71			92.40

(ख) ऑथोराइज़ेड शेयर पूँजी

विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
1000/- रुपये का 5,00,000 इक्वूटी शेयर	50.00	50.00

(ग) प्रतिशेयर अर्जन (आईएनएस एएस-33)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	इविविटि शेयर धारक को देने के बाद कर पश्चात् निबल लाभ	80.83	39.64
ii)	इविविटि शेयर बकाया की भारित औसत संख्या	380800.00	380800.00
iii)	प्रति शेयर बेसिक और डायलूटेड अर्निंग्स रुपये में (फेस वेल्यू रु. 1000/- प्रति शेयर)	2122.64	1040.97

(घ) संबंधित पार्टी सिक्लोजर (आईएनडी एएस-24)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

शेखर सरन (सीएमडी)
 वी.के.सिन्हा (निदेशक तकनीकी)
 बी. एन. शुक्ला (निदेशक तकनीकी)
 बिनय दयाल (निदेशक तकनीकी)
 असीम कुमार चक्रवर्ती (निदेशक तकनीकी)
 अभिषेक मुंधरा (कंपनी सचिव)

स्वतंत्र निदेशक

राजेंद्र प्रसाद (स्वतंत्र निदेशक)
 देबाशीष गुप्ता (स्वतंत्र निदेशक)



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

मुख्य प्रबंधकीय कर्मिकों का पारिश्रमिक

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	सीएमडी, पूर्ण अवधि के निदेशक एवं कंपनी सचिव का वेतन	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	अल्पकालीन कर्मचारी लाभ सकल वेतन परक्यूजिट्स चिकित्सा लाभ	1.63 0.16 0.04	1.64 0.18 0.06
ii)	नियोजन पश्चात् लाभ पीएफ एवं अन्य कोष में अंशदान	0.11	0.18
iii)	परिभाशित लाभों का वास्तविक मूल्यांकन	1.06	1.27
iv)	सेवानिवृत्ति लाभ	0.10	
v)	टर्मिनेशन लाभ (पृथक के समय प्रदत्त) छुट्टी नकदीकरण ग्रेच्युटि	शून्य	शून्य
	कुल	3.10	3.33

टिप्पणी :

- (i) उपर्युक्त के अलावे सेवा शर्तों के अनुसार 2000/- रुपये प्रति माह के भुगतान पर पूर्णकालिक निदेशकों को 1000 कि.मी. की सलिंग तक निजी यात्रा के लिए कार का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	सिटिंग शुल्क	0.11	0.0965

सिटिंग शुल्क शेष बकाया

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	वसूली योग्य राशि	शून्य	शून्य

ग्रुप में संबंधित पार्टी लेनदेन :

कंपनी को सरकार से संबंधित इनटाइटी होने के कारण समान सरकार के तहत अन्य इनटाइटी के साथ शेष बकाया और संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित सामान्य डिस्कलोजर की आवश्यकता से छूट है।

आईएनडी एएस 24, के अनुसार नेचर और लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण राशि को निम्नलिखित के अनुसार प्रकट किया गया है।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

(करोड़ रु. में)

कंपनी का नाम	संबंध की प्रकृति	वर्ष के दौरान लेनदेन की राशि	लेन देन की प्रकृति
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	122.32	कर्मचारी से संबंधित सेलस एवं टीडीएस
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	40.72	कर्मचारी से संबंधित सेलस एवं टीडीएस
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	113.48	कर्मचारी से संबंधित सेलस एवं टीडीएस
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	149.51	कर्मचारी से संबंधित सेलस एवं टीडीएस
साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	90.32	कर्मचारी से संबंधित सेलस एवं टीडीएस
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	401.42	कर्मचारी से संबंधित सेलस एवं टीडीएस
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	75.13	कर्मचारी से संबंधित सेलस एवं टीडीएस
कोल इंडिया लिमिटेड	100 प्रतिशत होल्डिंग	10.21	कर्मचारी से संबंधित सेलस एवं टीडीएस

(करोड़ रु. में)

कंपनी का नाम	संबंध की प्रकृति	बकाया शेष की राशि
इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	11.99
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	15.49
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	51.29
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	51.79
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	17.03
साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	97.86
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	47.38
कोल इंडिया लिमिटेड	100:होल्डिंग	19.07

ड.) कराधान (आईएनडीएस-12)

इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आईएनडी एएस-12 के अनुसार गणना के आधार पर कंपनी के पास आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल) है।

आस्थगित कर की गणना :

- (1) समान गवर्निंग टेक्सेशननियम द्वारा लगाए गए आय पर कर से संबंधित होने के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता को अफसेट किया गया है।
- (2) 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2017 को आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयता) इस प्रकार है :



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

(करोड़ रु. में)

	<u>31.03.2018</u> के अनुसार	<u>31.03.2017</u> के अनुसार
आस्थगित कर देयता :		
स्थायी परिसंपत्ति से संबंधित	7.82	8.95
आस्थगित कर परिसंपत्ति :		
संदिग्ध ऋण, दावे आदि के लिएप्रावधान	1.00	0.90
कर्मचारी के पृथकरण और सेवा—निवृत्ति	135.53	123.46
अन्य	0.22	0.21
कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति	136.75	124.57
निबल आस्थगित कर परिसंपत्ति / (आस्थगित कर देयता) :	128.93	115.62

च) लेखे के लिए बने प्रावधान

स्लोचल/अचल/आवसोलीट स्टोर, दावे वसूली योग्य, अग्रिम, संदिग्ध ऋण आदि को लेखे में बनाए गए प्रावधान में संभावित हानि को पर्याप्त माना गया है।

छ) चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार में अचल परिसंपत्ति और गैर—चालू निवेश के अलावे परिसंपत्ति सामान्य कार्यव्यवहार वाले व्यवसाय में होता है तथा जो कम—से—कम राशि (लेखे) के बराबर होता है, जिसका उल्लेख किया गया है।

ज) चालू देयताएँ

आकलित देयता वहाँ उपलब्ध कराया गया है, जहाँ वास्तविक देयता को मेजर नहीं किया गया है।

झ) शेष की सम्पुष्टि

शेष की सम्पुष्टि/समाधान में नकद एवं बैंक शेष कुछ ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालीय देयता और चालू देयता शामिल है। सभी संदिग्ध अनकनफर्म्ड शेष के विरुद्ध प्रावधान किया गया है।

ज) सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य

(करोड़ रु. में)

विवरण	<u>31.03.2018</u> को समाप्त वर्ष के लिए	<u>31.03.2017</u> को समाप्त वर्ष के लिए
1. कच्चा माल	शून्य	शून्य
2. पूंजीगत सामान	8.48	3.35
3. भंडार, पूर्जे एवं कम्पोनेट	0.66	0.01

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

त) विदेशी करेंसी में खर्च

(करोड़ रु. में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च	0.18	0.11
प्रशिक्षण खर्च	शून्य	शून्य
परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य
ब्याज	शून्य	शून्य
स्टोर्स एंड स्पेयर्स	शून्य	शून्य
पैंजीगत सामान	शून्य	शून्य
अन्य	8.92	3.37

थ) विदेशी विनियम में अर्जन :

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च	शून्य	शून्य
प्रशिक्षण खर्च	शून्य	शून्य
परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य

द) स्टोर एवं स्पेयर (संदर्भ नोट संख्या-26) की कुल खपत :

(करोड़ रु. में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
	राशि	कुल खपत का प्रतिशत	राशि	कुल खपत का प्रतिशत
1. आयातित सामग्री	0.00	0.00	0.00	0.00
2. स्वदेशी	25.92	100.00	26.65	100.00

ध) अन्य

क) पूर्व अवधि के ऑकड़े के जहाँ आवश्यक समझा गया वहाँ आईएनडीएस के अनुसार पुनः कर्थित, रि-ग्रुप्ड और पुनःव्यवस्थित किया गया है।

ख) पूर्व अवधि के ऑकड़े को नोट संख्या-1 से 38 तक ब्रेकेट में दिया गया है।



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

ग) 31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र का टिप्पणी 1 से 23 तक का भाग तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण का भाग 24 से 37 लेखे में टिप्पणी 1 एवं 2 महत्वपूर्ण लेखा नीति तथा टिप्पणी 38 वित्तीय विवरण में अतिरिक्त विवरण को बतलाता है।

टिप्पणी 1 से 38 तक के लिए हस्ताक्षरित

(ए. मुंध्रा)
कम्पनी सचिव

(एन.एन. राकुर)
महाप्रब्रधक (वित्त)

(बी.एन. शुक्ला)
निदेशक
डीआईएन-.07367625

(शेखर सरन)
अध्यक्ष—सह—प्रबंध
निदेशक
डीआईएन-.06607551

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते के.सी.टाक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000216C

(सीए अनिल जैन)

पार्टनर

सदस्यता संख्या : 079005

तिथि : 25 मई, 2018

स्थान : राँची